ष्टम माला, खंड 17, अंक 41

सोमवार, 28 अप्रैल, 1986
8 वैशाख, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 17 में अंक 41 से 48 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलि मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 17, पांचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 41, सोमवार, 28 अप्रैल 1986/8 वैशाख, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
यूरोपीय संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—25
*तारांकित प्रश्न संख्या : 826 और 828 से 836	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	25—206
तारांकित प्रश्न संख्या : 827 और 837 से 845	25—39
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7914 से 7977, 7979 से 8084, 8086 से 8099 और 8101 से 8104	39—198
सभा पटल पर रखे गये पत्र	206—207
लोक लेखा समिति	207
40वां तथा 41वां प्रतिवेदन	
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	207
8वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	208—209
10वां, 12वां तथा 15वां प्रतिवेदन	
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	210—226
यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के अपने लाभदायक उपभोक्ता उत्पाद डिवीजन को बेचने के कथित निर्णय तथा उससे उत्पन्न स्थिति के संबंध में	
श्री बसुदेव आचार्य	210
श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह	210
डा० सुधीर राय	212
श्री सैफुद्दीन चौधरी	213
श्री सुरेश कुरूप	215
श्री जैनुल बशर	218
कार्य मंत्रणा समिति	227
23वां प्रतिवेदन	

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	227—231
(एक) मैथिली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता	
डा० गौरी शंकर राजहंस	227
(दो) उड़ीसा की ठंकुरानी लौह अयस्क खानों को इस्पात संयंत्र से सम्बद्ध करने की आवश्यकता	
श्री हरिहर सोरन	228
(तीन) मध्य प्रदेश मुरैना जिले में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस देने की आवश्यकता	
श्री कमोदी लाल जाटव	228
(चार) दिल्ली के झुग्गी झोंपड़ीवासियों तथा फुटपाथ पर रहने वालों का पुनर्वास करने की आवश्यकता	
श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर	229
(पांच) पेयजल समस्या को हल करने के लिये आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता	
डा० जी० विजय रामाराव	229
(छह) तैयार चमड़े के संबंध में 1981 में भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मानदंडों को बनाये रखने की आवश्यकता	
श्री पी० कुलनदइवेलु	229
(सात) डीजल, ट्रैक्टर और अन्य उपकरण खरीदने के लिये किसानों को अनुदान देने की आवश्यकता	
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	230
(आठ) भुवनेश्वर हवाई अड्डे को सीमा-शुल्क हवाई अड्डा और भुवनेश्वर नगर को सीमा-शुल्क भाण्डागार केन्द्र घोषित करने की आवश्यकता	
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	230
वित्त विधेयक	231—307
विचार करने के लिये प्रस्ताव [जारी]	
श्री बैंजावाड़ा पपी रेड्डी	231
श्री गिरधारी लाल डोगरा	233
कुमारी ममता बनर्जी	236
श्री जुझार सिंह	240
श्री मुरली देवरा	242

विषय	पृष्ठ
श्री के० पी० सिंह देव	245
श्री पीयूष तिरकी	251
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	254
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	256
श्री जैनुल बशर	259
श्री आर० जीवारथिनम	262
श्री जय प्रकाश अग्रवाल	265
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	267
श्री सी० जंगा रेड्डी	269
श्री राम सिंह यादव	272
श्री वी० एस० विजयराघवन	273
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	275
खंड 2 से 56 तथा 1 पारित करने के लिए प्रस्ताव	294—307
आधे घंटे की चर्चा	307—324
मंजूरी के लिये लंबित पड़ी सिंचाई परियोजनायें	
डा० सी० पी० ठाकुर	307
श्री बी० शंकरानन्द	311
श्री सोमनाथ रथ	313
डा० गौरी शंकर राजहंस	314
श्री मूलचन्द डागा	315
श्री चिन्तामणि जेना	316

लोक सभा

सोमवार, 28 अप्रैल, 1986/8 वैशाख, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यूरोपीय संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, पहले मुझे एक घोषणा करनी है ।

मुझे अपनी ओर से और इस सभा के माननीय सदस्यों की ओर से, माननीय मि० पाल वर्गीज और यूरोपीय संसदीय शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्यों का, जो हमारे सम्माननीय अतिथि के रूप में भारत आए हैं, स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है । शिष्टमंडल के अन्य सदस्य हैं :—

1. मि० जार्ज डब्ल्यू० स्टीवेन्सन
2. मि० विल्हेम एफ० टी० हान
3. मिसेज मारी-क्लोड वायसाड
4. मि० फ्रीडरिच विलहेम जिराफ जु बारिंगडोर्फ
5. सर पीटर बी० आर० वेनेक
6. मि० विल्हेम जे० बरगीर
7. मि० माइकेलान्जेलो सियान्कागलिनि
8. मि० एनरीक सपेना ग्रानेल
9. मि० फ्लोरस ए० विजसेन्बीक
10. मि० बर्नार्ड थारेयू

यह शिष्टमंडल शनिवार, 26 अप्रैल, 1986 को दिल्ली पहुंचा । अब ये महानुभाव विशेष प्रकोष्ठ में आसीन हैं । हम भारत में उनके सुखद और सार्थक प्रवास की कामना करते हैं । उनके माध्यम से हम यूरोपीय संसद को अपनी शुभ कामनाएं भेजते हैं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पेयजल आपूर्ति संबंधी राष्ट्रीय नीति

*826. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेयजल की आपूर्ति करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कब इस नीति की घोषणा किये जाने की संभावना है; और

(ग) इससे विभिन्न राज्यों में पेयजल की अत्यधिक कमी वाले गांवों को पेयजल की सुविधा किस सीमा तक प्राप्त होगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए पेयजल पूर्ति की राष्ट्रीय वृहद योजना की घोषणा अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक के संदर्भ में सन् 1981 में की गई थी। इस योजना में सम्पूर्ण जनसंख्या को मार्च, 1991 तक स्वच्छ तथा पर्याप्त पेयजल का प्रावधान करने पर विचार किया गया है। तथापि, हाल ही की समीक्षा में यह बताया गया है कि 1991 तक केवल 90% शहरी जनसंख्या को तथा 85% ग्रामीण जनसंख्या को पेयजल सुविधाएं मुहैया करना सम्भव हो पाएगा।

(ग) 1980 में पता लगाये गए लगभग 2.31 लाख समस्याग्रस्त गांवों में से, लगभग 1.92 लाख गांवों को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स्वच्छ पेयजल का कम से कम एक स्रोत मुहैया करा दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, शेष समस्याग्रस्त गांवों को तथा बाद में पता लगाये गए समस्याग्रस्त गांवों का लाभान्वित करने तथा पहले आंशिक रूप से लाभान्वित गांवों को पूर्णतः लाभान्वित करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, चाहे शहर हो या गांव हों, पीने के पानी की शार्टेज सब जगह है, खासकर नागपुर को लीजिए या महाराष्ट्र के गांवों को लीजिए, हर जगह लोग तकलीफ में हैं और इसलिए उनकी आवाज आ रही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 1980 में जो सर्वे किया गया, लेकिन सर्वे के बाद इन 5-6 वर्षों में वाटर-लेवल बहुत नीचे चला गया है, हर जगह नीचे आ रहा है।

श्री मूल चन्द डागा : खासकर राजस्थान में।

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी डागा भी ठीक बात करते हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात आदि सभी राज्यों में बड़ी तेजी से वाटर-लेबल नीचे आ रहा है। महाराष्ट्र में जहां पहले 50 फीट नीचे पानी मिल जाता था, लेकिन अब सवा सौ, डेढ़ सौ और दो सौ, तीन सौ फीट नीचे जाने पर भी पानी नहीं मिलता है, इतना वाटर-लेबल नीचे आ रहा है। दूसरी बात यह है कि वाटर-पोल्यूशन की वजह से नदियों का पानी खराब हो गया है और लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिलता है। तीसरा कारण यह है कि

जब सर्वे किया गया था, उसके बाद पापूलेशन काफी बढ़ गई है और वहां पर जो नार्म्स तय किए गए हैं वे एडीक्वेट नहीं हैं।

माननीय मंत्री जी से मेरा सीधा सा सवाल यह है कि आप ये नार्म्स आज की परिस्थिति को देखकर 1980 की प्राबलम बताकर मदद करना चाहते हैं तो वह मदद बिलकुल एनएडीक्वेट है। आप नार्म्स बदलकर राज्यों को जहां पर गांवों में पानी की तकलीफ है, आज की परिस्थिति को देककर ज्यादा मदद देने के लिए विचार करेंगे क्या ?

श्री बलबीर सिंह : माननीय सदस्य का सवाल है कि जलस्तर दिनों दिन नीचे जा रहा है, यह डिफारेस्टेशन आफ दी फारेस्ट की वजह से है। दूसरी चीज यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल तथा स्वच्छता दशक के रूप में 1981 में जो संयुक्त राष्ट्र में कहा गया था, उसमें भारत भी शामिल है और उसके हस्ताक्षर भी हैं, उसमें हमने यह कमीटमेंट किया था कि 1991 तक हम पीने के पानी की पूर्ति करायेंगे और स्वच्छता का भी हम निवारण करेंगे। 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना में जैसा माननीय सदस्य ने कहा, हमने सर्वे कराया है, उसमें लगभग 2.31 लाख समस्याग्रस्त गांवों में 1.92 लाख गांवों को छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक पेयजल की पूर्ति कर दी गई है और जो शेष गांव रह गए हैं, उनको सेवन्थ फाइव इअर प्लान में पूरा करने का हमारा इरादा है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष जी, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैं आपसे संरक्षण मांगता हूं। मैंने यह पूछा था कि आपने जो सर्वे किया, उसके बाद परिस्थितियां बदल गईं इसलिए आप नार्म्स बदलेंगे क्या ?

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)······(व्यवधान) यह कोई ऐसी बात नहीं है कि प्राबलम विलेजेस को जो स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा, उसके बाद नहीं है। नए विलेजेस का इस्तजाम किया जायेगा। सेवन्थ फाइव इयर प्लान में यह कोई स्टेटिक नहीं है कि

[अनुवाद]

एक बार इसे समस्याग्रस्त गांव घोषित कर दिया तो यह हमेशा समस्याग्रस्त गांव ही रहेगा।

[हिन्दी]

पापुलेशन बढ़ती है इसलिए पानी की कमी होती है, जितना हो सकता है, किया जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पुरानी समस्याएं हल की जाएंगी ; नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : केन्द्र सरकार से जो मदद मिल रही है, वह बिल्कुल एनएडीक्वेट है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र ने 1985-86 के लिए 116 करोड़ रुपया मांगा है और आपने 7.83 करोड़ दिया है। 116 करोड़ रुपया पानी के लिए उनको जरूरत है, आप 7.83 करोड़ देते हैं तो कैसे आप प्राबलम साल्व करेंगे, जरा समझाइए।

श्री अब्दुल गफूर : हम इस तरह से समझा देते हैं कि कुछ दिनों पहले तक हम ही उस डिपार्टमेंट को डील करते थे, अब हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर डील करते हैं। यह सवाल इस

हाउस में डिसकस हो चुका है। मेरे वक्त में एक इन्सेन्टिव की स्कीम थी कि जो स्टेट अपने प्राबलम विलेजेस को जल्दी पानी मुहैया करेंगे, उनको हम और रुपया देंगे। आपका स्टेट लैग-बिहाइन्ड हो गया होगा। हम यहां से पानी का इंतजाम नहीं करते हैं, जितनी मदद होती है, उतनी करते हैं। काम करना स्टेट का काम है। हम लोग पानी नहीं पहुंचाते हैं।······(व्यवधान)

श्री राजकुमार राय : मान्यवर, ऐसा है कि गांवों में पेयजल के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक टंकी बनाने का केन्द्र सरकार का आदेश था और पाचवीं पंचवर्षीय योजना में गांवों में पानी के लिए टंकियों का निर्माण होता रहा, लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में उसे खत्म कर दिया गया और सातवीं योजना में भी इस प्रकार से परामर्श आए। गांवों में टंकियों से पानी अच्छा मिल जाता है लेकिन सातवीं योजना में क्यों नहीं रखा गया। क्या उसके अभाव में कहा जाए कि गांवों में सरकार शुद्ध पानी नहीं देना चाहती है।

श्री अब्दुल गफूर : यह तो जवाब आपको मिल गया कि एक दफा सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा कि आप अपने-अपने स्टेट में यह बताइए कि कौन से इलाके हैं, कौन से विलेज हैं जहां पर कि पीने के पानी का एक भी कोई जरिया नहीं है। उसकी एक रिपोर्ट आई थी। उसी के मुताबिक रुपया सैंक्शन हुआ। सैंक्शन होने के बाद यह जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की हो जाती है और अगर इसके बाद भी जैसा कि हमारे महाराष्ट्र के माननीय सदस्य ने कहा, चूंकि लेवल आफ वाटर नीचे चला गया तो कोशिश की जायेगी तो आप नीचे से पानी लाते होंगे, बीस फीट और हिला देंगे···(व्यवधान)

श्री राजकुमार राय : मैं यह कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको स्केयरसिटी विलेजेस की लिस्ट दी और आपने पूरा शेयर दिया है, तभी छठी योजना में पेयजल के लिए जो टंकिया थीं, उनको जल निगम ने बनाना बन्द कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि हमने स्केयरसिटी विलेजेस की पूरी लिस्ट दे दी है। उनको अपना शेयर दे दिया है तो केन्द्र सरकार नहीं बनवा रही है, इसका क्या कारण है। बड़ी लम्बी लिस्ट है उत्तर प्रदेश में···

श्री अब्दुल गफूर : अगर कोई भी राज्य यह कहे कि हम पीने के पानी का इन्तजाम कर रहे हैं और सेंटर इसको मना कर दे, मैं समझता हूं इस तरह की बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इतना उत्तर काफी है।

श्री राजकुमार राय : मैं विशेष जानकारी की मांग कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इतना काफी है। उन्होंने भी अपने उत्तर में विशिष्ट रूप से कहा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : आप अगर-मगर से जवाब दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार करना चाहती है...तो क्या आप पुनः गांवों में पेयजल हेतु टंकियों का निर्माण करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : पीने के पानी का जो संकट है...

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या दिक्कत है, आपके भी यह संकट है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : राजस्थान के अन्दर जो डेजर्ट एरिया है वहां विशेष तौर से है। पहले छठी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सरकार से मदद दी गई थी वह काफी प्राप्त हुई थी, परन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो प्रोविजन किया जा रहा है ए० आर० पी० के अन्तर्गत जो पहले मदद दी गई थी वह 14 प्रतिशत सारे प्रान्तों को दी गई थी, अब 6 प्रतिशत कर दी गई है और जो नार्म्स बनाये गये हैं उसके अन्दर कास्ट कंसिडरेशन नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे यहां पर जो कास्ट एक गांव में पीने के पानी पहुंचाने की आती है वह यू० पी० और बिहार में 20 गांव में उतनी कास्ट आती है। तो इसके कंसिडरेशन के अन्दर जहां कास्ट ज्यादा होती है उन एरियाज के अन्दर, उन प्रान्तों के अन्दर विशेष राशि देकर नार्म्स में परिवर्तन करके कास्ट में कंसिडरेशन करके क्या आप ए० आर० पी० के अन्दर राशि देंगे।

श्री अब्दुल गफूर : आपका जो सुझाव है, हमारे अध्यक्ष महोदय भी वहीं से आते हैं। एक दफा हम सवाल का जवाब दे रहे थे तो इन्होंने कहा था कि जल्दी कर दीजिए, हम आपको पद्म विभूषण के टाइटल के लिए रिकमंड कर देंगे...

अध्यक्ष महोदय : मैंने परमवीर चक्र के लिए कहा था।

श्री अब्दुल गफूर : इसलिए वही सब देखभाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं मेरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है...

अध्यक्ष महोदय : मैं पूरी नजर रखे हुए हूं।

श्री राम सिंह यादव : राजस्थान में नार्म्स परिवर्तन करेंगे या नहीं, यह तो आप बतलाइये। (व्यवधान)

श्री अब्दुल गफूर : राजस्थान को सिर्फ इण्डिया में...

श्री राम सिंह यादव : नार्म्स में परिवर्तन किए बगैर राजस्थान में पानी नहीं मिल सकता, राजस्थान में नार्म्स परिवर्तन करने की घोषणा की जाए।

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर मिनिस्टर...गफूर साहब जब मैंने इजाजत नहीं दी तो आपने इनका जवाब कैसे दिया।

श्री श्याम लाल यादव : मंत्री जी ने यह जवाब दिया कि 1980 में राज्य के उन गांवों और उन नगरों की सूची मंगाई गई थी जहां पीने के पानी की भारी कमी थी। क्या बदलती हुई परिस्थितियों में, आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, आबादी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी हुई। इसलिए नगरों की आबादी बढ़ गई और गांवों में नये बाजार और हाट बन गये जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जरूरतमंद गांवों की नई सूचियां साथ में शहरों की भी नई सूचियां मंगाई जायें और इस सम्बन्ध में एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं कि वाराणसी दूसरे शहरों से काफी मशहूर शहर है जहां देश के हर कोने के लोग आते हैं वहां पीने के पानी की बहुत कमी है। कल ही मैं नगर के कई मोहल्लों में घूमा जहां गलियों से पानी लोगों को लेना पड़ रहा है, विषम परिस्थिति है। इसलिए मैंने प्रधान मंत्रीजी से अनुरोध किया था कि 4 करोड़ रुपए की

धनराशि दी जाये, वरना इस गर्मी में हाहाकार मच जायेगा और गर्मी में भयंकर स्थिति पैदा हो जायेगी तो इस सम्बन्ध में विचार करके माननीय मंत्री जी क्या कदम उठायेंगे।

श्री अब्दुल गफूर : जहां तक यह सवाल है आपको 4 करोड़ रुपये दे दें, हम इस स्थिति में नहीं हैं आपको कह सकें कि 4 करोड़ रुपये दे दें।

जहां तक आप जैसे बुजुर्ग आदमी का सवाल है कि वाराणसी में हाहाकार मच जायेगा, यह तो बड़ी प्रॉब्लम है। हम वहां के चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे कि वह क्या करने जा रहे हैं और जो भी होगा, चाहे कोई भी सरकार हो जब इस प्रकार की मुश्किलात का सामना करना होता है तो इसमें जो भी मुश्किल होता है वह हम करेंगे।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास

***828. श्री सी० जंगा रेड्डी† :**

डा० बी० एल० शैलेश :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास कार्य में तेजी लाई जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है; इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है तथा सम्पूर्ण योजना में और प्रति वर्ष के लिए पृथक रूप से इसकी क्रियान्विति के लिए किन-किन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एक विस्तृत क्षेत्रीय योजना तैयार कर रहा है, जिसमें क्षेत्रीय आयोजना के अन्तर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा शामिल होगा तथा जिसमें अतिरिक्त परिव्ययों की आवश्यकता होगी। चालू योजना के दौरान उद्दिष्ट 35 करोड़ रुपये के नियतन की तुलना में, वर्ष 1985-86 के दौरान 3.9 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई थी तथा वर्ष 1986-87 के दौरान 4.25 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की जा रही है। 26.85 करोड़ रुपये की शेष राशि सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान खर्च की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के विकास हेतु रिलीज की गई राशि के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि चालू योजना के दौरान इस कार्य के लिए 35 करोड़ रुपए का नियतन किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह नियतन किस आधार पर किया गया है और इन 35 करोड़ रुपये से आप क्या-क्या कार्यक्रम निष्पादित करने वाले हैं। जैसा मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा, उससे कुछ भी स्पष्ट नहीं होता,

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एक विस्तृत क्षेत्रीय योजना तैयार कर रहा है..."

[हिन्दी]

बगैर प्लानिंग के, आपने किस कार्य के लिए पैसे को आबंटित किया है। पिछले दो सालों में आपने इस योजना पर कुल कितना खर्च किया और उससे कितना काम हुआ।

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : शायद माननीय सदस्य वर्ष 1985-86 के दौरान रिलीज की गई लगभग 4 करोड़ रुपए की राशि का ब्योरा जानना चाहते हैं। जैसा आप जानते हैं नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड का गठन 27 मार्च, 1985 को हुआ और आज 28 अप्रैल, 1986 है, इस तरह इसको गठित हुए केवल 11 माह का समय ही हुआ है जबकि दिल्ली को बनते बिगड़ते सदियां गुजर गई, क्या आप समझते हैं कि एक ही रोज में सब कुछ हो जाएगा। वह सम्भव नहीं है। बोर्ड के गठन के पश्चात् उसकी मीटिंग हुई, जिसमें नेशनल कैपिटल रीजन के अन्तर्गत आने वाले सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स सम्मिलित हुए, उनके एक्सपर्टस आये और इस ऐक्ट में जितने दूसरे लोग हैं, वे भी बैठे। उनके सामने हमारी ओर से यह बात रखी गई कि आप लोग अपने-अपने रीजन का प्लान ड्राफ्ट बनाकर भेजिए कि कैसे डेवलपमेंट किया जाए। उन लोगों ने अपने-अपने हिस्सों का ड्राफ्ट बनाकर हमें भिजवा दिया, जिसमें राजस्थान, हरियाणा और यू० पी० भी शामिल हैं। उसके बाद हमने इस बोर्ड की एक प्लानिंग कमेटी बनाई और उसको यह कार्य सौंपा गया कि आगे कैसे कार्य किया जाए। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, जिसका मतलब है कि रोड्स, टाउन का डेवलपमेंट, जमीन की एक्वीजीशन, दिल्ली की पोपूलेशन कम करने के लिए कैसे काम किया जाए, उसके लिए कौन-कौन-सी चीजों की जरूरत होगी अगल-बगल के रीजन में, उस सबको देखा जाएगा। बोर्ड को गठित करते हुए अभी सिर्फ एक साल भी नहीं हुआ है और इस समय में हमने अभी इन सारी चीजों का नक्शा ही तैयार किया है। हमने अपने सामने इन सारी चीजों को रखा है और मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें "डैमोग्राफिक फीचर्स ऑफ दी रीजन तथा रीजनल सैटलमैंट एण्ड लैंड यूज" जैसी बातों का भी हिसाब-किताब रखा जाएगा। उसके बाद रीजनल रोड्स, नेशनल हाइवे मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट आयेंगी, फिर वाटर सप्लाई का सवाल आयेगा, जिसके बारे में अभी यहां जिक्र किया गया। जब कुछ लोग इधर से उधर चले आयेंगे तो वहां भी वाटर-सप्लाई का सवाल आयेगा। चौथा सवाल बिजली और पावर का देखना होगा, पांचवां इंडस्ट्रीज का।

अध्यक्ष महोदय : छोटा कीजिए।

श्री अब्दुल गफूर : इन सारी चीजों पर विचार करने के लिए ही बोर्ड के अन्तर्गत प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया है। उसने सारी चीजें सोच-समझ कर हमें एक रफ-आइडिया दिया है जिसमें इस कार्य के लिए लगभग 867 करोड़ रुपया मिनिमम हम लोगों को चाहिए, ताकि हम इन सारी चीजों को चला सकें। अब हमें सिर्फ 35 करोड़ रुपया मिला है और इस पैसे में जितना काम हम बढ़ा सकते हैं, उतना बढ़ा रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी काम में इतने उलझे हुए हैं, इतने व्यस्त हैं कि आपको तारीख सहित पूरी सूचना दे रहे हैं।

श्री अब्दुल गफूर : इसलिए आप घबराइये नहीं, जैसे ज्यादा रुपया हमें मिलेगा, हम काम करते जाएंगे।

श्री सी० जंगा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, यह जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है...

अध्यक्ष महोदय : अब, इतने लंबे-चौड़े जवाब में आपकी एक बार में तसल्ली नहीं हुई ?

श्री सी० जंगा रेड्डी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह प्लान कब तक पूरा किया जाएगा और 1985-86 जो रु० 3.9 करोड़ दिए गए हैं, ये किस-किस स्टेट के लिए और किस-किस प्लान के लिए खर्च किए गए हैं ?

श्री अब्दुल गफूर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की तरक्की की रफ्तार कोई एक ही दिन में नहीं हुई है । यह नैशनल कैपीटल रीजन की स्कीम पहले से शुरू हुई है । यह स्कीम पहले से कुछ इलाकों में शुरू हो चुकी थी । उन इलाकों में—अलवर, भिवण्डी, गुड़गांव, पानीपत, मेरठ और हापुड़ हैं । इन इलाकों में पहले से ही यह चल रही थी ।

श्री सी० जंगा रेड्डी : आंध्र प्रदेश में कोई नहीं है ?

श्री अब्दुल गफूर : मैं बता रहा हूं । इस स्कीम में जो रुपया एरिया वाइज रिलीज़ हुआ है, वह मैं आपको पढ़कर बताता हूं । यह 57 करोड़ रुपए की स्कीम थी । इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी रुपया देती थी । जब से यह हमारा ऐक्ट बना है, तब से हम उन लोगों को रुपया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इस स्कीम को बंद मत कीजिए । अभी तक 57 करोड़ में से 38 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और अभी तो काम चल ही रहा है । घबरा क्यों रहे हैं ?

श्री राम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, चूंकि अलवर का जिक्र आया है इसलिए मैं......

अध्यक्ष महोदय : आप क्या पूछ रहे हैं राम सिंह जी ?

श्री राम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन् 1975 में इस नैशनल कैपीटल रीजन प्रोजैक्ट को शुरू किया था और उस समय श्री भगतजी मिनिस्टर थे और उन्होंने अलवर में जाकर एक मीटिंग भी की । उसके बाद बाकायदा प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार हुई और नक्शे तैयार हुए हैं और रिंग रेल्वे और रिंग रोड की 100 मील की पैराफेरी में जो भी प्रोजैक्ट्स थे, उन प्रोजैक्ट्स की सारी रिपोर्ट तैयार कराने के बाद जनता पार्टी की सरकार आ गई और जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रोजैक्ट को बिलकुल खत्म कर दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि दिल्ली का विकास हो और इस कारण इस प्रोजैक्ट को तीन साल तक जनता पार्टी के टाइम में एक पैसा नहीं मिला और प्लान को भी खत्म कर दिया । अब मौजूदा प्रधान मंत्री जी ने पुनः इस बात पर गौर किया है और दिल्ली की जो पापुलेशन बढ़ रही है इसको कम किए जाने की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ है । दिल्ली की पापुलेशन तभी कम हो सकती है जब सैटॉलाइट टाउंस हों और उनमें वही सुविधाएं दी जाएं, जो आज दिल्ली नगर में हैं और उस समय यह भी विचार था कि केन्द्र सरकार के कुछ कार्यालय, आसपास में सैटॉलाइट टाउन्स में आप भेजेंगे । तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो नैशनल कैपीटल रीजन के सैटॉलाइट टाउन्स हैं क्या उनमें एजूकेशन के लिहाज से, टैक्नीकल एजूकेशन के लिहाज से आपने कोई व्यवस्था की है जिससे कि वहां की जो स्टूडेंट पापुलेशन है और दूसरी पापुलेशन है, उसकी दिल्ली पर कोई बाढ़ न आए......

अध्यक्ष महोदय : बस कीजिए ।

श्री राम सिंह यादव : और क्या आपने वहां पर कोई इंडस्ट्रीयलाइज तरीके से कोई व्यवस्था की है और यदि की है, तो उसमें आपकी क्या प्रगति है ?

अध्यक्ष महोदय : बस कीजिए। आपने तो कहानी शुरू कर दी ?

श्री अब्दुल गफूर : अध्यक्ष महोदय, ये तो लैक्चर हमको देना था, इन्होंने खुद ही दे दिया और यह तो हम भी चाहते हैं......

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, फिर तो आप डिटो कर दीजिए। कह दीजिए "तथास्तु'

श्री अब्दुल गफूर : ठीक है सर।

अध्यक्ष महोदय : श्री सी० माधव रेड्डी।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपने तो जवाब ही नहीं आने दिया ?

श्री अब्दुल गफूर : नमूना हम दे देते हैं, आपने......

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अब तो गाड़ी दूसरे स्टेशन पर पहुंच गई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए धनराशि

***829. श्री सी० माधव रेड्डी†** :
श्री तेजा सिंह दर्दी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केवल 35 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए वास्तव में कितनी धनराशि की मांग की गई थी;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित विभागों से इसके संबंध में पुनर्विचार करने के लिए आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर संबंधित विभागों की प्रतिक्रिया क्या है ?

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) जी, हां। सातवीं योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत शहरी विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 35 करोड़ रुपये की राशि का नियतन किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने एकीकृत निवेश योजना तैयार की है, जिसमें 867 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त निधियां मुहैया करने का प्रश्न योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री सी० माधव रेड्डी : सर, अभी-अभी मंत्री जी ने बताया कि दिल्ली को बनते-बिगड़ते टाइम लगता है। हम तो सुनते थे कि बनने के लिए तो जरूर कुछ टाइम लगता है, लेकिन बिगड़ने

में तो टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब से हम लोगों ने ऐक्ट बनाया और प्रोजैक्ट का जो प्रोपेगेण्डा हुआ, हमारी इन्फर्मेशन यह है कि उससे कैपीटल रीजन में जमीन का भाव काफी बढ़ गया है, काफी स्पेकुलेशन शुरू हो गया है और कई लोग जमीनें धड़ाधड़ खरीदते जा रहे हैं। आप एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, प्रोजैक्ट को एनाउंस कर देते हैं और छोड़ देते हैं जिसके कारण जमीन का भाव बढ़ता जा रहा है। क्या इसके बारे में आपने कुछ सोचा है और इसको बिगड़ने से बचाने के लिए कुछ उपाय आपके पास हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : दुनिया में बहुत सी चीजों का दाम बढ़ता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपके और हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, मसलन मैं बताता हूं कि हमने सर्वे कराया सारे हिन्दुस्तान में, बड़े-बड़े शहरों का और मैट्रोपोलिटन सिटीज का कि इन 5 साल के अन्दर कितने प्राइस कंस्ट्रक्शन के बढ़ गये ? उसमें पता चला कि करीब 15,16 परसेंट बढ़ गये। मसलन सीमेंट का दाम जो 15,16 रुपये बैग आप खरीदते थे वह आजकल 50,60 रुपये बैग हो गया, लेबर जो काम करती है उसका रेट पहले 7,8 रुपये पर-डे था वह अब 40 रुपये पर-डे लेती है। इसी तरह कारपेन्टर की मजदूरी बढ़ गई, लकड़ी की कीमत की वजह से भी यह हो गया। जैसे-जैसे ये सब चीजें होती हैं, हम लोग दूसरे तरीके से भी सोचते हैं और रिसर्च करते हैं कि कैसे दाम कम किये जायें।

यह बात ठीक है कि हिन्दुस्तान में आजादी मिलने के बाद एक बदकिस्मती का वक्त भी आया कि पार्टीशन हो गया और दिल्ली की तरफ बहुत से रिफ्यूजी आये। उनको भी यहां बसाना पड़ा। आमतौर से ह्यूमन साइक्लोजी आजकम हम देखते हैं कि लोग देहात से शहरों की तरफ जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वह भी आते है, इसमें भिखमंगे भी आते हैं और अच्छे-अच्छे, बड़े-बड़े लोग भी आते हैं। उनके आने से जमीन का प्राइस जरूर बढ़ गया है। जैसे प्राइस बढ़ गया है, वह सबको भुगतना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी उसी के मुताबिक खर्च करना पड़ेगा। क्या कीजियेगा ?

जमीन को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर कब्जा करे, तो हम यह चाहते नहीं हैं। हमारे हिन्दुस्तान की पालिसी आप जानते हैं। हमको इतने में ही सारा काम करना है, इसलिये यह मजबूरी है।

श्री बी० तुलसी राम : उस क्वेश्चन में मंत्री जी को लैक्चर देने का मौका नहीं मिला, इसलिये उसे वह अब पूरा कर रहे हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : अभी मंत्री जी ने बताया कि 860 करोड़ का प्लान बोर्ड ने बनाया है। यह प्लान प्लानिंग कमीशन को रैफर किया गया है, वहां सोच-विचार चल रहा है, या यह वह मैं समझूं कि 860 करोड़ के अन्दर कुछ छोटा-मोटा प्लान बनाकर प्लानिंग कमीशन के सामने रखा गया है ? वर्ल्ड बैंक, एल० आई० सी० और जो दूसरी आर्गेनाइजेशन्ज हैं, क्या उनसे भी कुछ पैसा लेने का प्लान है ?

श्री अब्दुल गफूर : 867 करोड़ का प्लान बोर्ड की प्लानिंग कमेटी ने दे दिया है। उसमें अगर आप यह जानना चाहते हैं तो हम बता देते हैं कि जैसे कंस्ट्रक्शन आफ खुर्जा, पलवल, रिवाड़ी, रोहतक, पानीपत रेलवे लाइन फेज-1, अगर यह लाइन बन जायेगी तो हमारा ट्रांसपोर्ट का कंजैश्न बहुत ही कम हो जायेगा। इसमें 90 करोड़ की जरूरत है।

जैसा हमारे दूसरे माननीय सदस्य ने टेली-कम्युनिकेशन्ज के बारे में पूछा था तो जो हमारे

सैटेलाइट टाउन्स बनेंगे उसमें इसके लिये 70 करोड़ रुपये की तो प्रावीजन है इन सारे इलाकों के लिये, लेकिन मेरी डिमांड इस बारे में 280 करोड़ रुपये की है।

इसी तरीके से नेशनल हाई-वेज के लिये हमारी कमेटी ने 97 करोड़ का बनाया था। यह सब मिलाकर 867 करोड़ रुपये का हुआ। इसमें से 35 करोड़ का अभी सैंक्शन हुआ सैवंथ फाइव ईअर प्लान में। लेकिन इसकी अहमियत को देखते हुए और माननीय मेम्बर के दिल में जो बेचैनी है, उसको देखते हुए हमने प्राइम मिनिस्टर से भी कहा है, प्लानिंग कमीशन को भी खत लिखा है कि आप थोड़ा सा हम पर रहम कीजिये और इस एलोकेशन को और बढ़ाइये। तो काम की यह पोजीशन है। अगर यह हो जायेगा तो और काम में तेजी आ जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : व्यास जी, इसमें आप और क्या पूछेंगे ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, गफूर साहब हिसाब-किताब की बात नहीं समझ सकते। इनहोंने अभी बताया कि पहले 15,16 रुपये का सीमेंट का बैग आता था और अब 57 रुपये का आता है, इस तरह से कीमत 15 परसैंट बढ़ गई। लेकिन यह बढ़ी तो 300 परसैंट से भी ज्यादा है। आज जमीन की कीमत कितनी बढ़ी है, इसे देखें तो हजारों गुना बढ़ गई है। इन सब बातों को देखते हुए जो इन्होंने हिसाब लगाकर 280 करोड़ मांगा, वह गलत होगा। 850 करोड़ में से 280 करोड़ से क्या होगा ? इसलिये मेरा निवेदन है कि सही हिसाब लगाकर प्लानिंग कमीशन और प्राइम मिनिस्टर से कहिये कि जल्दी से जल्दी पैसा दें।

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है।

[अनुवाद]

पत्रकारों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था

*830. **श्री मेवा सिंह गिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने पत्रकारों की सुरक्षा संबंधी व्यवस्था को मजबूत करने के लिये अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री को लिखा है और पत्रकारों, विशेषकर ग्रामों और भीतरी क्षेत्रों में रहने वाले पत्रकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए मंत्रालय में एक विशेष सैल का सृजन करने का सुझाव दिया है।

(ग) सरकार का यह मत है कि पत्रकारों को अपने व्यावसायिक दायित्वों का निर्वाह प्रभावी रूप से करने के लिए समर्थ बनाने के लिए उनके जीवन और सम्पत्ति का संरक्षण करने के लिए मौजूद व्यवस्था काफी पर्याप्त और प्रभावकारी है। यदि परेशानी या मारपीट के कोई विशिष्ट मामले सरकार के ध्यान में लाए जाते हैं तो उनकी जांच की जाती है।

श्री मेवा सिंह गिल : महोदय, उत्तर से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार सुरक्षा प्रबन्धों से सन्तुष्ट है। फिर भी, वे मारपीट किए जाने अथवा परेशान किये जाने के कुछ मामलों की छानबीन कर रही है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि श्रमजीवी पत्रकारों ने मारपीट किए जाने के कितने मामले दर्ज कराए हैं और ये किन राज्यों में दर्ज कराए हैं और यदि हां, तो उनके क्या परिणाम रहे हैं ? क्या इनके पीछे भी कोई साजिश थी ?

श्री वी० एन० गाडगिल : मेरे पास सभी आंकड़े उपलब्ध हैं। लेकिन इसमें सदन का काफी समय खर्च होगा। कानून और व्यवस्था का मामला क्योंकि राज्य का विषय है, इसलिए हम आंकड़े उनसे मंगवाते हैं। मैं यहां बताना चाहूंगा कि अधिकतर राज्यों ने इस संबंध में 'शून्य' रिपोर्ट दी है। कुछ राज्यों ने 4 मामलों, 5 मामलों और एक मामले की जानकारी दी है। लेकिन राज्य सरकारों द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि मारपीट के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है।

श्री मेवा सिंह गिल : क्या मैं यह जान सकता हूं कि श्रमजीवी पत्रकारों को धमकी दिए जाने अथवा परेशान किये जाने संबंधी पत्रों के लिखने वालों का पता लगाया गया है और यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा है ?

श्री वी० एन० गाडगिल : जैसा कि मैंने कहा है कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है। मुझे पत्रों, धमकी आदि दिए जाने के बारे में जो भी सूचना मिलती है वह मैं आपको देने को तैयार हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, पत्रकारों पर हमले अथवा उनको परेशान करने का मामला बहुत ही गंभीर मामला है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या पत्रकारों को परेशान किए जाने और उन पर हमले के मामलों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा है कि इसमें वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन समाचार पत्रों से ऐसा लगता है कि पत्रकारों के प्रति हिंसा के मामलों में वृद्धि हो रही है।

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिन उग्रवादियों का अमृतसर में स्वर्ण मन्दिर पर नियंत्रण है, उन्होंने पत्रकारों की एक लम्बी सूची जारी की है जोकि उनकी 'हिट लिस्ट' में हैं ? यदि हां, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रबन्ध किये गए हैं ?

श्री वी० एन० गाडगिल : जैसा कि मैंने कहा है, जो आंकड़े मुझे राज्य सरकारों से प्राप्त हुए हैं, मैं उनको बताने को तैयार हूं। पूरी सूची से कम से कम सरसरी तौर पर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हमले किये जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, इस सदन तथा दूसरे सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ व्यक्तिगत मामलों का नामों के साथ उल्लेख किया था। जब राज्य सरकारों से इस संबंध में सूचना देने को कहा गया था तो सभी राज्य सरकारों ने यह उत्तर दिया कि अधिकांश विशिष्ट मामले पत्रकार के उसके लेख अथवा व्यवसाय से उसके कार्यनिष्पादन में संबंधित नहीं हैं। ये उनके आपसी झगड़े अथवा ऐसे कुछ अन्य उद्देश्यों के कारण हैं।

जहां तक प्रश्न के तीसरे भाग का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि यह ऐसा प्रश्न है जिसका उचित उत्तर आन्तरिक सुरक्षा मंत्री द्वारा दिया जा सकता है।

प्रो० के० के० तिवारी : यह बात आपके ध्यान में अवश्य लाई गई होगी कि उन्होंने पत्रकारों के नामों की सूची का प्रकाशन किया है।

श्री वी० एन० गाडगिल : उन्होंने आगे पूछा कि उस पर क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है।

प्रो० के० के० तिवारी : क्या आपको जानकारी है ?

श्री वी० एन० गाडगिल : जी हां, मुझे जानकारी है। गृह मंत्रालय इस पर कार्यवाही करता है।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, यह सामान्य कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में, बहुत से पत्रकार जो बिना किसी डर अथवा पक्षपात के अपने विचार व्यक्त करते हैं, उनको यहां तक कि अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। हाल ही में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जहां उच्च पदों तथा सार्वजनिक कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार का भण्डाफोड़ करने की कोशिश करने वाले पत्रकारों को धमकियों का ही नहीं बल्कि उनको परेशान किये जाने, डराये जाने और उनके साथ मारपीट किये जाने की घटनाओं का सामना करना पड़ा। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रालय ने इन प्रवृत्तियों का कोई अध्ययन किया है क्योंकि यदि पत्रकार निडरता से अथवा निष्पक्ष होकर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते तो ऐसा हमारी लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा।

श्री वी० एन० गाडगिल : सरकार स्वतंत्र और भय रहित प्रेस में विश्वास रखती है। यह बात कई बार कही गई है। आपकी तरह, मैं ऐसे किसी भी पत्रकार को प्रणाम करता हूं जो सार्वजनिक हित में निडर होकर अपने कर्त्तव्य का पालन करता है। इसी कारण यदि कोई विशेष मामला हमारे ध्यान में लाया जाता है, हम राज्य सरकार को लिखते हैं और उनसे सूचना भेजने के लिए कहते हैं। हाल ही में एक ऐसा मामला हुआ है, जिसमें—मैं राज्य के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि मामला विचाराधीन है—मुझे बताया गया कि उसके द्वारा लिखी गई कुछ विशेष बातों के कारण उसके साथ मारपीट की गई। राज्य सरकार ने मुझे रिपोर्ट दी है कि मामला विचाराधीन है। जैसे ही जांच का काम पूरा हो जाएगा, मुझे उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी।

गहरे समुद्र से मछली पकड़ने हेतु सहायता

*831. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के लिए राज्यों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान केरल को कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो केरल को कितनी धनराशि दी गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के लिए बनाए गये लघु मत्स्यन बन्दरगाहों के विकास के लिये व्यय को केन्द्रीय अंश के रूप में 1985-86 के दौरान समुद्री राज्यों को 136.56 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई थी। इसके अलावा, केन्द्रीय योजना के

अन्तर्गत बड़े मत्स्यन बन्दरगाहों के विकास के लिये पत्तन न्यास को 62.60 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : केरल का 500 किलो मीटर तक फैला हुआ लम्बा समुद्री किनारा है जोकि मछली पकड़ने के लिये उपयुक्त है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जब देश में मछली का कुल उत्पादन 29.5 लाख टन था, तो केरल की पैदावार 4.5 लाख टन थी। यद्यपि केरल एक छोटा राज्य है, क्षेत्र-वार यह इस बृहत देश का केवल एक प्रतिशत बैठता है—लेकिन अभी तक हमें यहां गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अधिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। केरल में उन्नत कारीगरी तथा तकनीकी से गहरे समुद्री संशाधनों का लाभ उठाने की काफी गुंजाइश है। क्या सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य के विकास के लिये केरल सरकार को सहायता देने की कृपा करेगी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जी हां, भारत सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये सहायता दे रही है, और अब तक हमने केरल को कोचीन तथा विसिन्जम मत्स्यन बन्दरगाहों के विकास के लिये 733.48 लाख रुपये की सहायता दी है।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि वर्ष 1985-86 में केरल सरकार को कोई सहायता नहीं दी गई है। केरल में विझिन्जम बन्दरगाह के लिये यह योजना बनाई गई है कि इस बन्दरगाह से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों का संचालन किया जायेगा। इस परियोजना का प्रथम चरण अब पूरा हो गया है। पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के द्वितीय तथा तृतीग चरणों के पूरा करने में बन्दरगाह तथा तटीय सुविधाओं पर कुल लागत 9.12 करोड़ रुपये आयेगी। लेकिन योजनाओं के शीघ्रता से कार्यान्वयन के लिये क्या सरकार इस राशि की शीघ्र मंजूरी देने की कृपा करेगी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : देश भर में जहां भी समुद्र-तटीय पट्टी है, यह पाया गया है कि अधिसंख्य मछुआरों को मछली पकड़ते समय जलपोतों पर यांत्रिक नौकाओं की सहायता प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की निश्चितता सुलभ नहीं होती। उन्हें कतिपय सहकारी समितियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है और वह भी केन्द्रीय सरकार के समर्थन तथा राज्य सरकार की सहायता से इत्तफाक से उस पट्टी में वास्तविक मत्स्यन क्षेत्र का हिसाब रखे बिना सहायता के वितरण में भी अव्यवस्थित प्रवृत्ति पनप रही है। मैं बंगाल के किसी मामले विशेष का हवाला देना नहीं चाहूंगा लेकिन सामान्यतया ऐसा हो रहा है। मैं मंत्री महोदय आग्रह करूंगा कि वह समूचे देश के गहरे समुद्र में वास्तविक मत्स्यन क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने के लिये गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये प्राधिकरण बनाने के व्यापक प्रस्ताव पर विचार करें तथा यांत्रिक नौकाओं की सुलभता और वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में व्यापक प्रस्ताव मुहैया करें ताकि देश के समस्त मछुआरे केरल या बंगाल या उड़ीसा के लिये तदर्थ नीति के बजाय केन्द्रीय सरकार की व्यापक नीति के माध्यम से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के वास्तविक महत्व को समझ सकें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह अच्छा सुझाव है। हम इसकी जांच करेंगे।

प्रो० के० वी० थामस : केरल में 23 लाख मछुआरे हैं। हमने लगभग इन सभी मछुआरों को सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत ले लिया है। अब गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का कार्य केवल टाटा की तरह के बड़े-बड़े उद्योगों द्वारा चलाया जाता है। इसलिये आपसे मेरा यह अनुरोध है कि क्या भारत सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये सरकारी क्षेत्र की सहायता करेगी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हम सहकारी क्षेत्र की सहायता कर रहे हैं।

[हिन्दी]

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए रियायती दरों पर मकानों की व्यवस्था

*832. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को, जिनकी आय बहुत कम होती है, रियायती दरों पर मकान उपलब्ध कराने की कोई योजना है ताकि वे सेवानिवृत्ति के बाद दिल्ली में रह सकें ; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस मामले पर सरकार का विचार करने का कोई प्रस्ताव है ;

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) ऐसी कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि ये कर्मचारी सेवा निवृत्त हो रहे/सेवा निवृत्त कर्मचारियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग तथा जनता वर्ग में मकानों के आवंटन की योजना के तहत व रोहिणी परियोजना के अन्तर्गत निम्न आय वर्गों के लिए छोटे आकार के प्लाटों के आवंटन की योजना के अन्तर्गत लाभ उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ प्रसाद : क्या शहरी विकास मन्त्री जी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवा-निवृत्त होने बाद उसकी रिहायश की परेशानी को देखते हुए इस डी० डी० ए० की योजना के अलावा और किसी योजना पर विचार कर रहे हैं ?

श्री दलबीर सिंह : ऐसा कोई विचार नहीं है। यद्यपि 1979 में यह था कि जो सेवा-निवृत्त होने वाले हैं उनके लिए हाउसिंग एलाटमेन्ट में कोई प्राथमिकता नहीं थी फिर भी 1985 में ऐसे व्यक्तियों को सहायता देने के लिए यह निर्णय लिया गया और इसमें 15-12-1979 को जो सेवा-निवृत्त हुए थे या होने वाले थे और मई, 1985 में जो आवेदन आए, इस तरह से पात्र व्यक्तियों के लगभग 1035 रजिस्ट्रेशन हुए थे, आवेदकों में से 559 व्यक्तियों को फ्लैट्स आवंटित किए गए हैं, यह एम० आई० जी० फ्लैट्स हैं। मध्यम आय-वर्ग के 284 जो हैं वह दिए गए हैं और निम्न आयवर्ग के 261 हैं। इनमें से अभी जो बकाया है, जब भी फ्लैट्स हमारे पास एवेलेबल होंगे तो उनको दिये जायेंगे।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संस्थाएं अपने लिए गृह-निर्माण की पहल करें, तो क्या सरकार उनको गृह-निर्माण के लिए रियायती दरों पर जमीन देगी जैसे

कि वह पहले भी कुछ अन्य संस्थाओं को दे चुकी है तथा क्या उन्हें ब्याज की रियायती दरों पर ऋण भी देगी, जो पन्द्रह वर्षों में चुकाया जायेगा ?

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : अभी तो हमारे पास दिल्ली में जमीन की बहुत कमी है। जब भी लैण्ड एवेलेबल होगी तो इस पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

मत्स्य-ग्रहण उद्योग के लिए ऋण

*833. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग को ऋण पर ब्याज में छूट आदि के रूप में दीर्घावधि संवर्धनात्मक सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) नौवहन विकास निधि समिति से तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों की अदायगी की समय-बद्धता पुनः निर्धारित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की एक बैठक आयोजित करने का सरकार का विचार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मछली पकड़ने वाले सभी एककों को युक्तियुक्त शर्तों पर ऋण दिया जाये, दंडात्मक ब्याज वसूल न किया जाये और मछली पकड़ने की नौकाओं, पोतों की खरीद के लिए ऋण पर ब्याज की ऊंची दरों को समाप्त किया जाए ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) ट्रालर विकास योजना के अन्तर्गत, जो 31-3-86 तक चल रही थी, मत्स्यन कम्पनियों को आयात या देशी निर्माण द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयान प्राप्त करने के लिए उदार ऋण की सुविधाएं दी जाती थीं। इस योजना के अन्तर्गत, आयातित ट्रालरों के मामले में 7.5 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर लागत-भाड़ा-बीमा मूल्य में 90 प्रतिशत तक ऋण दिए जाते थे तथा देशी ट्रालरों के मामले में 6.75 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर ट्रालर की लागत के 95 प्रतिशत तक के ऋण दिए जाते थे, जिनमें से भारतीय बन्दरगाहों को दी जाने वाली 33 प्रतिशत राजसहायता को निकाल दिया जाता था। लेकिन, उदार ऋण की सुविधायें बड़े घरानों और एम० आर० टी० पी०/एफ० ई० आर० ए० के उपबंधों के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को सुलभ नहीं थे। इस योजना को मार्च, 1986 से आगे जारी रखने के बारे में इस समय समीक्षा की जा रही है।

(ख) ऋण न लौटाने वाली मत्स्यन कम्पनियों को अतिदेय धनराशि के मामलों की छानबीन करने के लिए एक छोटे दल का गठन किया गया है जो भारत सरकार के विचारार्थ, यदि जरूरी हो तो पुनः कार्यक्रम बनाने (रिशेड्यूयमेंट) सहित निवारक उपाय सुझायेगा। केवल चार ऐसी कम्पनियां हैं, जिन्होंने बकाया देय रकम अदा नहीं की है। यह रकम भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उन कम्पनियों की ओर से मैक्सिकन वित्तीय संस्था को, उस देश से आयात किए गए ट्रालर की

लागत के 80 प्रतिशत के लिए दी गई अदायगी संबंधी गारंटियों से संबंधित है। एक कम्पनी के मामले में भारतीय स्टेट बैंक पुन: कार्यक्रम बनाने के लिए सहमत हो गया है। शेष कम्पनियों के मामले में, भारतीय स्टेट बैंक ने अधीनस्थ जज, विशाखापत्तनम के न्यायालय में सिविल मुकद्दमा दायर कर दिया है और यह मामला अभी चल रहा है।

(ग) वाणिज्यिक बैंकों के जरिए एक और माध्यम खोलने की दृष्टि से राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले ट्रालर खरीदने के लिए मत्स्यन उद्योग को उपयुक्त शर्तों पर उदार ऋण देने के बारे में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

श्री डी० पी० जदेजा : हमें दिया गया विवरण सन्तोषजनक तथा काफी सुविस्तृत है। लेकिन मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि जब मंत्री महोदय कहते हैं कि पिछले वर्ष पहले के वर्षों की अपेक्षा कम मात्रा में मछली पकड़ी गयी—क्या इसका यह अर्थ है कि या तो मुख्य मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में अधिक मछली पकड़ी गयी या यह इसलिए हुआ कि आवश्यकता से अधिक नौकाओं का आयात किया गया या उनका भारत में निर्माण किया गया ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमारी नौकाओं का बेड़ा अभी भी बहुत बड़ा नहीं है। इसमें करीब-गरीब 300 से 500 तक नौकाएं होनी चाहिये जबकि इस समय चार्टर्ड नौकाओं सहित इसमें केवल 120 नौकाएं हैं। लेकिन मछली पकड़ना जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों तथा कभी समुद्र की लहरों के बहाव जैसी अनेक बातों पर निर्भर करता है। फिर कुछ भ्रमणशील जातियां हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान को विचरती रहती हैं। इस प्रकार कई कारण हैं जो मछली पकड़ने की क्षमता को प्रभावित करती हैं।

श्री डी० पी० जदेजा : गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य को विकसित करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना लागू की गई थी जिसके द्वारा मत्स्यन के कार्य में संलग्न सभी राज्य निगमों को बारी के बिना नौकाएं दी गई थीं, यहां तक कि उन्हें नौकाएं आयात करने की अनुमति भी दी गई थी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार जिनके पास अपनी सीमाओं या राज्य क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नौकाएं प्राप्त हैं, अधिकांश मत्स्यन कम्पनियों की तरह विशाखापत्तनम में भी मत्स्यन कार्य करने लगी है; क्योंकि समूचे भारत में ये कम्पनियां विशाखापत्तनम में मत्स्यन कार्य करने लगी हैं इसलिए यहां अत्यधिक मछलियां पकड़ी जा रही हैं तथा वहां मछुआरे केरल के मछुआरों की तरह सक्रिय नहीं हैं क्योंकि अधिक मछली पकड़ने वाली नौकाएं केरल के समुद्री जल में कार्य नहीं कर सकतीं। आपके भाग (ग) के उत्तर के बारे में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने यह कहा कि इन सब मामलों की छानबीन के लिए एक छोटा दल बनाया गया है, तो क्या वह नौवहन विकास निधि समिति के ऋण को, जिसे आगे तीन महीनों के लिए बढ़ाया जाना है, एक वर्ष के लिए बढ़ाये जाने पर विचार करेंगे ताकि पिछले आवेदनों पर भी स्वीकृति दी जा सके ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इस पर विचार किया जा रहा है। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : ऐसा समाचार मिला है कि मछली पकड़ने में विशेषतया पश्चिमी तट पर कमी आ रही है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय को भी इस बात की जानकारी होगी। उन्होंने अपने उत्तर में इसका संकेत दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके कारणों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ? क्या यह संसाधनों के अत्यधिक शोषण के कारण है जिससे

कि हमारे बहुमूल्य संसाधनों में कमी आ रही है और हमारे संसाधनों को बनाए रखने के लिए तथा बेहतर संसाधन प्रबन्ध के लिए आप क्या संरक्षण उपाय कर रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं कह सकता हूं कि इस वर्ष मामूली सी कमी आई है। लेकिन यह प्रश्न गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से सम्बन्धित है···(व्यवधान) यह अति-शोषण नहीं है। मैं कह सकता हूं कि मामूली सी कमी आई है जिसके कई कारण हैं। इस समय इसे सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि यह इस क्षेत्र में मछली पकड़ने में लगी अधिक नौकाओं के कारण है तथा आप यह कह सकते हैं कि अति-शोषण है और इसीलिए कमी आई है। यह थोड़ी सी मामूली कमी है। लेकिन इसे कमी भी नहीं कहा जा सकता। (व्यवधान)

[हिन्दी]

सोयाबीन विकास परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

*834. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें समेकित सोयाबीन विकास परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से वित्तीय सहायता लेने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी कुल अनुमानित लागत कितनी है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां। उत्तर प्रदेश सरकार से "उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में सोयाबीन का एकीकृत विकास" नामक एक प्रस्ताव मिला है। यह प्रस्ताव वित्तीय सहायता प्राप्त करने के वास्ते अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि को पेश किए जाने के लिये है। यह प्रस्ताव 4631.57 लाख रुपये का है, जिसमें 84.15 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा शामिल है।

उत्तर प्रदेश सरकार से कुछेक और ब्यौरे देने का अनुरोध किया गया है ताकि भारत सरकार इस मामले पर कार्रवाई कर सके।

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को कब भेजा था ? उनसे कौन-कौन सी सूचनायें मांगी गईं; उनमें से कितनी प्राप्त हुईं और कितनी बाकी हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अध्यक्ष महोदय, सब सूचनायें मेरे पास हैं, लेकिन जवाब काफी लम्बा हो जाएगा। यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के हित के लिए है। उसको पहले एग्रीकल्चर फाइनेंस कारपोरेशन, बम्बई, के पास भेजा गया था। इसमें कुछ फॉरन एक्सचेंज कम्पोनेंट है, इसके बारे में हमने स्टेट गवर्नमेंट से पूछा है। स्टेट गवर्नमेंट ने एन० सी० बी० सी० को भेजा है। कुछ चीजें हमने उनसे मांगी हैं। वे चीजें जब तक पूरी नहीं हो जायेंगी, तब तक इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है।

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के सभी राज्यों में न्यूट्रिशन और प्रोटीन डेफिशियेंसी है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं,

कुपोषण की समस्या और प्रोटीन डेफिशियेंसी को देखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे बस्ती गोरखपुर इत्यादि में केन्द्रीय सरकार की ओर से सोयाबीन की खेती को बढ़ाने के लिए अथवा सोयाबीन की खेती से तेल वगैरह एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई योजना चला रहे हैं ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार तथा चीजों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मिनी किट्स स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है। पल्सैज में सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में होता है। मैं जानना चाहता हूं कि सोयाबीन की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मिनी किट्स बांटने का आपने कोई कार्यक्रम बनाया है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : आयलसीड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत राज्य सरकारों को मदद की जाती है और मिनी किट्स भी बांटे जाते हैं। ये मिनी किट्स जहां-जहां भी सोयाबीन को कल्टीवेट करने की थोड़ी सी भी गुंजाइश हैं, वहां पर हम लोग बांटते हैं। खास कर यू० पी० के हिली डिस्ट्रिक्ट्स में जो आठ जिले हैं, वहां सोयाबीन ज्यादा होती है। उसका प्रोसेसिंग प्लान्ट भी रखने का है और अभी एक हो भी गया है लेकिन दूसरे जिले की जो बात है, वहां भी हमारे किसान जो ड्राई लैंड फार्मिंग करना चाहते हैं, भारत सरकार उसमें मदद करती है और हम पूरी-पूरी कोशिश करते हैं वहां पर मिनी किट्स बांटने की।

श्री प्रताप भानु शर्मा : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जहां सोयाबीन का उत्पादन हो रहा है और पैदावार बढ़ी है, यहां पर सोयाबीन प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाए जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछले 4-5 वर्षों में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ा है, उसको देखते हुए क्या सोयाबीन प्रोसेसिंग प्लान्ट की क्षमता स्थापित कर ली गई है और यदि नहीं की गई है, तो उसके लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : अभी जितना प्रोडक्शन है, उतनी क्षमता हमारे प्रोसेसिंग प्लान्ट की है। कई जगह तो ऐसा है कि प्रोसेसिंग प्लान्ट की कैपेसिटी ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है लेकिन हमारे किसान सोयाबीन की कल्टीवेशन कर रहे हैं और जहां-जहां ड्राई फार्मिंग है, वहां उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वह आयल का अच्छा सोर्स है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता संघ द्वारा हड़ताल की चेतावनी

*835. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री मोतीलाल हंसदा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता संघ ने 6 मई, 1986 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने और 4 जून, 1986 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

क्र० सं०	मांगें	की गई कार्यवाही
1	2	3
1.	(i) कनिष्ठ इंजनियरों के लिए 1.1.1973 से पूर्व प्रभावी 550-900 रुपये का वेतमान लागू करना। (ii) दूरदर्भिता समयबद्ध (1,500-5,200 रुपये) वेतनमान की सिफारिश	मामले पर विचार किया गया है तथा चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करने की निर्णय लिया गया है।
2.	तत्काल संवर्ग पुनरीक्षण	वित्त मंत्रालय के परामर्श से संवर्ग पुनरीक्षण प्रस्तावों की जांच पड़ताल की जा रही है।
3.	निश्चित यात्रा भत्ता	वित्त मंत्रालय के परामर्श से यह मांग जांचाधीन है।
4.	(i) सहायक इंजिनियर तथा (ii) सलैक्शन ग्रेड के सभी पदों को भरना।	पदोन्नति कोटा में आने वाली सहायक इंजीनियरों की पिछली रिक्तियों को भरने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जहां तक सलैक्शन ग्रेड पदों का सम्बन्ध है, सलैक्शन ग्रेड में नियुक्तियां भरने के लिए पात्रता सूची तैयार कर ली गई है।
5.	सलैक्शन ग्रेड प्रतिशतता को बढ़ाना तथा सलैक्शन ग्रेड पदों का पुनरीक्षण करना	यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि यह मामला कनिष्ठ इंजीनियरों के संवर्ग पुनरीक्षण प्रस्तावों से सम्बद्ध है, इसलिए संवर्ग पुनरीक्षण प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जाए। तथापि, विद्यमान प्रतिशतता के अन्तर्गत सलैक्शन ग्रेड पदों का तीन वर्षीय पुनरीक्षण किया गया है।
6.	90 प्र. श. कनिष्ठ इंजीनियरों को तत्काल स्थायी करना सभी तदर्थ पदोन्नतियों को नियमित करना तथा वरीयता सूची का प्रकाशन करना	कनिष्ठ इंजीनियरों के स्थायीत्व के लिए पात्रता सूची जारी की गई है। सहायक इंजीनियरों की नियुक्तियों के नियमितीकरण के लिए आवश्यक निदेश शीघ्र ही जारी कर दिए जाने की संभावना है। तत्पश्चात, सहायक इंजीनियरों की वरीयता सूची भी तैयार की जाएगी।
7.	सभी कनिष्ठ अभियन्ताओं को कम से कम दो पदोन्नतियां तथा पदोन्नत नियमों का उचित कार्यन्वयन।	चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। तथापि, कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदोन्नति नियम इमानदारी से लागू किए जा रहे हैं।

1	2	3
8.	श्रेणी II की सीधी भर्ती समाप्त करना	श्रेणी II के पदों में सीधी भर्ती 1.4.1972 से स्थागित कर दी गई है, लेकिन इस प्रावधान को भर्ती नियमों से हटाने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह जरूरी है कि इस ग्रेड में नवयुवकों और/या नये स्नातक इंजीनियरों के लाने के लिए सहायक इंजीनितरों के ग्रेड में सीधी भर्ती की जाए।
9.	कनिष्ठ इंजीनियरों के बीच कोई भेदभाव न हो।	यह मामला चतुर्थ वेतन आयोग को भेजा गया है।
10.	सभी कनिष्ठ इंजीनियरों के लिए 5 दिन का सप्ताह	इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह योजना केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों पर लागू होती थी, न कि फील्ड संगठनों पर।
11.	व्यवसाय न करने का भत्ता या व्यवसाय की अनुमति देना।	यह मांग चतुर्थ वेतन आयोग के क्षेत्राधिकारी में आती है। इसलिए जब तक आयोग की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो जाती तथा उस पर विचार स्वीकार नहीं किया जाता तब तक सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है।
12.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजिनियरों को औद्योगिक अधिकार।	यह मांग श्रम तथा कानून मंत्रालय के परामर्श से विचाराधीन है।
13.	विभाग का विस्तार तथा कार्यभार मानदण्डों का पुनरीक्षण	विभाग की कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पदनार्थ अधिक से अधिक कार्य आरम्भ किये जा रहे हैं। कार्य भार के मापदण्डों के पुनरीक्षण का कार्य राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को सौंपने का प्रस्ताव है।
14.	श्रेणी I की भर्ती तथा अनावश्यक पदों की पर रोक	इस मांग को विभाग द्वारा स्वीकारा नहीं गया क्योंकि इससे केन्द्रीय लोक भिर्माण विभाग की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। अनावश्यक पदों की स्वीकृति की आवश्यकता विचारणीय नहीं है।
15.	रिहायशी वास के आवंटन में प्राथमिकता तथा सम्पदा निदेशालय से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वापस किए गए क्वार्टरों को लेना।	इस पर सहमति नहीं हो सकी, क्योंकि कर्मचारियों के एक वर्ग का एक विशेष रियायत देना आवास नीति के अन्तर्गत विचारणीय नहीं है।
16.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजीनियरों की सामान्य सेवा एवं कार्यकरण की स्थिति में सुधार लानम।	यह मांग चतुर्थ वेतन आयोग के क्षेत्राधिकार में है।

श्री मनोरंजन भक्त : अखिल भारतीय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियन्ता संघ ने मंत्रालय को एक 16-सूत्री मांग पत्र भेजा है और उसके बाद उन्होंने इस विषय पर आंदोलन करना था, लेकिन प्रधान मंत्री जी की सलाह पर उन्होंने अपना आंदोलन रोक दिया है। इसके पश्चात् उनकी प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव के साथ बैठक हुई थी और उस बैठक में संघ के नेता और शहरी विकास मंत्रालय में सचिव भी उपस्थित थे। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया और बाद में उस मामले में क्या कार्यवाही की गई।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : इसमें जूनियर इंजीनियर्स की 16 डिमान्ड्स हैं लेकिन बहुत सी डिमान्ड्स ऐसी हैं, जिन पर जब तक फोर्थ पे कमीशन का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक विचार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा माननीय सदस्य ने आनरेबिल प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय में जो बैठक हुई, उसके बारे में कहा। वहां पर जो बैठक हुई है, उसमें इस पर गहराई से विचार किया गया और जैसे ही फोर्थ पे कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी, इस पर बराबर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने बताया कि एक बैठक हुई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया और बाद में उस मामले में क्या कार्यवाही की गई।

[हिन्दी]

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : जो कागज टेबुल पर ले किया गया है, उसमें इन सारी चीजों का जिक्र है। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरियेट में जो बात हुई थी, एक-एक चीज पर फाइनेंन्स मिनिस्ट्री से डिस्कशन हुआ और दूसरी मिनिस्ट्रीज से डिस्कशन हुआ, वह सब उसमें है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि पे कमीशन की रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी, हम लोग कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन मेन डिमान्ड जो इनकी है, वह यह है :

[अनुवाद]

"90 प्रतिशत कनिष्ठ इंजीनियरों को तत्काल स्थायी करना, सभी तदर्थ पदोन्नतियों को नियमित करना तथा वरीयता सूची का प्रकाशन करना।"

[हिन्दी]

इस डिमाण्ड के बारे में, रेगुलराइज करने के बारे में साइक्लोस्टाइल्ड हो गया है, और इन द प्रोसेस है।

श्री मूल चन्द डागा : क्वेश्चन का आंसर फोर्थ पे-कमीशन का दे दिया है।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि अभी मंत्री महोदय ने चौथे वेतन आयोग का हवाला दिया है। मेरा मुद्दा यह है कि यहां दो वेतनमान हैं एक 550-900 रुपये है। इसको आपने चौथे वेतन आयोग को भेज दिया है। दूसरा वेतनमान

425-700 रुपये है। मेरे अनुमान से यह वेतनमान संशोधन के लिए वित्त मंत्रालय में जाएगा; इसको वेतन आयोग को नहीं भेजा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यदि इस मामले में कुछ नहीं किया गया है, तो क्या इन समस्याओं को हल करने के लिए वह वित्त मंत्रालय में अपने साथी मंत्री के साथ बैठक करना चाहेंगे।

श्री अब्दुल गफूर : कनिष्ठ इंजीनियरों की जो भी मांगें थीं, उनको कई बार वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग ने अधिकांश मामलों को अस्वीकार कर दिया है। तब हमने दोबारा वित्त मंत्रालय से उन पर विचार करने का अनुरोध किया। उन पर फिर से विचार हो रहा है।

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : सच यह है कि प्रधान मंत्री जी के आश्वासन के बाद संघ ने प्रस्तवित सामूहिक आकस्मिक छुट्टी वापस ले ली थी और प्रधान मंत्री के सचिव ने उनकी मांगें 15 मार्च, 1986 तक मान लेने का वायदा किया था। यदि हां, तो प्रधान मंत्री के आश्वासन पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है ?

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : हियर नहीं किया।

श्री अब्दुल गफूर : बिना हियर किये हुए भी हम कर सकते हैं, शक्ल देख कर के।

अध्यक्ष महोदय : कोई मखौल थोड़े ही है, टेलीपैथी है साहब।

श्री अब्दुल गफूर : आप लोग जहां रहियेगा, आप लोगों को शक्ल देख कर हम पहचान सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये तो मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देख कर।

श्री अब्दुल गफूर : यह जो कागज टेबुल पर ले लिया गया है उसमें एक-एक आइटम का जवाब है। अगर जरूरत पड़ी तो फाइनेंस के साथ, हमारे सेक्रेटरी वहां जा कर फिर कंसीडर कर सकते हैं। यह सब हो रहा है। इतने लोगों को डिपार्टमेंट के, सबको रेगुलराइज कर दिया है। उनका मेन डिमाण्ड तो यह था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्राइम मिनिस्टर का जो अश्योरेंस है।

श्री अब्दुल गफूर : उनके डर से तो यह सब हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे : मंत्रियों को प्रधान मंत्री से डर रहता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्रियों को स्वयं सोचने की अनुमति नहीं दी गई है। यह एक विशेषाधिकार का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। यह अनुशासन का प्रश्न है।

[हिन्दी]

आवंटितियों के साथ सरकारी आवास में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को आवास का आवंटन

*836. **श्री राजकुमार राय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी आवासों में आवंटितियों के साथ रहने वाले अधिकांश व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी आवास किराये पर देने के दोषी पाये गये आवंटितियों से सरकारी आवास खाली कराये जाने के परिणामस्वरुप बेघर हो जाने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, जो आवंटितियों के साथ उन सरकारी आवासों में रहते हैं, क्या तत्काल सरकारी आवास आवंटित करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनकी समस्या के समाधान हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (ग) सरकारी वास का आवंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियमावली, 1963 के उपबन्धों के अनुसार, कोई भी अधिकारी अपने सम्पूर्ण वास को किराये पर नहीं देगा और कोई भी अधिकारी उसे आवंटित वास का शेयर नहीं करेगा सिवाय उक्त नियमों के अन्तर्गत वास के आवंटन के लिये पात्र केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के। प्रशासनिक आदेशों के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के वे कर्मचारी, जो सामान्य पूल वास के आवंटन के पात्र नहीं हैं, वास का शेयर कर सकते हैं, परन्तु ऐसे मामलों में शेयर करने वाले के ब्योरे शेयर करने की तारीख से दो महीने के भीतर सम्पदा निदेशालय को सूचित करने होंगे। केवल एक शेयर करने वाले की अनुमति है। चूंकि सरकारी कर्मचारियों को आवंटित वास का शेयर करने के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी पात्र हैं, इसलिए इस प्रकार के शेयर करने से आबंटी कर्मचारियों को बेदखल करने के फलस्वरूप शेयर करने वाले कर्मचारी के गृहविहीन होने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। यदि जहां पर वास को या तो आंशिक रूप से या पूर्णतः उन अपात्र व्यक्तियों को जो कि निजी फर्मों आदि में कायरत हैं, को उपकिरायेदारी पर दिया गया है या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी सहित किसी व्यक्ति को सम्पूर्ण वास उप किरायेदारी पर दिया जाता है, तो आबंटन नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। चूंकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ऐसे वास को शेयर करना जारी रखेगा तो सरकार द्वारा वैकल्पिक प्रबन्धक करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। कर्मचारी को अपनी प्राथमिकता तारीख के अनुसार आवंटन प्राप्त करना है।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय : क्या सरकार को यह जानकारी है कि सरकारी आवासों के जो

अलाटीज हैं उनमें कितने आवासों में लोग शेयर कर रहे हैं ? कितने लोगों ने, कितने अलाटीज ने सरकारी आवास को रेंट किया हुआ है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है ?

मैंने सवाल कुछ पूछा था, जवाब कुछ दे दिया।

श्री अब्दुल गफूर : ऐसी बात नहीं है। यह सबलेटिंग का मामला हम देख रहे हैं। अगर किसी गवर्नमेंट एम्पलायी को मकान अलाट हुआ और उसने सारा मकान दे दिया तो यह सबलेटिंग का एक मसला हुआ और दूसरा मसला हुआ कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्पलायी को मकान अलाट हुआ और उसके साथ दूसरा गवनमेंट सर्वेंट रह रहा है तो यह शेयर करना हुआ। तीसरी चीज किसी गवर्नमेंट एम्पलायी ने पूरा मकान दूसरे लोगों को दे दिया जो अलाटमेंट के लिए एलीजबुल नहीं है......यह समझ लीजिए...

श्री राज कुमार राय : यह समझाने में तो 12 बज जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आज के 12 तो बज गये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए देश भर में सहकारी संस्थाएं स्थापित करना

*827. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फालतू गेहूं और अन्य कृषि उत्पादकों की बिक्री करने हेतु देश भर में, विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अथवा किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से अनेक सहकारी संस्थाएं खोलने का सरकार का विचार है, ताकि इन वस्तुओं को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जा सके और मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सके;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यकलापों का विस्तार करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) कृषि उत्पादन तथा कृषि उत्पादों के विपणन के विकास में यह उपाय किस प्रकार सहायक सिद्ध होगा ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) संविधान के अन्तर्गत "सहकारी सोसाइटियां" राज्यों का विषय है और विभिन्न आर्थिक कार्यों के लिए सहकारी संस्थाओं की सेवायें मुहैया कराना राज्य सरकारों का कार्य है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एक केन्द्रीय एजेंसी के रूप में ग्रामीण इलाकों में सहकारी क्षेत्र में किसान समुदाय की सहायता कर रहा है।

(ख) यद्यपि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ग्रामीण सहकारी उपभोक्ता कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारों को सहायता मुहैया करता है, तथापि उपभोक्ता वस्तुओं के विवरण के लिए नई सहकारी समितियों की एक कड़ी संगठित करने संबंधी कोई लक्ष्य नहीं है।

(ग) सातवीं योजना में कृषि विपणन सहकारी संस्थायें किसानों के कृषि उत्पादों के विपणन में उन्हें सहायता मुहैया कराने पर जोर देंगी, खासकर तिलहनों तथा मोटे अनाजों के लिए समर्थन मूल्य और मंडी में हस्तक्षेप के मामलों में।

उड़ीसा में एल्यूमिना के मूल्य में और अल्मोनियम उद्योग-समूह की अनुमानित लागत में वृद्धि

*837. श्री० के प्रधानी :
श्री बृज मोहन महन्ती :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा एल्यूमिना के मूल्य में तथा राष्ट्रीय अल्मोनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित किये जा रहे अल्मोनियम उद्योग समूह की अनुमानित लागत में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उसकी वर्तमान अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इस परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति, इसे पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा और इस बारे में अब तक दिये गए आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए धन जुटाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी परियोजना की मूल अनुमानित लागत, वर्ष 1980 की प्रथम तिमाही के मूल स्तर पर, 1242.4 करोड़ रुपए थी। अब वर्ष 1985 की प्रथम तिमाही के मूल्य स्तर पर, मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से संशोधित लागत 2408.14 करोड़ रु० है :—

(1) मुद्रा स्फीति
(2) वित्तीय प्रभार
(3) स्कोप परिवर्तन
(4) मात्रा भिन्नताएं
(5) कर और शुल्क

(घ) परियोजना पर मार्च, 1986 तक 1777.5 करोड़ रु० का संचयी व्यय हुआ। 1986-87 के लिए 380.4 करोड़ रु० का प्रावधान है। शेष लगभग 250 करोड़ रु० की राशि भी सरकार द्वारा 1986-87 के बाद प्रदान कर दी जाएगी।

बंगलौर दूरदर्शन के लिए ट्रांसफार्मर खरीदना

*838. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र बिजली चले जाने के समय अपने कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए ट्रांसफार्मरों का प्रयोग करता रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या बंगलौर दूरदर्शन के लिए ट्रांसफार्मर खरीदने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) ऐसा अनुमान है कि माननीय सदस्य ने दूरदर्शन बंगलौर में बिजली चले जाने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप से डीजल जैनरेटर के उपयोग का उल्लेख किया है। बंगलौर में जिस परिसर में अंतरिम स्टूडियो केन्द्र स्थित है, उसमें एक डीजल जैनरेटर उपलब्ध है। शुरू में दूरदर्शन केन्द्र बंगलौर के 1 किलोवाट के दूददर्शन ट्रांसमीटर को भी उसी परिसर में लगाया गया था। तथापि, ट्रांसमीटर को 10 किलोवाट की इसकी पूरी शक्ति पर प्रचालित करने के लिए इसकी शक्ति बढ़ा दिये जाने पर, ट्रांसमीटर को मार्च, 1985 में बंगलौर के स्थायी दूरदर्शन परिसर स्थानांतरित कर दिया गया था। नए स्थान पर बिजली का अस्थायी कनेकशन उपलब्ध किया गया है जिसके स्थान पर बिजली चले जाने के कारण सेवा में व्यवधानों को न्यूनतम करने के लिए डूपलीकेट फीडरों के साथ बिजली का स्थायी कनेक्शन उपलब्ध करने का प्रस्ताव है। मिश्रित स्टूडियो-ट्रांसमीटर परिसर, जिसके लिए बिजली की काफी सप्लाई की जरूरत है, की योजना राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उपलब्ध की जा रही बिजली की व्यवधान मुक्त सप्लाई के आधार पर बनाई गई थी। तथापि, ट्रांसमीटर के लिए बिजली के वैकल्पिक स्रोत्र के रूप में नए स्थान पर भी डीजल जैनरेटर उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली में मकानों की निर्माण लागत में वृद्धि

*839. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री कृष्ण सिंह :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 से 1985 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में मकानों की निर्माण-लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या अन्य महानगरों में भी मकानों की निर्माण लागत में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या निर्माण-लागत को कम करने के बारे में कोई अनुसंधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि 1980-85 की अवधि के दौरान में रियायशी भवनों के सम्बन्ध में निर्माण की लागत में 16 प्रतिशत औसतन वृद्धि हुई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय भवन अनुसंधान केन्द्र तथा संगठनात्मक इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र और अन्य अनुसंधान संगठनों जैसी राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं ने नई निर्माण तकनीकियां तैयार की हैं जो संलग्न विवरण में विनिर्दिष्ट हैं।

विवरण

अनुसंधान सस्थाओं द्वारा तैयार की गई नई निर्माण तकनीकियों, डिजाइनों, संकल्पनाओं का विवरण

1. केन्द्रीय भवन अनुसंधान (सी० बी० आर० आई०) रुड़की

(1) अण्डर-रीम्ड स्थूण नींव

(2) खोखली दीवार विक्र-आन-ऐज

(3) 4 तथा 5 मंजिलें भवनों के लिए इकहरी भारवाही ईंटों की दीवारें।

(4) ईंटों को बिछाने तथा पलस्तर करने की उन्नत प्रणाली

(5) पालीथेजीन नमी रोधक प्रणाली

(6) पत्थरों की चिनाई

(7) विभाजन के लिए हल्के भार के गारे के ब्लाक।

(8) छतों/फर्शों के लिए पूर्व निर्मित आर० सी० चैनल एकक

(9) छतों/फर्शों के लिए पूर्व निर्मित आर० सी० कोरड एकक

(10) छतों/फर्शों के लिए पूर्व आर० सी० सेल्यूलर एकक

(11) छतों/फर्शों के लिए पूर्व निर्मित आर० सी० वेफल एकक

(12) दुहरे घुमाव वालो टाइप छत पद्धति

(13) छतों/फर्शों के लिए पूर्व निर्मित आर० सी० मजबूत फलक

(14) पूर्व निर्मित आर० सी० एल० पैनल छत पद्धति

(15) दीवारों तथा छतों/फर्शों के लिए पूर्व निर्मित पूर्वप्रबलित ईंटों का पैनल

(16) दरवाजों के लिए कण तख्ता

(17) दरवाजों तथा खिड़कियों के लिए पूर्वनिर्मित चौखटें।

(18) दरवाजों की मैग्नीशियन आक्सीक्लोराइड चौखटें।

(19) छत के लिए मैग्नीशिमम आक्सीक्लोराइड टाइलें।

(20) सीमेंट गारे के फर्श के लिए सुदृढ़ मिट्टी सीमेंट का आधार

(21) मोटे गारे तथा कंकरीट में उड़न राख द्वारा सीमेंट का आंशिक प्रतिस्थापन

(22) नल साजी की इकहरी स्टेक पद्धति

(23) पूर्व निर्मित पतली लिन्टन

(24) चूना गारा टेरेसिंग सहित पानी रोधक छत।

(25) छत पर कूट कूट कर चूना भरने के लिए टैम्पिग मशीन

(26) मिट्टी के दीवारों को जलरोधक बनाना।

(27) व्यर्थ नारियल की जटा की नालीदार छत

(28) फूस का अग्निरोधक संयंत्र

(29) मिट्टी की उन्नत छत की टाइलें

(30) ईंट भट्टे या चूना भट्टे का सुधरा स्वरूप

2. संरचनात्मक इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र (एस० ई० आर० सी०) मद्रास।

(1) हाइपरबोलिक पैराबोलायड आधार

(2) छत/फर्श के लिए पूर्व निर्मित आर० सी० वेफल यूनिट

(3) छत के लिए पूर्व प्रबलित कंक्रीट हाइपरबोलाइड शैल

(4) छत/फर्श के लिए पूर्व निर्मित दुहरी घुमाव वाली शैल

(5) हाइपरबोलिक पैराबोलाइड शैल छत

(6) समतल ईंटों से ईंट शेल छत

(7) छत के लिए चूना—उड़न राख सेल्यूवर स्लेब

(8) उच्च शक्ति की विकृत छड़ों का उपयोग और वैकल्पिक डिजाइन पद्धति

(9) मोटे गारे तथा कंक्रीट में उड़न राख का उपयोग

(10) पूर्व निर्मित पूर्वप्रबलित कंक्रीट वस्तुओं में उड़न राख का उपयोग।

(11) फैरो-सीमेंट कंक्रीट पानी का टैंक

(12) अनाज भण्डारण के लिए फैरो सीमेंट कंक्रीट साइलोज, बिन आदि

(13) फर्शों छतों के लिए मिट्टी के खोखले ब्लाकों का उपयोग करते हुए पूर्व निर्मल स्लैब

(14) पूर्व निर्मित आर० सी० कड़िया तथा मिट्टी के खोखले ब्लाकों की पद्धति

(15) पूर्व निर्मित चैनल यूनिट

(16) स्थल पर दीर्घ चैनल पूर्ण निर्माण

(17) पूर्व निर्मित फर्श/छत बनाने की द्विपद्धतीय विस्तृत पद्धति।

(18) इलैक्ट्रोथरमल पूर्व प्रचलित

(19) कंक्रीट के पूर्व प्रबलित रेलवे के स्लीपर

(20) मेनहोलों के फाइवर पूर्वबलित कंक्रीट के ढक्कन

(21) कंक्रीट के पूर्वप्रबलित खम्बे

(22) लैट्रो ब्लाक्स (लैट्राइट मिट्टी के भवन ब्लाक)

3. सीमेंट अनुसंधान संस्थान, दिल्ली

(1) मोटे गारे तथा प्लस्तर में उड़न राख का उपयोग

(2) कंक्रीट में उड़न राख का उपयोग

(3) तैयार मिश्रित कंक्रीट का उत्पादन

(4) कंक्रीट के सुदृढ़ मिश्रित डिजाइन का उत्पादन
(5) सीमेंट मिट्टी से बने ब्लाक
(6) कम लागत के मकानों के लिए छत की पूर्व निर्मित टाइलें
(7) पोर्टलैण्ड मोजालाना सीमेंट
(8) पूर्व प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं पर रसायन के प्रभाव को रोकना

4. केन्द्रीय सड़क अनुसंधान, दिल्ली
(1) प्रतिक्रियाशील सुर्खी
(2) मिट्टी (मड) की दीवारों पर जलरोधी मिट्टी (मड) प्लस्तर
(3) सीमेंट गार में फाइन अग्रीमेंट के आंशिक प्रतिस्थापन के लिए उड़न राख
(4) चूना/जली मिट्टी पोजालाना
(5) गारे की कोटि पर नियंत्रण के लिए प्रत्यक्ष फील्ड एडजस्टमेंट चार्ट।
(6) मिट्टी की दीवारों को जलरोधी बनाने के लिए बिटामिन्स सामग्रियां।

5. इलेक्ट्रो-रसायन अनुसंधान संस्थान, करईकुडी तमिलनाडु
(1) ईंट कार्य में रेलफार्समेंट के संस्थारण का रोकथाम
(2) इस्पात रेलफोर्समेंट गारे के संस्क्षारण का रोकथाम
(3) उड़न राख सीमेंट गारे में इस्पात रैनफोर्समेंट के संक्षारण की रोकथाम
(4) भवनों में संक्षारण—भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संक्षारणता का स्तर

6. वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून
(1) लकड़ी की गोण किस्में
(2) छोटी तथा मध्यम दूरी कील जुड़ी लकड़ी के जोड़
(3) निर्माण प्रयोजनों के लिए कम लम्बाई छोटे आकार की लकड़ियों का उपयोग
(4) भवनों तथा मकानों की टरमिट फर्फिग
(5) घास-फूस की छत का अग्नि रोधक तथा संरक्षणात्मक उपचार
(6) बांसों का संरक्षणात्मक उपचार

7. भारतीय प्लाई वुड उद्योग संस्थान, बंगलौर
(1) छत के लिए वीनीर्स प्लाईवुड शिंगल्स
(2) छत तथा दीवारों के लिए एक्सटीरियट ग्रेड प्लाईवुड
(3) बाह्य कार्यों के लिए हार्डबोर्ड
(4) खंम्भों और संरचात्मक घटकों जैसे ग्ल्यूड वुड प्लाई वुड संरचनात्मक घटक
(5) संरचनात्मक सिंथेटिक रालदार का उपयोग करते हुए ग्ल्यूड लोमिनेटेड दरवाजे और खिड़की चौखट और अन्य ग्ल्यूड लेमिनेटेड उत्पादन

8. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट

(1) सीमेंट लगी फाइबर छत चादरें
(2) चावल भूसी उड़न राख पोजंलाना
(3) धान-भूसी ईंटें
(4) कागज नालीदार छत चादरें
(5) ए० सी० वेस्ट से फर्श के टाइलें
(6) दीवार खम्भों तथा छत के लिए वासक्रीट
(7) पेयजल प्राप्त करने के लिए वाटर फिल्टर कैण्डल
(8) रद्दी विटुमिल ड्रमों से सस्ते स्वच्छता सेप्टिक टैंक

9. भूकम्प इंजीनियरी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण स्कूल रुड़की

(1) चौमंजिले रियायशी भवनों के लिए एक ईंट की भारवाही दीवारें।
(2) पांच मंजिले रिहायशी भवनों के लिए ईंट की भारवाही दीवारें।
(3) आधी ईंट की जेड आकार की भारवाही दीवारें।
(4) छत/फर्श के लिए पूर्वबलित आर० सी० प्रणालियों के सेस्सिक डिजाइन।

10. हिन्दुस्तान प्रीफैब लि०

(1) आर० सी० कालम्स तथा वीम्स के साथ आंशिक रूप से पूर्व विरचित चौखट संरचना।
(2) नींव के साथ पूर्वढलित कालम्स के लिए पाकेट कनेक्शन
(3) दीवारों के लिए भारवाही कंक्रीट पेंलल्स
(4) छिद्रदार ब्लाकों की चिनाई
(5) चूना तथा उड़न राख छिद्रदार ब्लाकों की चिनाई
(6) छतों तथा फर्शों के लिए पूर्वबलित बैटन और छिद्रदार ब्लाक
(7) पूर्वढलित आर० सी० कोर्ड रूफिंग/फ्लोरिंग पद्धति
(8) पूर्व बलित सीमेंट कंक्रीट वीम्स
(9) छत तथा फर्श के लिए पूर्वबलित कंक्रीट वीमों पर पूर्वबलित कंक्रीट छिद्रदार कोर्ड स्लैब
(10) लैण्डिग के साथ अखण्डित ढलित पूर्व बलित आर० सी० सिंगल फ्लाइट जीना।
(11) दरवाजों तथा खिड़कियों के लिए पूर्वढलित कंक्रीट चौखट।
(12) कंक्रीट दीवार खम्बों के मध्य संशोधित सीधे तथा झुके हुए जोड़।
(13) निर्माण की पूरी पेनल प्रीफैब पद्धति।
(14) रियायशी तथा औद्योगिक भवनों में छत के लिए नालीदार स्लैब।

11. भारतीय मानक संस्थान, दिल्ली

(1) राष्ट्रीय भवन संहिता।

(2) निम्न आय वर्ग आवास के लिए मानक

(3) भवनों में प्रमापीय समन्वय

(4) मानक भवन विशिष्टयां तथा संहिताएं

(5) माप-नाप की मानक पद्धति।

(6) सामग्रियों के लिए मानक आउट पुट मानदण्ड।

12. उ० प्र० लोक निर्माण विभाग अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

(1) इंट चिनाई तथा गारे की शक्ति

(2) फ्लैट छत का जलरोधन

(3) सीमेंट के स्थान पर सुर्खी की प्रतिस्थापना

(4) दिवारों का नमी रोधक निर्माण

13. योजना कारंवाई तथा अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

(1) विभिन्न प्रकार के चूल्हों की तुलनात्मक कुशलता की खोज तथा धुंआरहित चूल्हों के डिजाइन को बनाना।

14. औद्योगिक संस्थान श्री राम संस्थान, दिल्ली

(1) फिल्यूडाइज्ड पद्धति से पोजलाना मिट्टी का उत्पादन

(2) फिल्यूडाइज्ड पद्धति से जिप्सम प्लस्तर का उत्पादन

15. भवन तथा सड़क अनुसंधान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़

(1) बिटुमिन से सुदृढ़ मिट्टी की इंटें

16. केन्द्रीय फ्युल अनुसंधान संस्थान नियोलोगोर

(1) उड़न राख इंटें।

17. केन्द्रीय मकेनिकल इंजिनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर

(1) साधारण इंट बनाने वाली मशीन का विकास

(2) खुले व बंद सकसनों का मितव्ययी इस्पात का ढांचा

18. राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर

(1) स्वच्छ ग्रामीण, शौचालय

(2) बहुमंजिले भवनों में कूड़ा प्रणाली

19. कालेज आफ मिलिटरी इंजीनियरी (सी० एम० ई०), पुणे

(1) कोई यूनिट, चैनल यूनिट, वेफल शेलस और हाइपरबोलोइड शेल्स जैसी पूर्वढलित रूफिंग फ्लोरिंग यूनिटें।

(2) वायु इन्ट्रेनिंग एजेन्ट के साथ सीमेंट गारे में (1 : 4) नमी रोधक सतह

20. **क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, वारंगल**

(1) छत की फर्श के लिए मिश्रित ओइस्ट पिलर ब्लाक

(2) रिब्ट स्लैब फर्श/छत (बड़ी इड़ी इकाइयां)

(3) रिब्ड स्लैब फर्श/छत (छोटी इकाइयां)

21. **बंगाल इन्जीनियरी कालेज, हावड़ा (पश्चिम बंगाल)**

(1) ब्रेकेट के साथ पूर्वबलित आर० सी० कालम्स आर० सी० सी० फूटिंग में फिक्स।

(2) कालम्स के ब्रेकटों पर पूर्वढलित तथा पूर्वबलित खम्बे

(3) फर्श के लिए मिश्रित पूर्वढलित आर० सी० बैटन तथा छिद्रदार सिन्डर ब्लाक

(4) पूर्वठलित और पूर्ववलित फोल्डेड प्लेट छत

(5) छिद्रदार सिन्डर ब्लाक चिनाई

22. **महाराष्ट्र इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान, नासिक**

(1) स्थाइत्व के रूप में सीमेंट गारे में सुर्खी का उपयोग

(2) पोजलाना गारा तथा कंक्रीट का स्थाइत्वता

(3) बिना जली भवर ईंटें

23. **आई० आई० टी०, मद्रास**

(1) आर० सी० पोर्टल फ्रेम्स निर्माण

(2) छत के लिए मिट्टी (क्ले) की सामग्रियां

(3) आर० सी० सी० जाइस्टों के साथ मिश्रित स्लैब तथा फुशछतों को भरने के लिए ईंटें

(4) छत/फर्शों के लिए छिद्रदार ग्रिड स्लैब

(5) ईंट भरे आर० सी० सी० स्लैब

(6) छिद्रदार ब्लाक बनाने वाली हाथ से चलने वाली साधारण मशीन

(7) शेल नीव

24. **आई० आई० टी०, कानपुर**

(1) चावल की भूसी से सीमेंट

25. **निवेली लिगनाइट निगम, निवेली**

(1) चिनाई के लिए उड़द, राख, चूना, जिप्सम, ईंट

26. **राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, दिल्ली**

(1) भवनों की आयोजना तथा डिजाइन में मोडुलर धारणा

(2) गारे के लिए मिट्टी (क्ले) पोजलाना

(3) गारे तथा कंक्रीट के लिए शुष्क बुझा चूना

(4) सेल्यूलर कंक्रीट भवन उत्पादन

(5) उच्च शक्ति ईंटें तथा संरचनात्मक क्ले उत्पाद

(6) एस्फाल्टिक रूफिंग चादरें

(7) कंक्रीट की रिट्ड फर्श/छतें

(8) भारवाही 19 से० मी० पतली ईंट दीवारें

(9) पी० वी० सी० पाइप

(10) स्टील खिड़कियों के लिए प्लास्टिक गुटके

(11) हुडसद ईंट बनाने की मशीन

(12) धूप में सूखी ईंटें तथा नान इराडेवल जलरोधी मिट्टी का प्लस्तर

(13) फूस का अग्निरोधक उपाय

(14) बांस का संरक्षात्मक उपचार

(15) छत तथा दिवार के लिए रोड बोर्ड

(16) छत के लिए बांस रेनफार्स्ड कंक्रीट

(17) छतों की कम ऊंचाई।

[अनुवाद]

धान की किस्मों की सूची

*840. **डा० टी० कल्पना देवी :**
डा० जी० विजय रामा राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और कृषि विश्वविद्यालयों आदि ने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु और उत्पादकता बढ़ाने के लिए गत दस वर्षों के दौरान धान की बहुत सी किस्में विकसित की हैं;

(ख) क्या प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए क्षेत्र-कर्मचारियों के उपयोग हेतु तत्काल संदर्भ के लिए इन किस्मों की विशेषताएं दर्शाने वाली एक सूची तैयार की गई है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धान की इन किस्मों का खेती में प्रयोग किये जाने और किसानों द्वारा ये किस्में अपनाई जाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी मिली है; और

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा जारी की गई धान की ये किस्में अन्तर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान, मनीला से आयातित, धान की आई० आर०-8 किस्म से किस प्रकार तुलनीय है?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान। विगत 10 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा विभिन्न स्थितियों के उपयुक्त उत्पादकता बढ़ाने हेतु चावल की 180 से अधिक उच्च उपज देने वाली प्रजातियां जारी की गई हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान्। चावल की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों और उनकी अनुकूलता के क्षेत्र के सम्बन्ध में 1978 में प्रायोजना निदेशालय (चावल) हैदराबाद द्वारा एक पुस्तिका प्रकाशित की गई। जारी हुई प्रजातियों तथा उनकी विशेतषाओं सहित उनके अनुकूल क्षेत्र की अद्यतन सूची तैयार की जा रही है।

(ग) जारी हुई प्रजातियों की क्षमता पर जानकारी राज्यों के कृषि विभागों के उत्पादन उन्मुख सर्वेक्षणों, कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित किसान मेलों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के "प्रयोगशाला से खेत तक" कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की जाती है।

(घ) अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार कार्यक्रम के माध्यम से विकसित प्रजातियां उपज में न केवल आई० आर० 8 से तुलना योग्य हैं बल्कि वे उपज क्षमता में बेहतर हैं और उनमें कीट व्याधियों, रोगों और अजैविक प्रभावों के प्रति सहनशीलता है। आई० आर० 8 का उपयोग पानी के ठहराव को प्रभावहीन करने और उर्वरक के प्रभाव को बढ़ाने के लिए बोने जीन को ऊंचे स्थानीय चावल कल्चर के रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है।

राष्ट्रीय कार्यक्रम में समाचार शामिल करने का मानदंड

*841. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय महत्व के समाचारों को शामिल करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(ख) "संसद समाचार" तथा पार्लियामेंट न्यूज" को राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सम्बद्ध उच्च स्तरीय माध्यम सलाहकार समिति ने प्रसारण माध्यमों के लिए समाचार नीति संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा उन्हें आकाशवाणी और दूरदर्शन को प्रेषित कर दिया गया है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में दूरदर्शन के समाचारों में वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और यथार्थता सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की बुनियादी बातें नीचे दी गई हैं :

(1) समाचारों की रिपोर्टिंग तथ्यात्मक, सही और वस्तुनिष्ठ हो तथा केवल उन्हीं विचारों को, जिनसे समाचार बनते हों, समाचार प्रसारणों में स्थान मिलना चाहिए।

(2) प्रत्येक समाचार कहानी का आकलन सर्वथा उसके समाचारिक मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए।

(3) समाचारों के चयन में, आकाशवाणी और दूरदर्शन का मार्गदर्शन यथासंभव उच्चतम व्यावसायिक मानकों से होना चाहिए।

(4) समाचारों को तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठता से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और जहां आवश्यक हो, घटनाओं की पृष्ठभूमि उपलब्ध करनी चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाओं को उचित परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद मिले।

(5) समाचारों को तथ्यात्मक और उत्तरदायित्व के उच्चतम मानदंड को पूरा करना चाहिए।

(6) विकासात्मक गतिविधियों में लोगों की भागेदारी तथा स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों पर उचित प्रकाश डाला जाना चाहिए।

(7) समाचार रिपोर्टिंग की शैली और प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए, जिन पर राष्ट्रीय नीतियां आश्रित हैं। इन मौलिक सिद्धान्तों में देश की अखंडता, राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण तथा संसद, राज्य विधान मंडलों और न्यायपालिका की गरिमा तथा सम्मान को कायम रखना शामिल है।

(8) मंत्रियों के वक्तव्यों और नीति संबंधी मामलों, विशेषकर प्रधानमंत्री के वक्तव्यों और सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वियन को समाचारों में उपयुक्त स्थान दिया जाना चाहिए। बल व्यक्तियों की अपेक्षा सूचना पर होना चाहिए।

(9) राजनीतिक विवादों पर रिपोर्टिंग में प्रसारण माध्यमों की वस्तुनिष्ठता का अनुसरण करना चाहिए। उद्देश्य विभिन्न मतों को प्रतिनिधित्व देने का होना चाहिए।

(10) अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के चयन में, उद्देश्य लोगों को विश्व की घटनाओं से सूचित करने का होना चाहिए।

(ख) इस समय हिन्दी में "संसद समाचार" और अंग्रेजी में "पार्लियामेंट न्यूज" को दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम से बाहन टेलीकास्ट किया जा रहा है। इनको राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि संसद से संबंधित समाचारों की अवधि राष्ट्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित दो राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों के कुल समय का लगभग 10% है। क्योंकि दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली से प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों को उपग्रह से जुड़े देश के सभी ट्रांसमीटरों (160) द्वारा रिले किया जाता है, अतः संसद से संबंधित समाचारों का पर्याप्त संख्या में दर्शकों द्वारा देखा जाता है। जहां तक दूरदर्शन के अन्य केन्द्रों का संबंध है, वे संसद की कार्यवाहियों का सारांश अपने साप्ताहिक बुलेटिनों में अपनी-अपनी भाषाओं में टेलीकास्ट करते हैं। इस समय राष्ट्रीय कार्यक्रम की अवधि 155 मिनट है जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी में 20-20 मिनट की अवधि के दो राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन शामिल हैं। शेष 115 मिनट के अंदर ही दर्शकों के विभिन्न वर्गों की विविध कार्यक्रम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अन्य मदों को भी स्थान देना पड़ता है। अतः दूरदंदन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में "संसद समाचार" और "पार्लियामेंट न्यूज" को शामिल करना संभाव्य नहीं समझा जाता।

आम की खेती में गिरावट की प्रवृत्ति

*842 : श्री एन० डेनिस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में आम की खेती और उसकी पैदावार में आई गिरावट की प्रवृत्ति की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस उपभोक्ता और वाणिज्यिक किस्म के फल के बागों के संरक्षण के लिए उठाएं गए कदमों का ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) (क) और (ख) : आम एक ऐसी फसल है जिसके बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसी कोई विश्वस्त सूचना नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि आम की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में अथवा उपज में कमी का रुख आ रहा है। तथापि, मोटे अनुमान के अनुसार, हाल के वर्षों में आम के क्षेत्र तथा उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है।

सिंचाई के छिड़काव वाले उपकरण खरीदने के लिये राज्यों को आर्थिक सहायता

*843. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**
श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम/जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को सिंचाई के छिड़काव करने वाले उपकरणों की खरीद के लिए आर्थिक राज सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को कितनी राज सहायता दी गई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी मिली है कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक सहायता का दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका व्यय केन्द्र तथा संबंधित राज्यों द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाता है। केन्द्रीय अंश राज्यों को अनुदान के रूप में निर्मुक्त किया जाता है। छिड़काव वाली सिंचाई योजनाएं लघु सिंचाई के अन्तर्गत आती हैं जो कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत एक अनुमोदित गतिविधि है तथा जहां तक पूंजी लागत का संबंध है, या तो इन्हें पूर्णतया राज्य लागत पर आरम्भ किया जाता है अथवा एक सामुदायिक योजना के आधार पर, जिसमें लाभार्थियों को 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है।

छिड़काव वाली सिंचाई योजना को केवल कर्नाटक राज्य में ही सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान सामुदायिक छिड़काव सिंचाई कुआं योजना तथा ग्रुप छिड़काव सिंचाई योजना के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं में अनुमोदित कुल परिव्यय लगभग 544 लाख रुपए है। राज्य लागत पर उपकरण की खरीद राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों तथा पद्धतियों के अनुसार की जाती है। सिंचाई के छिड़काव वाले उपकरण की खरीद पर हुए वास्तविक व्यय का ब्योरा केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है।

केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है कि कर्नाटक में सिंचाई के छिड़काव वाले उपकरण की आपूर्ति हेतु कम दर दर्शाने वाली फर्म को दर निविदा प्रस्तुत नहीं की गई है। अपकृत पक्ष ने दर

निविदा दिए जाने के विरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह समझा जाता है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने हाल ही के एक फैसले में विद्यमान दर निविदा को रद्द कर दिया है।

चाय बागानों के लिए आवास ऋण और राज-सहायता की दरों में संशोधन

*844. **श्री मानिक सन्याल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बागान श्रमिक आवास बोर्ड से इस आशय का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है कि गृह निर्माण की सभी वस्तुओं जैसे जस्ता चढ़ी लोहे की चादरों, सीमेंट, इमारती लकड़ी आदि के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बागान श्रमिक अधिनियम के अनुसार श्रमिकों के लिए मकान बनाने हेतु अलग-अलग चाय बागानों को दिए जाने वाली राज-सहायता की दरों में संशोधन किया जाए;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ऋण और राज-सहायता की दरों में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) बागान श्रमिकों की सहायता प्राप्त आवास योजना को 1986-87 से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

"वैस्टर्न मीडिया शेप्स थर्ड वर्ल्ड न्यूज" शीर्षक वाला समाचार

*845. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अप्रैल, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "वैस्टर्न मीडिया शेप्स थर्ड वर्ल्ड न्यूज" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने गुटनिरपेक्ष समाचार पुंज को सुदृढ़ बनाने तथा नई अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था स्थापित करने में सहायता करने के लिये क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति झुकाव को समाप्त करने और समाचार रिपोर्ट तैयार करने में एशियाई दृष्टिकोण को प्रधानता देने के लिये कोई कदम उठाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) भारत ने गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल की 1976 में स्थापना से ही इसके सृजन और संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभायी है। अब तक 10 उपग्रह लिंक स्थापित किए जा चुके हैं और अन्य 4 कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है कि इस पूल का संवर्धन होता रहे और

यह गुट-निरपेक्ष आन्दोलन और गुट-निरपेक्ष देशों के बारे में समाचारों को उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में प्रतिबिम्बित करने के अपने स्वीकृत उद्देश्य को पूरा करे।

(ग) भारतीय समाचार एजेंसियां आर्गेनाइजेशन आफ एशिया-पैसिफिक न्यूज एजेंसीज (ओ० ए० एन० ए०) की सदस्य हैं। इससे क्षेत्र की समाचार एजेंसियों के बीच बहुपक्षीय व्यवस्था सुनिश्चित होती है जो उनके आम हितों को और क्षेत्र के अन्दर तथा अन्य क्षेत्रों में सूचना के प्रवाह को बढ़ाती हैं। आर्गेनाइजेशन आफ एशिया-पैसिफिक न्यूज एजेंसीज के अनेक सदस्य गुट-निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं। सरकार ने आर्गेनाइजेशन आफ एशिया-पैसिफिक न्यूज एजेंसीज की छठी महा सभा का मार्च, 1985 में नई दिल्ली में आयोजन करने के लिए सहायता प्रदान की थी जब प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया ने 3 वर्षों के लिए संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की। भारतीय प्रेस द्वारा समाचार पूल की कहानियों के उपयोग का पुनरीक्षण पी० टी० आई० द्वारा समय-समय पर किया जाता है। अब तक के परिणाम काफी उत्साहजनक रहे हैं।

[अनुवाद]

भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा मुंगेर जिले के संबंध में बहुरंगी वैज्ञानिक प्लेटों का प्रकाशन

7914. **श्री डी० पी० यादव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने अन्ततः मुंगेर जिले के सम्बन्ध में संकलित सामग्री जिसमें वैज्ञानिक जानकारी तथा बहुरंगी वैज्ञानिक प्लेटें शामिल हैं, प्रकाशित कर दी हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो अध्ययन रिपोर्ट कब तक प्रकाशित की जाएगी ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) अगले वर्ष सामग्री प्रकाशित करने के सभी प्रयास किए जायेंगे।

[हिन्दी]

सच की परछाई

7915. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर "सच की परछाई" कार्यक्रम अब तक कितनी बार दिखाया गया है और ये कार्यक्रम किन-किन विभागों से सम्बद्ध हुए दिखाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने में इस कार्यक्रम के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) अब तब "सच की परछाई" नामक कार्यक्रम को निम्नलिखित विषयों तथा तारीखों पर 10 बार टेलीकास्ट किया गया है :—

क्रम सं०	विषय	टेलीकास्ट करने की तारीख
1.	पुलिस तथा जनता	7.10.85
2.	खाद्य मिलावट	21.10.85
3.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	4.11.85
4.	रेलवे	2.12.85
5.	सीमा शुल्क सेवाएं	6.1.86
6.	स्वास्थ्य सेवाएं	20.1.86
7.	आय कर	17.2.86
8.	महिलाओं से जुड़े कानून कितने सार्थक हैं	3.3.86
9.	यातायाय सुविधाएं	17.3.86
10.	बैंक ऋण	21.4.86

(ग) जी, हां। दूरदर्शन ने कोई मूल्यांकन नहीं किया है। तथापि, यदि कोई कमियां हों तथा प्रक्रियात्मक अड़चनें हों तो उनको दूर करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना संबंधित विभागों का काम है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

क्वीनू की खेती

7916. श्री माणिक रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंका कबीले द्वारा एंडीस में सदियों से उगाए जाने वाले उच्च प्रोटीन युक्त अनाज क्वीनू को अमरीका में विकसित किया गया है और उसका परीक्षण किया गया है और इसे विश्व का सर्वोत्तम अनाज पाया गया है;

(ख) क्या भारत में किसी ज्ञात अनाज/फल में इतने गुण हैं;

(ग) क्या हमारे देश द्वारा विदेशों से ली गई/दी गई बीजों की हजारों किस्मों के बदले देश में क्वीनू का आयात किया गया है और उसका परीक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्। एडीज में इंका कबीले द्वारा एक उच्च प्रोटीन युक्त अनाज क्वीनू (चेनेपेडियम क्वीनोआ) की खेती की जाती है किन्तु यह विश्व का सर्वोत्तम अनाज नहीं है क्योंकि इसमें "सैपोनिन" नामक विष होता है जो रक्त में लाल कणिकाओं को घोल देता है और आंखों में जलन पैदा करता है।

(ख) भारत में हमारे पास क्वीनू से अधिक उपयुक्त अनाज अमरांथस है क्योंकि इसमें अधिक पोषक तत्व, उच्च उपज और विस्तृत स्वीकार्यता है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। क्वीनू के कुछ चयनों को 1965 में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण/संवर्धन सम्बन्धी विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कि फसल सुधार कार्यक्रम की एक अनिवार्य गतिविधि है, फ्रांस, बोलविया, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी जर्मनी जैसे देशों से मंगाया गया था। इस सामग्री को अनेक स्थानों पर उगाया गया/परीक्षण किया गया किन्तु कम उपज और विष (सैपोनिन) की विद्यमानता के कारण यह लोकप्रिय नहीं हो पाया।

एल्यूमिनियम प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र

7917. **श्री के० प्रधानी : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एल्यूमिनियम और एल्यूमिना प्रौद्योगिकी में तकनीकी जानकारी के विकास और इसमें आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए "एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेन्टर" स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार एल्यूनियम अनुसंधान कार्य में बेहतर समन्वय तथा मूल प्रौद्योगिकी का विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से इसे उड़ीसा में लगाए जा रही "नेल्को" के विशाल संयंत्र के निकट स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) एल्यूमिनियम अनुसंधान, विकास और डिजाइन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) अन्तर मंत्रालयी संचालन दल की अनुशंसाओं के अनुसार, एल्यूमिनियम अनुसंधान, विकास और डिजाइन केन्द्र की स्थापना के लिए नागपुर सबसे उपयुक्त स्थान है, जो पूरे देश में एल्यूमिनियम उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होगा।

आन्ध्र प्रदेश में धान की फसल नष्ट होना

7918. **श्री सी० सम्बु : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा, गुंटूर और प्रकाशम जिलों के विशाल क्षेत्रों में धान की फसल दिसम्बर, 1985 के दौरान हुई वर्षा से नष्ट हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कारण कितनी क्षति हुई है;

(ग) क्या किसानों को पुनर्वास देने के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने किसानों को लाभान्वित करने हेतु क्षतिग्रस्त धान और बदरंग धान की वसूली में रियायत करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार दिसम्बर, 1985 में भारी वर्षा के कारण कृष्णा, गुंटूर तथा प्रकाशम जिलों में भारी वर्षा के कारण धान की फसल को हानि होने की सूचना दी है :—

जिला	प्रभावित फसली क्षेत्र (एकड़ में)	हानि (लाख रुपए)
कृष्णा	1,65,750	20.00
गुंटूर	4,02,000	690.00
प्रकाशम	3,000	90.00

(ग) प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा उसकी राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर बाढ़ राहत के लिए 713.73 लाख रुपए के अधिकतम व्यय की मंजूरी दी गई है। इसमें कृषि आदान संबंधी राज सहायता के लिए 107.67 लाख रुपए शामिल हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को राज्य में वितरण के लिए प्रभावित धान में से उत्पादित चावल की खरीद करने की अनुमति दी गई है।

दूरदर्शन को प्रायोजित कार्यक्रम शुल्क के माध्यम से आय

7919. श्री कृष्ण सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिक खानदान, नुक्कड़, रजनी, कर्मचन्द आदि के प्रायोजित शुल्क और "स्पाट" विज्ञापनों के माध्यम से अब तक पृथक-पृथक कुल कितनी आय हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : "खानदान", "नुक्कड़", "रजनी" और "कर्मचन्द" दूरदर्शन धारावाहिकों के प्रयोजन शुल्क एवं स्पाट विज्ञापनों के माध्यम से अब तक अलग-अलग अर्जित कुल आय इस प्रकार है—

धारावाहिक का नाम	अर्जित कुल आय
खानदान	348.47 लाख रुपए
नुक्कड़	80.73 " "
रजनी	205.06 " "
कर्मचन्द	58.82 " "

केरल के लिए राष्ट्रीय मछुआ कल्याण निधि से अंशदान

7920. श्री टी॰ बशीर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें मछुआ

कल्याण निधि स्थापित करने हेतु राज्य सरकार की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय मछुआ कल्याण निधि से पर्याप्त अंशदान देने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से केरल मछुआ कल्याण निधि हेतु 35 लाख रुपए का अंशदान देने का अनुरोध किया था।

(ख) मार्च, 1986 में हुई मछुआ सोसायटी की राष्ट्रीय कल्याण निधि की कार्यकारी समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया कि केरल मछुआ कल्याण निधि अथवा अन्य राज्यों द्वारा स्थापित की गई इसी प्रकार की निधियों के लिए फन्ड से इस प्रकार का अंशदान देना संभव नहीं है। तथापि, सोसायटी की सीमित निधि का राज्य सरकार के संगठनों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बीज धनराशि के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में इस्पात का उत्पादन

7921. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में वर्ष 1985-86 के दौरान इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हुई है, यदि हां तो प्रत्येक इस्पात संयंत्र में कितनी वृद्धि वृद्धि है;

(ख) क्या ये इस्पात संयंत्र अब भी घाटे में चल रहे हैं, यदि हां, तो वर्ष 1985-86 के दौरान प्रत्येक संयंत्र को घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इन इस्पात संयंत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वे लाभ अर्जित कर सकें ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान "सेल" के इस्पात कारखानों में विक्रय इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है—

(हजार टन)

कारखाना	1984-85 (वास्तविक)	1985-86 (वास्तविक)
भिलाई इस्पात कारखाना	1810	2055
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	621	723
राउरकेला इस्पात कारखाना	1013	1005
बोकारो इस्पात कारखाना	1459	1720
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी	380	500
सेल :	5283	6003

(ख) पहले लगाये गये तुरन्त अनुमानों से संकेत मिला है कि वर्ष 1985-86 के दौरान "सेल" को लगभग 156 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। लाभ/हानि की कारखाना-वार स्थिति नीचे दी गई है—

(करोड़ रुपए)

कारखाना	लाभ (+)/हानि (—)
भिलाई इस्पात कारखाना	67
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	(—) 34
राउरकेला इस्पात कारखाना	35.20
बोकारो इस्पात कारखाना	116
मिश्र इस्पात कारखाना	(—) 29.50
सेलम इस्पात कारखाना	1.50
कुल	156.20

परन्तु लेखों को अन्तिम रूप देने तथा लेखा-परीक्षा के पश्चात् ही अन्तिम स्थिति का पता चल सकेगा।

(ग) इस्पात कारखानों को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं—

(i) कुल उत्पादन में वृद्धि और प्रॉडक्ट-मिक्स में परिवर्तन करके मांग के अनुरूप उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि।

(ii) तकनीकी-आर्थिक प्राचलों में सुधार तथा ऊर्जा संरक्षण।

(iii) सभी उत्पादों के उत्पादन में सुधार तथा रद्दी और गौण माल की बेहतर प्राप्ति।

(iv) माल-सूचियों तथा कार्यकारी पूंजी में कमी।

(v) बेहतर उपलब्धि के लिए संयंत्रों तथा उपस्करों के रख-रखाव में सुधार।

(vi) गृहीत विद्युत उत्पादन में वृद्धि।

(vii) बेहतर क्वालिटी के आदानों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करना।

(viii) वर्तमान पुराने तथा अप्रचलित संयंत्रों/उपकरणों का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा नवीकरण।

(ix) अनुसंधान तथा विकास कार्य की गति तीव्र करने के प्रयास।

(x) प्रशासनिक व्यय पर नियंत्रण।

(xi) कामगारों में जागरूकता लाने तथा दूसरे संयंत्रों/इकाइयों के कर्मचारियों में भागीदारी की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से कार्य का नया माहौल बनाना/संगठनात्मक अनुशासन लागू करना।

सामुदायिक टी० वी० सैट लगाना

7922. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामुदायिक टी० वी० सैट लगाने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में लगाये जाने वाले सामुदायिक टी० वी० सैटों की कुल संख्या के बारे में आंकड़े क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन की सातवीं योजना में सामुदायिक अवलोकन टेलीविजन सैट लगाने का प्रावधान नहीं है। तथापि, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 5000 सामुदायिक अवलोकन टेलीविजन सैट लगाने को स्कीम को सिद्धान्ततः स्वीकृत किया गया है। इस स्कीम को योजना आबंटन के अभाव के कारण इस स्कीम का कार्यान्वियन शुरू करना अभी तक संभव नहीं हुआ है। संबंधित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में इन 5000 सामुदायिक अवलोकन टेलीविजन सैटों के वितरण के ब्यौरे को भी अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, राज्यों के सूचना मंत्रियों के जून, 1985 में हुए सम्मेलन के दौरान तथा कई अन्य अवसरों पर, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सातवीं योजना अवधि के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों की में अपने कोष में से सामुदायिक अवलोकन टेलीविजन सैट उपलब्ध करें।

आन्ध्र प्रदेश के कुड्डप्पाह जिले में खान पर आधारित एक उद्योग की स्थापना

7923. श्री एस० पलाकोंड्रायुडू : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कुड्डप्पाह जिले (रायलसीमा) में खान पर आधारित एक उद्योग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

पश्चिम दिल्ली में शिवाजी कमर्शियल सेंटर का निर्माण कार्य

7924. श्री अर्जुन सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनेक वर्ष पहले पश्चिमी दिल्ली में रिंग रोड के पास शिवाजी कमर्शियल सैंटर का शिलान्यास किया था;

(ख) उक्त योजना का ब्यौरा क्या है और वहां निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायगा; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) यह शिलान्यास अगस्त, 1983 में किया गया था।

(ख) और (ग) दक्षिण दिल्ली में जिला केन्द्र के इस विन्यास नक्शे को दिल्ली नगर कला आयोग की टिप्पणियों को शामिल करके संशोधित किया जा रहा है। निर्माण/विकास कार्य संशोधित नक्शे के अनुमोदन पर आरम्भ किया जाएगा।

पीतमपुरा में जनता फ्लैटों में ग्रिल लगाना

7925. **श्री शांति धारीवाल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पीतमपुरा में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये जनता फ्लैटों में ग्रिल नहीं लगाये गए हैं और इस प्रकार सुरक्षा संबंधी पहलू की उपेक्षा की गई है तथा इस प्रकार भूमिगत के फ्लैटो में शीशे की खिड़कियों के रास्ते भीतर घुसकर चोरी की संभावना बनी रहती है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गए दूसरे टाइप के फ्लैटों में ग्रिल लगाये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो जनता फ्लैटों में ग्रिल न लगाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार अब जनता फ्लैटों में भी ग्रिल लगायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पीतमपुरा में निम्नलिखित योजनाओं में जनता फ्लैटों की खिड़कियों में ग्रिलें नहीं लगाई गई हैं :

(i) 312 जनता मकान पाकेट एन (यू)
(ii) 276 जनता मकान पाकेट जे (यू)
(iii) 156 जनता मकान पाकेट एफ (पी)

(ख) जी, हां।

(ग) लागत को कम रखने हेतु ग्रिल नहीं लगाये गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों की संख्या

7926. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1986 को केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों की स्वीकृत संख्या क्या थी;

(ख) काडर समीक्षा पिछली बार किस तारीख को की गई थी;

(ग) 1 अप्रैल, 1986 को प्रत्येक ग्रेड में कितने रिक्त पद थे; और

(घ) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों हेतु पिछले तीन पैनलों की घोषणा किन तारीखों को की गई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय सूचना सेवा का संवर्ग पुनरीक्षण पिछली बार 2 नवम्बर, 1982 को किया गया था।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है—

क्रम संख्या	ग्रेड और वेतनमान	पदोन्नति के लिए आदेश जारी करने की तारीख
1.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (1500-2000 रु०)	16-10-1985
2.	जूनियर स्केल (700-1300 रु०)	7-6-1985
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (1500-2000 रु०)	14-9-1984

विवरण

क्रम संख्या	ग्रेड तथा वेतनमान	स्वीकृत संख्या	रिक्त पद
1.	चयन ग्रेड (3000 रु०)	1	शून्य
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : (क) स्तर-1 (2500-2750 रु०) (ख) स्तर-2 (2250-2500 रु)	6	1
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (1500-2000 रु०)	65	2
4.	सीनियर स्केल (1100-1600 रु०)	206	45
5.	जूनियर स्केल (700-1300 रु०)	178	19
6.	ग्रेड-3 (650-1200 रु०)	439	50
7.	ग्रेड-4 (470-750 रु०)	251	74

"एशियाड" फ्लैटों से आय और उन पर व्यय

7927. श्री मूल चन्द डागा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिरि फोर्ट खेल गांव, नई दिल्ली में कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया है और उनके निर्माण की कुल लागत कितनी है और इनके निर्माण करने का प्रयोजन क्या है;

(ख) वर्ष 1983 से इनका किस रूप में उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) इन फ्लैटों के रखरखाव पर कितना औसत वार्षिक व्यय होता है और उपर्युक्त अवधि के दौरान इनसे औसत वार्षिक आय कितनी हुई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) एशियाई खेल ग्राम कम्पलैक्स में एशियाड, 1982 के लिए 87.07 करोड़ रुपये की कुल निर्माण लागत से 853 फ्लैटों का निर्माण किया गया था।

(ख) (i) गुट-निरक्षेप देशों का सम्मेलन (1983) में भाग लेने वालों के ठहरने के लिए।

(ii) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा नवम्बर, 1985 में आयोजित एन० ए० एम० वाई० एफ० ई० एस० टी०, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा स्पर्धा, जनवरी, 1986 में राष्ट्रीय स्कूल खेल तथा अन्त में फरवरी, 1986 में राष्ट्रीय पुलिस खेलकूद जैसे खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की आवश्यकता अनुसार खाली फ्लैटों को भी प्रयोग में लाया गया था।

(iii) 273 फ्लैटों का वास्तविक कब्जा उनके आवंटियों को पहले ही सौंप दिया गया है।

(ग) इन फ्लैटों के रख-रखाव का वार्षिक व्यय 27.22 लाख रुपये हैं। ये फ्लैट सामान्य प्रयोग के लिए नहीं हैं तथा ये फ्लैट उपर्युक्त राष्ट्रीय खेलों से संबंधित खेलों के लिए विशेष मामले के रूप में आबंटित किए गए थे जिनसे आय के रूप में 21.83 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं।

कर्नाटक को खाद्यान्नों की सप्लाई

7928. श्री बी० वी० देसाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने बंगलौर और अन्य आस-पास के जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया था और कर्नाटक को खाद्यान्न निःशुल्क देने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा के बाद आंध्र प्रदेश को कितना खाद्यान्न सप्लाई किया गया;

(ग) कर्नाटक राज्य को सहायता देने हेतु अन्य क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) राज्य सरकार ने केन्द्र द्वारा दी गई खाद्यान्न सहायता का कितना उपयोग किया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) कृषि मन्त्री के बंगलौर और कर्नाटक के सूखे से प्रभावित अन्य क्षेत्रों के दौरे के पश्चात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक को कुल 46,080 मीटरी टन खाद्यान्न निर्मुक्त किया गया है।

(ग) वर्ष 1985-86 और 1986-87 (जून, 1986 तक) के लिये सूखा राहत उपायों के लिए राज्य को 100.01 करोड़ रुपये व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की गई है।

(घ) आवंटित किये गये खाद्यान्नों के उपयोग करने की रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

शहरी जनसंख्या में वृद्धि

7929. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शहरी जनसंख्या में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठाने का यदि कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तो क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : सरकार ने निम्नलिखित आधार पर बड़े तथा महानगरीय शहरों की जनसंख्या को रोकने और नियंत्रित करने के लिए बहुमुखी अभियान चलाया है :—

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों तथा जीवन स्तर में सुधार और ग्रामीण विकास केन्द्रों का विकास।

(ख) छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों का एकीकृत विकास।

(ग) शहरों में जनसंख्या के आगमन को रोकने के लिए क्षेत्रों का विकास।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड का हल्दिया काम्पलैक्स

7930. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड के हल्दिया काम्पलेक्स को उबारने के लिए एक लाभप्रद सार्वजनिक उपक्रम के साथ इसका विलय करने अथवा इसे एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में चलाने अथवा इसे हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड के पास ही रहने देने जैसे विकल्पों के प्रश्नों पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० के हल्दिया परिसर के आरम्भण एवं संचालन के लिए सरकार पूर्ण प्रयास कर रही है।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी आवास का आवंटन

7931. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सरकारी कर्मचारी का एक पुत्र या एक पुत्री, जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, और अपने पिता या माता को आवंटित सरकारी आवास में पिता या माता (माता और पिता जैसा भी मामला हो) के साथ रहता है और मकान किराया भत्ता नहीं लेता है, अपने पिता या माता की सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद सरकारी आवास के आबंटन का हकदार है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985 के प्रारंभ में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों के सरकारी आवास आवंटन, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, के कितने मामले लंबित पड़े थे और अब तक कितने व्यक्तियों को सरकारी आवास आवंटित किया गया है; और

(ग) सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को आवास आवंटन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां, बशर्ते कि वह सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता/करती है।

(ख) और (ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राहत कार्य की उपलब्धियों के मूल्यांकन हेतु निगरानी एकक

7932. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक आपदाओं/विपत्तियों का सामना करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाले राज्यों में खर्चों तथा वास्तविक उपलब्धियों की प्रगति पर निगरानी करने हेतु बनाये गये एकक ने कोई प्रतिवेदन/लेखा जोखा प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) प्रबोधन कक्ष के लिये स्वीकृत स्टाफ की नियुक्ति में देर होने के कारण इस कक्ष ने अभी पूरी तरह कार्य करना शुरू नहीं किया है।

रोजगार के इच्छुक लोगों के साथ धोखा

7933. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में एक फर्म ने हजारों लोगों को यमन भेजने का आश्वासन देकर उनसे हजारों रुपये की राशि ऐंठ कर उन्हें धोखा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) यमन में श्रमिकों को भेजने के लिए भारतीय सड़क निर्माण निगम द्वारा रुपया ऐंठने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है।

(ग) इस मामले को दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया है।

कार्यालयों के प्रायोजकों के बीच विवाद को हल करने हेतु तंत्र की स्थापना

7934. **श्री शांता राम नायक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कार्यक्रमों के विभिन्न प्रायोजकों के बीच विवाद को हल करने हेतु कोई तन्त्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने विवाद हल किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार के विवादों को हल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक में डकैती

7935. **श्री गुरुदास कामत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक में एक बड़ी डकैती पड़ने का समाचार था; और

(ख) क्या इस डकैती की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई गई है और यदि हो तो इस जांच के क्या परिणाम निकले ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) अगस्त, 1982 के महीने में ट्राम्बे स्थित आर० सी० एफ० के यंत्र से लगभग 70 लाख रुपये के मूल्य के 3 प्लेटिनम गाज चोरी हो गये थे

(ख) बम्बई पुलिस की सी० आई० डी० शाखा द्वारा चोरी की जांच की गई जिसके परिणाम-स्वरुप 15 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जिनमें केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 3 कार्मिक सम्मिलित थे तथा करीब 15 लाख रू० मूल्य का लगभग 5 किग्रा० माल पाया गया। शेष माल की प्राप्ति के लिए जांच एवं प्रयास जारी हैं। अभियुक्तों के अभियोजन के लिए दण्ड न्यायालय में एक आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

समाचार माध्यमों द्वारा विदेशी समाचारों का अधिक प्रसारण

7936. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया द्वारा किये गये एक अध्ययन से पता चलता है कि समाचार माध्यम राज्य की राजधानियों के भारतीय समाचारों की तुलना में विदेशी समाचार का अधिक प्रसारण करते हैं;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन पर अक्सर विदेशों में आग लगने की कुछ घटनाओं को अथवा ईरान और ईराक युद्ध का समाचार बुलेटिन में शामिल किया जाता है और उन्हें बार-बार दोहराया जाता है जिसमें भारतीय दर्शकों की रुचि नहीं होती या उन्हें दुबारा देखना नहीं चाहते हैं; और

(घ) क्या उक्त अध्ययन में समाचार माध्यम द्वारा अपनाये जा रहे तरीकों में किसी प्रकार के परिवर्तन का सुझाव दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यदि नहीं, तो शहरों और गांवों से आने वाले समाचारों का, जिनका अखिल भारतीय महत्व है, विदेशी समाचारों की तुलना में अधिक प्रचार करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) प्रेस रिपोर्टों के अनुसार एडीटर्स गिल्ड आफ इंडिया ने 1 अगस्त, 1985 से 10 अगस्त, 1985 तक की 10 दिन की अवधि के दौरान आकाशवाणी, दूरदर्शन और चार राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों की 10 मुख्य समाचार कहानियों के आकलन से युक्त "न्यूज कवरेज एण्ड वैल्यूज इन आफिशियल मीडिया" नामक एक अध्ययन किया। गिल्ड ने रिपोर्ट की कोई प्रति मंत्रालय को उपलब्ध नहीं की है। तथापि, इस विषय पर प्रेस में छपी रिपोर्टों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि आकाशवाणी, दूरदर्शन और चार राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों ने कस्बों और गांवों की उपेक्षा करते हुए दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से समाचारों को अधिक स्थान दिया। उसने यह भी टिप्पणी की कि भारत में निर्गम होने वाले समाचारों की अपेक्षा विदेशी समाचारों को अधिक कवरेज दिया जा रहा है उसने समाचार माध्यमों का राजनीति से सम्बद्ध होने का भी उल्लेख किया। अध्ययन में प्रकट सूचना अंतरालों को कवर करने के लिए समाचार मूल्यों पर चर्चा करने और संवाददाताओं को प्रशिक्षण देने आदि के लिए पत्रकारों और उनके व्यावसायिक संगठनों द्वारा जल्दी ही एक राष्ट्रीय बहस (डिबेट) करने की मांग की गई। इस मंत्रालय में इन संगठनों द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ग) विषय के समाचारिक मूल्य, श्रोताओं की रुचि, आदि के आधार पर दूरदर्शन के समाचारों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के बीच उचित संतुलन बनाए रखा जाता है। दूरदर्शन में लगभग 70 प्रतिशत समाचार भारतीय मूल के होते हैं तथा राष्ट्रीय घटनाओं से सम्बन्धित होते हैं।

(घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा देश के विभिन्न भागों से प्रकट होने वाली सामग्री को यथासम्भव अधिक से अधिक सम्मिलित करने के लिए विवेकपूर्ण कदम उठाया जाता है। आकाशवाणी का भारत में 80 से अधिक नियमित संवाददाताओं और 190 से अधिक अंशकालिक संवाददाताओं का दल है। आकाशवाणी की सातवीं योजना में यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक राज्य/संघशासित क्षेत्र की राजधानी में समाचारों के बनने आदि को ध्यान में रखते हुए जिलों के समूहों के लिए अनुबंधित किए जा रहे संवाददातों के साथ एक वरिष्ठ संवाददाता होगा। जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, हाल ही में उठाए गए कुछ कदम निम्न प्रकार हैं :— (1) फुटकर संवाददाताओं को देश के दूरवर्ती भागों से महत्वपूर्ण कहानियां संकलित करने के लिए उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु भुगतान की दरें बढ़ा दी गई हैं, और (2) कुछ समाचार एजेंसियों को भुगतान की विशेष दर पर अधिक समाचार महत्व की कहानियों में योगदान देने के लिए सूची में सम्मिलित किया गया। इसके अलावा दूरदर्शन के समाचार कार्यालय को पूर्णतः पुनर्गठित करने और सुदृढ़ करने का भी निर्णय लिया गया है।

"न्यूजलाइन" कार्यक्रम का प्रसारण

7937. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर प्रसारित किये जाने वाले सामयिक चर्चा कार्यक्रमों के बारे में दूरदर्शन की नीति क्या है;

(ख) क्या इन कार्यक्रमों पर अधिक नियंत्रण लागू किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या दूरदर्शन द्वारा आई० टी० वी० के "न्यूजलाइन" कार्यक्रम के प्रसारण के अनुबंध को बढ़ाया नहीं जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सामयिक मामलों के कार्यक्रमों का नियोजन सामयिक मुद्दे को गहराई से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है।

(ख) जी, नहीं। मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उचित और संतुलित कार्यक्रमों की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) 'न्यूजलाइन" के लिए कान्ट्रेक्ट को दूरदर्शन द्वारा पूरा कर दिया गया था, क्योंकि प्रस्ताव केवल 13 कार्यक्रमों के लिए ही था।

[हिन्दी]

पत्रकारिता को बढ़ावा देना

7938. **श्री कुंवर राम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों की भाषा-वार संख्या कितनी है और उनकी कुल जनसंख्या की तुलना में उनकी भाषा के कितने दैनिक समाचार-पत्रों के परिचालन का क्या अनुपात है; और

(ख) सरकार ने उन भाषाओं में पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए जिनमें दैनिक समाचार-पत्रों की संख्या उस भाषा को बोलने वालों की कुल संख्या की तुलना में कम है, कौन से दीर्घावधि कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में विभिन्न भाषा-भाषी लोगों की संख्या संलग्न विवरण-एक में दी गई है। 1981 की जनगणना के भाषा-आंकड़े तैयार हो रहे हैं। सरकार विभिन्न श्रेणियों में प्रसार संख्या के अनुपात से संबंधित आंकड़े नहीं रखती। तथापि, विभिन्न भाषाओं के समाचारपत्रों की प्रसार संख्या संलग्न विवरण-दो में दी गई है।

(ख) सरकार ने लघु तथा मझोले समाचारपत्रों के संवर्धन के लिए उन्हें कई सुविधाएं जो संलग्न विवरण-तीन में दी गई है। इन समाचारपत्रों में से अधिकांश समाचारपत्र विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। तथापि, प्रेस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपनी नीति के अनुरूप, सरकार का किसी भी भाषा विशेष मे प्रत्यक्ष रूप से कोई समाचारपत्र शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-एक

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं के हिसाब से जनसंख्या का वितरण (प्रत्येक के अन्तर्गत समूहीकृत मातृभाषाओं सहित);

भाषा	1971 की जनगणना के अनुसार बोलने वालों की संख्या
1. असमिया	8,959,558
2. बंगला	44,792,312
3. गुजराती	25,865,012
4. हिन्दी	208,514,005
5. कन्नड़	21,710,649
6. कश्मीरी	2,495,487
7. मलयालम	21,938,760
8. मराठी	41,765,190
9. उड़िया	19,863,198
10. पंजाबी	14,108,143
11. संस्कृत	2,212
12. सिंधी	1,676,875
13. तमिल	37,690,106
14. तेलुगु	44,756,923
15. उर्दू	28,620,895
कुल :	522,759,625

विवरण-दो

क्रम० संख्या	समाचारपत्रों की भाषा	समाचारपत्रों की संख्या	प्रसार संख्या (हजार में)
1.	हिन्दी	554	5,424
2.	अंग्रेजी	138	3,582
3.	असमिया	3	123
4.	बंगला	52	1,197
5.	गुजराती	41	1,226
6.	कन्नड़	93	627
7.	कश्मीरी	—	—
8.	मलयालम	118	1,586
9.	मराठी	132	1,417
10.	उड़िया	17	342
11.	पंजाबी	29	387
12.	संस्कृत	2	2
13.	सिंधी	7	35
14.	तमिल	113	1,126
15.	तेलुगु	42	485
16.	उर्दू	182	1,057
17.	द्विभाषी	35	41
18.	बहुाभषी	6	2
19.	अन्य	42	68
	कुल :	1,609	18,727

विवरण-तीन

"लघु" तथा मझोले समाचारपत्रों को दी जाने वाली सुविधाओं को दर्शाने वाला विवरण

(क) समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं :

इस समय लघु और मझोले समाचारपत्रों को अखबारी कागज के आबंटन आदि के बारे में निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध हैं :

(1) उन समाचारपत्रों को अखबारी कागज शीटों में सप्लाई किया जाता है जो शीटफैड

मशीन पर मुद्रित होते हैं। यदि शीटें उपलब्ध नहीं होतीं तो रीलों को शीटों में बदलने के लिए उनको उनकी हकदारी का 5 प्रतिशत अतिरिक्त दिया जाता है;

(2) 300 मी० टन से कम की हकदारी वाले समाचारपत्रों को आयातित या स्वदेशी अखबारी कागज भागों ये या एक ही बार प्राप्त करने का विकल्प दिया जाता है;

(3) 50 टन तक की हकदारी वाले समाचारपत्रों के लिये प्राधिकरण की वैध अवधि छः महीने है, जबकि अन्यों के मामले में यह 3 महीने है। इस रियायत से अधिकांश लघु समाचार पत्र सुविधाजनक तथा चरणबद्ध ढंग से अखबारी कागज ले सकते हैं;

(4) अखबारी कागज के आबंटन के लिये आवेदन करते समय 2000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाल उघु समाचारपत्रों द्वारा सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र दिया जाना अपेक्षित नहीं है;

(5) 5000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले लघु समाचारपत्रों को, अखबारी कागज की हकदारी की गणना करते समय, निःशुल्क वितरित, बिना बिक्री वापस या मुद्रित परन्तु न तो बिक्री और न ही निःशुल्क वितरित की गई प्रतियों का 10 से 20 प्रतिशत तक के बीच एलाउंस दिया जाता है तथा 5000 प्रतियों और 10,000 प्रतियों के बीच की प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्रों को 10 से 15 प्रतिशत तक एलाउंस दिया जाता है अन्य के मामले में, यह प्रतिशतता केवल 5 से 10 तक है;

(6) सरकार आयातित किस्म के अखबारी कागज पर 825.00 रुपये प्रति मी० टन की दर से सीमा शुल्क ले रही थी। जबकि लघु समाचारपत्रों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई और मझोले समाचारपत्रों को केवल 275 रु० प्रति मी० टन की ही दर से सीम' शुल्क देना था। तथापि, उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णय के परिणामस्वरूप, बड़े समाचारपत्रों से इस समय अंतिम आधार पर 550 रु० प्रति मीट्रिक टन की दर से सीमा शुल्क लिया जा रहा है।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा दी जाने वाली सुविधायें :

भारत सरकार की मौजूदा विज्ञापन नीति के अन्तर्गत, भाषायी समाचारपत्रों आदि को सामान्य रूप से तथा "लघु" तथा मझोले समाचारपत्र को विशेष रूप से निम्नलिखित सुविधायें दी गई हैं :

(1) बिक्रीत प्रसार संख्या की सामान्य पत्रिका प्रति अंक 1000 प्रतियां हैं। तथापि निम्नलिखित के मामलों में छूट अनज्ञेय है :

(क) विशिष्ट/वैज्ञानिक/तकनीकी पत्रिकाएं, जिनकी बिक्रीत प्रसार संख्या कम से कम 500 प्रतियां प्रति अंक हो;

(ख) संस्कृत के समाचारपत्र/पत्रिकाएं और पिछड़े, सीमावर्ती या दूरवर्ती क्षेत्रों में अथवा आदिवासी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले या मुख्य रूप से आदिवासी पाठकों के लिये अभिप्रेत पत्रिकाएं, जिनकी न्यूनतम बिक्रीत प्रसार संख्या 500 प्रतियां प्रति अंक हो।

(2) मुद्रिण स्थान के मामले में भी आदिवासी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले मुख्यतया आदिवासी पाठकों के लिये अभिप्रेत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का छूट अनुज्ञेय है।

(3) 2,000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को सनदी लेखाकार, आदि से प्रसार संख्या का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा से छूट है।

(4) विज्ञापन दरों को नियत करने के मामले में दरों की समानता है अर्थात अंग्रेजी समाचारपत्रों तथा भाषायी समाचारपत्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाता। तथापि, 10,000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले भाषायी पत्र/पत्रिकाओं को अंग्रेजी की इसी प्रकार के पत्र/पत्रिकाओं से उच्च बुनियादी दर मिलती है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की माध्यम सूची में शामिल बड़ी संख्या में लघु पत्र/पत्रिकाएं इस श्रेणी में आती हैं।

(ग) पत्र सूचना कार्यालय द्वारा दी जाने वाली सुविधायें :

पत्र सूचना कार्यालय लघु और मझोले समाचारपत्रों को देश के विभिन्न भागों में विकासीय गतिविधियों की प्रारंभिक जानकारी कराने के विचार से, प्रायोजित यात्राओं में इन समाचारपत्रों को विशेष प्रतिनिधित्व देने के अलावा, समाचारों, फोटो, आदि जारी करने से संबंधित अनेक सेवाएं समय समय पर उपलब्ध करता है। "लघु" तथा "मझोले" समाचारपत्रों को अधिक सुविधा देने के लिये प्रत्यायन नियमों को भी उदार बनाया गया है।

इंदिरा गांधी आवास योजना के अन्तर्गत राजस्थान को धनराशि का नियतन

7939. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम तथा "हुडको" द्वारा दी गई सहायया/ऋणों से राज्य-वार मकानों के निर्माण की योजना क्या है और उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इन्दिरा गांधी आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 के दौरान राजस्थान को कुल कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी; और

(ग) क्या आवास सुविधा की दृष्टि से राजस्थान अत्यन्त पिछड़ा राज्य है और यदि हां, तो क्या धनराशि के आवंटन के समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाएगा ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जीवन बीमा निगम एवं "हुडको" द्वारा मकानों के निर्माण के लिये राज्यों को ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा सामान्य एवं ग्रामीण आवासों के लिए दी गई ऋण की राशि नीचे दर्शाई गई :

	सामान्य	ग्रामीण	कुल
	(लाख रुपये में)		
1984-85	190.00	30.00	220.00
1985-86	214.00	30.00	244.00

हुडको द्वारा इन दो वर्षों हेतु शहरी एवं ग्रामीण आवासों के लिये दी गई ऋण सहायता की राशि नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	शहरी	ग्रामीण	कुल
1984-85	28.16	2.45	30.61
1985-86	21.84	0.00	21.84

(ख) 1986-87 के लिए राजस्थान को इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 487.00 लाख रुपये का अन्तिम आवंटन किया गया है।

(ग) इंदिरा आवास योजना के एक प्लान योजना है। इसलिये, राज्यों को निधियों का आवंटन निर्धारित मानदण्ड के अनुसार किया जाता है। इस मानदण्ड के अनुसार, 50 प्रतिशत महत्व कृषि मजदूरों, सीमान्त किसानों एवं सीमान्त मजदूरों और 50 प्रतिशत महत्व निर्धनता के मामलों को दिया जाता है। राजस्थान को इस फार्मूला के अनुसार ही अपने हिस्से की राशि मिलेगी।

[अनुवाद]

चिकमगलूर में पेयजल पूर्ति योजना

7940. कुमारी डी० के० ताराबेवी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने चिकमगलूर जिले में पेयजल पूर्ति के लिए आधार शिला रखी थी;

(ख) परियोजना का आकार और लागत क्या है;

(ग) क्या यह योजना कार्यान्वित की गई है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यह योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी; और

(ङ) क्या सरकार इस योजना का वित्त पोषण करेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कर्नाटक शासन ने सूचित किया है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने चिकमगलूर जलपूर्ति योजना का शिलान्यास किया था।

(ख) इस योजना की अनुमानित लागत लगभग 50.00 करोड़ रुपये थी।

(ग) जी, नहीं। कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि इस योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका क्योंकि यह लागत अत्याधिक है और यह योजना मितव्ययिता की दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

गोविन्दपुरी, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले

7941. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोविन्दपुरी में मैन रोड के साथ लगी दिल्ली विकास प्राधिकरण की काफी भूमि पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन अवैध कब्जा करने वाले लोगों को सरकारी भूमि से हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इन झुग्गी निवासियों की संख्या अत्यधिक है और उनके स्थानान्तरण के लिए तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायता

7942. श्री डी० बी० पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मंजूर की गई तथा खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आदिवासी सहकारी समितियों को सहायता देता है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1983-84 से 1985-86 के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में सहकारी समितियों के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मंजूर की गई तथा निर्मुक्त की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(रकम लाख रुपये में)

क्रम० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1983-84		1984-85		1985-86	
		स्वीकृत	निर्मुक्त	स्वीकृत	निर्मुक्त	स्वीकृत	निर्मुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	7.600	4.49	10.687	—	—	—
2.	असम	2.200	—	3.836	0.5	0.70	5.5825
3.	बिहार	21.387	—	23.27	39.44	7.50	64.706
4.	गुजरात	0.450	47.99	94.43	88.58	122.70	43.581
5.	हिमालय प्रदेश	25.500	27.73	12.165	4.925	2.50	7.2075
6.	कर्नाटक	0.390	—	—	—	4.9125	1.7052
7.	केरल	5.590	1.50	—	—	1.95	1.90
8.	मध्य प्रदेश	123.140	80.28	365.97	224.312	123.4655	90.46
9.	महाराष्ट्र	189.125	136.33	1.25	11.21	25.57	20.115
10.	मणिपुर	—	6.49	10.427	2.334	46.04	37.157
11.	मेघालय	1.700	7.20	12.65	5.82	30.87	30.87
12.	नागालैंड	—	—	—	—	4.56	—

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	उड़ीसा	4.450	—	69.016	27.393	19.71	2.12
14.	राजस्थान	22.000	49.52	73.882	14.09	31.93	48.001
15.	तमिलनाडु	9.700	1.07	2.20	6.881	—	3.133
16.	त्रिपुरा	7.900	17.84	14.02	13.902	18.78	4.10
17.	उत्तर प्रदेश	—	0.68	1.00	—	20.74	37.803
18.	पश्चिम बंगाल	6.67	6.67	17.04	8.35	5.00	29.63
19.	अन्दमान व निकोबार	0.60	—	—	1.86	5.08	5.08
20.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
21.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
22.	नाफेड	1.04	—	—	—	1.828	1.828
		429.242	360.06	711.843	448.797	473.836	409.6292

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किसानों को ऋण

7943. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विभाग बैंक का किसानों को ऋण देने में तेजी लाने का विचार है;

(ख) क्या उक्त राशि का पर्याप्त बड़ा भाग खुम्बी की खेती, मुर्गीपालन तथा दुधारू पशुओं के लिए नियत किया जाएगा;

(ग) क्या विश्व बैंक तथा यूरोपियन आर्थिक समुदाय की सहायता से चलाई जा रही राष्ट्रीय डेरी विकास की दो परियोजनाओं में लिए आधे मूल्य पर मिलने वाले अति दुधारू पशुओं की खरीद के लिए धन देने की कोई व्यवस्था नहीं है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के एकक भारतीय डेरी निगम की, जो केवल वित्त पोषी निकाय है, बैंकों में बहुत बड़ी धनराशि जमा है, जिसका ब्याज अर्जित करने के अतिरिक्त कोई उपयोग नहीं हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उसका उपयोग आपरेशन फ्लड क्षेत्रों में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दुधारू पशुओं की खरीद हेतु वित्त पोषण के लिए किया जाएगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) कृषि विकास कार्यक्रमों के लिए वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों को पुनर्वित्त मुहैया करता है। मौसमी कृषि कार्यों की ऋण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अल्पकालिक सहकारी ऋण संबंधी तन्त्र और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए उनके साधनों के पूरक के तौर पर ऋण सीमायें मंजूर की जाती हैं। कृषि के सावधिक निवेश के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) बैंकों के लिए पुनर्वित्त मुहैया करता है। उक्त दोनों कार्यों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा मुहैया की गई पुनर्वित्त की मात्रा हर वर्ष बढ़ती रहती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि ऋण को 1984-85 के लगभग 5800 करोड़ रुपये के स्तर से बढ़ाकर वर्ष 1989-90 में लगभग 14,500 करोड़ रुपए करके एक भारी वृद्धि करने की बात शामिल है। अतः, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पुनर्वित्त कार्यक्रमों को ऐसा बनाया गया है कि ऋण संबंधी बढ़ी हुई जरूरतें पूरी हो जायें।

(ख) खुम्बी की खेती, मुर्गी पालन और डेरी कार्यकलाप भी उन पात्र प्रयोजनों में शामिल हैं जिनके लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा भाग लेने वाले बैंकों को पुनर्वित्त मुहैया किया जाता है। इन कार्यकलापों के लिए ऋण संबंधी आवश्यकताओं और भाग लेने वाले बैंकों की पुनर्वित्त प्राप्त करने की पात्रता के आधार पर पुनर्वित्त मुहैया कराया जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), बैंकों द्वारा किए जाने वाले वास्तविक वितरण के आधार पर पुनर्वित्त मुहैया करता है।

(ग) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त राष्ट्रीय डेरी विकास परियोजना (824 आई० एन०) में अधिक दूध देने वाले दुधारू पशुओं को आधी कीमत पर खरीदने के लिए धन की व्यवस्था करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) भारतीय डेरी निगम (आई० डी० सी०) का कोई भी फण्ड राष्ट्रीयकृत बैंकों में नहीं फंसा हुआ है। भारतीय डेरी निगम द्वारा आपरेशन फ्लड कार्यक्रमों के अन्तर्गत फन्ड नियत किए जाते हैं और उनके वास्तविक इस्तेमाल तक, अप्रयुक्त धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखी जाती है।

चुंगी का उत्सादन

7944. प्रो० के० वी० थामस : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुंगी शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो नगरपालिकाओं की सहायता के लिए आय के कौन से वैकल्पिक उपाय सुझाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) चुंगी समाप्त करने पर स्थानीय निकायों के स्रोतों में वृद्धि करने के प्रश्न की जांच के लिए केन्द्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है। इस समिति की रिपोर्ट लगभग दो महीने में मिलने की सम्भावना है।

कर्नाटक में मकान बनाने के तरीकों संबंधी सूचना केन्द्र

7945. श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के परिवहन तथा आवास मंत्री ने कर्नाटक में एक तकनीकी केन्द्र, जो सीमित आय वाले लोगों को गांवों तथा नगरों में भवन निर्माण के तरीकों के बारे में जानकारी देगा, की स्थापना करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन का एक क्षेत्रीय ग्रामीण आवास स्कन्ध बंगलौर में पहले ही कार्यरत है जो ग्रामीण आवास में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा विस्तार कार्य करता है। वह शहरी क्षेत्रों में कम लागत के भवन निर्माण प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रचार भी करता हैं।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय परियोजनाएं

7946. डा० वी वेंकटेश : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास-विकास की कुछ परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में अभी तक पूरी नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो शुरू की गई परियोजनाओं और प्रत्येक राज्य में हुई प्रगति का ब्योरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1986-88 के दौरान ऐसी और परियोजनाएं किन स्थानों पर शुरू की जाएंगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिए आवास योजना

7947. श्री राम प्यारे पनिका : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक कर्मचारियों की बढ़ती हुई आवास आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके लाभ के लिए भविष्य निधि से सम्बद्ध कोई आवास योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के अंतर्गत कितने कर्मचारियों को आवास देने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उन भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए, जिनके खाते में भविष्य निधि की पर्याप्त राशि जमा है और उन क्षेत्रों में मकान लेने के इच्छुक हैं जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण और राज्य आवास परिषदों आदि जैसी एजेन्सियों के माध्यम से मकानों की व्यवस्था की जा सकती है, मकानों का निर्माण करवाएगा। तदनुसार, 1527 मकानों के निर्माण के लिए प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

(क) हरियाणा—फरीदाबाद में 200 मकान लगभग पूरे होने की स्थिति में है।

(ख) महाराष्ट्र—बम्बई में 1200 मकान 1987 के मध्य तक तैयार होने की आशा है।

(ग) राजस्थान—अलवर में 27 मकान शीघ्र तैयार होने की आशा है।

(घ) उत्तर प्रदेश—गाजियाबाद में 100 मकान निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने की आशा है।

अन्य राज्यों से भी अनुरोध किया गया है कि वे भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए एक विशेष योजना तैयार करें या अपने आवास परिषदों की मौजूदा योजनाओं में भविष्य निधि अंशदाताओं को मकान आबंटित करने के लिए मकानों की कुछ प्रतिशतता कम से कम अलग रखें।

इस्पात संयंत्रों को लाभ/हानि

7948. श्री प्रिय रंजन दास मंशी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 में दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात संयंत्रों में क्रमशः कितना उत्पादन, लाभ अथवा हानि हुई;

(ख) प्रत्येक संयंत्र में कितने लोग काम करते हैं और स्थापना पर हुए ऊपरि व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयंत्रों के विस्तार और आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर विचार करते समय क्या मानदण्ड अपनाये गये थे ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के

दौरान भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है—

(हजार टन)

कारखाना	1984-85 (वास्तविक)	1985-86 (वास्तविक)
भिलाई इस्पात कारखाना	1810	2055
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	621	724
राउरकेला इस्पात कारखाना	1014	1005

वर्ष 1984-85 और 1985-86 (अनुमानित) में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात कारखानों में लाभ/हानि की स्थिति इस प्रकार है—

लाभ (+)/हानि (—)
(करोड़ रुपए)

कारखाने का नाम	1984-85	1985-86 (अनुमानित)
भिलाई इस्पात कारखाना	(+) 49.27	(+) 67.0
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	(—) 53.36	(—) 34.0
राउरकेला इस्पात कारखाना	(+) 27.10	(+) 35.20

परन्तु लेखों को अन्तिम रूप देने तथा लेखा-परीक्षा के पश्चात् ही वर्ष 1985-86 के लाभ/हानि की अन्तिम स्थिति का पता चल सकेगा।

(ख) 31-3-85 तथा 31-12-85 की स्थिति के अनुसार दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला के इस्पात कारखानों (उर्वरक कारखाना भी शामिल है) में लगी जन-शक्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

	जन-शक्ति	
	31-3-85 को	31-12-85 को
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	34905	34820
भिलाई इस्पात कारखाना	64729	65811
राउरकेला इस्पात कारखाना	39827	39561

भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के इस्पात कारखानों के बारे में उपरि खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

(करोड़ रुपए)

कारखाने का नाम	1984-85	1985-86 (अनुमानित)
भिलाई इस्पात कारखाना	19.00	20.76
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	11.19	12.53
राउरकेला इस्पात कारखाना	12.83	15.28

(ग) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन की योजना में इस कारखाने की इस्पात पिण्ड की 16 लाख टन स्थापित क्षमता को बनाए रखने की परिकल्पना की गई है।

भिलाई इस्पात कारखाने के आगे विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु "सेल" 40 लाख टन स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कठिनाइयों को दूर करने तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन की विशिष्ठ योजनाएं तैयार कर रही है।

"सेल" 18 लाख टन स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए राउरकेला इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन की योजना तैयार कर रही है। परन्तु "सेल" मिलों की निर्मित क्षमता का उपयोग करने के लिए इस योजना की समीक्षा कर रही है।

दिल्ली में उन कर्मचारियों से, जिनके अपने मकान हैं, सरकारी आवास वापिस लिया जाना

7949. **श्री राम स्वरूप राम :**
श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल सरकारी कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सरकारी क्वार्टर दिए गए हैं;

(ख) क्या बड़ी संख्या में ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, जिनके दिल्ली में अपने फ्लैट अथवा मकान हैं, सरकारी आवास दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और

(घ) क्या ऐसे कर्मचारियों से, जिनके पास दिल्ली में अपने अथवा अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम में मकान हैं, सरकारी आवास वापिस लेने का कोई प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1984 में मांगे गए सीमित आवेदनों के आधार पर दिल्ली में रह रहे सरकारी कर्मचारियों के 49.2 प्र० श० की कुल 1,36,221 की मांग की तुलना में सरकारी क्वार्टर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। 3399 अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिनके दिल्ली में अपने मकान हैं, सामान्य पूल से रिहायशी वास आबंटित किए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

तालचेर उर्वरक कारखाने में दुर्घटनायें

7950. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालचेर उर्वरक कारखाने में जनवरी, 1985 से अब तक कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे;

(ग) इन दुर्घटनाओं के कारण कितनी हानि हुई;

(घ) इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) जनवरी, 1985 से तालचर उर्वरक संयंत्र में तीन उल्लेखनीय दुर्घटनाएं हुई हैं। ये दुर्घटनाएं नाले में नेफथा के बाह्य प्रवाह के परिणामस्वरूप फैक्टरी परिसर के बाहर आग लगने, दोषपूर्ण फलेंज में से गैस के रिसाव तथा अमोनिया रिएक्टर से सिन्थेसिस गैस के रिसाव के कारण आग लगने के कारण हुई।

(ग) लगभग 24,000 टन यूरिया की उत्पादन हानि के अतिरिक्त, लगभग 11 लाख रुपए की हानि मरम्मत एवं माल के बेकार हो जाने के कारण हुई। इसके अतिरिक्त, प्रथम दुर्घटना अर्थात् नेफ्था के बाह्य प्रवाह के कारण आग लगने के परिणामस्वरूप एक ग्रामवासी की मृत्यु हो गई।

(घ) और (ङ) प्रत्येर मामले में जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारी उपाय सुझाने हेतु विस्तृत जांच पड़ताल की गई है। इस दौरान दो वरिष्ठ इंजीनियरों को आरोप पत्र दिए गए हैं तथा एक अन्य को निलम्बित कर दिया गया है।

उपचारी उपायों के संबंध में, नेफ्था के बाह्य प्रवाह से बचने के लिए उपकरण एवं विद्युत पद्धतियों में कुछ सुधार किए गए हैं, अमोनिया कन्वर्टर टॉप गैस केट के डिजाइन में सुधार लाने के बारे में जांच की जा रही है तथा विषैली गैसों के रिसाव की सम्भावनाओं को न्यूनतम करने के लिए कम्पनी द्वारा कार्यवाही की गई है। संयंत्र प्रबन्ध द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं कि किसी अनधिकृत व्यक्ति को कारखाने में प्रविष्ट होने तथा निर्धारित सुरक्षा उपायों के बिना कार्य करने की अनुमति न दी जाए।

दिल्ली में मकान के निर्माण में गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव

7951. **श्री पी० कुलनदई वेलु** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मकानों में निर्माण में गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या यह सरकार की नीतियों के अनुरूप है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गांधी फिल्म का प्रसारण

7952. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन की उच्च कलात्मक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संदेश की सार्थक फिल्मों को टेलिविजन पर दिखाने की प्रथा है;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन का एटनबरो की "गांधी" फिल्म जिसमें गांधी को हर प्रकार के अन्याय के प्रति शक्तिशाली विरोधी के रूप में प्रतिबिम्बित किया गया है, को दूरदर्शन पर दिखाने का विचार है; और

(ग) क्या नवयुवकों के लाभ के लिए विशेषकर विभिन्न-शिक्षा संस्थाओं में इस फिल्म को दिखाने के लिए विशेष प्रयास किए जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। दूरदर्शन टेलीकास्ट करने के लिए इस फिल्म को प्राप्त करने हेतु अधिकार धारकों के संपर्क में है।

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, सिवाए इसके कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों ने कुछ शैक्षणिक संस्थानों में इस फिल्म का प्रदर्शन किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस फिल्म को हाल ही के भूतकाल में भारत के सिनेमाघरों में वाणिज्यिक रूप से पहले ही प्रदर्शित किया जा चुका है।

नये विपणन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव

7953. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान विपणन केन्द्र खोलने के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर सरकार का इस प्रकार के केन्द्र शुरू करने का विचार है और उनके मुख्य क्रियाकलाप क्या होंगे; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी होगी ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत विपणन केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा के क्योंझर जिले में ठकुरानी लौह अयस्क खान

7954. **श्री हरिहर सोरन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले में ठकुरानी लौह अयस्क खान में किसी भी प्रकार के कार्य को गैर-सरकारी ठेकेदारों से करवाने को समाप्त करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) ठकुरानी लौह अयस्क खान से गैर-सकारी ठेका प्रणाली को कब तक समाप्त किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड ने वर्तमान परिचालनों का अध्ययन करने तथा खानों और सुविधाओं के पुनः स्थापन और विकास के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को सौंपा है।

इस समय न तो यह बता पाना सम्भव होगा कि खानों में गैर-सरकारी ठेका प्रणाली समाप्त की जाएगी और न ही यह बता पाना सम्भव होगा कि यह प्रणाली कब तक समाप्त की जा सकेगी।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा सफल अधिशेष बनाना

7955. **श्री के० बी० शंकर गौडा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण का विचार वर्ष 1985-86 के दौरान लगभग 1,000 करोड़ रुपए का सकल अधिशेष बनाने का था;

(ख) यदि हां, तो इतने अधिक अधिशेष उत्पादन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की क्षमता इस समय इतने अधिक अधिशेष बनाने की नहीं है; और

(घ) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण को यह निदेश दिया है कि वह अपने इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त, आंतरिक संसाधन जुटाये ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कुछ कारखानों में क्षमता के अत्यधिक उपयोग तथा काफी मात्रा में संसाधन जुटाने में कठिनाइयां मुख्यत: उपस्करों की हालत, कच्ची सामग्री (विशेषकर कोककर कोयले) की क्वालिटी तथा प्रौद्योगिकी आदि की अड़चनों के कारण हैं।

(घ) सातवीं योजनावधि के दौरान "सेल" के योजनागत-परिव्यय की व्यवस्था पूर्णतया बजट-भिन्न संसाधनों से अर्थात् अंशत: इस्पात विकास निधि से तथा अंशत: आन्तरिक संसाधनों से जुटाने के उपाय किए जा रहे हैं।

गेहूं में "कारनल बंट" रोग

7956. **डा० डी० एन० रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत 50 वर्षों के दौरान गेहूं में कभी-कभी लगने वाले "कारनल बंट" नामक रोग पर काबू पा लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी नहीं। "करनल बंट" नामक रोग पर पूरी तरह से काबू पाना संभव नहीं है क्योंकि इस रोग की विशिष्ट इटियालोजी और प्रकृति की वजह से प्रत्यक्ष रसायनिक नियंत्रण पद्धतियां प्रभावी नहीं होती हैं। तथापि, इस रोग का प्रकोप कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) कवक का प्रारंभिक निवेश-द्रव्य घटाने के लिए कवकनाशी दवाओं से बीज उपचार करना।

(2) एच० डी० 2281, एच० डी० 2285, डी० डब्ल्यू० एल०-5023 तथा पी० बी० एन० 34 (हुरम) जैसी करनल बंट के लिए गेहूं की सहनशील किस्मों का प्रयोग करना।

(3) रोगग्रस्त इलाकों से रोग मुक्त क्षेत्रों के लिए गेहूं के बीज ले जाने पर प्रतिबंध लगाना।

तिलहनों का उत्पादन लक्ष्य

7957. **श्री बी० तुलसी राम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अगले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में, तिलहनों के उत्पादन के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्योरा क्या है;

(ख) अगले तीन वर्षों में उक्त प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(ग) क्या इस योजना से सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पार किए जाने की संभावना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) योजना आयोग ने राज्य की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए गठित कार्यकारी दलों के विचार-विमर्श के आधार पर विभिन्न फसलों के उत्पादन के राज्यवार लक्ष्यों की सिफारिश की है। वर्ष 1986-87 के लिए कार्यकारी दलों द्वारा आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के लिए सिफारिश किए गए तिलहन उत्पादन के लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 1987-88 तथा 1988-89 के

तिलहन उत्पादन के लक्ष्यों को इन वर्षों के शुरू होने से पहले योजना आयोग के कार्यकारी दलों द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ख) राज्यों को तिलहन विकास के लिए वित्तीय सहायता केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना, जो तिलहन उगाने वाले 17 राज्यों में चल रही है, के जरिए दी जाती है। परियोजना में शामिल किए गए प्रत्येक राज्य को वित्तीय सहायता वर्षानुवर्ष के आधार पर दी जाती है।

(ग) अभी यह कहना संभव नहीं है कि इस योजना द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किए जाने की संभावना है।

विवरण

योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा दिए गए अंतिम रूप के अनुसार 1986-87 के दौरान तिलहन उत्पादन के लिए राज्यवार लक्ष्य

क्र०सं०	राज्य	अस्थायी उत्पादन लक्ष्य (लाख मीटरी टन)
1.	आंध्र प्रदेश	19.25
2.	असम	2.41
3.	बिहार	3.50
4.	गुजरात	24.00
5.	हरियाणा	2.62
6.	हिमाचल प्रदेश	0.16
7.	कर्नाटक	13.45
8.	मध्य प्रदेश	20.57
9.	महाराष्ट्र	16.65
10.	उड़ीसा	9.20
11.	पंजाब	1.90
12.	राजस्थान	13.00
13.	सिक्किम	0.11
14.	तमिलनाडु	17.00
15.	उत्तर प्रदेश	18.00
16.	पश्चिम बंगाल	2.60
17.	जम्मू और कश्मीर	0.70
18.	राष्ट्रीय लक्ष्य (अखिल भारत)	148.00

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं

7958. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने वर्ष 1984-85 के दौरान लाभ अजित किया था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान कितना लाभ अर्जित किया गया था और वर्ष 1985-86 के लाभ के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ग) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कौन-कौन-सी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय परियोजनाओं पर कार्य किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1984-85 के दौरान निगम ने 1.57 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। 1985-86 के लिए अर्जित करने का लक्ष्य 1.65 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) अप्रैल, 1984 से मार्च, 1986 के दौरान पूर्ण की गई परियोजनाएं।

देश में	विदेश में
1. भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण, पालम, नई दिल्ली	1. मोसुल (इराक) में होटल
2. कोमेंट प्लांट, वालयर	2. दोकन (इराक) में होटल
3. कोलाघाट (1, 2, 3)-1	3. जलशोधन संयन्त्र (इराक)
4. एमोनिया प्लांट, थाल, बम्बई	4. सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं (लीबिया)
5. आई० एस० आर० ओ०, बंगलौर	5. वीर अस्पताल (नेपाल)।

ख. निष्पादनाधीन परियोजनाएं

देश में	विदेश में
1. तेल तथा प्राकृतिक आयोग के निर्माण कार्य	1. रेलवे परियोजनाएं (इराक)
2. विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम के निर्माण कार्य	2. ग्रेन स्टोरेंज टैंक (इराक)।

3. 100 एम० जी० डी० संयन्त्र, शाहदरा, दिल्ली।	3. 120 बिस्तरों का अस्पताल (लीबिया)।
4. स्कोप, चरण-II, नई दिल्ली।	4. घाट में स्टोर तथा स्कूल (लीबिया)
5. दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्य, दिल्ली।	5. नर्स प्रशिक्षण केन्द्र (लीबिया)।
6. 3,000 टी० पी० डी० सीमेन्ट प्लांट तेन्दूर	6. बेरगेन तथा इद्री (लीबिया) में सड़कों का निर्माण।
7. टी० वी० टावर, पीतमपुरा, दिल्ली	7. डाक घर तथा टेलेक्स एक्सचेंज (लीबिया)।
8. 40 एम० जी० डी०, केशोपुरा, दिल्ली	8. संग्रहालय तथा पुस्तकालय, हेतुण्डा (नेपाल)।
9. अ० रा० बस टर्मिनस पुल, दिल्ली	9. कोहालपुर, महाकाली रोड (नेपाल)
10. कोलहैंडलिंग प्लांट, आनापार	10. धामर (वाई ए० आर०) में 774 मकान।
11. एन० टी० पी० सी० चिमनी, सिंगरौली।	
12. हाल निर्माण कार्य, कानपुर।	
13. मैट्रो परियोजना, कलकत्ता।	
14. कोलाघाट (4, 5, 6)-2	
15. नेल्को परियोजना, अन्गुल।	

टिप्पणी : उपर्युक्त सूची सांगोपांग नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संसद सदस्यों को फ्लैटों का आबंटन

7959. श्री सोमजीभाई डामर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों को निर्मित मकान आबंटित करने के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पहले कोई योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो संसद सदस्यों को कितने फ्लैट आबंटित किये गये हैं;

(ग) क्या उक्त योजना बन्द कर दी गई है, और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार संसद सदस्यों को फ्लैटों का आबंटन करने के लिए उक्त योजना को पुनः आरम्भ करने का है और यदि हां, तो कब तक ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दूरदर्शन और रेडियो नेटवर्क का विस्तार

7960. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष रूप से मणिपुर में दूरदर्शन और रेडियो नेटवर्क के लिये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे; और

(ख) यदि किसी राज्य में लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में कोई कमी रही, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) लक्ष्यों/न्यूनताओं के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, मणिपुर राज्य के बारे में छठी योजना में कोई स्कीम शामिल नहीं की गई थी तथापि, छठी योजना के दौरान, दूरदर्शन ने उखरूल तथा इम्फाल में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित किए।

विवरण

छठी योजना (1980-85) के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिए स्कीमें, निर्धारित लक्ष्य तथा उसमे न्यूनताएं

आकाशवाणी

क्रम सं०	राज्य का नाम	स्थान का नाम	छठी योजना में मुकम्मल करने के लिए स्कीम	न्यूनता के कारण
1	2	3	4	5
1.	असम	1. डिब्रूगढ़	100 कि० वाट० मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 300 किलोवाट मीडियम वेव करना।	मस्तूल की विलंब से प्राप्ति।
		2. गोहाटी	10 किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर के स्थान पर 50 किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर लगाना	स्थल पर ट्रांसमीटर उपकरणों की विलंब से प्राप्ति।
2.	मेघालय	1. शिलांग	1. 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 100 किलोवाट मीडियम वेव करना।	

1	2	3	4	5
			2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए नई एकीकृत सेवा के लिए 50 किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर की स्थापना करना।	ट्रांसमीटर उपकरणों की देरी से प्राप्ति।
		2. तुरा	20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर के साथ नया रेडियो स्टेशन स्थापित करना।	
3.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर के साथ नया रेडियो स्टेशन।	
4.	मिजोरम	ऐजवाल	स्थायी स्टूडियो टाइप-2	

दूरदर्शन

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मौजून्दा दूरदर्शन केन्द्र (28.4.86 के दिन की स्थिति के अनुसार)	छठी योजना के अंग के रूप में कार्यान्वयनाधीन दूरदर्शन केन्द्र
1	2	3	4
1.	असम	गोहाटी में उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाला स्टूडियो केन्द्र (अंतरिम)। सिल्चर. डिब्रूगढ़, नाजिरा तथा तेजपुर में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर।	छठी योजना के अंग के रूप में गोहाटी में स्थायी स्टूडियो केन्द्र। उत्तर-पूर्वी स्कीम के अंग के रूप में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र। जोरहाट तथा दीपू में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर। सिल्चर तथा डिब्रूगढ़ में मौजूदा अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के स्थान पर कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं के साथ उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाले ट्रांसमीटर।

1	2	3	4
2. मेघालय		तुरा तथा शिलांग में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर।	तुरा में कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं के साथ उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर तुरा और शिलांग में मौजूदा अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर शिलांग में कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं के साथ उच्च शक्ति (1 किलोवाट) वाला ट्रांसमीटर।
3. मणिपुर		इम्फाल और उखरूल में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर।	इम्फाल में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं के साथ उच्च शक्ति (1 किलोवाट) वाला ट्रांसमीटर।
4. नागालैंड		कोहिमा में अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर।	कोहिमा में मौजूदा अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं के साथ उच्च शक्ति (1 किलोवाट) वाला ट्रांसमीटर। दिमापुर तथा खेनआंग में अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर।
5. त्रिपुरा		अगरतला में अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर।	अगरतला में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाला ट्रांसमीटर।

1	2	3	4
6.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर में अल्प शक्ति वालाट्रांसमीटर।	इटानगर में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं के साथ उच्च शक्ति (1 किलोवाट) वाला ट्रांसमीटर। तेजु और पासीघाट में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर।
7.	मिजोरम	ऐजवाल में अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर।	ऐजवाल में मोजूदा अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं के साथ उच्च शक्ति (1 किलोवाट) वाला ट्रांसमीटर।

टिप्पणी : गोहाटी में स्थायी दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र के 1987-88 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है। सादे के बजाए रंगीन में प्रचालन के कारण परियोजना के क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इसके चालू होने में कुछ देरी हुई है।

अगरतला में उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाला ट्रांसमीटर, कोहिमा तथा डिब्रूगढ़ में उच्च शक्ति (1 किलोवाट) वाले ट्रांसमीटर के 1986-87 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है। स्थान की उपलब्धता तथा टावर को खड़ा करने में देरी के कारण अगरतला में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर के चालू होने में कुछ देरी हुई है।

उपरिलिखित शेष स्कीमों के 1987-88 के अन्त तक चालू हो जाने की उम्मीद है। गोहाटी में दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र को छोड़कर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की शेष स्कीमें, मार्च, 1984 में स्वीकृत की गई थीं।

महिला विकास अध्ययन केन्द्र को प्लाट का कब्जा दिया जाना

7961. डा० फूलरेणु गुहा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने मार्च, 1984 में महिला विकास अध्ययन केन्द्र को उसके कार्यालय भवन के निर्माण के लिए मार्केट रोड, नई दिल्ली में इन्स्टीट्यूशनल एरिया में 777.33 वर्ग गज भूमि का एक प्लाट आबंटित किया था;

(ख) क्या महिला विकास अध्ययन केन्द्र ने मन्त्रालय की मांग के अनुसार लाइसेंस शुल्क जमानत राशि और उस पर बनी संरचना के लिए अपेक्षित राशि की अदायगी कर दी थी;

(ग) यदि हां, तो इस केन्द्र को अब तक प्लाट का वास्तविक कब्जा न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस केन्द्र को भूमि के प्लाट का कब्जा कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) तथापि, भूमि का कब्जा नहीं किया जा सका क्योंकि इस भूमि में एक बंगला है जिसे खाली कराया जाना है और गिराया जाना है। विद्यमान आबंटी को सम्पदा निदेशालय द्वारा वैकल्पिक वास की पेशकश की जा रही है। जैसे ही यह भूमि उपलब्ध हो जायेगी वैसे ही इसका कब्जा आबंटी संस्थान को दे दिया जायेगा।

सुरक्षा तथा स्वास्थ्य दुर्घटना ह्रास योजना (सेफ्टी एण्ड हेल्थ एक्सिडेंट रिडक्शन प्लान)

7962. **श्री के० राममूर्ति :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सभी उर्वरक कंपनियों को अपने संयंत्रों की सुरक्षा संबंधी लेखापरीक्षा करने और सरकार को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने सुरक्षा तथा स्वास्थ्य दुर्घटना ह्रास योजना (सेफ्टी एण्ड हेल्थ ऐक्सिडेंट रिडक्शन प्लान) तैयार की है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों ने इस योजना को कार्यान्वयन हेतु स्वीकार किया है और किन-किन उर्वरक कंपनियों ने सुरक्षा संबंधी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) "सुरक्षा और स्वास्थ्य दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यवाही योजना (एस० ए० एच० ए० आर० ए०) श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार की गयी थी और 3 जुलाई, 1985 को केन्द्रीय श्रमिक तथा नियोजक संगठनों को परिचालित की गयी थी। इस योजना में उन औद्योगिक उपक्रमों में दुर्घटना और स्वास्थ्य और जोखिमों से बचने के लिए नियोजकों, श्रमिकों तथा राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही दी गयी है जहां खतरनाक उत्पादन प्रक्रियाएं चलायी जाती हैं।

(ग) यह एक स्वैच्छिक योजना है तथापि राज्य सरकारें को इस योजना के अनुपालन के लिए उचित अनुवर्ती कार्यवाही करने की सलाह दी गयी है। निम्नलिखित उर्वरक कम्पनियों ने सुरक्षा जैसे सम्बन्धी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है।

(क) मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (एम० सी० एफ०)

(ख) साउथर्न पेट्रो कैमिकल्स इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन (एस० पी० आई० सी०)

(ग) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोपरेटिव लि० (इफको)

(घ) कोरोमंडल फर्टिलाइजर लि०

(ङ) इंडियन एक्सप्लोसिव्स लि० (आई० ई० एल०)

(च) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (आर० सी० एफ०)

[हिन्दी]

योजना विहार काम्पलैक्स में विपणन सुविधाएं

7963. **श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सहकारी समितियों को आबंटित भूमि पर उनके द्वारा बनाई गई कालोनियों में मार्किटों के निर्माण के संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) ऐसी कालोनियों की आबादी बहुत बढ़ चुकने के बाद भी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी कालोनियों में विपणन सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यमुना पार की सामूहिक आवास समितियों की कालोनियों में, विशेषकर योजना विहार कम्पलैक्स में समुचित विपणन सुविधायें कब तक उपलब्ध कर दिए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि पर विभिन्न सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा विकसित कालोनियों में विपणन केन्द्रों के निर्माण के सम्बन्ध में डी० डी० ए० ने कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये हैं।

(ख) पद्धति के अनुसार, जैसे ही आबंटी मकानों का निर्माण आरम्भ करते हैं, वैसे ही विपणन केन्द्रों की योजना भी आरम्भ की जाती है । जिस समय तक लगभग 50 प्रतिशत मकानों का निर्माण हो जाता है, तभी विपणन केन्द्रों के निर्माण का कार्य भी आरम्भ कर दिया जाता है ।

(ग) यमुना पार क्षेत्र में विभिन्न सहकारी ग्रुप आवास समितियों में, अधिकार विपणन केन्द्रों के नक्शे पहले ही बना लिये गये हैं, जिनमें से अधिकांश या.तो निर्माणाधीन हैं या उनका निर्माण कर दिया गया है। योजना विहार परिसर के मामले में, दो विपणन केन्द्रों की योजना बनाई गई है, जिनका निर्माण कार्य का शीघ्र ही आरम्भ करने और चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक इनके पूर्ण होने की आशा है ।

राज्यों को उर्वरकों के आबंटन संबंधी नीति

7964. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत उर्वरकों के आबंटन के संबंध में केन्द्रीय सरकार की नीति क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में कृषि के अंतर्गत कितनी भूमि को और इस अवधि के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत उन्हें उर्वरकों का कितना आबटन किया गया ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिन्स बोर्ड की उर्वरक संबंधी आवश्यकताओं के बारे में मौसम से काफी पूर्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/जिन्स बोर्डों के परामर्श से प्रत्येक मौसम के लिए मूल्यांकन किया जाता है। इन आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित घटकों पर विचार किया जाता है—

(1) गत मौसम के दौरान खपत

(2) विभिन्न फसलों के अन्तर्गत सिंचित और असिंचित क्षेत्र

(3) किसानों द्वारा उपयोग की गई औसत मात्रा

(4) सस्य पद्धति

(5) अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के अन्तर्गत कवर किया गया क्षेत्र; और

(6) राज्य में फसल उत्पादन कार्यक्रम और उर्वरक खपत का सम्भावित वार्षिक वृद्धि दर।

(ख) वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक के वर्षों के लिए प्रमुख राज्यों में बोये गये निवल क्षेत्र के बारे में नवीनतम उपलब्ध आंकड़े और इन वर्षों में उर्वरकों की खपत संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान इन राज्यों में उर्वरकों की खपत के आंकड़े भी विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	अनन्तिम निवल क्षेत्र (हजार हैक्टेयर में)			उर्वरकों की खपत (हजार मीटरी टन एन+पी+के)				
		1980-81	1981-82	1982-83	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	12281	13047	12769	576	656	726	909	980
2.	असम	3373	3439	3556	9	11	13	17	14
3.	बिहार	11148	10628	9641	204	205	204	292	382
4.	गुजरात	10695	10903	10189	357	401	386	502	505
5.	हरियाणा	5462	5826	5306	231	252	263	326	337
6.	हिमाचल प्रदेश	946	949	958	15	18	18	19	22
7.	जम्मू एवं कश्मीर	974	978	1002	21	22	32	17	29
8.	कर्नाटक	10660	11228	11151	344	384	401	487	591
9.	केरल	2863	2905	2862	98	95	108	129	128
10.	मध्य प्रदेश	21402	21756	22215	197	236	243	315	373
11.	महाराष्ट्र	20133	20386	19957	421	529	506	442	581
12.	उड़ीसा	8746	8744	8326	76	82	89	103	114
13.	पंजाब	6763	6929	6915	754	820	886	992	1048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	राजस्थान	17350	18596	18395	135	138	115	210	207
15.	तमिलनाडु	6469	6909	6030	491	513	465	587	691
16.	उत्तर प्रदेश	24574	24773	24708	1151	1270	1427	1643	1613
17.	पश्चिमी बंगाल	7621	7402	7004	283	258	262	369	406
18.	अन्य	1637	1644	1652	152	174	244	151	190
	अखिल भारत	173096	177042	172636	5516	6064	6388	7710	8211

[अनुवाद]

राज्यों की मांग पूरी करने के लिए 'हुडको' की निधियों के आबंटन में वृद्धि

7965. **श्री अहमद एम॰ पटेल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य आवास बोर्डों ग्रामीण आवास बोर्डों और राज्यों की गन्दी बढ़ती सफाई बोर्डों ने हुडको को अपनी योजनाएं भेजी हैं जो धनराशि के अभाव में लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1986 को ऐसी मांगों की राज्यवार संख्या क्या है जो निधियों के अभाव के कारण अभी तक पूरी नहीं की गई हैं; और

(ग) ऐसी मांगें पूरी करने हेतु 'हुडकों' के लिए निधियों के आबंटन में वृद्धि करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हुडको को छठी योजनावधि के दौरान नियतित 50.00 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 60.00 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई गई है।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी दर

7966. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबन्धाधीन कुल कितने ठेकेदार कार्य कर रहे हैं और इन ठेकेदारों के अधीन कुल कितने ठेका श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ठेका श्रमिक दोनों प्रकार के निर्माण और उत्पादन कार्यों में लगे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्पादन कार्य में लगे ठेका श्रमिकों को बिहार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है। जबकि ये केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित, न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने के हकदार हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें उचित मजदूरी देना सुनिश्चित करने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 31-3-1986 की स्थिति के अनुसार बोकारो इस्पात कारखाने (इसकी गृहीत खानें भी शामिल हैं) में 367 ठेकेदार कार्यरत हैं तथा उन्होंने 8798 ठेका श्रमिकों को काम पर लगाया है।

(ख) और (ग) बोकारो इस्पात कारखाने में निर्माण कार्यों के साथ-साथ कार्य क्षेत्रों में परिचालन कार्यकलापों से सम्बन्धित सफाई, परिवहन आदि जैसे कार्यों के लिए ठेका श्रमिकों को लगाया जाता है।

चूंकि राज्य-सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी नियत करने के लिए उपयुक्त सरकार है अतः बोकारो स्टील सिटी तथा भवनाथपुर की खानों, कोटेश्वर की खानों, मेघाटाबुरू तथा किरीबुरु लौह अयस्क की खानों में निर्माण कार्यों में लगे ठेका श्रमिकों को सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मजूरी दी जाती है।

भवनाथपुर, कोटेश्वर तथा तुलसीडामर की चूना पत्थर की खानों में खनन कार्यों में लगे श्रमिकों, जिनके मामले में केन्द्र सरकार उपयुक्त सरकार है, को मजूरी का भुगतान त्रिपक्षीय तथा द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार उत्पादकता से सम्बद्ध उजरती तौर पर किया जाता है और इस प्रकार की मजूरी केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की तुलना में अधिक है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकार द्वारा दिल्ली में बदरपुर की खानों का अधिग्रहण

7967. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दिल्ली में बदरपुर की कुछ खानों का अधिग्रहण किया गया है

(ख) यदि हां, तो कितनी खानों का अधिग्रहण किया गया है;

(ग) अधिग्रहण के समय उक्त खानों की दशा कैसी थी; और

(घ) इन खानों का अधिग्रहण किये जाने के क्या कारण हैं?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) माटी की लाल बजरी खानों का सरकार ने नवम्बर, 1975 में अधिग्रहण किया था। अधिग्रहण के समय लगभग 300 चालू/छोड़ी हुई खदानें थीं।

(ग) और (घ) इन खानों की हालत बहुत खतरनाक थी, जिसके फलस्वरूप कई घातक दुर्घटनायें हुई थीं। असुरक्षित दशाओं को देखते हुए ये खानें गम्भीर चिंता का कारण बन गई थीं, इसलिए उन खानों का खनन कार्य दिल्ली प्रशासन द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को बकरियों, भेड़ों आदि का वितरण

7968. कुमारी पुष्पा देवी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित उन विभिन्न योजनाओं के नाम क्या हैं जिनके अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को बकरियां, भेड़ें, सुअर और अन्य पशुओं का वितरण किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकारी एजेंसियां इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रख रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रमों में कार्यान्वयन के बारे में इनके द्वारा यदि कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है तो वह क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित ऐसी कोई पृथक् योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को बकरी, भेड़, सूअर और अन्य पशु वितरित किये जाते हों। तथापि, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भेड़, बकरी, सूअर और अन्य पशु इकाईयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के चुनिन्दा जिलों में सूअर, और कुक्कुट पालन इकाईयों और संकर-प्रजनित ओसर पालन के लिए सहायता प्रदान की गई थी।

इन कार्यक्रमों में यह व्यवस्था है कि सहायता प्रदान किये गये परिवारों में से 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से होने चाहिएं।

(ख) और (ग) इन कार्यक्रमों का प्रबोधन केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा ही आवधिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से किया जा रहा है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्रदान किये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को दर्शाने वाले विवरण एक और दो संलग्न हैं।

विवरण-एक

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन लाभानुभोगियों का वर्षवार विवरण जिन्हें सहायता दी गई

राज्य का नाम	वर्ष	कुल लाभानुभोगी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता
मध्य प्रदेश	1983-84	325093	160148	49.25
	1984-85	321169	166877	51.96
	1985-86 (फरवरी, 1986 तक)	193144	78749	40.77

विवरण-दो

मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम और सहायता प्राप्त लाभानुभोगियों के शामिल किये गये जिलों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	योजना का नाम	शामिल किये गये जिले	
1.	संकर प्रजनित बछड़ा-पालन योजना	(1) भोपाल	(9) मंदसौर
		(2) बिलासपुर	(10) रतलाम
		(3) देवास	(11) रायसेन
		(4) धार	(12) रायपुर
		(5) दुर्ग	(13) सागर
		(6) होशंगाबाद	(14) सिहोर
		(7) इन्दौर	(15) उज्जैन
		(8) जबलपुर	
2.	कुक्कुट उत्पादन एककों की स्थापना	(1) सागर	
		(2) दुर्ग	
		(3) रायसेन	
		(4) उज्जैन	
		(5) जबलपुर	
		(6) शिओनी	
		(7) खंडवा	
3.	सूअर उत्पादन एककों की स्थापना	(1) जबलपुर	
4.	भेड़ उत्पादन एककों की स्थापना	(1) टिकमगढ़	
		(2) छत्तरपुर	
		(3) राजगढ़	
		(4) मंदसौर	

लाभानुभोगी जिन्हें सहायता दी गई

योजना का नाम	1983-84			1984-85			1985-86 (फरवरी, 86 तक)		
योजना का नाम	कुल	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	कुल में से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति की प्रतिशतता	कुल	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	कुल में से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता	कुल	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	कुल में से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता
1. संकर-प्रजनित बछड़ा पालन	1280	299	23 प्रतिशत	2097	261	13 प्रतिशत	1073	66	6%
2. कुक्कुट	775	453	59 प्रतिशत	728	423	58 प्रतिशत	220	122	60%
3. सूअर			सूचित नहीं किया गया						
4. भेड़	489	95	19 प्रतिशत	498	103	11 प्रतिशत	279	25	9%

खनिज भण्डारों का सर्वेक्षण

7969. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अखिल भारतीय खनिज भंडार सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो भूमि में खनिज भंडारों का पता लगाने के लिये किन-किन क्षेत्रों का पूरी तरह सर्वेक्षण कर लिया गया है;

(ग) किन-किन क्षेत्रों का अभी सर्वेक्षण किया जाना है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम प्रारंभ किया है; और

(ङ) यदि हां, तो खनिज भंडारों का संपूर्ण सर्वेक्षण कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ङ) जी नहीं। अखिल भारतीय खनिज निक्षेप सर्वेक्षण कभी पूरा नहीं माना जा सकता, क्योंकि खनिजों का भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण लगातार चलने वाला कार्य है और इसे किसी अवधि विशेष में पूर्ण हुआ नहीं समझा जा सकता। उदाहरण के लिए गवेषण की नव-विकसित तकनीकें, जिनमें जमीनी और हवाई भू-भौतिकी प्रणालियां दोनों शामिल हैं, से अधिकाधिक गहराई में खनिज निक्षेपों का पता लगाने में समर्थ हैं तथा उच्चतर नियोजन की दूर संवेदी एवं उपग्रही बिम्ब विन्यास विधियों (रिमोट-

सेंसिग एंड सेटेलाइट इमेजरीज) से भी अदृष्ट या छुपे हुए अयस्क भंडारों की सम्भावनाओं का पता लगाया जा सकता है, जिनका बाद में गवेषण किया जा सकता है।

(ख) और (ग) देश के लगभग 64% भू-भाग का भू वैज्ञानिक मानचित्रण किया जा चुका है तथा महत्वपूर्ण खनिज धारी क्षेत्रों का मोटे तौर पर निर्धारण किया जा चुका है। अब केवल समुद्री भूभाग, हिमालय के तराई क्षेत्र तथा अन्य दुर्गम क्षेत्र भू-वैज्ञानिक मानचित्रण के लिए शेष हैं।

(घ) जी हां।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मकानों का निर्माण

7970. **श्री अतीश चन्द्र सिंहा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मकानों की आवश्यकता कई गुना बढ़ गई है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त संख्या में क्वार्टर मकान बनाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आगामी दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में ऐसे क्वार्टरों/मकानों के निर्माण के लिए आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) पश्चिमी बंगाल में केवल कलकत्ता में ही 'सामान्य पूल' रिहायशी आवास उपलब्ध हैं। कलकत्ता में 'सामान्य पूल' आवास की अत्यधिक कमी नहीं है। वित्तीय जटिलताओं तथा भूमि की अनुपलब्धता के कारण पर्याप्त संख्या में क्वार्टरों का निर्माण नहीं किया जा सका। विभिन्न टाइपों के 704 क्वार्टरों के निर्माण के लिए स्वीकृति हाल ही में जारी की गई है।

पश्चिमी तट जलक्षेत्र में भाड़े पर मछली पकड़ने वाली विदेशी मत्स्य नौकाएं

7971. **श्री आर० एस० माने** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी तट जल क्षेत्र में भाड़े पर कितनी विदेशी मत्स्य नौकाएं मछली पकड़ने के काम में लगी हैं;

(ख) वर्ष 1986 में अब तक उन्होंने कितनी मात्रा में मछली पकड़ी हैं;

(ग) विदेशी मत्स्य नौकाओं को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हैं जबकि हमारे अपने मत्स्य उद्योग और पश्चिमी तटों के मछुआरों को आर्थिक नुकसान हो रहा है;

(घ) ऐसी विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) विदेशियों द्वारा मछली पकड़ने के कार्य को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) चार्टर किये गये विदेशी मत्स्यन जलयान भारत के समूचे एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन का कार्य करते हैं और उनका कार्यक्षेत्र किसी भी समुद्र तट पर सीमित नहीं है। इसलिए विशिष्ट रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि पश्चिमी समुद्र तटीय जल क्षेत्र में कितनी संख्या में जलयान काम पर लगे हैं।

(ख) 1986 से सरकार द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जिन सात कम्पनियों द्वारा 15 जलयान चार्टर किए गए, इनके द्वारा पकड़ी गई कुल मछली जिन्होंने मत्स्यन जलयात्रा पूरी कर ली है, प्रत्येक की एक जलयात्रा से 1945.47 टन है।

(ग) चार्टर नीति का उद्देश्य अनिवार्य खरीद, प्रौद्योगिकी के अन्तरण, गैर-पारम्परिक मछली के लिए विदेश में मण्डी स्थापित करने और गहरे समुद्र में मत्स्यन की आर्थिक क्षमता स्थापित करने के माध्यम से गहरे समुद्र में मत्स्य जलयानों के बेड़े में वृद्धि करना है। चार्टर किए गए जलयानों के लिए सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रचालन क्षेत्र में यह सुनिश्चित किया जाता है कि इन जलयानों का प्रचालन पारम्परिक मछुआरों और छोटी-छोटी मशीनी नौका चालकों के हितों से न टकराए।

(घ) विवरण संलग्न है।

(ङ) चार्टर किए गए जलयानों को एक निर्धारित समय सीमा में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना है और इनका स्थान भारतीय कम्पनियों के स्वामित्व वाले जलयानों ने लेना है।

विवरण

उन विदेशी सहयोगियों की सूची जिनसे भारतीय कम्पनियों ने मत्स्य जलयान चार्टर किए हैं

1. ट्रान्स ओरियन्टल प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर।
2. सिंगापुर यूनियन लाइन प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर।
3. रिब्नो स्टोपेन्स्टवो, बुलगारिया।
4. फार इस्टर्न शिपिंग सर्विस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर।
5. सिंगापुर फूड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर।
6. फ्रीस्पीड लिमिटेड, हांगकांग।
7. साऊथ ग्लोरी इण्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर।
8. ट्रोपीकोना प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर।
9. गुआन वाह एन्टरप्राइजेज, सिंगापुर।
10. सन्नी फिशरीज कारपोरेशन लिमिटेड, सिंगापुर।

11. सोसाइटा, एसेरिजियो सेन्टीमरी, स्पा, इटली।

12. हामाया सुइसान कम्पनी लिमिटेड, जापान।

13. शोवाट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, जापान।

[हिन्दी]

खेतड़ी कापर काम्प्लेक्स में कार्यरत श्रमिक

7972. **श्री मोहम्मद अयूब खां** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी कापर काम्पलैक्स में कितने श्रमिक काम करते हैं और उनमें से कितने झुनझुनु क्षेत्र के हैं;

(ख) बाहर से आए और स्थानीय श्रमिकों के बीच अनुपात क्या है;

(ग) खेतड़ी कापर काम्पलैक्स में कितमे श्रमिक क्षय रोग से पीड़ित हैं और उनमें से कितनों का इलाज हो चुका है और कितने अभी भी इस रोग से पीड़ित हैं; और

(घ) इस रोग, जो स्थानीय क्षेत्रों में फैल रहा है, की रोकथाम के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) खेतड़ी कापर काम्पलैक्स से कार्यरत कुल 8112 श्रमिकों में से अधिकतर झुंझुनु क्षेत्र के हैं। फलस्वरूप बाहर के श्रमिकों की तुलना में स्थानीय श्रमिकों का अनुपात काफी अधिक है।

(ग) 1982 से तपेदिक (टी० बी०) के 54 रोगी उपचार के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 1982 से तपेदिक के 97 रोगियों का पता चला है जिनता अभी भी उपचार चल रहा है।

(घ) इस रोग को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित निरोधक उपाय किए गए हैं :

(i) खनन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य की समय-समय पर जांच की जाती है।

(ii) इन रोगियों को अस्पताल में अलग रखा जाता है।

(iii) श्वास के साथ गैस और धूल को अन्दर जाने से रोकने के लिए कर्मचारियों को गैस-नकाब, मारकीन कपड़े आदि दिए जाते हैं।

(iv) खानों में अधिक धूल न पैदा होने के लिए तर ड्रिलिंग की जाती हैं; तथा

(v) स्वास्थ्य शिक्षा के लिए नियमित कक्षाओं का आयोजन किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में सड़कों से जोड़े गए गांव

7973. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने गांवों को पक्की सड़कों से और कितने गांवों को कच्ची

सड़कों से जोड़ा गया है और कितने गांवों को अभी कच्ची अथवा पक्की सड़कों द्वारा जोड़ा जाना है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे गांवों की प्रतिशतता, जिन्हें कच्ची अथवा पक्की सड़कों द्वारा नहीं जोड़ा गया है, अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के शेष गांवों को पक्की पहुंच सड़कों से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में उक्त राज्य को कितनी सहायता उपलब्ध कराने का विचार है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है और शेष ऐसे सभी गांवों को पहुंच सड़कों से कब तक जोड़ दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1-4-1985 तक 1000 से अधिक की जनसंख्या वाले 12089 गांवों को सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कों से जोड़ दिया गया था तथा 1000 से अधिक की जनसंख्या वाले 10206 गांवों को सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कों से जोड़ा जाना रहता था। कच्ची सड़कों से जोड़े गए गांवों से संबंधित सूचना इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ख) पक्की या कच्ची सड़कों द्वारा न जोड़े गए गांवों के बारे में सूचना इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है। तथापि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1000 से अधिक की जनसंख्ता वाले गांवों को सड़कों से जोड़े जाने की राज्यवार प्रतिशतता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) सम्पर्क सड़कों के निर्माण का कार्य मुख्यतः राज्य योजनाओं के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन किया जाता है। योजना के अन्तर्गत यह परिकल्पना की गई है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों तथा 1000 से 1500 तक की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को 1990 तक सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कों से जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में परिव्यय 650 करोड़ रुपए है। सड़कों के निर्माण का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे केन्द्र द्वारा प्रायोजित रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी आरम्भ किया जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय राज्यों तथा केन्द्र द्वारा बराबर के आधार पर वहन किया जाता है जबकि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय पूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तथापि, इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु निधियों का अलग से आबंटन नहीं किया जाता है।

विवरण

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों से जोड़े गए 1000 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों का प्रतिशत

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जोड़े गए गांवों का प्रतिशत
1.	आन्ध्र प्रदेश	47.9
2.	असम	88.5
3.	बिहार	62.7
4.	गुजरात	92.1
5.	हरियाणा	100.0
6.	हिमाचल प्रदेश	72.4
7.	जम्मू और कश्मीर	90.0
8.	कर्नाटक	64.0
9.	केरल	100.0
10.	मध्य प्रदेश	61.6
11.	महाराष्ट्र	72.9
12.	मणिपुर	48.4
13.	मेघालय	57.4
14.	नागालैण्ड	94.0
15.	उड़ीसा	22.2
16.	पंजाब	100.0
17.	राजस्थान	59.3
18.	सिक्किम	64.3
19.	तमिलनाडु	53.5
20.	त्रिपुरा	85.9
21.	उत्तर प्रदेश	54.2
22.	पश्चिम बंगाल	52.8
	योग	61.7

[अनुवाद]

खनिजों के उपयोग के लिए खनन के बेहतर तरीके अपनाना

7974. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनिजों का उपयोग करने में खनन के बेहतर तरीके अपनाने के लिए कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) बेहतर खनन विधियों को अपनाना एक सतत प्रक्रिया है और सरकारी सेक्टर के अन्तर्गत कार्यों में इसका बराबर ध्यान रखा जाता है। इस बारे में किए गए उपाय आमतौर पर खनन परियोजनाओं का अभिन्न अंग होते हैं। सरकारी क्षेत्र की यूनिटों की खानों में भूगर्भीय दशाओं के अनुरूप खनन प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण की निजी योजनाएं होती हैं। इन योजनाओं में उन्नत परिचालन पद्धतियों, खनिजों की अधिक निकासी, तथा बेहतर निष्पादन, अधिक उत्पादकता और पर्यावरण अभिरक्षा हेतु नई प्रविधियों के विकास और इस्तेमाल का प्रावधान रहता है।

कोआपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों को भूमि का आबंटन

7975. **डा० एस० जगतरक्षकन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वर्ष 1984 में 1000 से अधिक नई कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां पंजीकृत की गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इन सोसायटियों को कब तक भूमि आबंटित की जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सहकारी समितियों के पंजीकार ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 1983 से आज तक 1415 नई सहकारी ग्रुप आवास समितियों को पंजीकृत किया है, जिसमें से 1208 समितियों को पंजीकार ने भूमि के आबंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को समर्थित किया है।

(ख) इन समितियों को भूमि के आबंटन के लिए कोई विशेष समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

कालीकट (केरल) में इलैक्ट्रानिकी के लिए आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

7976. **डा० के० जी० अदियोदी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट में इलैक्ट्रानिकी के लिए आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का दर्जा बढ़ाने के लिए कालीकट (केरल) से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां। इस संबंध में दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। एक अभ्यावेदप में अनुदेशक प्रशिक्षण शुरू करने और खाड़ी के देशों में रोजगार हेतु जाने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के बारे में कहा गया है। दूसरे अभ्यावेदन में, आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अ० औ० प्र० सं०), कालीकट को राज्य के बेरोजगार युवाओं के लाभ के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन पूर्ण संस्था के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया गया है। दोनों अभ्योवदनों में, इस संस्थान को राज्य सरकार को न सौंपने के बारे में विशेष रूप से अनुरोध किए गए हैं।

(ख) आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने संबंधी योजना का अनुमोदन इस शर्त पर किया गया था कि VIIवीं योजना अवधि के दौरान तत्संबंधी राज्यों द्वारा इस संस्थानों को स्थानांतरित करने की संभावना पर विचार किया जाएगा ताकि केन्द्रीय सरकार का भार कम किया जा सके। इस मामले पर राज्य सरकार से परामर्श करके विचार किया जा रहा है। अतः केन्द्रीय सरकार के अधीन आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालीकट का दर्जा बढ़ाने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है।

सिक्किम में खुम्बी (मशरूम) उद्योग की स्थापना

7977. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खुम्बी विशेषकर शाकाहारी लोगों के लिए अत्यधिक पौष्टिक आहार है;

(ख) क्या खुम्बी पैदा करने के लिए 20 से 30 डिग्री सेन्टीग्रेड का तापमान सर्वोत्तम है और इसलिए यह समुद्रतल से लगभग 3000-4000 फुट की ऊंचाई पर सिक्किम जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में इन्क्यूबेशन चैम्बरों के लिए अधिक ऊर्जा प्रयोग किए बिना आसानी से उगाई जा सकती है; और

(ग) क्या सिक्किम में खुम्बी की खेती आरम्भ की जाएगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) खुम्बी अपने स्वाद और खाद्य गुण दोनों के लिए लोकप्रिय है। यह विटामिनों, खनिजों और एमिनो एसिड्स का एक अच्छा स्रोत हैं।

(ख) खुम्बी की विभिन्न किस्मों के लिए भिन्न-भिन्न तापमानों की जरूरत होती है। सिक्किम में विभिन्न ऊंचाइयों पर हर मौसम में तापमान बदलता रहता है, अतः वाणिज्यिक उत्पादन के वास्ते वर्ष भर खुम्बी को खेती के लिए पूरक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

(ग) सिक्किम सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक खुम्बी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

मत्स्य उद्योग में विदेशी सहयोग से केरल की योजना

7979. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल ने मछली पकड़ने के लिए विदेशी सहयोगियों के साथ "चार्टर" तथा

संयुक्त उद्यम कार्यक्रमों के संवर्धन के लिए एक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध से क्या निर्णय लिए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विदेशी मत्स्यन जलयानों को किराए पर लेने के संबंध में केरल मात्स्यकी निगम से तीन प्रस्ताव हुए थे।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर विचार किया गया था, मैसर्स ट्रोपी कोना (पी) लि० सिंगापुर से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 10 जलयानों को किराये पर लेने के लिए अगस्त, 1982 में प्रथम प्रस्ताव पर मांग पत्र जारी किया गया था। निगम ने उन 4 जलयानों के संबंध में, जिनके लिए मार्च, 1983 में परमिट जारी किए गए थे, मांग-पत्र की शर्त को पूरा किया। तथापि निगम ने जून, 1984 में परमिटों को लौटा दिया क्योंकि वे जलयानों को नहीं ला सके। उनके दूसरे प्रस्ताव पर मैसर्स सन्नी मात्स्यकी निगम, सिंगापुर से 4 जलयान किराए पर लेने के लिए मई, 1983 में मांगपत्र जारी किया गया था। निगम मांगपत्र की शर्तों को पूरा नहीं कर सका। निगम के तीसरे प्रस्ताव पर मैसर्स सोसाइटा एसरसिजियों सेंटटाइसपा, इटली से एक जलयान किराए पर लेने के लिए जनवरी, 1984 में मांग-पत्र जारी किया गया था। चार्टर परमिट जनवरी, 1985 में उस समय जारी किया गया जब निगम ने मांग-पत्र की शर्तों को पूरा कर दिया था। निगम पुनः जलयान को नहीं ला सका और उसने दिसम्बर, 1985 में परिमिट अभ्यर्पित दिया।

"ए० आई० आर० नाट एवेलेबल इन जे० एण्ड के०
बार्डर एरियाज" शीर्षक समाचार

7980. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अप्रैल 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "ए० आई० आर० नाट एवेलेबल इन जे० एण्ड के० बार्डर एरियाल" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या राजौरी, पुंछ, पहलगाम और लेह में जम्मू तथा काश्मीर आकाशवाणी केन्द्रों से रेडियो नहीं सुनाई देता है और यदि कठिनाई से स्टेशन लग भी जाए तो रेडियो पर आवाज मंद आती है और स्पष्ट नहीं सुनाई देती जबकि पाकिस्तान रेडियो बिल्कुल साफ सुनाई देता है, इसलिए लोग वहां पाकिस्तान रेडियो अथवा बी० बी० सी० ही सुनते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन स्थानों पर रेडियो पर आवाज साफ न आने के क्या कारण हैं और जम्मू तथा काश्मीर आकाशवाणी केन्द्रों को सशक्त बनाने हेतु क्या तात्कालिक उपचारात्मक उपाय किये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह सही है कि जम्मू और श्रीनगर के मीडियम वेव ट्रांसमीटरों से राजौरी, पुंछ और पहलगाम में संग्रहण संतोषजनक नहीं है। इसके मुख्य कारण हैं पहाड़ी भूभाग और

रात्रिकालीन संकुचन जब मीडियम वेव ट्रांसमीटरों से विश्वभर में प्रेषण होते हैं। पाकिस्तान और बी० बी० सी० से प्रेषण संभवतया विदेश सेवाओं के लिए प्रयुक्त शक्तिशाली ट्रांसमीटरों से होते हैं। आकाशवाणी की विदेश सेवाएं पाकिस्तान में भी पहुंचती हैं और हमारी उर्दू विदेश सेवा को पाकिस्तान में व्यापक रूप से सुना जाता है। जम्मू व काश्मीर में मीडियम वेव ट्रांसमीटरों की सहायता करने के लिए श्रीनगर के ट्रांसमीटर से शार्टवेव पर सहायता सेवा उपलब्ध है। लेह क्षेत्र में आकाशवाणी, लेह से सेवा प्राप्त होती है।

अपनी सातवीं योजना में आकाशवाणी का प्रस्ताव अब तक कवर न हुए क्षेत्रों में सेवा उपलब्ध करने के लिए भादखाह, कारगिल, पुंछ और कठुआ में नए रेडियो स्टेशन स्थापित करने का है। इनके अलवा, लेह में 10 किलोवाट शार्टवेव का एक ट्रांसमीटर स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। जम्मू व काश्मीर के आकाशवाणी ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाकर निम्नानुसार करने का प्रस्ताव है :—

केन्द्र	मौजूदा शक्ति	प्रस्तावित शक्ति
श्रीनगर	7.5 किलोवाट शार्ट वेव	50 किलोवाट शार्टवेव
	1 किलोवाट मीडियम वेव	10 किलोवाट मीडियम वेव
जम्मू	50 किलोवाट मीडियम वेव	300 किलोवाट मीडियम वेव
	1 किलोवाट मीडिम वेव	10 किलोवाट मीडियम वेव

जम्मू व काश्मीर में आकाशवाणी की सातवीं योजना की उक्त स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर, राज्य में रेडियो कवरेज बढ़कर जनसंख्या का 95 प्रतिशत हो जाएगा। इसी प्रकार शक्ति वर्धित 50 किलोवाट के ट्रांसमीटर से शार्टवेव सहायकसेवा भी समूचे जम्मू व काश्मीर क्षेत्र में उपलब्ध हो जाएगी।

कोलार स्थित भारत गोल्ड माइन्स का बन्द किया जाना

7981. **श्री अनादि चरण दास** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन की लागत में वृद्धि होने और सोने की कम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार कोलार स्थित भारत गोल्ड माइन्स को बन्द करने के बारे में जांच कर रही है अथवा इन माइन्स को बन्द करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसे चालू रखने का क्या औचित्य है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) अयस्क के घटते ग्रेड, खनन की बढ़ती हुई गहराई, उच्च उत्पादन लागत तथा अन्य कारकों से भारत गोल्ड माइन्स लि० का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोलार खानों के भावी कार्यचालन की तरफ सरकार ध्यान दे रही है। अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले, मामले के सभी पहलुओं पर भली-भांति विचार किया जायेगा।

केरल को शहरी विकास के लिए निधि का आवंटन

7982. श्री सुरेश कुरूप : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान केरल को शहरी विकास के लिए कितनी राशि दी गई है; और

(ख) केरल द्वारा वास्तव में कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) इस राज्य के शहरी विकास के लिए छठी योजना में 1900 लाख रुपये का नियतन था और वास्तविक व्यय 1792 लाख रुपये था। इसके अलावा, छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत 9 शहरों के विकास के लिए इस राज्य को 311.55 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी और 11 लाख रुपये का केन्द्रीय प्रोत्साहन अनुदान दिया गया था और मलिन बस्ती निवासियों के अतिरिक्त लाभान्वयन के लिए शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार योजना के अन्तर्गत 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा 25 लाख रुपये भी दिये गये थे।

आन्ध्र प्रदेश में भूमिगत जल का स्तर नीचे गिर जाना

7983. श्री सी० सम्बु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है;

(ख) क्या हाल ही में केन्द्रीय दल ने उस क्षेत्र का दौरा किया था और इस संबंध में अपनी कोई रिपोर्ट दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) पेय जल की सप्लाई सुनिश्चित करने और उद्योग में पानी का अभाव दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। वर्षा की कमी के कारण आंध्र प्रदेश के 21 जिलों में भूमिगत जल का स्तर काफी नीचे चला गया है।

(ख) और (ग) जी हां। केन्द्रीय दल ने भूमिगत जल स्तर नीचे चले जाने की रिपोर्ट दी है। केन्द्रीय दलों की इन रिपोर्टों तथा उसका राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान पेय जल की आपूर्ति के लिए आंध्र प्रदेश को 18.59 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की गई है।

राष्ट्रीय डेरी विकास संस्थान द्वारा वनस्पति जन्य पनीर का विकास किया जाना

7984. श्री के० प्रधानी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास संस्थान ने शत प्रतिशत वनस्पति जन्य पनीर बनाने का तरीका खोज निकाला है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उत्पाद की अंतिम रूप से जांच की गई है और इसका विपणन किया गया है;

(ग) क्या अमुख डेरी जैसी कुछ अन्य एजेंसियां वनस्पति जन्य पनीर का उत्पादन करने हेतु वनस्पति स्रोतों से मेडिलेज एंजाइम का संश्लेषण करने के बारे में कोई अनुसंधान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान ने पनीर बनाने में परम्परागत पशु जामन के एवज में सूक्ष्मजीवी जामन का प्रयोग करके 100% निरामिष पनीर बनाने की एक विधि का पता लगाया है ।

(ख) सूक्ष्मजीवी जामन से निर्मित छेददार पनीर का परीक्षण किया गया है और पशु जामन के पनीर से अंग विज्ञान के आधार पर समतुल्य पाया गया है । राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान के बिक्री-पटल पर उपलब्ध सभी पनीर सूक्ष्मजीवी जामन से तैयार किया जाता है ।

(ग) पशु जामन के स्थानापन्न के सम्बन्ध में भारत में और विदेशों में अधिकांश अनुसंधान जीवाणु और फफूंद जैसे सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके चलाई गई हैं जबकि राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान ने जीवाणु का प्रयोग करके सूक्ष्मजीवी जामन का विकास किया है । फफूंद जीवाणुओं को लेकर कुछ कार्य केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर में भी किया गया । हमक अमूल डेरी या अन्य किसी एजेंसी द्वारा वनस्पति स्रोतों से मेडिलेज एंजाइम पर किसी साहित्य की जानकारी नहीं है ।

(घ) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही उहीं उठता ।

ट्रांसमिशन की "डिजीटल माइक्रोवेव" प्रणाली लागू करना

7985. **श्री के० प्रधानी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन लिमिटेड ने देश में ट्रांसमीशन की "डिजीटल माइक्रोवेव" प्रणाली लागू करने के लिए आकाशवाणी से संविदा की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की विशेषता क्या है और इस संविदा में कितनी पूंजीगत परिव्यय होगा; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में ट्रांसमीशन की "डिजीटल माइक्रोवेव" प्रणाली लागू करने से कितना लाभ होने की संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा में ट्रांसमीशन से क्या लाभ होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) आकाशवाणी स्टूडियो से प्रेषण केन्द्रों को कार्यक्रम भूमिगत केबलों के माध्यम से भेजे जाते हैं । ये स्टूडियो-ट्रांसमीटर लिंकेज प्रसारण चैन में महत्वपूर्ण लिंक स्थापित करते हैं । तथापि, सड़कों की

खुदाई, भूमिगत रिसाव, आदि जैसे कतिपय अपरिहार्य बातों के कारण इन लिंकेजों से प्रसारण का अच्छा स्तर नहीं बनता। अतः यह नीति निर्णय लिया गया था कि स्टूडियो और ट्रांसमीटरों के बीच इस प्रकार के लिंकेजों को डिजिटल लिंकों के माध्यम से प्रचालित किया जाए। तदनुसार आकाशवाणी का सातवीं पंचवर्षीय योजना में नई परियोजनाओं के लिए इस प्रकार के डिजिटल लिंक स्थापित करने और कुछ मौजूदा भूमिगत केवल लिंकों को बदलने का प्रस्ताव है। कुल मिलाकर 50 लिंक स्थापित करने का प्रस्ताव है।

सावधानीपूर्वक अंतर विभागीय विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि महाराष्ट्र राज्य की सरकारी क्षेत्र की एक कंपनी मेल्ट्रोन को निर्माता एजेंसी के रूप में नामित किया जाए। इस बात को, इस निर्णय को लेने में यह बात ध्यान में रखी गई थी कि कंपनी यू० एच० एफ० रेडियो उपकरणों का निर्माण करने में अंतर्निहित थी और उसका स्विटजरलैंड की मैसर्स ब्राउन बोवेरी कंपनी के साथ पहले ही विदेशी सहयोग था। मैसर्स मेल्ट्रोन ने रेलवे और दूरसंचार विभागों को भी यू० एच० एफ० उपकरण सप्लाई किए थे।

स्थापित किए जाने वाले 50 लिंकों में से 30 लिंकों के लिए उपकरणों की सप्लाई के लिए आर्डर दे दिए गए हैं और इनकी कुल लागत लगभग 5.49 करोड़ रुपए होगी।

(ग) डिजिटल लिंकों के माध्यम से प्रेषण केन्द्र को भेजे जाने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता उच्च श्रेणी की प्रसारण गुणवत्ता होने और केवल लिंकों के श्रेष्ठ होने की उम्मीद है। जहां इस प्रकार के लिंक उपलब्ध होंगे, वहां सभी स्थानों पर इसकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में आकाशवाणी स्टूडियो और ट्रांसमीटर के बीच मौजूदा केबल लिंकों को डिजिटल लिंकों से बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन केन्द्रों पर केबल लिंकों का कार्य निष्पादन संतोषजनक समझा जाता है।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा राज्यों को सहायता

7986. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहायता विकास निगम देश में सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता दे रहा है, यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऋण/राज सहायता के रूप में कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा उनके द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई थी और वास्तविक रूप में कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) क्या सरकार को अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह से ऐसी सहायता के लिए मांग प्राप्त हुई है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राज्य सरकारों/राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं को विभिन्न सहकारी विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करता है। संघ शासित क्षेत्रो की सहकारी समितियों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सीधे वित्तीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता प्रगति पर आधारित है और प्रतिपूर्ति के आधार पर दी जात

है अर्थात् राज्य सरकारें या राज्य सहकारी बैंक सहकारी समितियों को मंजूर की गई परियोजनाओं के लिए पहले सहायता प्रदान करते हैं और उसके बाद इकाईयों/कार्यक्रमों के पूरा होने की प्रगति के आधार पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्रतिपूर्ति के दावे करते हैं।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1983-84, 1984-85, 1985.86 के दौरान निगम ने देश में विभिन्न सहकारी विकास कार्यक्रमों के लिए 376·69 करोड़ रुपये के लगभग सहायता प्रदान की। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्राप्त सहायता के प्रस्तावों के आधार पर, निगम ने 1985-86 तक 14.542 लाख रुपये की कुल सहायता प्रदान की है। 1986-87 के दौरान, अब तक, 31.59 लाख रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन पर यह निगम विचार कर रहा है।

विवरण

1983-84, 1984-85, 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा किये गये वित्तीय सहायता (ऋण तथा राज-सहायता पृथक-पृथक) के भुगतान दर्शाने वाला राज्यवार विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं०	राज्य	1983-84		1984-85		1985-86	
		ऋण	राज-सहायता	ऋण	राज-सहायता	ऋण	राज-सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	652.618	2.660	644.535	8.589	851.088	11.369
2.	असम	78.970	0.200	143.578	17.324	354.235	1.848
3.	बिहार	523.980	6.592	843.589	17.582	480.259	9.150
4.	गुजरात	249.387	8.488	297.594	55.650	483.574	39.865
5.	हरियाणा	558.414	1.468	211.344	0.026	62.240	3.355
6.	हिमाचल प्रदेश	211.718	10.968	201.122	8.166	250.586	11.908
7.	जम्मू व कश्मीर	11.021	4.769	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	565.379	2.527	558.515	11.319	699.735	4.906
9.	केरल	180.818	2.531	134.279	6.031	438.381	74.451
10.	मध्य प्रदेश	1398.654	14.078	1320.173	26.354	1108.466	8.735
11.	महाराष्ट्र	2642.053	33.028	1386.171	40.089	1359.628	45.708
12.	मणिपुर	21.594	10.340	22.279	5.035	85.163	3.079

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	मेघालय	11.877	5.938	14.317	5.331	10.969	2.175
14.	नागालैंड	20.000	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	631.705	6.245	586.752	13.755	456.882	17.494
16.	पंजाब	1030.434	0.802	1012.248	1.402	807.980	0.251
17.	राजस्थान	822.648	7.502	512.315	6.319	779.437	25.251
18.	सिक्किम	17.000	—	40.000	—	—	0.049
19.	तमिलनाडु	489.273	16.037	813.904	9.258	502.352	13.438
20.	त्रिपुरा	24.631	10.389	83.262	12.662	41.948	4.030
21.	उत्तर प्रदेश	1839.553	51.140	2883.271	20.032	2058.829	31.449
22.	पश्चिम बंगाल	408.943	30.608	465.077	28.997	430.508	18.576
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	1.240	0.620	—	5.080
24.	चंडीगढ़	0.450	0.150	—	—	—	—
25.	पांडिचेरी	1.950	—	—	0.480	2.535	1.754
26.	अन्य	63.950	42.154	397.690	42.776	357.320	76.510
	कुल :	12457.020	268.614	12573.255	337.797	11622.145	410.431

"डारेक्ट रिसीविंग सैट्स" का आवंटन

7987. श्री मनोरंजन भक्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सारे देश के लिए कितने "डारेक्ट रिसीविंग सैट्स" का आवंटन किया गया है; और

(ख) उनके आवंटन का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन की सातवीं योजना में सामुदायिक अवलोकन टी० वी० सैट लगाने का प्रावधान नहीं है। तथापि, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 5000 सामुदायिक अवलोकन टी० वी० सैट उपलब्ध करने की स्कीम सिद्धान्ततः स्वीकृत की गई है। योजना आवंटन के अभाव के कारण इस स्कीम का कार्यान्वयन शुरू करना अभी तक संभव नहीं हुआ है। इन 5000 सैटों के वी० एच० एफ० और सीधे संग्रहण सैटों के बीच ब्यौरे को सभी अंतिम रूप दिया जाना है।

तथापि सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सातवीं योजना अवधि के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों में अपने कोष से सामुदायिक अवलोकन टी० वी० सैट उपलब्ध करें।

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों को खाद्यान्न

7988. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1986-87 के दौरान राज्यों के ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में सहायता देने के लिये राज्यों को 20 लाख टन खाद्यान्न नि:शुल्क देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश को कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया है और उसमें से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां अभी भी अत्यन्त गरीबी व्याप्त है इसका कितना भाग उपयोग में लाया जायेगा; और

(ग) जन दिवसों के रूप में कितना अतिरिक्त रोजगार पैदा किये जाने की सम्भावना है?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान राज्यों को निशुल्क खाद्यान्न आवंटित किये गये हैं। आशा की जाती है कि 1986-87 के दौरान 2 मिलियन टन खाद्यान्न उपयोग में ले लिये जायेंगे।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश को वर्ष 1986-87 की पहली दो तिमाहियों के लिये गेहूं की कुल 1,76,340 टन मात्रा आवंटित की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उपयोग में लाए जाने वाले खाद्यान्नों का कोई अलग से आवंटन नहीं किया गया है। अतिरिक्त गेहूं के कारण लगभग 101 लाख श्रम दिनों का अतिरिक्त रोजगार सृजित होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कार्यान्वयन

7989. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये अधिक आवंटन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के आरम्भिक चरणों में विशेष रूप से मुद्रिका नगरों के विकास के कार्यान्वयन पर धनराशि के अभाव का किन-किन परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्यों द्वारा प्रक्षेपित मांगों के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड ने 867 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है, जिसमें रेल के चयनित क्षेत्रों, दूर-संचार क्षेत्र में सड़कों और प्राथमिकता वाले कस्बों में मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान के लिए निवेश का प्रस्ताव है। सातवीं योजना में 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजनाओं के लिए होगा।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की बरौनी यूनिट का बंद होना

7990. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की बरौनी यूनिट भारी घाटे के कारण बंद होने की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो इस यूनिट को इसके शुरू होने के पश्चात् कुल कितना घाटा हुआ और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन घाटों के लिए उत्तरदायित्व निश्चित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) मार्च, 1986 तक एच० एफ० सी० के बरौनी एकक की संचित हानि लगभग 145.48 करोड़ रुपये की है । हानि मुख्यत: उपकरण में बारम्बार खराबी, पावर की खराबी/वोल्टेज उतार-चढ़ाव तथा डिजाईन की कमियों के परिणामस्वरूप निम्न क्षमता उपयोग के कारण हुई हैं ।

(घ) एकक का नवीकरण करने का एक प्रस्ताव है । विद्युत की गड़बड़ियों के अमोनिया संयंत्र के फ्रण्ट एण्ड की सुरक्षा करने के लिए एक 2.5 मेगावाट गैस टर्बाइन सैट को आरम्भ किया गया है । 16 मेघावाट का एक कैप्टिव पावर प्लांट कार्यान्वियनाधीन है ।

[अनुवाद]

श्रमिकों की आय सीमा

7991. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न श्रम संबंधी कानूनों के अंतर्गत विस्तार के लिए श्रम सीमा 1600 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये मासिक करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) विभिन्न श्रम संबंधी कानूनों के अंतर्गत विस्तार के लिए मजदूरी सीमा से संबंधित स्थिति निम्नानुसार है :

(i) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923

इस अधिनियम के अंतर्गत विस्तार के लिए मजदूरी सीमा को 1-7-1984 से कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था ।

(ii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

इस अधिनियम के अंतर्गत विस्तार के लिए मजदूरी सीमा को 27-1-1985 से कर्मचारी

राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति माह कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत विस्तार के लिए मजदूरी-सीमा को और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(iii) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952

कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत विस्तार के लिए मजदूरी-सीमा को 1-9-1985 से 1600 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया।

(iv) उपदान संदाय अधिनियम, 1972

इस अधिनियम के अंतर्गत विस्तार के लिए मजदूरी सीमा को 1-7-1984 से 1000 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। श्रम मंत्री सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार, सरकार मजदूरी-सीमा को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(v) बोनस संदाय अधिनियम, 1986

वर्ष 1984 के दौरान किसी भी दिन से आरंभ होने वाले लेखा वर्ष या बाद के लेखा वर्षों के लिए देय बोनस के संबंध में बोनस संदाय अधिनियम के अधीन विस्तार के लिए मजदूरी सीमा को 1600 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

(vi) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976

इस समय 750 रुपये प्रतिमाह वेतन पाने वाले विक्रेता इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। अब इस सीमा को 750 रुपये प्रतिमाह से 1600 रुपये प्रतिमाह तक बढ़ाकर "विक्रय संवर्धन कर्मचारी" की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस आशय का लोक सभा ने 2 दिसम्बर, 1985 को पहले ही एक संशोधन विधेयक पास कर दिया है। आशा है कि यह चालू सत्र के दौरान राज्य सभा के समक्ष विचारार्थ भेज दिया जाएगा।

(vii) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और अंतरराज्यिक कर्मकार अधिनियम, 1979

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और अंतरराज्यिक कर्मकार अधिनियम, 1979 के अंतर्गत, उपर्युक्त दो अधिनियमों में "कर्मकारों" की परिभाषा में उल्लिखित पर्यवेक्षक के लिए आय सीमा 500 रुपये प्रतिमाह है। अतः 1600 रुपये प्रतिमाह की सीमा में संशोधन करने का प्रश्न ही नहीं है।

बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा समाचार वाचकों/उद्घोषकों का चयन

7992. **श्री वी० एस कृष्ण अय्यर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र के लिए समाचार वाचकों और उद्घोषकों के चयन के लिए आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित कर दी गई है;

(ख) क्या राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात् दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र द्वारा उक्त पदों पर चयन के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो जब दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र द्वारा उक्त पदों के लिए 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का चयन किया जाता है तो बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा युक्त पदों के लिए 30 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर में नियमित नियुक्ति के लिए आयु सीमा की पद्धति पर समाचार वाचकों और उद्घोषकों के चयन के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष नियत की थी।

(ख) जी नहीं। स्वतंत्र प्रतिभा, जिसे शुल्क आधार पर विशिष्ट कार्य के लिए लगाया जाता है, पर निर्भर करते हुए 11 दिसंबर, 1980 से समाचार वाचकों और उद्घोषकों की भर्ती बंद कर दी गई थी।

(ग) दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर को यह सलाह दी जा रही है कि वह अन्य केन्द्रों की भांति नैमित्तिक समाचार वाचकों और उद्घोषकों के संबंध में 30 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा को समाप्त कर दे और पर्दे के लिए उपयुक्त व्यक्तियों पर विचार करे।

प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी

7993. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की नीति कब शुरू की गई थी;

(ख) जब यह नीति शुरू की गई, उस समय सरकारी उपक्रमों और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या कितनी थी और अब तक इसमें शामिल राज्य-वार उद्योगों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने और श्रमिकों की कठिनाई को कम करने में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी किस सीमा तक सफल रही है; और

(घ) प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की सफलता पर निगरानी किस प्रकार की जाती है और सरकार द्वारा इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) सरकार ने श्रमिक सहभागिता संबंधी पहले की योजनाओं के कार्यकरण की पुनरीक्षा की, जो क्रमशः अक्तूबर, 1975 और जनवरी, 1977 में प्रारम्भ की गई थी और की गई पुनरीक्षा तथा प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तारीख 30 दिसम्बर, 1983 के अपने संकल्प (प्रतिलिपि संलग्न है) के द्वारा एक नई व्यापक योजना शुरू की। यह योजना केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होती है। योजना के पैरा 8 में, राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इस योजना को लागू करें तथा निजी क्षेत्र को यह योजना कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित भी करें। यह योजना केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 83 उपक्रमों में शॉपफ्लोर/प्लांट स्तर पर शुरू की गई है। इसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2704/86**]। राज्यों में यह योजना सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार की गई है और कुछ राज्यों ने इसे अनेक उपक्रमों में शुरू कर दिया है।

इस योजना का व्यापक प्रचार किया गया। इस पर विभिन्न मंचों, अर्थात् श्रम मंत्री सम्मेलन, राज्य श्रम सचिवों की बैठक, ट्रेड यूनियनों और नियोजक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों और भारतीय श्रम सम्मेलन (25-26 नवम्बर, 1985) में विचार-विमर्श किया गया है।

श्रम मंत्रालय ने एक त्रिपक्षीय समिति गठित की है जिसमें कुछ मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/राज्य सरकारों और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो इस योजना को मानीटर करेगी तथा समय-समय पर इसकी प्रगति की पुनरीक्षा करेगी। समिति को यह पता चला कि कुछ उपक्रमों में काम कर रही विभिन्न शॉप और प्लांट परिषदों ने अनुपस्थिति और समयोपरि को कम करने के अतिरिक्त उत्पादन, उत्पादकता में सुधार करने में सुनिश्चित योगदान किया।

इस योजना पर विभिन्न उद्योगों, अर्थात् इंजीनियरिंग, जूट, टैक्सटाइल, सीमेंट, कैमीकल्स, सड़क परिवहन, बागान, भवन और निर्माण आदि, के लिए त्रिपक्षीय औद्योगिक समितियों की बैठकों में नियमित कार्य-सूची के रूप में विचार-विमर्श किया जाता है।

भारतीय डेरी निगम और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कार्य निष्पादन की जांच-पड़ताल और मूल्यांकन

7994. **डा० जी० विजय रामाराव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत भारतीय डेरी निगम और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर जांच-पड़ताल और मूल्यांकन किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और मद-वार लक्ष्यों और किये गये व्यय की कोई पुनरीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी, हां। ऑपरेशन फ्लड-2 के क्रियान्वयन का प्रबोधन करने और भारतीय डेरी निगम/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को राज्य सरकारों और सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय सहायता एजेन्सियों के साथ इस परियोजना के क्रियान्वयन में पेश आ रही दिक्कतों, यदि कोई हों तो, को दूर करने में मदद देने के लिए एक विषय निर्वाचन समिति गठित की गई है। यह समिति समय-समय पर अपनी बैठकें करती है और पिछले तीन वर्षों यथा 1983 से 1985 के दौरान तीन बैठकें कर चुकी है। वर्ष 1984 के दौरान श्री एल० के० झा के नेतृत्व में एक समिति ने भी आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के विशिष्ट उद्देश्यों के संदर्भ में, भारतीय डेरी निगम/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया था।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की परियोजना "खाद्य तेलों और तिलहनों के उत्पादन और विपणन की पुनर्संरचना" की भी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरण के लिए राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन

7995. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1986-87 के लिए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरण हेतु राज्यों को खाद्यान्न आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितना आबंटन किया गया है और किस एजेंसी के माध्यम से वितरण किया जायेगा;

(ग) क्या किसी राज्य के पास 1985-86 के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये गये खाद्यान्न फालतू बच गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वर्ष 1986-87 की पहली दो तिमाहियों के लिए खाद्यानों की कुल 10 लाख मीटरी टन की मात्रा आबंटित की गई है। इसके अतिरिक्त राजस्थान को 2 लाख मीटरी टन खाद्यानों की अतिरिक्त मात्रा आबंटित की गई है। खाद्यान्नों का वितरण अधिकतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। कुछ मामलों में खाद्यान्नों का वितरण कार्यान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से सीधे ही किया जाता है।

(ग) और (घ) वर्ष 1985-86 के दौरान खाद्यान्नों के उपयोग की पूरी रिपोर्टें अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं। इस वजह से विभिन्न राज्यों में अगले वर्ष के लिए उपयोग हेतु खाद्यान्नों के स्टाकों की सही स्थिति इस समय मालूम नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटिती संसाधनों के 25 प्रतिशत को चालू वर्ष के दौरान उपयोग में लाने की अनुमति दी गई है। इस मात्रा से अधिक मात्रा को चालू वर्ष के दौरान दूसरी किश्त से समायोजित किया जाएगा।

मत्स्य पोतों को किराये पर लेने सम्बन्धी नीति पुनः प्रचलित करना

7996. **श्री डी० पी० जदेजा** :

श्री गुरुदास कामत :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसी अन्य नामावली के अन्तर्गत संयुक्त उद्यम या शतप्रतिशत निर्यात के रूप में मत्स्य पोतों को किराये पर लेने सम्बन्धी नीति पुनः आरम्भ करने का है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या गारंटी मांगी गई है कि विदेशी पार्टियों द्वारा दी गई बैंक गारंटियों के लिए शत-प्रतिशत क्रयादेश होने चाहिएं;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या एहतियाती उपाय किए जाते हैं कि ऐसे मामलों में पोत किराये पर लेने के परिणामों की पुनरावृत्ति न हो;

(घ) क्या सरकार ने मत्स्य पोत किराये पर लेने की वर्तमान निरीक्षण प्रक्रिया को कड़ा बना दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो पोतों को किराये पर लेने के संबंध में जांच के लिए हाल ही में किए गए सुरक्षोपायों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। बहरहाल, विदेशी मत्स्यन जलयानों को किराये पर लेने सम्बन्धी नीति की समीक्षा की जा रही है।

(ख) आम तौर पर विदेशी पार्टियों द्वारा उनके खरीद के प्रस्ताव को पूरा करने में बैंक गारंटी पर बल नहीं दिया जाता। तथापि भारतीय कम्पनियां शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख योजना के अंतर्गत प्रस्तावों के मामले में शत-प्रतिशत निर्यात के लिए बचन-पत्र भरते हैं।

(ग) किराये की शर्तों में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) तट रक्षक किराये पर लिए गए विदेशी मत्स्यन जलयानों के प्रचालन का प्रबोधन करता है। नियमों के अनुसार किराये पर लिए गए विदेशी जलयानों की उनके द्वारा मत्स्यन कार्य शुरू करने से पूर्व तट रक्षक प्राधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। किराये पर लिये गये जलयानों द्वारा पकड़ी गई मछली का सीमा प्राधिकारियों द्वारा निर्यात के लिये विदेशी बन्दरगाहों में जलयानों को भेजने से पूर्व मूल्यांकन किया जाता है। सरकार द्वारा नियुक्त किये गये मनोनीत अधिकारी प्रत्येक यात्रा के अन्त में किराये पर लिये गये जलयानों की भी जांच करते हैं और पकड़ी गई मछलियों के ब्यौरे और जलयान आदि के बेड़े द्वारा किराये पर लेने की शर्तों का अनुपालन करने के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी होस्टलों का रख-रखाव

7997. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में महानगरों में दौरे पर जाने वाले अधिकारियों के लिए कितने केन्द्रीय सरकारी होस्टलों का रख-रखाव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, उनमें कितनी आवास क्षमता है, प्रति वर्ष उन पर कितना व्यय किया जाता है तथा उनसे प्रति वर्ष कुल कितना राजस्व अर्जित किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को ऐसे होस्टलों का रख-रखाव घटिया होने के सम्बन्ध में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों में नागरिक सुविधाओं का अनुरक्षण

7998. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री त्रिलोचन सिंह तुर :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई 37 पुनर्वास कालोनियों में नागरिक सुविधाओं के अनुरक्षण की जिम्मेदारी न सम्भालने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस निगम द्वारा इस आशय का कोई निर्णय नहीं लिया गया है परन्तु बताया गया कि यह पुनर्वास कालोनियों में नागरिक सुविधाओं के अनुरक्षण पर हो रहे व्यय की प्रतिपूर्ति पर जोर दे रहा है।

(ग) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा निगम के परामर्श से इस सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

दुग्ध उत्पादन और वसूली के लक्ष्य और उपलब्धियां

7999. डा० टी० कल्पना देवी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नेशनल मिल्क हुडं" के अन्तर्गत वर्ष 1985 के मध्य तक दुग्ध उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उपलब्धि क्या रही;

(ख) वर्ष 1985 के मध्य तक ग्रामीण क्षेत्र से दुग्ध खरीदने का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उपलब्धि क्या रही; और

(ग) यदि लक्ष्य प्राप्ति में कोई कमी रही है, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) "नेशनल मिल्क हुडं" आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 के दौरान दैनिक दूध का अनुमानित उत्पादन 246.5 लाख किलोग्राम प्रति दिन है। आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत के वास्तविक दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों के पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, वर्ष 1984-85 के दौरान देश में दूध का कुल उत्पादन लगभग 401.7 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है।

(ख) 1984-85 में ग्रामीण क्षेत्र से दुग्ध प्राप्ति का औसत प्रति दिन 55.3 लाख लीटर था और इस अवधि के दौरान प्रति दिम 57.84 लाख लीटर की उपलब्धि हुई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मछली उत्पादन में वृद्धि के लाभ मछुआरों को देना

8000. **डा० टी० कल्पना देवी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य बीज का उत्पादन लक्ष्य से लगभग दो गुणा अधिक हुआ है और यदि हां, तो इसी तुलना में मछली उत्पादन में राज्य-वार कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या समुद्री मछली के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्सम्बन्धी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस भारी उत्पादन से आन्ध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में मछुआरों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यदि कोई लाभ हो रहे हैं तो वे सहकारिताओं तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के न होने तथा निर्धन मछुआरों को आदान उपलब्ध न कराये जाने के कारण निर्यातकों और बिचौलियों को पहुंच रहे हैं, न कि मछुआरों को; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) डिमपोना और अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन के राज्य-वार आंकड़े इस प्रकार हैं :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1980-81		1984-85	
	डिमपोना उत्पादन (मिलियन में)	अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन (हजार मीटरी टन में)	डिमपोना उत्पादन (मिलियन में)	अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन (हजार मीटरी टन में)
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	186.00	121.893	220.00	104.268
2. आसाम	9.40	39.047	32.00	48.230
3. बिहार	120.00	78.359	150.00	106.019
4. गुजरात	2.00	16.538	63.40	24.974
5. हरियाणा	3.00	9.735	12.00	8.659

1	2	3	4	5
6. हिमाचल प्रदेश	3.60	2.566	6.30	2.805
7. जम्मू व कश्मीर	1.50	8.423	3.00	9.825
8. कर्नाटक	55.50	46.652	75.00	39.634
9. केरल	10.40	25.460	15.00	27.388
10. मध्य प्रदेश	75.00	13.000	125.00	23.796
11. महाराष्ट्र	4.50	23.975	50.00	28.050
12. मणिपुर	7.00	3.50	12.00	5.000
13. मेघालय	0.20	0.971	2.00	0.726
14. नागालैंड	—	4.000	0.40	4.000
15. उड़ीसा	66.00	32.530	62.80	51.225
16. पंजाब	2.00	2.800	0.50	3.500
17. राजस्थान	45.00	13.500	62.00	16.000
18. सिक्किम	0.20	0.017	—	—
19. तमिलनाडु	124.00	165.000	150.00	159.000
20. त्रिपुरा	25.60	6.254	76.00	10.105
21. उत्तर प्रदेश	65.40	33.200	400.00	50.000
22. पश्चिमी बंगाल	1800.00	235.000	4200.00	350.000
23. अण्डमान	—	—	—	—
24. अरुणाचल प्रदेश	11.00	0.460	—	0.946
25. चण्डीगढ़	0.12	0.013	0.02	0.030
26. देहली	1.20	1.200	2.20	2.200
27. गोआ	—	1.225	—	1.413
28. लक्षद्वीप	—	—	—	—
29. मिजोरम	—	0.900	1.00	1.9700
30. पाण्डिचेरी	0.90	1.611	1.20	1.230
योग	2619.52	887.579	5421.82	1081.893 (अनन्तिम)

डिमपोना अधिक उपलब्ध होने से देश में अन्तर्देशीय क्षेत्र में मछली उत्पादन में समग्र वृद्धि करने में मदद मिली है तथा मछली उत्पादन जो 1980-81 में लगभग 888 हजार टन था बढ़कर छठी योजना अवधि के अन्त में लगभग 1082 हजार टन हो गया है।

(ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के समुद्री मछली के उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(टनों में)

क्रम संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1983-84	1984-85 (अनन्तिम)	1985-86 (अनुमानित)
1. आन्ध्र प्रदेश	151284	146511	126848
2. गुजरात	187315	286659	297264
3. कर्नाटक	98410	167362	180186
4. केरल	385275	424718	277452
5. महाराष्ट्र	289914	321460	386454
6. उड़ीसा	47065	46984	49014
7. तमिलनाडु	244360	272841	272841
8. पश्चिमी बंगाल	39000	29000	34600
कुल राज्य	1442623	1695535	1624658
संघ राज्य क्षेत्र			
9. अण्डमान	3868	3868	4458
10. गोआ	50878	53711	39422
11. लक्षद्वीप	4301	5331	4250
12. पाण्डिचेरी	17641	18576	19365
कुल संघ राज्य क्षेत्र	76688	81486	67495
कुल योग	1519311	1777021	1692153

1985-86 के दौरान समुद्री मछली के अनुमानित उत्पादन में 1.7 प्रतिशत की कमी का मामूली अन्तर प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण है।

(ग) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन में यह बताया गया कि 1981-82 में मत्स्य पालकों की प्रति व्यक्ति आय 2,115 रुपये थी, जबकि इस अवधि के दौरान एक औसत भारतीय की प्रति व्यक्ति आय 1700 रुपये थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय मछुआरे आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं।

(घ) और (ङ) मछुआ समुदाय के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए कुछेक महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :

(क) परंपरागत मशीनी नोकाओं के लिए तट पर लगाने तथा हटाने की सुविधाओं का निर्माण।

(ख) परंपरागत नौकाओं का मशीनीकरण ताकि अधिक मछली पकड़ी जा सके।

(ग) तट पर लगने वाली उन्नत नौकाओं का प्रयोग शुरू करना।

(घ) सहकारी संस्थाओं का संगठन।

(ङ) निगमों/संघों के जरिए मछली का विपणन्।

जलपाईगुड़ी में कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का खोला जाना

8001. **श्री मानिक सान्याल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की क्षेत्रीय समिति ने दिनांक 25 अप्रैल और 13 मई, 1984 को हुई अपनी बैठकों में जलपाईगुड़ी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का समर्थन किया था, क्योंकि उस क्षेत्र में अधिकतर आदिवासी और लगभग दो लाख चाय बागान श्रमिक रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय के अब तक न खोले जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र के श्रमिकों की सुविधा के लिए अब यह कार्यालय खोला जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) पश्चिम बंगाल के लिए कर्मचारी भविष्य निधि की क्षेत्रीय समिति ने 5-10-1982, 13-5-1983 तथा 14-5-1984 को हुई अपनी बैठकों में जलपाईगुड़ी में उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार किया था तथा इसकी सिफारिश की।

(ख) से (घ) क्षेत्रीय समितियों द्वारा उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की सिफारिश किए गए प्रस्तावों पर कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है और उनके अनुमोदन के बाद इन प्रस्तावों को अन्तिम मंजूरी के लिए सरकार को भेज दिया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के विचारार्थ देश में उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने सम्बन्धी रूप-रेखा तैयार की गई है। जलपाईगुड़ी में एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को इस रूप-रेखा में शामिल कर लिया गया है जिसे केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के समक्ष उनके विचारार्थ रखा जाएगा।

पुनर्वास कालोनियों की सेवाओं का दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम को अन्तरण

8002. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम 44 झुग्गी झोंपड़ी पुनर्वास कालोनियों की सेवाओं की जिम्मेदारी तब ही संभालेगा जबकि उसको कमियां दूर करने और आवर्ती व्यय पूरा करने के लिए समुचित धन दिया जाए जैसी कि दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इन कालोनियों के रख-रखाव में कमियों को दूर करने और आवर्ती व्यय पूरा करने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन कालोनियों को किस तारीख तक दिल्ली नगर निगम को अंतरित किये जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) 1-5-1986 से पुनर्वास कालोनियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इन कालोनियों में विद्यमान सेवाओं पर होने वाले व्यय की कमी की दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा जांच की जा रही है।

त्रुटियों को दूर करने तथा पुनर्वास कालोनियों के रख-रखाव पर होने वाले आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए कुल राशि समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही ज्ञात हो सकेगी।

"हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड" की मलंजखंड परियोजना

8003. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की मलंजखंड परियोजना का कार्य अभी प्रारंभ नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विदेशी सहयोगकर्ताओं के साथ समझौतों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) दो मिलियन टन वार्षिक अयस्क उत्पादन क्षमता की वृहत खुली तांबा खान समान और क्षमता के सान्द्रक संयंत्र वाली मलंजखंड ताम्र परियोजना पूरी हो गयी है। परियोजना चालू हो गई है तथा नवम्बर, 1982 से कार्य कर रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

महानगरों के लिए विकास कार्यक्रम

8004. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना अवधियों में बंबई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली महानगरों में विकास कार्यों पर विश्व बैंक की सहायता सहित, कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में गंदी बस्तियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें कुल कितने व्यक्ति रहते हैं; और

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सभी गंदी बस्तियों को मकानों में बदलने के लिए कोई व्यापक विधेयक लाया जाएगा अथवा इस बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) बंबई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास में मलिन बस्तियों की संख्या तथा मलिन बस्ती जनसंख्या का पता लगाने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों या राज्य सरकारों द्वारा कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरण में सुधार योजना के अंतर्गत मलिन बस्तियों को लाभान्वित करने के ध्येय से समय-समय पर शहरों में कतिपय मलिन बस्ती जनसंख्या का पता लगाया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इन शहरों में पता लगाई गई मलिन बस्ती जनसंख्या निम्न प्रकार है :

शहरों का नाम	संख्या लाखों में
बम्बई	28.31
कलकत्ता	30.28
दिल्ली	18.00
मद्रास	13.03

(ग) जी नहीं।

उड़ीसा को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत गेहूं की सप्लाई

8005. श्री जगन्नाथ पटनायक :

श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य ने राहत कार्यों में लगे सूखा पीड़ित लोगों में गेहूं वितरित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत गेहूं की सप्लाई करने की मांग की है;

(ख) क्या लगातार सूखा पीड़ित क्षेत्रों के लिए गेहूं की अतिरिक्त मात्रा निर्धारित की गई है; और

(ग) कार्यक्रम के अनुसार, किए गए कार्य और छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान समाज के कमजोर वर्गों को सप्लाई किए गए खाद्यान्नों की मात्रा का ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) राहत कार्यों के लिए उपयोग में लाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत गेहूं की आपूर्ति करने के लिए उड़ीसा सरकार से अभी तक कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) चूंकि राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम एक नियमित प्लान कार्यक्रम है, इसलिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए संसाधनों का निर्धारण करने की अनुमति नहीं दी गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत संसाधनों का आबंटन एक निर्धारित मानदंड के आधार पर किया जाता है जिसके अंतर्गत 50 प्रतिशत बल कृषि मजदूरों, सीमान्त मजदूरों तथा सीमान्त किसानों की संख्या तथा 50 प्रतिशत बल ग्रामीण निर्धनता के मामलों पर दिया जाता है और इसी मानदंड को राज्य के विभिन्न जिलों में संसाधनों का वितरण करने हेतु अपनाया जाना है।

(ग) छठी योजना के दौरान उड़ीसा में किए गए कार्य इस प्रकार हैं, सामाजिक वानिकी निर्माण कार्य, गांव के तालाबों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों, स्कूल भवनों, सामूहिक आवासों का निर्माण भूमि संरक्षण तथा भूमि को कृषि योग्य बनाने के कार्य, लघु सिंचाई कार्य आदि। राज्य में छठी योजना अवधि के दौरान कुल 1.90 लाख मी० टन खाद्यान्नों की मात्रा उपयोग में लायी गयी।

खनिज गवेषण निगम लिमिटेड द्वारा कार्यशालाओं के कार्यकरण की जांच

8006. श्री मूल चन्द डागा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज गवेषण निगम लिमिटेड ने गत पांच वर्षों के दौरान नागपुर में केन्द्रीय कार्यशाला, गोधुर (बिहार) परसिया (नागपुर के निकट), रानीगंज (पश्चिम बंगाल) में क्षेत्रीय कार्यशालाओं और कोलार की सोना खानों (आन्ध्र प्रदेश) के कार्यकरण की जांच की है और उनमें सुधार के सुझाव दिए हैं और यदि हां, तो यदि कोई सुधार हुआ है तो उसका ब्योरा क्या है;

(ख) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान उपर्युक्त कार्यशालाओं में हुई जनशक्ति की हानि का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इन कार्यशालाओं को वर्ष 1984-85 के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने कार्यनिष्पादन के बारे में निगम को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी और यदि हां, तो क्या यह रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और क्या इन कार्यशालाओं के कार्यकरण में कोई सुधार हुआ है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां। खनिज गवेषण निगम लि० की एक आन्तरिक (इन हाउस) समिति ने कर्मशालाओं (वर्कशाप) के कार्यचालन का अध्ययन करके उनके कार्यनिष्पादन में सुधार के उपाय बताए हैं। इन उपायों के फलस्वरूप

उनके निष्पादन में सुधार हुआ है जैसा कि वेधन में संलग्न मशीनरी के बेहतर समग्र कार्यनिष्पादन, जिसके आंकड़े नीचे दिए गए हैं, से जाहिर है :

मद	1983-84	1984-85	1985-86
प्रयुक्त ड्रिलों की संख्या	193	202	201
वेधन (मीटरों में)	2,18,422	2,63,390	3,30,737

(ख) नागपुर की केन्द्रीय कर्मशाला में हुई कार्य-घंटों की हानि इस प्रकार है :

1983-84	1984-85	1985-86
2567	1013.5	390

फील्ड कर्मशालाएं मूलत: छोटी-मोटी मरम्मत करने वाली यूनिटें हैं, जो नियमित कार्य नहीं है। उनका कार्य फलन प्रयुक्त मशीनों की संख्या तथा फ्रन्ट-लाइन अनुरक्षण मानक पर आधारित होता है। इसलिए फील्ड कर्मशालाओं में श्रमिक हानि का आकलन करना संभव नहीं है।

(ग) फील्ड कर्मशालाएं एरिया प्रबंधकों के नियंत्रण में होती हैं तथा केवल मांग होने पर और अनुरक्षण कार्यक्रम के अनुसार ही वे मरम्मत सेवाएं प्रदान करती हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उनकी कार्य प्रणाली में सुधार, निगम की मशीनरी के उत्पादन में समग्र वृद्धि से परिलक्षित होता है।

टिन प्लेटों का निर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों का कार्यकरण

8007. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिन प्लेटों का निर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों के नाम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक यूनिट के उत्पादन का उसकी अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई टिन प्लेटों की मात्रा का ब्यौरा क्या है और उन पर प्रति वर्ष कितना खर्च हुआ और इनका आयात करने का क्या कारण है;

(घ) इस व्यापार में लगे उन प्रतिष्ठानों के नाम क्या हैं जो लाइसेंसशुदा क्षमता प्राप्त करने में असफल रहे हैं और कम उत्पादन के क्या कारण हैं; और

(ङ) कम उत्पादन वाले प्रतिष्ठानों के कार्यक्रम में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) इस समय टिन प्लेट का उत्पादन

करने वाली तीन इकाइयां हैं। वे हैं—1. मैसर्स टिन प्लेट कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, 2. के० आर० स्टील यूनियन प्राइवेट लिमिटेड और 3. सेल का राउरकेला इस्पात कारखाना।

(ख) अपेक्षित जानकारी नीचे तालिका में दी गयी है—

इकाई	लाइसेंसीकृत क्षमता	उत्पादन		
		1983-84	1984-85	1985-86
मैसर्स टिन प्लेट कम्पनी आफ इण्डिया लि०	90,000	46165	44060	59562
के० आर० स्टील यूनियन प्राइवेट लिमिटेड	60,000	23879	22035	19311
राउरकेला इस्पात कारखाना	150,000	50026	71848	72597

(ग) वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 में "सेल" द्वारा आयात किये गये वेस्ट, वेस्ट और गोण उत्पादों सहित टिन प्लेट का ब्योरा इस प्रकार है—

वर्ष	आयातित मात्रा (एम० टी०)	मूल्य (लाख रुपये) (लगभग)
1983-84	शून्य	शून्य
1984-85	8848	535
1985-86	36077	1945

वर्ष 1983-84 और 1985-86 के दौरान वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा भी अनुपूरक लाइसेंस पद्धति की मार्फत आयात किया गया था। इन आयातों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) टिन प्लेट के उत्पादन में लगी तीन इकाइयों के नाम उपर्युक्त "क" में दिए गए हैं। चूंकि आयातित टिन मिल ब्लैक प्लेट, जिससे टिन प्लेटों का उत्पादन किया जाता है, की उतरने तक की लागत काफी अधिक है और जिससे देश में टिन प्लेटों के देशीय उत्पादन की खपत के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अतः इन इकाइयों में से कोई भी इकाई अपनी कुल उत्पादन क्षमता प्राप्त नहीं कर सकी।

(ङ) सरकार ने शुल्क की रियायती दरों पर टिन मिल ब्लैक प्लेट के आयात की अनुमति दी है। टिन प्लेट के उत्पादकों ने सरकार से इस शुल्क को और कम करने के लिए कहा है ताकि वे आयातित माल के स्पर्धा में देशीय टिन प्लेटों के मूल्यों को कम कर सकें। देश में टिन मिल ब्लैक प्लेट का उत्पादन करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्षा पर आधारित क्षेत्रों के लिए विकसित की गई चावल की किस्में

8008. **डा० जी० विजयरामाराव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षा पर आधारित क्षेत्रों के लिए चावल की अधिक उत्पादन वाली किस्में दावों के विपरीत बिल्कुल असफल रही हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या नीले हरे शैवाल जैसे खाद के जैविक नाइट्रोजन स्रोतों का बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान। चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों ने, जोकि बारानी क्षेत्रों के लिए विकसित की गई हैं, न केवल चावल उत्पादन को स्थायीत्व प्रदान करने/बढ़ाने में सफलता पाई है बल्कि अपनी अल्प अवधि के कारण वे फसल सघनता को बढ़ाने में भी मददगार हैं क्योंकि इससे किसानों को वर्ष के दौरान उसी खेत में एक फसल उगाने में सहायता मिली है। उदाहरण के लिए किस्म "सत्तारी" केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक द्वारा बारानी उपराऊं क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है जो 70 दिनों में पक जाती है तथा किसान बाद में दाल की फसल, रबी की मक्का, तिलहन या शरदकालीन धान प्राप्त कर सकते हैं जो कि मृदा की नमी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। बारानी क्षेत्रों में अपनाने के लिए कुछ अन्य अधिक उपज देने वाली तथा अल्प अवधि में पकने वाली किस्में ये हैं—उड़ीसा में नीला, अन्नापूर्णा, रुद्र, शंकर तथा कलिंग-III; बिहार में बिरसाधान 101, 201; मध्य प्रदेश में तृप्ति, आभा तथा पूर्वा; महाराष्ट्र में तुलजापुर; तमिलनाडु में तिरुपाथिसा-राम, परमकुडी-I; उ० प्र० में नरेन्द्र 1; तथा आन्ध्र प्रदेश में प्रसन्ना।

(ख) जी हां, श्रीमान। अखिल भारतीय समन्वित कार्यक्रम में नील हरित काई को जैविक नेत्रजन स्रोत के रूप में जांचा गया है। हालांकि यह आशाजनक पाया गया है तो भी किसानों के खेतों में इसकी सफलता अच्छे जल प्रबन्ध की विधियों पर निर्भर करती है।

अजन्ता आर्ट्स, बिमल राय और आर० के० प्रोडक्शन्स द्वारा निर्मित फिल्मों का दूरदर्शन पर दिखाया जाना

8009. **श्री शान्ता राम नायक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय या संबंधित समिति ने अजंता आर्ट्स, बिमल राय और आर० के० प्रोडक्शन्स द्वारा निर्मित कथा-चित्रों को दूरदर्शन पर दिखाने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों द्वारा बनायी गई कौन-कौन-सी फिल्में दूरदर्शन पर दिखाई गई हैं; और

(ग) क्या इनकी कोई अन्य फिल्मों के दूरदर्शन पर दिखाए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

फीचर फिल्मों के प्रसारण के लिए उसके निर्माताओं को दी जाने वाली अदायगियां

8010. **श्री शांता राम नायक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) उन निर्माताओं को, जिनके कथा चित्र दूरदर्शन पर दिखाए जाते हैं, दूरदर्शन द्वारा कितनी धनराशि दी जाती है;

(ख) क्या हाल में यह धनराशि बढ़ा दी गई है;

(ग) क्या निर्माता और अधिक धनराशि की मांग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे कितनी धनराशि की मांग कर रहे हैं और अपनी मांग के समर्थन में निर्माताओं द्वारा दिये तर्कों का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) ट्रांसमीटरों की संख्या बढ़ जाने तथा अन्य संबंधित लागत बातों को ध्यान में रखते हुए फिल्म उद्योग की मांग के अनुसरण में हिन्दी तथा क्षेत्रीय फीचर फिल्मों को राष्ट्रीय संजाल पर रंगीन में टेलीकास्ट करने की दरों में हाल ही में वृद्धि की गई है । नई दरें, जो 1-10-85 से लागू हैं, इस प्रकार हैं :

फिल्म की श्रेणी	1-10 85 से पहले की दरें	1-10-85 के बाद की दरें
"ए"	4.00 लाख रुपये	5.00 लाख रुपये
"बी"	3.00 लाख रुपये	4.00 लाख रुपये
"सी"	2.00 लाख रुपये	3.00 लाख रुपये

(ग) 1-10-85 से लागू वर्धित दरों के बाद इस प्रकार की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सार्वजनिक छुट्टियों को दिन के समय कार्यक्रमों का प्रसारण

8011. **श्री शांताराम नायक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक छुट्टियों को दिन के समय दूरदर्शन पर मनोरंजन कार्यक्रम दिखाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रमों की अवधि और स्वरूप का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संसाधनों पर दबाव के कारण इस प्रकार का प्रस्ताव हाथ में लेना संभव नहीं है।

"इण्डियन प्रपोजल टू आई० एल० ओ० बैकफायर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

8012. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मार्च, 1986 के "स्टेट्समैन" में "इण्डियन प्रपोजल टू आई० एल० ओ० बैकफायर" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की क्षेत्रीय बैठकों में भाग लेने वाले नियोजकों के प्रतिनिधियों का खर्च नियोजकों के संगठनों द्वारा दिए जाने सम्बन्धी भारत के सुझाव को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासकीय निकाय द्वारा नामंजूर कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसका हल ढूंढ़ निकालने के लिए सरकार द्वारा क्या भूमिका अदा की गई है; और

(ग) भविष्य में स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय ने क्षत्रीय सम्मेलनों में त्रिपक्षीय प्रतिनिधियों को खर्च की अदायगी से सम्बन्धित विषय की मद को मार्च, 1986 में हुई बैठक में शासी निकाय में विचार-विमर्श के लिए रखा। चूंकि जकार्ता में हुए दसवें एशियन क्षेत्रीय सम्मेलन के संबंध में भारत की स्थिति का उल्लेख किया गया था इसलिए सरकारी प्रतिनिधि ने अपने तर्क को स्पष्ट करने के लिए मध्यस्थता की। भारत सरकार का यह तर्क था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संविधान के वर्तमान संवैधानिक उपबंधों से सदस्य देशों पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को, संवैधानिक संशोधन की उचित प्रक्रिया के अलावा, कोई अन्य वित्तीय भार का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधि मण्डल के गैर-सरकारी सदस्यों के खर्चों को पूरा करने का विकल्प, जैसा इस समय है, सदस्य देशों के पास होना चाहिए जो अपने देशों में विद्यमान नियमों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे। यह बताया गया कि क्षेत्रीय सम्मेलनों में, जिनमें दिसम्बर, 1985 में जकार्ता में हुआ एशियन क्षेत्रीय सम्मेलन भी शामिल है, गैर-सरकारी प्रतिनिधियों के खर्च को भारत सरकार को स्वेच्छा से वहन करना चाहिए। चूंकि वर्तमान नियमों में संशोधनों द्वारा सदस्य देशों पर वित्तीय भार डालने के प्रयास किए जा रहे हैं, अत: भारत सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि सरकार को केवल श्रमिक प्रतिनिधियों के खर्च को वहन करने में खुशी होगी। इस विषय पर शासी निकाय का यह निर्णय था कि क्षेत्रीय सम्मेलनों से संबंधित नियमों में संशोधन के प्रश्न को जांच के लिए स्थायी आदेश सम्बन्धी समिति को भेजा जाए। शासी निकाय के निर्णय के सम्बन्ध में औपचारिक सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

फ्रांसिसी फिल्म "हेल मैरी" के आयात पर प्रतिबंध

8013. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फ्रांसिसी फिल्म "हेल मैरी" के आयात पर जिसमें मदर मेरी को

नग्न दिखाया गया है, प्रतिबंध लगाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) फिल्म का अभी तक आयात नहीं किया गया है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम जो भारत में फीचर फिल्मों का आयात करने और आयात की अनुमति देने के लिए एकमात्र एजेन्सी है, को यह सलाह दी गई है कि यदि इस फिल्म के आयात का प्रश्न उसके विचारार्थ आए तो वह अभ्यावेदनों में निहित शिकायतों को ध्यान में रखे।

'हुडको' द्वारा वृहत कोचीन विकास प्राधिकरण को ऋणों की स्वीकृति

8014. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वृहत कोचीन विकास प्राधिकरण द्वारा हुडको से ऋणों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) इन परियोजनाओं में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) "हुडको" द्वारा कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) वृहत कोचीन विकास प्राधिकरण ने हुडको को उसके अनुमोदनार्थ एक वाणिज्यिक योजना प्रस्तुत की है।

(ख) इस योजना में कुल ऋण राशि 80.00 लाख रुपये है।

(ग) हुडको ने अभिकरणों को अनुपालनार्थ एक मूल्यांकन रिपोर्ट भेजी है। केरल राज्य में इस प्रकार की परियोजनां हेतु उपलब्ध की जा रही निधियों के बारे में अभिकरण से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् ही इस योजना की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

राजस्थान में दुग्ध क्रान्ति

8015. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में दुग्ध क्रान्ति काफी सफल हुई है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण दुग्ध विपणन चार मैट्रो डेरियों द्वारा दूध की खरीद बैलेंसिग और फीडर डेरियों, लम्बी दूरी के परिवहन के संबंध में 1985 के मध्य तक आपरेशन फ्लड-2 के राज्य-वार लक्ष्य और कार्य निष्पादन क्या था; और

(ग) चार महानगरों की डेरियों, एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों और एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों को तरल दुग्ध और दुग्ध पदार्थों की पूर्ति के राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे तथा वास्तव में कितनी पूर्ति की गई ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मौसम के

प्रकोप के बावजूद राजस्थान में दुग्ध उत्पादन 1980-81 के 32.5 लाख मीटरी टन के स्तर से बढ़कर 1984-85 में 3.50 लाख मीटरी टन हो गया।

(ख) और (ग) आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के दस्तावेज में कोई राज्य-वार लक्ष्य नहीं रखे गये थे।

कीटनाशक दवाईयों का आयात

8016· **श्री बी॰ तुलसी राम :**

श्री यशवंतराव गडाख पाटिल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कीटनाशी दवाइयों के आयात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका वर्ष-वार ब्योरा क्या है और आयात के क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रकार के कीटनाशी दवाइयों के आयात पर गत तीन वर्षों के दौरान कीटनाशी दवाई पर और वर्ष-वार कुल कितना व्यय किया गया है;

(घ) कीटनाशी दवाइयों के आयात को कम करने तथा देश में इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या इस प्रयोजन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ संयंत्र स्थापित करने की आशा है यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जाएंगे और उनमें से कितने संयंत्र आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किये जाएंगे ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित कृमिनाशी दवाइयों के प्राधिकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, जो सूचना उपलब्ध हुई है उससे यह पता चलता है कि 1983-84 के दौरान आयात की मात्रा 1982-83 से 18 प्रतिशत अधिक थी, जबकि 1984-85 में पिछले वर्ष से लगभग 23 प्रतिशत अधिक रही।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1982-83 से 1984-85 के दौरान आयातित कृमिनाशी दवाइयों की कीमत निम्न प्रकार थी :

वर्ष	आयात की गई मात्रा का मूल्य (करोड़ रुपए में)
1982-83	21.14
1983-84	27.72
1984-85	29.96

जैसाकि भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, प्राधिकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसी प्रकार, कृमिनाशी-वार ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कृमिनाशी दवाइयों की कुल खपत की 5 से 7 प्रतिशत के बीच मात्रा का आयात किया गया है। इस तथ्य को देखते हुए कि बहुत सी कृमिनाशी दवाइयां अभी देश में उत्पादित नहीं की जातीं, यह मात्रा अधिक नहीं है। तथापि, देशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, आयात नीति इस तरह तैयार की गई है कि जहां देशी उत्पादन आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है अथवा जहां देशी उत्पादन में वृद्धि होने की सम्भावना है, उन मामलों में जहां कहीं भी आवश्यक हो सीमित आयात किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। तथापि, जहां अभी देशीय उत्पादन या तो नहीं हो रहा है अथवा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां आयात नीति कुछ अधिक उदार है। नीति तैयार करते समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाता है कि एक विशेष उत्पाद के लिए विकल्प/प्रतिस्थानी देश में उपलब्ध हो सकते हैं। सरकार की यह नीति है कि कृमिनाशी दवाइयों के देशी उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए और आयात पर निर्भरता को अधिकतम सम्भावित सीमा तक कम किया जाए।

(ङ) जी, हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्यतया, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, बिहार और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में इनकी स्थापना किये जाने की सम्भावना है। आन्ध्र प्रदेश में, दी गई मंजूरी में से, दो परियोजनाओं को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौराम क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है।

भूमिहीन ग्रामीण कामगारों के लिए मकानों का निर्माण

8017. **श्री वी० तुलसीराम : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी प्रंचवर्षीय योजना के दौरान बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत भूमिहीन ग्रामीण कामगारों के लिए गृह-निर्माण में तमिलनाडु काफी पीछे था;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमिहीन ग्रामीण कामगारों के लिए बनाए गए मकानों के बारे में राज्य वार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस कार्य के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार राज्यों को और कितना धन दे रही है/आबंटित कर रही है।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) आवास राज्य का विषय होने से ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास स्थल आबंटन तथा निर्माण सहायता की योजना सहित जो 20 सूत्री कार्यक्रम का एक भाग है, सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्माण सहायता योजना की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपलब्धि का एक विवरण संलग्न है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए निर्माण सहायता के लिए कुल 541 करोड़ रुपये के प्रावधान पर विचार किया गया है।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्माण सहायता के संबंध में उपलब्धियों का विवरण

क्रम सं०	राज्य	उपलब्धियां
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	5,27,318
2.	असम	56,713
3.	बिहार	40,777
4.	गुजरात	1,68,010
5.	हरियाणा	10,563
6.	हिमाचल प्रदेश	747
7.	जम्मू और कश्मीर	2,174
8.	कर्नाटक	2,92,568
9.	केरल	10,102
10.	मध्य प्रदेश	1,92,711
11.	महाराष्ट्र	1;36,358
12.	उड़ीसा	16,396
13.	पंजाब	27,863
14.	राजस्थान	1,22,634
15.	सिक्किम	60*
16.	तमिलनाडु	1,59,900
17.	त्रिपुरा	16,597
18.	उत्तर प्रदेश	59,055
19.	पश्चिम बंगाल	57,658
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1,020
2.	दादर तथा नागर हवेली	955
		125

1	2	3
3.	दिल्ली	2,699
4.	गोआ, दमन और द्वीव	1,121
5.	लक्षद्वीप	—
6.	पांडिचेरी	9,520

*सिक्किम से 1984-85 में निर्माण सहायता ली है। उनका लक्ष्य 60 परिवार हैं।

टिप्पणी : यह योजना मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम और संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप तथा मिजोरम में चालू नहीं है और चंडीगढ़ के लिए इसका कोई महत्व नहीं है।

[हिन्दी]

राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से पेयजल की पूर्ति

8018. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेयजल की कमी को समाप्त करने के लिए इंदिरा गांधी नहर ही एकमात्र स्थायी विकल्प है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के सहयोग/सहायता से राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग क्या प्रावधान किए गए हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनाएं राज्यों द्वारा तैयार की जाती हैं तथा उनका कार्यान्वयन किया जाता है और ये भू-जल, नहर जल सहित सतही जल तथा अन्य स्रोतों पर आधारित हैं। राजस्थान में पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु इंदिरा गांधी नहर से भी जल का उपयोग किया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संशोधित दूसरे चरण में चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर तथा श्रीगंगानगर जिलों में पीने के लिए तथा औद्योगिक कार्यों के लिए 0.65 मिलियन एकड़ फुट जल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

(ख) और (ग) सातवीं योजना के दौरान इंदिरा गांधी नहर परियोजना हेतु 400 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य ग्रामीण जल आपूर्ति खण्ड हेतु सातवीं योजना में अनुमोदित परिव्यय 150 करोड़ रुपये हैं। केन्द्रीय क्षेत्र के त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1985-86 के दौरान राज्यों को 27.32 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई थी तथा 1986-87 हेतु 21.22 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन कार्यक्रम दिखाने के लिए क्षेत्रीय ग्रिड

8019. **कुमारी डी० के० तारादेवी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिखाने के लिए क्षेत्रीय ग्रिड कब तक बना दिए जाएंगे; और

(ख) ऐसे कितने ग्रिड बनाये जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) किसी राज्य में प्राथमिक (क्षेत्रीय) सेवा चालू करने के लिए (1) राज्य (सामान्यत: राजधानी) में कार्यक्रम निर्माण तथा (2) राज्य के ट्रांसमीटरों के साथ कार्यक्रम निर्माण केन्द्र के माइक्रोवेव या उपग्रह संपर्क के लिए सुविधाएं उपलब्ध होनी आवश्यक हैं। सातवीं योजना के अंत तक, सभी राज्यों में कार्यक्रम निर्माण के लिए सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है। अतिरिक्त माइक्रोवेव लिंकों तथा उपग्रह ट्रांसपोंडरों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय सेवा चरणों में शुरू होने की उम्मीद है।

दालों तथा तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता

8020. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को दालों तथा तिलहनों के विकास के लिए दी गई धनराशि तथा सहायता का स्वरूप क्या है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए क्या मानदंड अपनाया गया;

(ग) क्या सहायता दालों या तिलहनों की खेती के क्षेत्र में वृद्धि के आधार पर दी गई है; और

(घ) दालों और तिलहनों के विकास के लिए गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी गई तथा केन्द्रीय सहायता का स्वरूप क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गत पांच वर्षों के दौरान तिलहनों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को अनुदान सहायता के रूप में 12537.39 लाख रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

(ख) और (ग) दलहन तथा तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्तमान क्षेत्र तथा उत्पादन के साथ-साथ उनकी संभाव्यताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों को अनुदान-सहायता दी जाती है।

(घ) दालों और तिलहनों के विकास के लिए गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान की गई अनुदान सहायता पृष्ठ 126 पर दी गई है।

राज्य	निर्मुक्त की गई रकम (लाख रुपए में)	
	दाल	तिलहन
आन्ध्र प्रदेश	55 60	1037.23
असम	13.19	33.74
बिहार	120.33	110.50
गुजरात	166.73	4012.87
हरियाणा	86.81	73.80
कर्नाटक	59.84	516.55
केरल	19.94	—
मध्य प्रदेश	230.36	1369.40
महाराष्ट्र	314.05	1078.44
उड़ीसा	62.75	264.40
पंजाब	27.26	88.19
राजस्थान	96.77	308.84
तमिलनाडु	64.40	1210 84
उत्तर प्रदेश	333.78	602.07
पश्चिम बंगाल	51.16	58.13
हिमाचल प्रदेश	11.67	11.73
जम्मू और कश्मीर	4.01	4.52
मणिपुर	15.87	—
त्रिपुरा	5.47	—
मेघालय	0.66	—
सिक्किम	6.49	6.44
नागालैंड	2.51	—
योग	1749.65	10787.74

मध्य प्रदेश में विशिष्ट फलोद्यान (इलाइट आर्चर्ड)

8021. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने इलाइट आर्चर्ड हैं;

(ख) क्या इस प्रकार मध्य प्रदेश में कोई इलाइट आर्चर्ड स्थापित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक स्थापित किया जाएगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत 10 उत्कृष्ठ संतति उद्यान स्थापित किए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत मध्य प्रदेश में एक उत्कृष्ट संतति उद्यान स्थापित करने का प्रस्ताव था। तथापि, धन के अभाव के कारण सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई और उत्कृष्ट संतति उद्यान स्थापित करना संभव नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

दूध की ढुलाई

8022. श्री पी० आर० कुमारमंगलम :

डा० टी० कल्पना देवी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में इन्दौर तथा गुजरात में आनन्द जैसे स्थानों से कलकत्ता को तरल दूध की ढुलाई सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से की जा रही है;

(ख) क्या यह विश्व में अपने प्रकार की पहली उपलब्धि है;

(ग) सभी प्रासंगिक तथा संसाधन लागतों, आदि सहित इस दूध का प्रति लिटर मूल्य कितना होगा;

(घ) क्या राष्ट्रीय दूध की ढुलाई कम दूरी तक की जानी होती है और मखनिया (स्किम्ड) दूध पावडर की ढुलाई लम्बी दूरी तक की जानी होती है और क्या झा समिति ने इस संबंध में कोई सुझाव दिया है;

(ङ) क्या दूध ग्रिड योजना के अन्तर्गत तरल दूध की ढुलाई के लिए पर्याप्त रेल तथा सड़क परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ताकि दिल्ली तथा कलकत्ता की मदर डेयरियों को दूध की नियमित रूप से सप्लाई सुनिश्चित की जा सके; और

(च) क्या वर्ष 1970 में आरम्भ की गई दो राष्ट्रीय डेरी परियोजनाओं के अन्तर्गत दिल्ली तथा कलकत्ता के इर्द-गिर्द क्षेत्रों में दूध के उत्पादन में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गुजरात में आनन्द से कलकत्ता को तरल दूध की ढुलाई अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस रेलगाड़ी से की जा रही है। तथापि इन्दौर से कलकत्ता को दूध की ढुलाई नहीं की जा रही है।

(ख) कलकत्ता को लम्बी दूरी से दूध की ढुलाई का काम 1979 से चल रहा है। विश्व के अन्य भागों में दूध की इस प्रकार की ढुलाई से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) आनन्द से कलकत्ता को 7 प्रतिशत वसा तथा 9 प्रतिशत (एस० एन० एफ०) संयोजन वाले दूध का प्रति लिटर मूल्य लगभग 4.87 रुपये है, इसमें संसाधन तथा भाड़ा शामिल है।

(घ) राष्ट्रीय दूध ग्रिड की स्थापना अनिवार्यतः अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को तरल दूध की लम्बी दूरी तक ढुलाई संबंधी सुविधाएं मुहैया करने के लिए की गई है। झा समिति ने राष्ट्रीय दूध ग्रिड की अवधारणा की सराहना की है।

(ङ) दूध की ढुलाई के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता होगी।

(च) आपरेशन फ्लड परियोजना 1 और 2 के कारण दूध के उत्पादन में हुई वृद्धि संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

धान की अच्छी किस्म विकसित करने में केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान का असफल रहना

8023. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान, कटक, जो 1946 से कार्य कर रहा है, धान की अधिक उपज देने वाली किस्म जो विशेषकर पूर्वी राज्यों के लिए उपयुक्त हो, विकसित करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कार्य की पुनरीक्षा करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा; और

(ग) क्या केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान द्वारा आयातित किस्मों से 1965 में विकसित की गई अधिक उपज देने वाली किस्म ताईचुंग नेटिव-1 को बैक्टीरिया ब्लाइट से ग्रस्त हो जाने के खतरे के कारण जारी नहीं किया गया और इसके बजाय अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान, मनीला से प्राप्त आई० आर०-8 किस्म जारी की गई जिससे देश के उत्तर-पश्चिमी राज्यों में धान उत्पादन में वृद्धि हुई है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक 1946 से कार्य कर रहा है और इसने धान की खेती के सभी पक्षों पर मौलिक/व्यवहारिक/अनुकूलीय अनुसंधान चलाने; धान जनित्रद्रव्य के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में; उन्नत उत्पादन हेतु नियंत्रित विश्लेषण; प्रौद्योगिकी

का स्थानान्तरण तथा प्रशिक्षण अनुसंधान/विस्तार कार्यकर्ताओं के संबंध में प्रशंसनीय कार्य किया है। इस संस्थान को कुछ उत्कृष्ट किस्मों का विकास करने का श्रेय है जैसे 70 दिनों के भीतर विश्व में शीघ्रतम पकने वाली किस्म सत्तारी; बारानी उपराऊं क्षेत्र के लिए उपयुक्त नीला, रुद्र, शंकर, कलिंग III; निचले जलाक्रान्त क्षेत्रों के लिए जगन्नाथ; देर से रोपन के लिए सी० आर० 1018 तथा उर्वरक प्रयोग दक्षता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी जैसे यूरिया सुपरग्रेनूलेस (अतिकणी) का प्रयोग, जैव उर्वरक जैसे अजोला/नीली हरी काई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ताईचुंग नेटिव-I, जैसाकि नाम से स्पष्ट है, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक में विकसित नहीं हुई। यह वर्ष 64-65 में संकरण के माध्यम से ताईचुंग नेटिव-I के बौने अनुबंशी के समावेशन द्वारा स्थानीय चावल की खेती सुधार हेतु ताईवान से शुरु की गयी थी। आई० आर०-8 एक बौनी किस्म है जिसे भारत में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित करके 1966 में शुरू किया गया था। इसे कई राज्यों में व्यापक रूप से अपनाने, अधिक उपज तथा बेहतर कीट सहिष्णुता के लिए जारी किया गया था।

अरब अमीरात द्वारा बम्बई में तटवर्ती राजमार्ग को निर्माण करने की पेशकश

8024. श्री हुसैन दलवाई : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात ने बम्बई में नारीमन प्वाइंट से बान्द्रा तक तटीय राजमार्ग का निर्माण करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पेशकश की शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या इस प्रस्ताव के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के अधिक जल ग्रहण क्षेत्रों में भू-संरक्षण

8025. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली बड़ी और छोटी नदियों के अधिक जलग्रहण क्षेत्रों में वन रोपण के रूप में भू-संरक्षण के प्रभावशाली उपाय करने के लिए कोई योजना प्रायोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में इन क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप में किस हद तक लक्ष्य प्राप्त हुए;

(घ) यदि लक्ष्य प्राप्त करने में कोई कमी हुई है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सातवीं योजना के लिए क्या वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) छठी योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में पड़ने वाले ऊंचाई पर स्थित स्रवण क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही थीं और सातवीं योजना के दौरान इन्हें जारी रखा जा रहा है :

(1) रामगंगा स्रवण क्षेत्रों सहित नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।

(2) अपर गंगा और अपर यमुना सहित बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में एकीकृत जल-विभाजक प्रबंध।

(3) उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण।

(4) कुमांयू और गढ़वाल क्षेत्रों के जिलों में सामाजिक वानिकी, जिसमें ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के पौधे लगाना भी शामिल है।

उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 5520J हैक्टार के लक्ष्य की तुलना में लगभग 54300 हैक्टर क्षेत्र में मृद संरक्षण सहित वनरोपण का कार्य शुरू किया गया, जिससे छठी योजना के लिए रखे गए भौतिक लक्ष्य लगभग पूरे हो गए। ऊपर बताई गई पहली तीन योजनाओं के अधीन वनरोपण के अतिरिक्त, अन्य किस्मों की भूमि का भी मृदा संरक्षण उपायों से उपचार किया जाता है।

(ङ) उल्लिखित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए धनराशि का आबंटन वर्षानुवर्ष आधार पर किया जाता है। इसलिए, सातवीं योजना के भौतिक लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश में पाए गए धातु और खनिजों के भण्डार

8026. **श्री हरीश रावत :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में तांबा सहित कई धातुओं और खनिजों के भंडार पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(ग) उन स्थानों के नाम घोषित कर दिए गए हैं जहां यह धातुएं और खनिज पाए गए हैं; और

(घ) इस खनिज सम्पत्ति का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जी हां।

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में ज्ञात धातुओं, खनिजों और स्थलों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

खनिज धातु का नाम	स्थल
1. तांबा, सीसा-जस्ता	अस्कोट
2. चूनापत्थर (सीमेंट ग्रेड)	गंगोलीहाट
3. मैगनेसाइट	देवलथाल, थाल, चन्दाग, तरिगांव तथा चरणदेव ।
4. सोपस्टोन	कनालीछीना, थाल, देवलथाल, चन्दाग तथा बेरीनाग आदि ।

(घ) (1) इस समय अस्कोट निक्षेप का विस्तृत गवेषण किया जा रहा है तथा विदोहन के किसी प्रस्ताव पर गवेषण के पूरा होने पर ही, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

(2) चौनाल चूनापत्थर निक्षेप पर आधारित निजी क्षेत्र में दो लघु सीमेंट कारखाने लगाने पर विचार किया जा रहा है ।

(3) देवल थाल निक्षेप का मैं० भारत रिफैक्ट्रीज द्वारा विकास किया जा रहा है ।

पिथौरागढ़ में भारत रिफैक्ट्रीज की स्थापना

8027. श्री हरीश रावत : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश में रिफैक्ट्रीज के नाम से एक रिफैक्टोरी की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है; और

(ग) इस परियोजना के निर्माण के लिए वर्ष 1986-87 में क्या प्रावधान किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं । परन्तु मैग्नेसाइट के खनन के लिए एक इकाई स्थापित करने तथा वहां मैग्नेसाइट के निस्तापन के लिए एक रोटरी किलन स्थापित करने का प्रस्ताव था ।

(ख) कारखाने तथा बस्ती के निर्माण के लिए 46.94 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी जिसमें से 23.13 एकड़ प्राइवेट भूमि का अधिग्रहण पहले से ही कर लिया गया है, परन्तु अभी तक सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है ।

(ग) वर्ष 1986-87 के बजट अनुमानों में 36 लाख रुपये की व्यवस्था कर दी गई है ।

उत्तर प्रदेश को जलपूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता

8028. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को उत्तर प्रदेश राज्य के पेयजल की कमी वाले गांवों में पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई व्यापक योजना प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को दी गई धनराशि की प्रतिशतता अन्य कई राज्यों की तुलना में काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो पेयजल की पूर्ति के लिए विभिन्न राज्यों को सातवीं पंचवर्षीय योजना में दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश को दी गई धनराशि से सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) आपूर्ति राज्य का विषय होने के कारण पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनाएं राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाती हैं तथा उनका कार्यान्वियन किया जाता है। केवल केन्द्रीय क्षेत्र के त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ की जाने वाली योजनाएं ही तकनीकी जांच तथा अनुमोदन हेतु केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाती हैं। उत्तर प्रदेश के कमी वाले गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार से त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई व्यापक योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) राज्य के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु परिव्यय की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-1 में दर्शायी गयी है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के दौरार निर्मुक्त की गयी निधियों तथा वर्ष 1986-87 हेतु अनन्तिम आबंटन का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-2 में दर्शाया गया है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को वर्ष 1985-86 के दौरान 46.06 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये थे तथा 1986-87 के लिए उत्तर प्रदेश हेतु 46.15 करोड़ रुपये का अनन्तिम आबंटन किया गया है जोकि अन्य राज्यों को उपलब्ध कराई गई। आबंटित धनराशि से कम नहीं है। इसके अतिरिक्त पेयजल योजनाओं के लिए सूखा राहत के अन्तर्गत 1985-86 में उत्तर प्रदेश के लिये 8.88 करोड़ रुपये का अधिकतम व्यय अनुमोदित किया गया था।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता दशक के उद्देश्यों के अनुसार सातवीं योजना का उद्देश्य सम्पूर्ण ग्रामीण जनता को पर्याप्त पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

विवरण-1

सातवीं योजना के दौरान राज्य योजनाओं में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के प्रावधान को र्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सातवीं योजना 1985-90 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के प्रावधान
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	140.00
2.	असम	90.00
3.	बिहार	95.00
4.	गुजरात	80.00
5.	हरियाणा	105.00
6.	हिमाचल प्रदेश	68.00
7.	जम्मू व कश्मीर	120.00
8.	केरल	81.00
9.	कर्नाटक	75.00
10.	मध्य प्रदेश	143.00
11.	महाराष्ट्र	460.00
12.	मणिपुर	22.00
13.	मेघालय	30.00
14.	नागालैंड	15.00
15.	उड़ीसा	40.00
16.	पंजाब	65.00
17.	राजस्थान	150.00
18.	सिक्किम	10.00
19.	तमिलनाडु	175.00
20.	त्रिपुरा	20.00

1	2	3
21.	उत्तर प्रदेश	175.00
22.	पश्चिम बंगाल	35.00
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	8.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	18.00
25.	चण्डीगढ़	—
26.	दादरा व नगर हवेली	0.75
27.	दिल्ली	6.00
28.	गोआ दमण व द्वीव	5.00
29.	लक्षद्वीप	1.50
30.	मिजोरम	18.00
31.	पांडिचेरी	2.00
	कुल :	2253.25

विवरण-2

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के दौरान निधियों के बंटन तथा 1986-87 हेतु अनन्तिम आबंटन की राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1985-86 में किया गया बंटन*	1986-87 हेतु अनन्तिम आबंटन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1587.44	1760.00
2.	असम	1569.02	1370.00
3.	बिहार	1527.25	2930.00
4.	गुजरात	852,00	1016.00

1	2	3	4
5.	हरियाणा	943.00	520.00
6.	हिमाचल प्रदेश	914.84	630.00
7.	जम्मू व कश्मीर	1486.00	1900.00
8.	कर्नाटक	1566.05	1254.00
9.	केरल	1091.00	996.00
10.	मध्य प्रदेश	2615.00	2266.00
11.	महाराष्ट्र	1850.88	1934.00
12.	मणिपुर	451.98	308.00
13.	मेघालय	400.00	420.00
14.	नागालैंड	428.18	1278.00
15.	उड़ीसा	951.00	1278.00
16.	पंजाब	691.55	514.00
17.	राजस्थान	2736.13	2122.00
18.	सिक्किम	212.00	372.00
19.	तमिलनाडु	2013.15	1544.00
20.	त्रिपुरा	361.00	350.00
21.	उत्तर प्रदेश	4606.00	4615.00
22.	पश्चिम बंगाल	667.00	2480.00
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	54.44	40.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	68.50	64.00
25.	चण्डीगढ़	—	—
26.	दादरा व नगर हवेली	—	12.00
27.	दिल्ली	—	—
28.	गोवा दमण व दीव	20.00	46.00
29.	लक्षद्वीप	—	10.00
30.	मिजोरम	68.00	68.00
31.	पांडिचेरी	10.75	26.00
	कुल :	29741.66	31267.00

*इनमें एम० एण्ड आई० यूनिटों के लिए किया बंटन भी शामिल है।

[अनुवाद]

केरल में मसाला केन्द्र

8029. **श्री टी० बशीर : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा केरल; एक मसाला अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उसे कहां स्थापित किया जायेगा; और

(ग) इस केन्द्र के अन्तर्गत किन-किन वाणिज्यिक फसलों को लाये जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। केन्द्रीय बागानी फसल अनुसन्धान संस्थान के वर्तमान क्षेत्रीय स्टेशन का स्तर बढ़ाकर कालीकट में एक राष्ट्रीय मसाला अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किया जायेगा। इस केन्द्र के दो क्षेत्रीय स्टेशन होंगे, एक केरल में पेरूवन्नामूजी में और दूसरा कर्नाटक में अप्पनगाला में और सातवीं योजना के दौरान इसका नियोजन परिव्यय रु० 100 लाख का होगा।

(ग) यह केन्द्र काली मिर्च, अदरख, हल्दी, जायफल, लौंग, दालचीनी और इलायची पर अनुसन्धान कार्य करेगा।

केरल में विश्व बैंक की सहायता से झींगा मछली पालन परियोजना

8030. **श्री टी० बशीर : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विश्व बैंक की सहायता से समेकित झींगा मछली पालन परियोजना आरम्भ करने का विचार है;

(ख) तदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस परियोजना में कुल कितनी राशि का निवेश किया गया है;

(घ) इससे कितने लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार मिलेगा; और

(ङ) इस परियोजना के अन्तर्गत कौन-कौन से स्थान लाये जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विश्व बैंक ने झींगा तथा मछली पालन के क्रियान्वयन सम्बन्धी परियोजना प्रस्ताव पर अनुकूल दृष्टि से विचार नहीं किया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दूरदर्शन द्वारा सरकारी क्षेत्र के बारे में अधिक और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण

8031. **प्रो० वाई० एस० महाजन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में अधिक और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के प्रसारण की योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) क्या उन्हें यह भी जानकारी है कि चालू योजना प्रारम्भ होने से पूर्व सरकारी क्षेत्र के बारे में कार्यक्रमों के प्रसारण पर कुल निवेश 35,000 करोड़ रुपये था जबकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1,80,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं; और

(ग) क्या ऐसे कार्यक्रम सरकारी क्षेत्र के बारे में विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों से तैयार कराने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सार्वजनिक क्षेत्रों के बारे में टी० वी० फीचरों को दूरदर्शन द्वारा अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में तथा विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में पहले ही टेलीकास्ट किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के फार्मेट तथा विषय-वस्तु का, कार्यक्रम नियोजन की कार्रवाई के अंग के रुप में, सार्वजनिक क्षेत्र के सम्बन्धित उपक्रमों के परामर्श से निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है।

(ख) यह मन्त्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के योजनागत परिव्यय की मात्रा से सीधे सम्बन्धित नहीं है। तथापि, सातवीं योजना के लिए दूरदर्शन का योजनागत परिव्यय 700 करोड़ रुपए है।

(ग) जी, नहीं।

दूरदर्शन द्वारा पृथक समाचार ब्यूरो का गठन

8032. **श्री गौरी शंकर राजहंस :** क्यासूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन का विचार देश में वर्तमान "जनरल न्यूज रूम" के स्थान पर अपना समाचार ब्यूरो गठित करने का है;

(ख) दूरदर्शन द्वारा अपना न्यूज ब्यूरो गठित करने का उद्देश्य क्या है; और

(ग) इस समाचार ब्यूरो द्वारा किस सीमा तक समाचारों की पूर्ति की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दूरदर्शन के लिए अलग समाचार ब्यूरो आरम्भ करना उन कदमों में से एक है जिन्हें दृश्य माध्यम के रूप में दूरदर्शन की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन पर राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों के प्रस्तुतीकरण के विषयों और स्तर में सुधार करने के लिए सोचा गया है।

कतार दूरदर्शन द्वारा भारतीय फिल्मों का मंगाया जाना

8033. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतार दूरदर्शन ने भारतीय फिल्में मंगाई हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तों तथा अनुबन्धों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सौदे से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(घ) कतार दूरदर्शन से प्रसारण के लिए जो फिल्में भेजने का विचार है उनके नाम तथा भाषाएं क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ) कतार राज्य ने कतारी टेलीविजन संजाल के लिए भारतीय फीचर फिल्मों में रुचि दिखाई है। तथापि, अभी तक उनके साथ कोई करार नहीं हुआ है। अतः इस अवस्था पर, अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा की मात्रा के बारे में सूचना या कतारी टेलीविजन संजाल को भेजे जाने वाली फिल्मों का ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

इस्पात का अनबिका भण्डार

8034. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के इस्पात निर्माताओं ने पाया है कि इस्पात की मांग वर्ष 1985 के दौरान आशाओं के अनुरूप नहीं बढ़ी है और वर्तमान प्रवृत्ति भी आशापूर्ण नहीं है;

(ख) यदि हां, तो मांग न बढ़ने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसके कारण 1986-87 और 1987-88 के लिए इस्पात क्षेत्र के लक्ष्यों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) वर्ष 1985-86 के दौरान इस्पात का समग्र अपक्रय सामान्यतः प्रत्याशित मांग के अनुसार किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

हुडको पैटर्न स्कीम 1979 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का सेवा निवृत्त होने वाले लोगों को आबंटन में प्राथमिकता

8035. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेवा निवृत होने वाले अथवा सेवा निवृत उन व्यक्तियों को जिन्होंने हुडको पैटर्न स्कीम 1979 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटन के लिए पंजीकरण कराया हुआ था, फ्लैटों के आबंटन में कोई प्राथमिकता देने का है, ताकि उन्हें गैर-सरकारी रिहायशी आवास अधिक ऊंची दरों पर किराए पर लेने में विवश न होना पड़े; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सेवानिवृत/सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पद्धति (हुडको) योजना, 1979 की पंजीकरण विवरणिका में प्राथमिकता आधार पर फ्लैटों के आबंटन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, प्राधिकरण ने ऐसे व्यक्तियों को सहायता देने के लिए 1985 में एक निर्णय लिया था तथा मई, 1985 में ऐसे व्यक्तियों से आवेदन मांगे थे जो कि 15-12-79 को सेवानिवृत हो गए थे या दिसम्बर, 1985 में सेवानिवृत होने वाले थे। पात्र व्यक्तियों से प्राप्त 1035 आवेदनों में से 559 व्यक्तियों को फ्लैटों का आबंटन कर दिया गया है। निम्न आय वर्ग तथा जनता श्रेणी के पंजीकृतों की मांग को पूर्णतः सन्तुष्ट कर दिया गया है। केवल 476 मध्यम आय वर्ग श्रेणी के व्यक्तियों को अभी आबंटन किया जाना है तथा अगली लाटरियों में उन्हें आबंटन प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।

विज्ञापन नीति

8036. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा सरकारी विज्ञापन जारी करने के बारे में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और उनकी दरें निर्धारित करने के मानदण्ड क्या हैं;

(ख) विज्ञापन निकालने, रोजगार की और संघ लोक सेवा आयोग की सूचनाएं और निविदा सम्बन्धी सूचनाएं प्रकाशित करने हेतु बड़े समाचार पत्रों, मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों और लघु समाचारपत्रों के लिए विज्ञापन बजट आबंटन की प्रतिशतता क्या है;

(ग) उन समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के नाम क्या हैं जिन्हें विज्ञापन और दृश्य प्रचार विभाग के विज्ञापन जारी किए जाते हैं और विज्ञापन, रोजगार और संघ लोक सेवा आयोग की सूचनाओं और निविदा सूचनाओं के लिए उनकी श्रेणीवार दरें क्या हैं;

(घ) किन-किन विभागों/मंत्रालयों के विज्ञापन लघु समाचारपत्रों को नहीं दिए जाते हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकारी क्षेत्र के किन-किन निगमों के विज्ञापन, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से जारी किए जाते हैं; और

(च) विज्ञापन सम्बन्धी मामले पर दिनकर समिति और तृतीय प्रेस आयोग की क्या सिफारिशें हैं और सरकार किस सीमा तक उन सिफारिशों का पालन कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से सरकारी विज्ञापनों को विज्ञापन नीति में निर्धारित नीति मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार जारी किया जाता है। विज्ञापन दरों का निर्धारण सरकार द्वारा विकसित दर-ढांचे के आधार पर किया जाता है तथा यदि किसी समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र की वाणिज्यिक

विज्ञापन दर विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के दर-ढांचे के आधार पर निकाली गई दर से कम होती है तो उस समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र की वाणिज्यिक दर स्वीकार कर ली जाती है।

(ख) अब तक बड़े मझोले/लघु समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन 40:60 के अनुपात में जारी किए जाते थे। तथापि, ग्राहक मन्त्रालयों/विभागों की आवश्यकताओं के अनुसार लक्ष्य पाठकों तक पहुंचने के लिए उपयुक्त अनुपात में कतिपय परिवर्तन अपरिहार्य हो गए हैं।

(ग) और (घ) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय सभी मन्त्रालयों/विभागों (रेलवे को छोड़कर) की ओर से सजावटी तथा वर्गीकृत दोनों प्रकार के विज्ञापनों को प्रचार आवश्यकताओं तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, अपनी माध्यम सूची में शामिल समाचारपत्रों को बिना किसी भेदभाव के जारी करता है। 1-4-85 से 31-12-85 तक के दौरान इस प्रकार के विज्ञापन 2593 समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों को जारी किए गए थे। सजावटी और वर्गीकृत दोनों प्रकार के विज्ञापनों के लिए विज्ञापन दर एक जैसी है। वैयक्तिक समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्र की विज्ञापन दरें उसकी प्रसार संख्या पर निर्भर करती हैं।

(ङ) जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे अपने विज्ञापनों को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से जारी करें, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (जिनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं) अपने विज्ञापनों को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से जारी कर रहे हैं

(च) मौजूदा विज्ञापन नीति को दिवाकर समिति (1965) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था।

सरकार ने तृतीय प्रेस आयोग का गठन नहीं किया है।

विवरण

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से अपने विज्ञापन जारी करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची

1. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची।
2. इण्डियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, बम्बई।
3. हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर।
4. स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
5. ई० एस० आई० कारपोरेशन, नई दिल्ली तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय।
6. औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
7. आवास एवं शहरी विकास निगम, नई दिल्ली।
8. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, इलाहाबाद।
9. प्रोटोटाइप डेवेलपमैंट एण्ड ट्रेनिंग सैंटर, एन० एस० आई० सी०/राजकोट, नई दिल्ली।

10. इण्डियन मेडिशिन फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन, रानीखेत (उत्तर प्रदेश)।

11. भारतीय सड़क निर्माण निगम, नई दिल्ली।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मस्जिदों और कब्रिस्तानों के लिए भूमि का आवंटन

8037. **श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास 31 मार्च, 1986 को दिल्ली के शहरी क्षेत्र में मस्जिदों और कब्रिस्तानों के लिए भूमि का आबंटन करने हेतु कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े थे और वर्ष 1985-86 के दौरान कितने आवेदन पत्रों पर स्वीकृति नहीं दी गई थी;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) भूमि आबंटन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क)

लम्बित मामलों की संख्या	1985-86 के दौरान अस्वीकृत
मस्जिद—7	शून्य
कब्रिस्तान—4	

(ख) मस्जिदों के लिए शालीमार बाग, रोहिणी, सुल्तानपुरी, तुर्कमान गेट, नन्द नगरी, जनकपुरी और जमरूदपुर से तथा कब्रिस्तानों के लिए बजीरपुर, ज्वाला हेड़ी, पश्चिम बिहार, पाण्डव नगर, यमुना-पार क्षेत्र और यमुना बिहार से अनुरोध प्राप्त है।

(ग) मस्जिदों के लिए भूमि के आबंटन के मामले लम्बित पड़े हुए हैं क्योंकि इन समितियों ने अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। कब्रिस्तानों के मामले में सभी मामले नए हैं और स्थलों को उद्दिष्ट/आबंटित करने की कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

लोह तथा अलोह खनिजों का भण्डार

8038. **श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा खोजी गई लोह तथा अलोह खनिजों के महत्वपूर्ण भण्डारों का संक्षिप्त ब्योरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीत भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा खोज कार्य पर कितना खर्च किया गया ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, फील्ड सत्र कार्यक्रम (अर्थात् 1 अक्तूबर से 30 सितम्बर) के अनुसार भू-वैज्ञानिक मान-

चित्रण और क्षेत्रीय खनिज मूल्यांकन करता है। वर्ष 1985-86 के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण का वार्षिक कार्यक्रम (अक्तूबर, 1985 से सितम्बर, 1986) चल रहा है। महत्वपूर्ण लब्धियों/खोजों का मूल्यांकन सितम्बर में कार्य पूरा होने के बाद प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर ही किया जा सकता है।

(ख) वित्त वर्ष 1985-86 के दौरान, सर्वेक्षण पार्टियों के लिए खनिज गवेषण के अन्तर्गत भारतीत भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण का अनन्तिम आवंटित व्यय लगभग 1878 लाख रुपए है।

अच्छे दुधारू पशुओं की नस्ल समाप्त होना

8039. **श्री मानिक रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की विशाल डेरी क्षमता, विशेषकर दुधारू पशुओं की नस्लों के विकास के लिए वर्ष 1986 में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी और यदि हां, तो इसके लिए कौन-सी विशेष परियोजनाएं शुरू की गईं और राष्ट्रीय दुधारू पशुओं की नस्लों की व्यवस्था करने में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुईं और प्रत्येक नस्लों के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गुजरात, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश की कुछ अच्छे दुधारू पशुओं के मृत्यु और समाप्त होने जैसा गम्भीर खतरा पैदा हो गया है और यदि हां, तो उन्हें बचाने के लिए भारतीय डेरी निगम की तकनीकी शाखा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और सरकार की क्या भूमिका रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का नवीकरण करने और इसको पूर्णकालिक व्यवसायिक डेरी उत्पादक के रूप में विकास करने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की स्थापना प्राथमिक तौर पर डेरी विकास तथा डेरी के काम को बढ़ावा देने और तकनीकी जानकारी का प्रसार करने तथा भारत सरकार राज्य सरकारों, निगमों या स्थानीय संस्थाओं को डेरी विकास के मामले में सलाह देने के लिए सितम्बर, 1965 में की गई थी। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड दुधारू नस्लों का विकास करने का कार्य नहीं कर रही है। आपरेशन फ्लड-दुग्ध उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र के अधीन दुग्ध शालाओं में पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वर्ष 1984-85 के दौरान 7,543 डेरी सहकारी समितियों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सेवायें प्रदान की गईं। वर्ष 1984-85 के दौरान कुल 13,29,455 कृत्रिम गर्भाधान किए गए और 1,42,510 बछियां पैदा हुईं।

(ख) कृषि और सहकारिता विभाग में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, इन राज्यों में सूखे के कारण कुछेक मवेशियों पर इसका प्रभाव होने की सम्भावना है। इन राज्यों में मवेशी प्रजनकों द्वारा अनुभव की जा रही दिक्कतों को कम करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा इन इलाकों में चारा, पानी और दवाइयां सप्लाई करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

दूरदर्शन पर दूसरा चैनल शुरू करना

8040. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में दूरदर्शन पर दूसरे चैनल में राष्ट्रीय नेटवर्क शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में दूरदर्शन पर दूसरे चैनल में राष्ट्रीय नेटवर्क शुरू करने की कोई सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में "सफेद मक्खी" (व्हाइट फ्लाई) द्वारा कपास की फसल को नुकसान

8041. श्री सी० सम्बु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि "सफेद मक्खी" (व्हाइट फ्लाई) ने आन्ध्र प्रदेश के बेल्लारी, रायचूर और प्रकाशम जिलों में कपास और अन्य फसलों को नष्ट कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो फसलों को "सफेद मक्खी" से होने वाले खतरे को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या कृषि अनुसन्धान विभाग द्वारा कोई अनुसन्धान, सर्वेक्षण और उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। सरकार को आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम और कर्नाटक के बेल्लारी और रायचूर जिलों में कपास और मूंगफली, सूरजमुखी और धनियां जैसी अन्य फसलों को सफेद मक्खी द्वारा क्षति पहुंचाए जाने के बारे में पता है।

(ख) सफेद मक्खी द्वारा कृषि फसलों पर भारी आक्रमण किए जाने का मूल कारण सिन्थेटिक प्राइरेथ्रोइड्स का अन्धाधुन्ध उपयोग, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की अत्यधिक मात्रा में उपयोग और कृमियों के सम्वर्धन के लिए मौसम की अनुकूल परिस्थितियों का होता है। इनको ध्यान में रखते हुए किसानों को अब यह सलाह दी गई है कि वे सफेद मक्खी जैसे चूषक कृमियों के नियन्त्रण के लिए सिन्थेटिक पाइरेथ्रोइड्स के केवल 2-3 छिड़काव के साथ-साथ अन्य परम्परागत कृमिनाशियों का भी छिड़काव बारी-बारी से करें।

संघ सरकार/भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, राज्य सरकारें और कृषि विश्वविद्यालय सिन्थेटिक पाइरेथ्रोइड्स के उपयोग और कपास में सफेद मक्खी के पुनरुत्थान पर कार्याशालाओं, सेमिनार, बैठकों और विचार-विमर्श का आयोजन कर रहे हैं और आगामी मार्गदर्शन के लिए उपचारी उपाय कर रहे हैं।

(ग) और (घ) राज्य के कृषि विभाग के अधिकारियों और आन्ध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उन्होंने किसानों को यह सलाह दी कि वे सफेद मक्खी के नियन्त्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करें :

(1) शेष फसल अवधि के लिए सिन्थेटिक पाइरेथ्रोइड्स का उपयोग तत्काल बन्द करना।

(2) मोनोक्रोटोफास, डाइमेथोट और ओलसी-डीमेटन-मेथाइल जैसी कीटनाशी दवाओं का सुझाई गई मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए।

(3) कीटनाशी दवाओं के छिड़काव से कपास के पौधों को पूरी तरह से कवर करने के लिए प्रति हैक्टार 750 लिटर घोल का छिड़काव करना।

(4) सामुदायिक आधार पर सफेद मक्खी का नियन्त्रण करना।

(5) विद्यमान फसल को उखाड़ना और दलहन, रागी आदि जैसी वैकल्पिक फसल लगाना।

(6) सफेद मक्खी के विरुद्ध और भिण्डी, टमाटर और खरपतवार जैसी अन्य कृषि फसलों के विरुद्ध नियन्त्रण उपाय करना।

(7) अन्तिम बार कपास चुनने के पश्चात् काटन स्टिकस और ठूंटियों (स्टबल्स) को नष्ट करना।

(8) चावल की परती भूमि के अन्तर्गत कपास की फसल को पूरी तरह से हतोत्साहित किया जाए ताकि कृमि के जीवन-चक्र के जारी रहने को रोका जा सके।

(9) जिला अधिकारियों को यह सलाह दी गई है कि वे सफेद मक्खी के नियन्त्रण के बारे में आकाशवाणी में बातचीत, पुस्तिकाओं, इश्तहारों, स्थानीय समाचार-पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार करें।

क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा क्षेत्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण

8042. **श्री सी० सम्बु :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर दूसरे चैनल को केवल राज्य सरकारों के उपयोग के लिए स्वीकृत किए जाने तक "चित्रहार" कार्यक्रम को केवल क्षेत्रीय केन्द्रों को अपनी क्षेत्रीय भाषा में प्रसारण के लिए आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार दूरदर्शन के रिले केन्द्रों को, राष्ट्रीय कार्यक्रम के आरम्भ होने तक के समय के लिए क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) राज्य सरकारों को द्वितीय चैनल प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जिन क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों में कार्यक्रम निर्माण सुविधायें उपलब्ध हैं, वे अपनी-अपनी भाषाओं में चित्रहार की किस्म के कार्यक्रम रिले करते हैं।

(ख) और (ग) दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में निर्मित कार्यक्रमों को सम्बन्धित राज्यों के कुछ ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किया जाता है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

दूरदर्शन केन्द्र	रिले ट्रांसमीटर
1. बम्बई	पुणे
2. लखनऊ	कानपुर
3. कलकत्ता	आसनसोल
4. जलन्धर	अमृतसर

इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रमों को उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यों के ट्रांसमीटरों द्वारा अपनी-अपनी भाषाओं में रिले किया जाता है, हिन्दी, उड़िया और तेलुगु में क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों को क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश के ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किया जाता है। तथापि वैयक्तिक राज्यों के स्टूडियो केन्द्रों को सम्बन्धित राज्यों के सभी ट्रांसमीटरों के साथ जोड़ने की सुविधाओं के अभाव में, राज्यों की भाषाओं के कार्यक्रमों को, सिवाए उपरि उल्लिखित हद तक, राज्यों के ट्रांसमीटरों द्वारा रिले नहीं किया जाता है। लिंकों की सुविधाओं की सातवीं योजना में व्यवस्था की गई है। तथापि, 8 राज्यों में क्षेत्रीय कार्यक्रमों को रिले करना इन्सैट-2 उपग्रहों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा, जिनके 1990 के बाद शीघ्र ही चालू हो जाने की सम्भावना है।

आन्ध्र प्रदेश में अतिरिक्त कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलना

8043. **श्री सी० सम्बु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय केन्द्र गुंटूर (आन्ध्र प्रदेश) ने कृष्णा—गोदावरी जिलों के डेल्टा क्षेत्र में पांच और अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) क्या विश्व बैंक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर और प्रकाशम. जिलों में एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) क्या आन्ध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के मानागालागिरी, नूटक्की, नेरा कोदुरु में वनस्पति अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास गुंटूर में केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, (सी० टी० आर० आई०) राजमुंदरी का एक क्षेत्रीय केन्द्र है। केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान ने एक अन्य क्षेत्रीय केन्द्र पश्चिमी गोदावरी जिले के जीलूगुमिली स्थान पर स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) और (ग) यह प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विचाराधीन है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान ।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

पीतमपुरा में दिल्ली विकास प्राधिकरण के जनता फ्लैटों में प्लास्टिक के पाइप

8044. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पीतमपुरा में दिल्ली विकाश प्राधिकरण द्वारा बनाये गये जनता फ्लैटों में लोहे की टोंटियों और पाइपों के स्थान पर प्लास्टिक के पाइप लगाये गये हैं जो पानी के भारी दबाव से फट जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप दीवारों से पानी रिसने लगता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्लास्टिक के पाइप थोड़े दिन चलते हैं जबकि लोहे के पाइप काफी दिनों तक चलते हैं;

(ग) ऐसे अन्य फ्लैटों की श्रेणी-वार संख्या क्या है जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लास्टिक के पाइप लगाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार इन जनता फ्लैटों में प्लास्टिक के पाइपों के स्थान पर लोहे के पाइप लगाने की व्यवस्था करेंगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पीतमपुरा में निर्मित जनता फ्लैटों में प्लास्टिक के पाइप तथा नल लगाए गए हैं। ये नल पानी के दबाव से फटते नहीं हैं, ना ही रिसन के सम्बन्ध में ऐसी सूचना दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुई है ।

(ख) इन पाइपों की टिकाऊ अवधि कम नहीं है परन्तु ये कोमल हैं और इनका अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है ।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है

(घ) और (ङ) जी, नहीं। प्लाटिक के पाइपों तथा नलों का प्रावधान उनकी कीमत कम रखने की नीति के अनुसार किया गया है।

विवरण

क्रम सं०	योजना का नाम	जिसमें प्लास्टिक के पाइप लगाए गए हैं			
		जनता	निम्न आय वर्ग	मध्य आय वर्ग	योग
1	2	3	4	5	6
1.	शालीमार बाग, ब्लाक बी पाकेट जी-1 में निम्न आय वर्ग के 160 मकानों का निर्माण	—	160	—	160
2.	शालीमार बाग ब्लाक ए तथा पी पाकेट एफ में जनता के 336 मकानों का निर्माण	336	—	—	336
3.	शालीमार बाग, ब्लाक "बी" पाकेट "सी" में जनता के 936 मकानों का निर्माण	708	—	—	708
4.	शालीमार बाग, ब्लाक बी, पाकेट आर में निम्न आय वर्ग के 204 मकानों का निर्माण	—	204	—	204
5.	पीतमपुरा, पाकेट जी तथा जे (यू) में जनता के 276 मकानों का निर्माण	276	—	—	276
6.	पीतमपुरा, पाकेट एल (पी) में निम्न आय वर्ग के 384 मकानों का निर्माण	—	384	—	384
7.	पीतमपुरा के पाकेट एन (पी) में उच्च आय वर्ग के 480 मकानों का निर्माण	—	480	—	480
8.	पीतमपुरा, पाकेट एम (यू) में निम्न आय वर्ग के 288 मकानों का निर्माण	—	288	—	288

1	2	3	4	5	6
9.	पीतमपुरा, पाकेट एन (यू) में जनता के 312 मकानों का निर्माण	312	—	—	312
10.	936 जनता मकानों में से पीतमपुरा पाकेट बी (पी) में 108 जनता मकानों का निर्माण	108	—	—	108
11.	लारेंस रोड पाकेट ए-2 निम्न आय वर्ग के 156 मकानों का निर्माण	—	156	—	156

[अनुवाद]

प्रेस सूचना ब्यूरो कार्यालय में फोटोग्राफिक अधिकारियों के पद

8045. डा० बी० एल० शैलेश : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस सूचना ब्यूरो कार्यालय में फोटोग्राफिक अधिकारियों के कुल कितने पद हैं;

(ख) इन पदों के लिए भर्ती की क्या प्रणाली है;

(ग) इन पदों के लिए यदि कोई पदोन्नति कोटा निर्धारित किया गया है तो वह क्या है; और

(घ) अन्य संवर्गों से कितने अधिकारी कितने वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) पत्र सूचना कार्यालय में फोटोग्राफिक अधिकारी का कोई पद नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी].

प्रेस आयोग तथा कुलदीप नैय्यर आयोग की रिपोर्ट

8046. श्री कुंवर राम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाषाई समाचार एजेंसियों के पुनर्गठन के लिए प्रेस आयोग और कुलदीप नैय्यर आयोग की प्रथम और दूसरी रिपोर्टों को स्वीकार ने करने के क्या कारण हैं;

(ख) गोयनका समिति कब गठित की गई थी;

(ग) इस समिति के निदेश पद क्या हैं; और

(घ) उसने क्या-क्या सिफारिशें की हैं और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) प्रथम प्रेस आयोग ने भाषाई समाचार एजेंसियों के बारे में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की, तथा द्वितीय प्रेस आयोग की सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं। जहां तक कुलदीप नायर समिति की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, सरकार ने समाचार एजेंसियों की पुनः संरचना करने की इसकी सिफारिशों को "समाचार" को भंग करने की सीमा तक स्वीकृत किया था, किन्तु संसद के एक अधिनियम द्वारा दो एजेंसियों को स्थापित करने के लिए सहमत नहीं हुई थी। इसके बजाए यथा पूर्व स्थिति बहाल कर दी गई थी। गोयनका समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लेने के लिए अविलम्बता की जरूरत इस बात से स्पष्ट थी कि विद्यमान दो भाषाई समाचार एजेंसियों अर्थात् हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती प्रायः ठप हो गई थीं और वे आत्मनिर्भर न हो सकने की स्थिति में पहुंच चुकी थीं।

(ख) से (घ) भाषायी समाचार पत्रों के प्रमुख सम्पादकों/मालिकों सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री के साथ 25 और 26 जून, 1985 को हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप गोयनका समिति का 26 जून, 1985 को गठन किया गया था। इस समिति का गठन सरकार द्वारा नहीं किया गया था। इस समिति को यह तय करना था कि क्या समाचार भारती तथा हिन्दुस्तान समाचार के लगभग ठप्प हो जाने के सन्दर्भ में एक ऐसी स्वतन्त्र आत्मनिर्भर समाचार एजेंसी बनाना सम्भव होगा जो भाषायी समाचारपत्रों की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 6 जुलाई, 1985 को दी। इसने अपनी प्रक्रिया स्वयं निश्चित की और सरकार ने प्रेस की स्वतन्त्रता के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के अनुरूप, समिति के कार्य संचालन के लिए कोई प्रक्रिया या मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझा।

गोयनका समिति ने एक नई भाषाई समाचार एजेन्सी शुरू करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्तीय आवश्यकताओं तथा अपेक्षित पूंजी जुटाने के लिए भाषाई समाचारपत्रों की क्षमता की जांच की। यह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि एक नई समाचार एजेन्सी स्थापित करना संभाव्य नहीं होगा और दूसरी ओर मौजूदा अंग्रेजी समाचार एजेन्सियों भारतीय भाष्टों में सन्तोषजनक सेवा उपलब्ध कर सकती हैं। सरकार इस विचार से सहमत हो गई और तदनुसार हिन्दुस्तान समाचार तथा समाचार भारतीय को आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा दिए जाने वाले अंशदान को अथवा किसी भी रूप में राज सहायता को बन्द करने का निर्णय लिया।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को आबंटित चावल और गेहूं

8047. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 और 1986-87 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए आन्ध्र प्रदेश को चावल और गेहूं की कितनी-कितनी मात्रा आबंटित की गई है;

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में कितने श्रमिक दिन रोजगार के अवसर उपलब्ध करने का विचार है;

(ग) क्या आबटित चावल और गेहूं से आन्ध्र प्रदेश सरकार की मांग पूरी हो जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कारंवाई करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985-86 हेतु 67900 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा (18300 मीटरी टन चावल तथा 49600 मीटरी टन गेहूं) आबंटित की गई थी। वर्ष 1986-87 की पहली दो तिमाहियों के लिए 47780 मीटरी टन खाद्यान्न (23890 मीटरी टन गेहूं और 23890 मीटरी टन चावल) आबंटित किया गया है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 हेतु 65900 मीटरी टन खाद्यान्न (16300 मीटरी टन चावल तथा 49600 मीटरी टन गेहूं) आबंटित किया गया था। वर्ष 1986-87 की प्रथम दो तिमाहियों के लिए 47780 मीटरी टन खाद्यान्न (23890 मीटरी टन गेहूं तथा 23890 मीटरी टन चावल) आबंटित किया गया है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 235 लाख श्रमदिनों तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 206 लाख श्रमदिनों का रोजगार सृजित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे 1986-87 में कुल सृजित रोजगार 441 लाख श्रमदिन हो जाएगा।

(ग) और (घ) राज्यों को खाद्यान्नों का आबंटन निर्धारित मानदण्ड के अनुसार किया जाता है। निर्धारित मानदण्ड में 50 प्रतिशत बल कृषि मजदूरों, सीमान्त किसानों तथा सीमान्त मजदूरों को दिया जाता है तथा 50 प्रतिशत बल गरीबी के मामलों को दिया जाता है।

हड़ताल और तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए जनदिवस

8048. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 और 1985 के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण क्रमशः कितने जनदिवस नष्ट हुए ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार, वर्ष 1984 तथा 1985 के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए जन दिवसों की संख्या नीचे दी गई है :

हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए जन दिवस

वर्ष	हड़तालें	तालाबन्दियां	कुल
1984	39.96	16.07	56.03
1985	10.32	18.87	29.19

सोयाबीन और सोयाबीन के उत्पादों का उपयोग

8049. डा० टी० कल्पना देवी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोयाबीन का उत्पादन पहले ही 10 लाख मीटरी टन तक पहुंच गया है और वर्ष 1990 तक यह उत्पादन 25 लाख मीटरी टन हो जायेगा;

(ख) क्या देश में सोयाबीन की खली का उपयोग मानव उपभोग के लिये अथवा जानवरों के उपभोग के लिए किया जाता है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसका कितना निर्यात किया जाता है;

(ग) उत्पादित सोयाबीन की कितनी मात्रा का उपयोग सीधे खाद्य पदार्थों में किया जाता है और सोयाबीन की कितनी मात्रा तेल के लिए पेराई की जाती है;

(घ) क्या सोयाबीन का "वर्गीस" वेकरी के आटे और दही आदि, जैसे उपभोक्ता खाद्यों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सोयाबीन की खली और अन्य मूंगफली की खली का व्यापक निर्यात किये जाने से दुग्ध उत्पादन में कमी आई है और दुग्ध उत्पादों के आयात पर अधिक निर्भर करना पड़ा है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1984-85 के दौरान 9.34 लाख मीटरी टन सोयाबीन के उत्पादन होने का अनुमान है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1989-90 में सोयाबीन के उत्पादन का लक्ष्य 12.8 लाख मीटरी टन रखा गया है।

(ख) देश में मानव खपत और कुक्कुट आहार के लिए सोयाचूर्ण को बहुत कम मात्रा का उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 1984-85 के दौरान 4.5 लाख मीटरी टन सोया की खली का निर्यात किया गया था।

(ग) वास्तव में सोयाबीन की सारी मात्रा तेल की पिराई के लिए उपयोग की जाती है।

(घ) सोयाचूर्ण से निःस्रावित उत्पादों का इस्तेमाल उपभोक्ता वस्तुओं में एक सीमित मात्रा तक किया जा रहा है।

(ङ) जी, नहीं। बल्कि दुग्ध उत्पादन 1980-81 में 316.2 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1984-85 में 401.7 लाख मीटरी टन (अनुमानित) हो गया है।

"मद्रास में एल्यूमिनियम अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना"

8050. डा० डी० एन० रेड्डी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में एक एल्यूमिनियम अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या एल्यूमिनियम उद्योग में इसके निर्माण पर उर्जा की खपत उच्चतम दर पर होती है और यदि हां, तो ऊर्जा की खपत में कमी करने के लिए अनुसन्धान एवं विकास सम्बन्धी क्या प्रयास किए गए हैं ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

ऊर्जा खपत कम करने के अनुसन्धान और विकास प्रयासों में शामिल है—ईंधन तेल की खपत कम करने के लिए एल्यूमिना कैल्साइनर में सुधार, एल्यूमिनियम प्रद्रावण में बिजली खपत कम करने के लिए लिथियम कारबोनेट तथा माइक्रो प्रोसेसर आधारित नियन्त्रण प्रणाली अपनाना।

दूरदर्शन के द्वितीय चैनल पर कार्यक्रमों का दिखाया जाना

8051. **श्री प्रकाश बी० पाटिल :**
श्री सोमनाथ रथ :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन के द्वितीय चैनल पर दिखाये जा रहे कार्यक्रमों की लोकप्रियता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूसरे चैनल पर कार्यक्रम अच्छी तरह दिखाई नही देते हैं जब तक कि टेलीविजन सैटों में कुछ अतिरिक्त उपकरण नहीं लगाये जाते;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस चैनल पर सेवा में सुधार करने का है जिससे कि अतिरिक्त उपकरण लगाये बिना इस चैनल पर कार्यक्रम देखे जा सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) दूरदर्शन द्वारा किए गए दर्शक अनुसन्धान सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों के अनुसार, द्वितीय चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले कार्यक्रमों के अवलोकन की दर प्राथमिक चैनल पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों के अवलोकन की तुलना में कम है।

(ग) दिल्ली और बम्बई का प्राथमिक चैनल और द्वितीय चैनल क्रमशः बैंड-1 और बैंड-3 पर प्रचालित होता है। यद्यपि सकल चौड़े बैंड एंटीना का उपयोग किया जा सकता है, बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न बैंडों पर प्रचालित दो चैनलों के लिए पृथक संग्रहण एंटीना का उपयोग उचित है।

(घ) और (ङ) दिल्ली और बम्बई में द्वितीय चैनल सेवा के 1 किलोवाट के मोजूदा ट्रांसमीटरों को अन्तरिम रूप से क्रमशः सितम्बर, 1984 तथा मई, 1985 में स्थापित किया गया था। सातवीं योजना के दौरान इनके स्थान पर 10 किलोवाट वाले ट्रांसमीटर तथा व्यावसायिक ग्रेड के उपकरणों के साथ अतिरिक्त स्टूडियो लगाने का प्रस्ताव है। 10 किलोवाट वाले ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने पर, इन ट्रांसमीटरों से संग्रहण, जो इस समय केवल शहरों तक ही सीमित है, 120 किलोमीटर की परिधि तक प्राप्त होने की उम्मीद है।

ऊंचे भवन

8052. **श्री मानिक रेड्डी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यातायात अवरुद्ध होने, उर्जा की आवश्यकता, सफाई और आग लगने के खतरे से उत्पन्न होने वाली गम्भीर समस्याओं के कारण अब ऊचे भवनों के निर्माण की उपेक्षा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान मार्गनिदेश क्या हैं; और

(ग) क्या दिल्ली शहरी कला आयोग ने मार्ग निदेश तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल नियुक्त करने का सुझाव दिया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) 2001 के लिये दिल्ली की बृहत योजना को अन्तिम रूप दिये जाने तक नई दिल्ली तथा दक्षिण दिल्ली में चार मन्जिले (45 फुट ऊचे) तथा लिफ्ट की व्यवस्था वाले ऊचे भवनों के निर्माण पर 17.10.1985 से रोक लगा दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

आन्ध्र प्रदेश में टी० वी० ट्रांसमीटरों की स्थापना

8053. **श्री एन० वेंकट रत्नम : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) सभी राज्यों में इस समय दूरदर्शन पर क्षेत्रीय भाषाओं और हिन्दी भाषा में कितने समय का प्रसारण किया जाता है; और

(ख) सातवीं योजना अवधि में क्षेत्रीय भाषाओं और हिन्दी भाषा के लिए दिए जाने वाले समय में क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, उन विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों तथा कुछ अन्य शहरों में चरणबद्ध ढंग से कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं जहां पर फिलहाल ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। सातवीं योजना के मुकम्मल हो जाने पर

लक्षदीप और दादर तथा नागर हवेली को छोड़कर शेष सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों में, मुख्यतया सम्बन्धी क्षेत्रीय भाषाओं में मूल रूप से कार्यक्रम तैयार करने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

विवरण

नीति के रूप में, दूरदर्शन दूरदर्शन केन्द्रों को अपने-अपने क्षेत्रों की भाषाओं में कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र प्रतिदिन लगभग 3 घंटे की अवधि के लिए मुख्यतया अपनी-अपनी भाषाओं में सेवा प्रस्तुत करते हैं। तथापि, सभी दूरदर्शन केन्द्र/रिले ट्रांसमीटर दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले राष्ट्रीय और नेटवर्क कार्यक्रमों को रिले करते हैं। विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रमों की प्रतिशतता नीचे दी गई है :

विभिन्न भाषाओं की प्रतिशतता :

(क) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किए गए तथा देश के सभी रिले ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किए गए कार्यक्रमों में :

दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली :

हिन्दी	50 प्रतिशत
अंग्रेजी	34 प्रतिशत
अन्य भाषाएं/संगीत	16 प्रतिशत

(ख) राष्ट्रीय कार्यक्रमों में :

हिन्दी	54 प्रतिशत
अंग्रेजी	30 प्रतिशत
अन्य भाषाएं/संगीत	16 प्रतिशत

(ग) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा निर्मित/टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों में :

दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई :

मराठी	70 प्रतिशत
हिन्दी	13 प्रतिशत
अंग्रेजी	2 प्रतिशत
गुजराती	9 प्रतिशत
अन्य भाषाएं/संगीत	6 प्रतिशत

दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता :

बंगला	75 प्रतिशत
हिन्दी	7 प्रतिशत
अंग्रेजी	13 प्रतिशत
अन्य भाषाएं/संगीत	5 प्रतिशत

दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ :

हिन्दी	85 प्रतिशत
अंग्रेजी	4 प्रतिशत
उर्दू	8 प्रतिशत
अन्य भाषाएं/संगीत	3 प्रतिशत

दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास :

तमिल (क्षेत्रीय भाषा)	65 प्रतिशत
अंग्रेजी	12 प्रतिशत
हिन्दी	5 प्रतिशत
अन्य भाषाएं/संगीत	18 प्रतिशत

दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर :

कश्मीरी	45 प्रतिशत
उर्दू	42 प्रतिशत
अंग्रेजी	4 प्रतिशत
हिन्दी	4 प्रतिशत
अन्य भाषाएं/संगीत	5 प्रतिशत

दूरदर्शन केन्द्र, जालंधर :

पंजाबी	63 प्रतिशत
उर्दू	9 प्रतिशत
हिन्दी	10 प्रतिशत
अंग्रेजी	5 प्रतिशत
अन्य भाषाएं/संगीत	13 प्रतिशत

दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम :

मलयालम	87 प्रतिशत
अंग्रेजी	7 प्रतिशत
हिन्दी	—
अन्य भाषाएं/संगीत	6 प्रतिशत

दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर :

कन्नड़	80 प्रतिशत
अन्य दक्षिण भारतीय भाषाएं	15 प्रतिशत
अन्य भाषाएं/संगीत	5 प्रतिशत

दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद :

	तेलुगु	93 प्रतिशत
	उर्दू	4 प्रतिशत
	अन्य भाषाएं/संगीत	3 प्रतिशत

दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद :

	गुजराती	95 प्रतिशत
	अन्य भाषाएं/संगीत	5 प्रतिशत

दूरदर्शन केन्द्र, कटक :

	उड़िया	86 प्रतिशत
	हिन्दी	5 प्रतिशत
	अन्य भाषाएं/संगीत	9 प्रतिशत

ज्वार का उत्पादन

8054: श्री मानिक रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ज्वार का उत्पादन वर्ष 1977-78 में 739 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर, वर्ष 1982-83 में 657 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर, वर्ष 1983-84 में 706 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर और वर्ष 1984-85 में 717 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर था;

(ख) यदि हां, तो देश में ज्वार के उत्पादन में इतनी भिन्नता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान उच्च उत्पादन किस्में जारी की गई थीं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संस्थान-वार ब्यौरा क्या है और इनके जारी होने से पहले उत्पादन कितना था; और

(घ) क्या अधिक उत्पादन वाले ज्वार के बीज विदेशों से आयात किए जाएंगे जैसा कि अन्य फसलों के मामले में किया गया है और उनके उत्पादन में सुधार हुआ है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1985-86 के लिए किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ज्वार की उत्पादकता इस प्रकार रही है :

वर्ष	उत्पादकता (किलोग्राम/प्रति हैक्टार में)
1977-78	739
1982-83	657
1983-84	726
1984-85	717

(ख) ज्वार के उत्पादन में घट-बढ़ का कारण इस फसल की मुख्यत: वर्षा सिंचित परिस्थितियों में सीमान्त और उप सीमान्त भूमि पर उगाया जाता है। फसल के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र मुश्किल से 3.7 प्रतिशत है। इसलिए फसल की उत्पादकता मानसून की स्थिति पर निर्भर करती है।

(ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गई ज्वार की सबसे अधिक प्रचलित किस्मों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

क्र० सं०	किस्म का नाम	निर्मुक्त करने का वर्ष	अनुसंधान फार्मों में प्राप्त उपज (क्विंटल/प्रति हैक्टार)
1	2	3	4
1.	अखिल भारत समन्वित सोरघम सुधार परियोजना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन, हैदराबाद		
	1. एस० पी० वी०-126 (सी० एस० वी०-9)	1983	30-32
	2. एस० पी० वी०-346 (सा० एस० वी०-10)	1984	30-35
	3. एस० पी० वी०-351 (सी० एस० वी०-11)	1984	30-35
2.	कृषि विश्वविद्यालय/राज्य कृषि विभाग		
(क)	कर्नाटक		
	1. एस० वी० 1066	1985	25
	2. एस० वी० 905	1985	30-35
(ख)	गुजरात		
	1. गुजरात सोरघम-35	1985	43
	2. गुजरात सोरघम हाइब्रिड-1	1985	32
	3. गुजरात ज्वार-9	1985	18
(ग)	उत्तर प्रदेश		
	1. वर्षा	1985	25-30
(घ)	महाराष्ट्र		
	एस० पी० वी० 297	1985	37-40
	स्वाति (एस० पी० वी० 504)	1985	25-30

1	2	3	4
(ङ) राजस्थान			
	1. एस० पी० वी० 96	1985	20
	2. एस० पी० वी० 245	1985	41
(च) तमिलनाडु			
	1. सी० ओ० 21	1985	42
	2. सी० ओ० 22	1985	43
	3. सी० ओ० 25	1985	45
	4. सी० ओ० एच० 3	1985	60

(ख) जी नहीं। भारत का सोरघम सुधार कार्यक्रम सबसे अच्छे कार्यक्रमों में से एक है और इस परियोजना के अन्तर्गत कई अच्छी किस्में/संकर किस्में विकसित की गई हैं। भारत में निर्युक्त को गई सोरघम की संकर किस्में दूसरे देशों में भी काफी लोकप्रिय हैं।

फसल क्रम में असन्तुलन

8055. डा० डी० एन० रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सर्वेक्षण (1984-85) से पता चलता है कि राज्यों में फसल-क्रम में भारी असन्तुलन है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक आधार पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न फसलों के निम्नतम मूल्य निर्धारित किए जाएंगे; और

(ग) देश में प्रत्येक क्षेत्र में दोषपूर्ण फसल क्रम को कम करने के लिए विभिन्न विकारों को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, तथापि, आर्थिक सर्वेक्षण (1985-86) से पता चलता है कि कुछ फसलों में प्रौद्योगिकी सुधार, सिंचित क्षेत्र के विस्तार और गेहूं तथा चावल की कीमतों में समर्थन के लिए सरकार द्वारा प्रभावी बल देने के फलस्वरूप फसल पद्धतियों में अधिकतर असन्तुलन पैदा होने शुरू हुए हैं।

(ख) कृषि लागत तथा मूल्य आयोग द्वारा सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयों और योजना आयोग के परामर्श से की गई सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार विभिन्न फसलों के लिए समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करती है। समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्यों की सिफारिश करते समय, कृषि लागत तथा मूल्य आयोग अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादकों को उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने और उत्पादन को अधिकतम सीमा तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखता

है। यह सन्तुलित कृषि उपज के लिए अर्थव्यवस्था के समूचे ढांचे पर व्यापक दृष्टि रखने के साथ विभिन्न राज्यों में सम्बन्धित जिन्सों की कृषि/उत्पादन की लागत को भी ध्यान में रखता है।

(ग) भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ दल इस समय, सभी सम्बद्ध घटकों को ध्यान में रखते हुए, देश के कृषि-जलवायु-सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रों में इष्टतम फसल पद्धतियां विकसित करने के प्रश्न पर गहराई से जांच कर रहा है। फसल पद्धतियों में विकसित हो सकने वाले किसी प्रकार के असन्तुलन को ठीक करने की दृष्टि से एक दीर्घावधि कृषि मूल्य नीति तैयार करने का भी प्रस्ताव है।

आन्ध्र प्रदेश में दूरदर्शन का प्रसारण क्षेत्र

8056. **श्री एन० वेंकट रत्नम :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 80 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या उक्त समय तक केरल की केवल 65.7 प्रतिशत जनसंख्या को ही दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में दूरदर्शन सेवाओं की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर आन्ध्र प्रदेश में दूरदर्शन सेवा राज्य की लगभग 83% जनसंख्या को उपलब्ध होने की उम्मीद है।

चावल की अधिक उपजाऊ वाली किस्मों का उत्पादन

8057. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चावल की अधिक उपजाऊ वाली किस्मों की खेती कितने क्षेत्र के अन्तर्गत की जाती है और वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान क्रमशः प्रति हैक्टेयर कितना वार्षिक औसत उत्पादन हुआ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत लिया गया क्षेत्र तथा 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान स्थानीय किस्मों सहित चावल का प्रति हैक्टार औसत उत्पादन नीचे दिया गया है :

	1982-83	1983-84	1984-85 (अस्थायी)
अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत क्षेत्र (लाख हैक्टार)	188.4	217.4	227.8
चावल की औसत उत्पादकता (कि० ग्रा०/हैक्टार)	1231	1457	1425

2000 ईसवी तक खाद्य उत्पादन लक्ष्य

8058. **श्री शांताराम नायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में वर्ष 2000 तक खाद्य उत्पादन प्राप्ति के क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(ख) सरकार उक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या विशेष कदम उठा रही है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सातवी योजना के दस्तावेज में सन् 2000 ईसवी तक खाद्यान्नों को आवश्यकता 2350-2400 लाख मीटरी टन का अनुमान लगाया गया है। बाद की योजनाओं के दौरान प्लान-वार लक्ष्य के ब्यौरे तैयार किए जाएंगे।

(ख) वर्ष 1985 से 2000 तक के लिए उपरोक्त प्लान दस्तावेज में दी गई विकास की मुख्य नीति में सिंचित इलाकों में उर्वरकों का अधिक उपयोग और बारानी खेती पर अनुसन्धान को तेज करना, प्रयोगशाला से फार्म तक नई प्रौद्योगिकी के अन्तरण को तीव्र करना और अधिक ऋण की व्यवस्था करना, और नई प्रौद्योगिकीयों का तीव्रता से उपयोग करने में सहायता देने के लिए शुष्क-खेती वाले इलाकों में विपणन को सुविधाएं विकसित करना शामिल है।

सातवीं योजना के दौरान व्यवसायजनित रोगों के निदान के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य क्लीनिक की स्थापना

8059. **श्री आर० एम० भोये** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार व्यवसायजनित रोगों के निदान के लिए और इनके कारणों का पता लगाने तथा उचित चिकित्सीय देखभाल हेतु सुझाव देने के लिए भी एक व्यावसायिक स्वास्थ्य क्लीनिक की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए व्यवसायजनित रोग क्षेत्रों का चयन कर लिया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) व्यावसायिक रोगों का पता लगाने और उनके इलाज के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन चार जोनल केन्द्रों को स्थापित करने के प्रस्ताव पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम विचार कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसाइटी का समाचारपत्रों के भविष्य के बारे में अभ्यावेदन

8060. श्री पीयूष तिरकी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसाइटी ने समाचारपत्रों के भविष्य और उनकी मुक्त भूमिका के बारे में मन्त्रालय को एक अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन के मुख्य मुद्दे क्या हैं; और

(ग) सरकार ने मांग पूरी करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) वित्त मन्त्री को सम्बोधित दिनांक 22-3-1986 तथा 10-4-86 के दो अभ्यावेदनों की प्रतियां प्राप्त हुई हैं। इन अभ्यावेदनों में उठाए गए मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं :

(1) अखबारी कागज पर सीमा शुल्क समाप्त करना ।

(2) आर० सी० पेपर, ग्राफिक आर्ट फिल्म, प्रि० सेंसिटाइज्ड ऑफ सेट प्लेटों, आदि पर सीमा शुल्क कम करना ।

(3) पूंजी वस्तुओं-मुद्रण उद्योग के लिए उपकरणों पर निवेश छूट देना।

(ग) ये मांगें वित्त मन्त्रालय से सम्बन्धित हैं और वह उन पर ध्यान दे रहा है ।

सिनेमा कर्मचारियों का कल्याण

8061. श्री के० बी० शंकर गौड़ा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सिनेमा कर्मचारियों के बारे में 1981 में अधिनियमित किए गए केन्द्रीय अधिनियमों की जांच करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय ने कानूनों को पुनः प्रवर्तित किया है और इस उद्योग के विकास और कर्मचारियों के कल्याण के उपायों के विस्तार की जांच करने के लिए एक त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति का गठन करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य निधि अधिनियम को संशोधित करके भविष्य निधि योजना सिनेमा कर्मचारी कोष पर लागू करने के बारे में भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उनके लिए किन अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तीन अधिनियमों, अर्थात् (i) सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981 (ii) सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि-अधिनियम, 1981 और (iii) सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (नियोजन का

विनियमन) अधिनियम, 1981 को लागू करने का काम पहली अप्रैल, 1986 से ही श्रम मन्त्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है।

(ख) ये अधिनियम लागू हैं और इसलिए इन्हें फिर से लागू करने का कोई प्रश्न नहीं है। 27-3-1986 को हुई बैठक में कर्मकारों के प्रतिनिधियों ने सरकार से अनुरोध किया था कि अन्य उद्योगों के लिए स्थापित समितियों की रूपरेखाओं पर एक त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति का गठन किया जाए। सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 को लागू करने से सम्बन्धित मामलों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने पहले ही देश के चार विभिन्न केन्द्रों (बम्बई, मद्रास, बंगलौर और हैदराबाद) में चार सलाहकार समितियां और एक केन्द्रीय सलाहकार समिति स्थापित कर ली हैं।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम को "सिनेमा कर्मकारों" पर लागू करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि योजना को सिनेमा कर्मकारों पर लागू करने के लिए इसमें कुछ संशोधन किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के उपबन्धों को पांच या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले सिनेमा थियेटरों पर लागू किया गया है।

बिहार से अन्य राज्यों को गए प्रवासी श्रमिक

8062. **सैयद शाहबुद्दीन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार से अन्य राज्यों में गए श्रमिकों की क्या संख्या है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रवासी श्रमिकों के साथ आम तौर पर बुरा बर्ताव किया जाता है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है; और

(ग) क्या बिहार सरकार ने ऐसे प्रवासी श्रमिकों की देखभाल करने हेतु अन्य राज्यों में कार्यालय खोले हैं?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के अधीन किसी प्रतिष्ठान के लिए "सम्बन्धित सरकार" केन्द्रीय या राज्य सरकार हो सकती है। इस अधिनियम में वह श्रमिक आता है, जो अन्य राज्य में किसी प्रतिष्ठान में नियोजन के लिए करार या अन्य व्यवस्था के अधीन एक राज्य में भर्ती या ठेकेदार द्वारा भर्ती किया जाता है। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम ठेकेदारों और प्रधान नियोजकों को अधिकार देते हैं कि वे सम्बन्धित सरकार के निर्दिष्ट प्राधिकरणों को समय-समय पर विवरणियां भेजें, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, नियोजित प्रवासी श्रमिकों की संख्या के बारे में सूचना हो।

बिहार से अन्य राज्यों में प्रवासी श्रमिकों के बारे में सूचना इस मन्त्रालय में नहीं रखी जाती है।

(ख) जब कभी श्रमिकों, जिनमें प्रवासी श्रमिक भी शामिल हैं, के शोषण के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं, तब उपयुक्त प्राधिकरणों को उचित कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिनेमा कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कल्याण उपाय

8063. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिनेमा कर्मचारियों को इस समय क्या-क्या कल्याण उपाय उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सिनेमा कर्मचारियों के लिए कुछ अतिरिक्त उपायों की घोषणा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) पहली अप्रैल, 1986 से सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 का कार्यान्वयन श्रम मंत्रालय करता है। सिनेमा कर्मकारों को और अधिक कल्याण सुविधाएं देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि के संचालन पर खर्च की गई राशि

8064. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1985 को समाप्त हुई गत तीन वर्ष की अवधि के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निधि के संचालन पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सभी लेखाओं के अन्तर्गत भविष्य-निधि की बकाया राशियों में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) भविष्य निधि की बकाया राशियों तथा इस निधि के संचालन पर खर्च में वृद्धि होने की इस प्रवृति के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) किया गया व्यय निम्नानुसार था :

वर्ष	व्यय (रुपए लाखों में)
1982-83	1837.09
1983-84	2225.33
1984-85	2599.94

(ख) बकाया राशि में वृद्धि निम्नानुसार थी :

वर्ष	छूट न प्राप्त	छूट प्राप्त (रुपए करोड़ों में)	कुल
1982-83	9.79	10.81	20.60
1983-84	0.46	17.03	17.49
1984-85	10.68	18.17	28.85

(ग) भविष्य निधि की बकाया राशि में वृद्धि के सामान्यतः निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :

(1) औद्योगिक रुग्णता;

(2) न्यायालयों द्वारा दोषी प्रतिष्ठानों पर अपर्याप्त दण्ड लगाना;

(3) न्यायालय द्वारा जारी किए गए स्थगन आदेश;

(4) न्यायालयों द्वारा आदेश की गई पुनर्निर्माण योजनाओं का लम्बित रहना;

(5) प्रतिष्ठानों की कामबन्दी/तालाबन्दी;

(6) राज्य सरकारों के राजस्व वसूली तन्त्र द्वारा बकाया राशि को वसूल करने में धीमी प्रगति;

(7) भविष्य निधि की जमाराशि के अन्तरण में चूक के लिए कतिपय बड़े प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में छूट को रद्द करना और इसके परिणामस्वरूप बकाया राशि में वृद्धि ।

प्रशासनिक व्यय में वृद्धि मुख्यतः महगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, अंशदाताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक उप क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने, लेखन-सामग्री, मुद्रण आदि की लागत में वृद्धि के कारण हुई ।

[हिन्दी]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित दुग्ध योजनाएं

8065. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा सारे देश में नागरिकों को शुद्ध दुध सप्लाई करने के लिए कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) कितनी दुग्ध योजनाएं नागरिकों को दुग्ध सप्लाई करने से पूर्व दूध में विटामिन "ए" मिलती हैं ताकि देश में बढ़ती हुई अन्धता को रोका जा सके; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसा न करने वाली दुग्ध योजनाओं को दूध में पर्याप्त मात्रा में विटामिन "ए" मिलाने का परामर्श देने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय सरकार दिल्ली के नागरिकों के लिए केवल दिल्ली दुग्ध योजना को चला रही है।

(ख) दिल्ली में, दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेरी दोनों ही अपने द्वारा बेचे जाने वाले टोन्ड दूध में विटामिन "ए" मिलाते हैं। खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से यह पता लगाया गया है कि कलकत्ता स्थित मदर डेरी, कर्नाटक सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड के अन्तर्गत बंगलौर, मैसूर, टूमकुर और कुडिगे स्थित डेरियां तथा गेंगटोक स्थित सिक्किम सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड भी खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की एक योजना के अन्तर्गत अपने दूध में विटामिन "ए" मिलाकर उसे शक्तिवर्धक बनाती हैं।

(ग) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के खाद्य विभाग की शक्तिवर्धक बनाने की 100 प्रतिशत लागत तीन वर्ष के लिए वहन करने की एक योजना है। कई राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की डेरियों ने इस योजना को लागू करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। आशा है कि सातवीं योजना के दौरान देश की अधिकतर सरकारी/सहकारी डेरियों सम्भवत: इस स्कीम को लागू कर देंगी।

[अनुवाद]

पीतमपुरा में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का असामाजिक तत्वों द्वारा इस्तेमाल

8066. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दिकी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीतमपुरा में दिल्ली विकास प्राधिकरण के खाली फ्लैटों पर असामाजिक तत्वों ने कथित कब्जा किया हुआ है और उनमें कई घटनाएं होने के समाचार मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि अधूरे बने तथा पूरी तरह बने हुए खाली फ्लैटों का इस्तेमाल कोई भी विशेषत: असामाजिक तत्व न करें?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड मोदी नगर द्वारा भविष्य निधि कानूनों का उल्लंघन

8067. **श्री के० राममूर्ति** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भविष्य निधि आयुक्त ने मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड द्वारा भविष्य निधि अंशदान की अदायगी के बारे में जांच कराई है और क्या इस जांच से भविष्य निधि कानून के उल्लंघन के कई मामले प्रकाश में आये हैं और भविष्य निधि की 1.29 करोड़ रुपए की धनराशि, जो कि न्यासी बोर्ड को अदा की जानी थी, बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी के विरुद्ध की गई दण्डात्मक कार्यवाही का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या अन्य ऐसी छूट दी गई कम्पनियों द्वारा भविष्य निधि की राशि की अदायगी के बारे में ऐसी कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां । भविष्य निधि प्राधिकरणों के अनुसार मैसर्स मोदी स्पिनिंग और वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड ने, जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 की धारा 17(i)(क) के अन्तर्गत छूट-प्राप्त प्रतिष्ठान है, मार्च, 1981 से दिसम्बर, 1983 तक की अवधि के लिए अपने न्यासी बोर्ड को 1.29 करोड़ रुपये के भविष्य निधि अंशदानों का हस्तांतरण नहीं किया । कानून के कुछ अन्य उल्लंघन भी हुए थे । तथापि, सूचित किया गया है कि कम्पनी ने 1.29 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर दिया है ।

(ख) की गई या की जाने वाली प्रस्तावित कारंवाई के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :

(i) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम की धारा 14(2क) के अधीन प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध 32 अभियोजन मामले 26-7-1984 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के न्यायालय में दायर किए गए थे । ये मामले अभी विचाराधीन हैं ।

(ii) कर्मचारियों की मजदूरी से काटे गए कर्मचारी अंशदान के हिस्से की अदायगी न करने के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन मोदी नगर में पुलिस प्राधिकरणों के पास 27-2-1986 को एक शिकायत दर्ज की गई थी ।

(iii) मार्च, 1981 से दिसम्बर, 1983 की अवधि के लिए बकाया राशि की अदायगी न करने के कारण दांडिक ब्याज/हर्जाना वसूल करने की कारंवाई पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) जी, हां । छूट प्राप्त 13 अन्य प्रतिष्ठानों के रिकार्डों की विशेष दस्ते द्वारा विशेष जांच की गई थी । इस दस्ते की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

खाड़ी के देशों के आप्रवासियों का केरल में पुनर्वास

8068. **श्री टी० बशीर :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी के देशों से वापस आने वाले श्रमिकों के पुनर्वास के लिए योजना आयोग द्वारा केरल सरकार के सहयोग से क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या खाड़ी के देशों के उन आप्रवासियों के ऋण आवेदनों को तेजी से निपटाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुदेश जारी किए गए हैं जो उद्योग तथा स्व-रोजगार हेतु अन्य कार्य करने के इच्छुक हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, खाड़ी के देशों से लौटने वाले श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केरल में ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि खाड़ी के देशों से बहुत अधिक श्रमिकों का बहिर्गमन नहीं हुआ है।

औद्योगिक सुरक्षा पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाले संस्थानों के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की स्थापना

8069. **श्री के० बी० शंकर गौड़ा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उचित सुविधाओं के बिना औद्योगिक सुरक्षा पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाले संस्थानों की भरमार को रोकने के लिए सरकार का विचार इन संस्थानों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देश पद क्या होंगे; और

(ग) समिति द्वारा कब तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सामान्य बीमा निगम द्वारा फसलों और पशुओं का बीमा

8070. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्य बीमा निगम फसलों और पशुओं का बीमा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कार्य कब प्रारम्भ किया गया था;

(ग) बीमा सम्बन्धी मामलों का ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना के बाद से इसके कार्यकरण की अवधि के दौरान इस निगम की कितनी आय हुई है;

(घ) इसी अवधि के दौरान कितने मामलों में दावों का निपटान किया गया और कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ङ) किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह योजना चल रही है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग और कितने सीमान्त किसान इससे लाभान्वित हुए हैं; और

(च) गत दो वर्षों के दौरान फसलों और पशुओं के सम्बन्ध में बीमा के अलग-अलग कितने मामले हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) फसलों का

बीमा भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाता है, जबकि पशुओं का बीमा सामान्य बीमा निगम के चार सहायक निगमों अर्थात् राष्ट्रीय बीमा कम्पनी, न्यू इण्डिया एशोरेंस कम्पनी, ओरिएन्टल फायर तथा सामान्य बीमा कम्पनी और यूनाइटेड इण्डिया बीमा कम्पनी द्वारा किया जाता है।

(ख) पशु बीमा 1974 में शुरू किया गया था जबकि मार्गदर्शी फसल बीमा वर्ष 1979 में शुरू किया गया था और वृहत फसल बीमा योजना वर्ष 1985 में शुरू की गई थी।

(ग) और (घ) संलग्न विवरण एक और दो में किए गए व्यापार तथा अदा किए गए दावों के ब्यौरे दिए गए हैं।

(ङ) पशु बीमा समूचे देश में किया जाता है, जबकि फसल बीमा 13 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी, गोवा, दमन तथा दीव और अन्दमान तथा निकोबार दीव समूह के संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा सीमान्त कृषकों के लाभानुभोगियों के ब्यौरे एकत्र नहीं किए गए हैं।

(च) ब्यौरे संलग्न विवरण एक और दो में दिए गए हैं।

विवरण-एक

क्रम संख्या	वर्ष	राज्यों की संख्या	कवर्ड क्षेत्र (हैक्टार में)	किसानों की संख्या	फसल बीमा बीमाकृत धनराशि	एकत्र किया गया प्रीमियम	दावों का भुगतान किया गया (रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8
मार्गवर्ती योजना							
1.	1979-80	3	13,181.06	16,268	1,30,29,866.33	5,52,933.21	5,29,235.67
2.	1980-81	3	18,703.01	23,442	1,65,76,815.54	6,93,292.71	3,26,511.52
3.	1981-82	8	24,152.44	24,625	2,02,82,457.37	7,55,201.09	9,64,202.80
4.	1982-83	9	70,728.96	50,855	4,68,25,694.82	15,64,826.25	37,31,541.72
5.	1983-84	11	87,347.07	60,349	6,53,63,691.00	21,14,765.03	8,36,568.00
6.	1984-85	12	4,77,545.00	4,47,086	44,77,92,791.46	1,38,20,307.10	90,54,382.00
बृहत फसल बीमा योजना							
7.	खरीफ 1985	11 राज्य तथा 1 संघ राज्य क्षेत्र	41,80,150.00	23,25,251	5,40,81,19,440.00	9,32,57,188.00	98,45,52,000.00*
8.	रबी 1985 (अनंतिम)	13 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	7,01,928.00	4,48,228	68,20,88,516.00	1,25,44,840,00	—

*टिप्पणी : गुजरात तथा आन्ध्र प्रदेश के सम्बन्ध में दावे निपटाए नहीं गए हैं और महाराष्ट्र के दावे अभी पूरी तरह से निपटाए नहीं गए हैं।

विवरण-दो

क्रम संख्या	वर्ष	बीमा किए गए पशुओं की संख्या (लाख में)	प्रीमियम की राशि (लाख रुपए)	पशु सम्बन्धी दावों की संख्या (लाख में)	बीमाकृत दावों की रकम (लाख रुपए)
1	2	3	4	5	6
1.	1974	0.30	—	—	—
2.	1975	0.63	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	1976	2.10	132.93	0.04	58.35
4.	1977	5.89	247.10	0.10	140.17
5.	1978	14.10	472.47	0.26	341.07
6.	1979	32.30	948.16	0.54	806.11
7.	1980	43.72	1333.78	0.68	1101.53
8.	1981	56.76	1908.98	1.41	1592.74
9.	1982	82.35	2633.03	1.82	1743.48
10.	1983	105.78	3389.58	1.87	2414.71
11.	1984	142.67	4633.72	2.51	3135.20
12.	1985 (अनंतिम)	158.41	5171.59	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

फसलों को हानि के बारे में साधारण बीमा निगम को प्राप्त दावों का निपटान

8071. **श्री सुभाष यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साधारण बीमा निगम को भयंकर सूखे के कारण फसलों को हुई हानि के सम्बन्ध में वर्ष 1985-86 के दौरान कितनी और राशि के दावे प्राप्त हुए तथा तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) साधारण बीमा निगम ने राज्य वार कितनी राशि के दावों का भुगतान किया;

(ग) क्या कई दावे निपटाए जाने के लिए लम्बित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(च) शेष दावों का निपटारा कब तक कर दिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) खरीफ, 1985 मौसम सम्बन्धी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) सभी स्वीकार्य दावे शीघ्र निपटाने का प्रयास किया जाता है। तथापि, इस सम्बन्ध में कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बीमाकृत धनराशि	बीमा प्रभार किस्त रु०	सामान्य बीमा निगम द्वारा प्राप्त दावों की संख्या	दावा की गई धनराशि रु०	दावों के निपटान की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	176,93,40,000	323,10,563	300	4,15,20,000	निपटान नहीं हुआ है। मंडल स्तर के आंकड़ों के उपलब्ध न होने के कारण विलम्ब हुआ है।
2.	बिहार	6,70,84,296	13,41,728	—	—	
3.	गुजरात	109,46,10,000	134,92,000	867	73,55,10,00	निपटान नहीं हुआ है। इस तथ्य के कारण विलम्ब हुआ है कि दावों की जांच की जानी थी क्योंकि सन्निहित रकम बहुत अधिक तथा आशा से परे थी।

1	2	3	4	5	6	7
4.	कर्नाटक	26,99,34,000	47,38,833	—	—	
5.	केरल	7,33,11,019	14,66,225	46	37,90,000	निपटाया गया।
6.	मध्य प्रदेश	14,02,35,000	28,06,945	12	21,59,000	निपटाया गया।
7.	महाराष्ट्र	78,11,11,837	135,46,876	481	19,78,21,000	आंशिक रूप से निपटाया गया। शेष दावों का शीघ्र निपटान करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है।
8.	उड़ीसा	17,53,24,359	35,07,476	—	—	
9.	तमिलनाडु	18,49,62,141	36,22,747	27	9,15,000	निपटान किया गया।
10.	उत्तर प्रदेश	55,00,00,000	1,10,00,000	31	8,36,000	निपटान किया गया।
11.	पश्चिम बंगाल	29,48,11,804	52,76,409	22	17,07,000	निपटान किया गया।
12.	पांडिचेरी	73,94,984	1,47,387	7	2,94,000	निपटान किया गया।
		540,81,19,440	9,32,57,188	1793	98,45,52,000	

टिप्पणी : *आंकड़े प्राप्त नहीं हुए। एक दावा फसल के लिए एक मण्डल कार्यालय के सम्बन्ध में है और इस प्रकार इसमें किसानों की संख्या नहीं दी गई है।

फालतू भूमि का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आबंटन

8072. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुछ संसद सदस्यों ने सरकार का ध्यान राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को फालतू भूमि के आबंटन के बारे में किए जा रहे अपर्याप्त उपायों की ओर दिलाया है;

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें आबंटित की गई भूमि बहुत कम है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भू-स्वामियों को ऐसी जोतों से कोई खास सहायता नहीं मिली है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे तरीके निकालने का है, जिससे कि अधिक अच्छी भूमि का तथा एक पूर्व निर्धारित समय सीमा के भीतर वितरण किया जाए ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) संसद सदस्यों ने समय-समय पर सरकार का ध्यान राज्यों द्वारा भूमि सुधार उपायों का अपर्याप्त कार्यान्वयन और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को फालतू भूमि के आबंटन की ओर आकृष्ट किया है। 1-10-85 को राज्य मंत्री, कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति के संसद सदस्यों के साथ आयोजित एक बैठक में भी कुछ सदस्यों ने इसका उल्लेख किया।

राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के नवीनतम संकलन के अनुसार 43.301 लाख एकड़ अधिकतम सीमा से फालतू भूमि 33.763 लाख लाभार्थियों को वितरित कर दी गई है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या तथा वितरित भूमि नीचे दर्शाई गई है :

	आबंटित क्षेत्र		लाभार्थियों की संख्या	
	लाख एकड़	कुल वितरित क्षेत्र का प्रतिशत	संख्या लाख में	लाभार्थियों की कुल संख्या का प्रतिशत
अनुसूचित जाति	14.344	33.1	12.252	39.3
अनुसूचित जनजाति	5.571	12.9	5.213	15.4

इससे यह स्पष्ट है कि लाभार्थियों की कुल संख्या का 54.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति से सम्बन्धित है जिन्हें कुल वितरित फालतू भूमि का 46 प्रतिशत क्षेत्र आबंटित किया गया है। 72.641 लाख एकड़ फालतू घोषित भूमि में स 59.6 प्रतिशत भूमि वितरित की गई है। परन्तु 16.968 लाख एकड़ भूमि मुकदमेबाजी में फंसी है तथा वितरण हेतु उपलब्ध नहीं है। चूंकि भू-स्वामी को फालतू भूमि के रूप में भूमि छोड़ने हेतु भूमि का चयन करने का अधिकार है अतः इस प्रकार की फालतू भूमि बहुत ही घटिया किस्म की होगी तथा छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी हुई भी हो सकती है। अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटियों को भूमि का विकास करने के लिए 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता देने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है। वे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत भी उपदान के रूप में 8000 रुपए प्रति परिवार का

अधिकतम सीमा तक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं में भी वार्षिक आबंटन का 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति को सीधे लाभ पहुंचाने वाले निर्माण कार्यों, भूमि विकास तथा सिंचाई कुओं आदि के लिए निर्धारित किया गया है ताकि इन निर्धारित निधियों की सहायता से वे आबंटित भूमि का उत्पादक ढंग से उपयोग कर सकें।

मई, 1985 में हुए राज्यों के राजस्व मन्त्रियों के सम्मेलन में, राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वितरण हेतु अधिक भूमि प्राप्त करने के लिए न्यायालयों में लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान सहित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए उपाय किए जाएं। उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि वे यह देखें कि आबंटित भूमि का वास्तविक कब्जा अभिलेखों में प्रविष्टि के पश्चात् दिया जाए तथा भूमि का वास्तविक सीमांकन किया जाये और जहां पर विधायी प्रावधान नहीं है वहां इन्हें बनाया जाए तथा लागू किया जाए ताकि आबंटियों को भूमि से निष्काषित किए जाने हेतु सुरक्षा प्रदान की जा सके और गैर-कानूनी कब्जा करने वालों से भूमि खाली करवाकर उन्हें शीघ्र भूमि वापिस दिलाई जा सके।

अनधिकृत भवनों को नियमित करने के लिए कम जुर्माना करने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण को हानि

8073. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीलामी की शर्तों के अनुसार, भीकाजी कामा प्लेस के गैर-सरकारी निर्माताओं को नीलाम किए गए छः भूखण्डों की भवन योजनाओं की स्वीकृति से पूर्व 2.5 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के पश्चात् पट्टा विलेख निष्पादित करवाना था;

(ख) क्या उन भूखण्डों पर भवन योजनाओं की स्वीकृति के बिना स्टाम्प शुल्क का भुगतान पट्टा विलेखों का निष्पादन किए बिना भवनों का निर्माण किया गया था और इन अनधिकृत भवनों को भवन उप विधि 1983 के अनुसार वर्ष 1985 नियमित किया गया है;

(ग) क्या 500 रुपए वर्ष प्रति वर्ग मीटर की दर से जुर्माना करने, जैसे कि निजी भवनों वाणिज्यिक भवनों को नियमित करने के लिए भवन उप विधि, 1983 में उपबन्धित हैं, के स्थान पर केवल 25 रुपए प्रतिमीटर की दर से बहुत कम जुर्माना किया गया, जिससे दिल्ली विकास प्राधिकरण को 3.16 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ; और

(घ) 5.66 करोड़ रु० का नुकसान पहुंचाने के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कारंवाही करने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार की विकास दर

8074. **श्री वल्लभ पाणिग्रही** :

श्री जनक राजा गुप्ता :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रोजगार की विकास दर का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान रोजगार की दर में कोई कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितनी कमी आई है; और

(ङ) वर्ष 1985 के अन्त तक रोजगार कार्यालयों में नौकरी के लिए पंजीकृत किए गए लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अनुसार, छठी योजना अवधि के दौरान रोजगार में 4.32 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) 1985 के अन्त में रोजगार कार्यालयों में नौकरी चाहने वाले 263 लाख व्यक्ति पंजीकृत थे।

मिट्टी में माइक्रो-पोषकों की कमी के कारण फसल उत्पादन पर प्रभाव

9075. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी में माइक्रो-पोषक की निरन्तर कमी होती जा रही है जिससे फसल की उपज तथा उनकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कृषि उपज बढ़ाने के लिए किसानों के हित में नई प्रौद्योगिकी का विकास करने हेतु कृषि वैज्ञानिकों द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी विशेष रूप से उच्च फसल सघनता के क्षेत्रों में और सामान्य रूप से उच्च विश्लेषण उर्वरकों के उपयोग के कारण दिखाई देनी शुरू हो गयी है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत पौधों और मिट्टी में अखिल भारतीय सूक्ष्म तत्व प्रायोजना 1967 से विभिन्न राज्यों में 9 सहकारी केन्द्रों पर देश में सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले क्षेत्रों की कमी की रूपरेखा प्रस्तुत की है। इसने सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के प्रति सहनशील फसल की किस्मों की छानबीन की है। मिट्टी और छिड़काव का फसल पर उपयोग करके सूक्ष्म पोषक तत्वों के वाहकों के प्रयोग से मिट्टी और पौधों की कमी को दूर करने की विधियां विकसित की गई हैं। प्रसार अभिकरणों और किसानों के द्वारा सिफारिशों को पहले से ही उपयोग में लाया जा रहा है जिससे कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाया जा सके।

देश में अतिरिक्त "फिश लैण्डिंग सेन्टर" स्वीकृत करना

8076. **डा० जी० विजय रामा राव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्री मछलियों के निर्यात में सहायता करने की दृष्टि से कुछ और "लैण्डिंग सैन्टर" स्वीकृत किए गए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा पहले से ही काम कर रहे सभी लैण्डिंग सैन्टरों छोटे तथा बड़े बन्दरगाहों के राज्य-वार नाम क्या हैं तथा उनमें वास्तव में कितनी मछलियां रखी जाती हैं;

(ख) क्या वर्ष 1985 में विशाखापत्तनम में शुल्क-पतन स्वीकृत किया गया था और यदि हां, तो इसके कब तक चालू किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या मछुआरों के लिए कोई समेकित विकास परियोजनाएं पहले से ही चालू रही हैं अथवा इनकी स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा पूर्ण क्या है और इन राज्यों में मछुआरों की संख्या कितनी है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केवल समुद्री मछलियों के निर्यात में सहायता करने की दृष्टि से माल उतारने के केन्द्रों की स्कीकृत नहीं दी गई हैं।

(ख) जी हां। इसके 1988 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) (1) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में समेकित समुद्री मात्स्यकी की दो परियोजनाएं लगभग पूरी हो गयी हैं और उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

परियोजना प्रस्ताव	समेकित समुद्री मात्स्यकी परियोजना गुजरात	समेकित समुद्री मात्स्यकी परियोजना आन्ध्र प्रदेश
(1) स्वीकृत लागत	2353 लाख रुपए	2670 लाख रुपए
(2) मत्स्यन बन्दरगाह	2 नम्बर्स	3 नम्बर्स
(3) यन्त्रीकृत मत्स्यन जलयान	270 नम्बर्स	360 नम्बर्स
(4) परम्परागत मछुआ घटक आदि	350 डोंगी 1400 बाहरी (आउटबोर्ड) मोटरें	60 डोंगी शून्य
(5) लाभ		
अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन	32600 मीटरी टन	23096 मीटरी टन
अतिरिक्त झींगा मछली का उत्पादन	2400 मीटरी टन	6615 मीटरी टन
कुल मूल्य	920 लाख रुपए	1977 लाख रुपए

(2) अन्य समेकित समुद्री मात्स्यकी परियोजनाएं, जिन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है, वे कर्नाटक में ताडरी और उड़ीसा में अस्ट्रांग और कासाफल में हैं। इन परियोजनाओं के विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

ताडरी परियोजना :

परियोजना कार्य 633 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 1982 में शुरू किया गया था जिसमें 532.50 लाख रुपए का योगदान डानिडा का है। परियोजना की निर्धारित अवधि 7 वर्ष है। परियोजना की मुख्य विशेषताएं ये हैं—

(1) ताडरी मे मत्स्यन बन्दरगाह का निर्माण, (2) 1400 वर्ग मीटर के नीलामी हाल का निर्माण, (3) बर्फ और हिमीकरण कम्पलैक्स का निर्माण, (4) गिल नैटर्स और पर्स सीनर्स का निर्माण, (5) 500 मछुआ परिवारों के पुनर्वास के लिए समुदायिक भवनों का निर्माण, (6) जल सप्लाई, निकासी और बिजली की सप्लाई आदि की व्यवस्था।

कासाफल परियोजना

यह परियोजना नार्वे की सहायता से 300 लाख रुपए की अनुमानित लागत से अक्तूबर, 1985 से 4 वर्षों में क्रियान्वित की जाएगी। परियोजना के मुख्य घटक हैं : मछली उतारने वाले घाटों का निर्माण, (2) गावों में पहुंच सड़कों का निर्माण, (3) बर्फ संयंत्र, शीत भण्डारण की स्थापना, (4) पेयजल की सप्लाई, (5) मत्स्य विपणन की स्थिति में सुधार, (6) स्थानीय मछुओं आदि के लिए आवासीय और चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं।

अस्ट्रांग परियोजना

यह परियोजना यू० के० की द्विपक्षीय सहायता के अन्तर्गत जनवरी, 1984 से 642 लाख रुपए की अनुमानित लागत से शुरू की गई। यह परियोजना 5 वर्षों की अवधि में क्रियान्वित की जानी है। इस परियोजना के मुख्य घटक हैं—(1) अस्ट्रांग में मत्स्यन बन्दरगाह का निर्माण, (2) 10 मीटर की लम्बाई वाले 80 यन्त्रीकृत मत्स्यन जलयानों को आरम्भ करना और (3) बर्फ संयन्त्र शीत भण्डारण आदि जैसी तटीय सुविधाओं की व्यवस्था।

राज्य सरकार द्वारा हाल ही में दी गई सूचना के अनुसार समुद्री मछुओं की संख्या कर्नाटक में 2,82,872, उड़ीसा में 1,26,135, गुजरात में 1,77,212 और आन्ध्र प्रदेश में 3,26,304 है।

राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम

8077. **डा० जी० विजय रामाराव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों, रासायनिक खादों के स्थान पर कार्बनिक खादों, उन्नत औजार, जल संरक्षण इत्यादि तथा किसानों को अधिक मूल्यों के भुगतान के लिए शुष्क खेती हेतु एक प्रौद्योगिकी लक्ष्य शुरू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) बारानी क्षेत्रों के विकास के लिए वर्षा सिंचित खेतो के राष्ट्रीय जलाश्य विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को 1986-87 से शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के माध्यम से विभिन्न बारानी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध और उपयुक्त प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाया जाएगा। इस योजना की मुख्य विशेषताएं ये हैं : (1) भूमि और मृदा प्रबन्ध, बारानी बागबानी सहित सस्य पद्धति की शुरूआत, चारा उत्पादन और फार्म वानिकी; (2) आकस्मिक बीज का स्टाक बनाना और पौध और घास बीज/पत्तियों की सप्लाई; (3) प्रशिक्षण; (4) अनुकूली अनुसन्धान कार्यकलाप; (5) सर्वेक्षण उपकरण का प्रावधान और नए ओजारों का निर्माण; और (6) क्षेत्रीय मेनुअल आदि तैयार करना।

फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन

8078. **श्री सुभाष यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल बीमा की रूपरेखा जापानी फसल बीमा के ढांचे पर तैयार की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना में नवीनताएं लाने का है, ताकि किसानों द्वारा इसे स्वीकार करने की प्रेरणा मिल सके;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्य सरकारों से इस योजना में संशोधन करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए थे, ताकि इसे किसानों के लिए इस समय से अधिक आकर्षक बनाया जा सके। अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति ने उन सुझावों पर विचार किया है और कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर अविलम्ब जांच शुरू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

सूखे से प्रभावित किसानों के पुनर्वास की योजना

8079. **श्री सुभाष यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार रुग्ण एककों के पुनरुद्धार सम्बन्धी योजनाओं की तरह किसानों द्वारा लिए गए ऋण को जिसे वे निरन्तर पड़ने वाले सूखे के कारण अदा करने की स्थिति में नहीं हैं, माफ करने उनके पुनर्वास की योजना आरम्भ करने का है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : देश में कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पुनर्वास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना, जो 1972-73 से 1979-80 तक की अवधि के दौरान चल रही थी में अन्य बातों के साथ-साथ लघु और सीमान्त किसानों के मद्दे बकाया पड़ी प्राथमिकता कृषि ऋण समितियों की अप्राप्य धनराशि को बट्टे-खाते में डालने की व्यवस्था है। 1979-80 के पश्चात् कुछ राज्य अपनी योजना के भाग के रूप में आवश्यकता पर आधारित विचार हेतु उक्त योजना को अभी भी जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा कुछ राज्यो ने निरन्तर प्राकृतिक आपदाओं के कारण अप्राप्य राशि को बट्टे-खाते में डालने सम्बन्धी व्यय को पूरा

करने के लिए कृषि ऋण राहत निधि का भी गठन किया है। भारत सरकार ने निरन्तर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के ऋणों को बट्टे-खाते में डालने की कोई योजना शुरू नहीं की है। बहरहाल, खरीफ 1985 से देश में वृहत फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना का अभिप्राय प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप फसल ठीक न होने की दशा में किसानों को वित्तीय सहायता देना और फसल ठीक न होने के पश्चात् आगामी फसल मौसम के लिए किसानों की ऋण की पात्रता को बरकरार रखे जाने से है।

हड़तालों और तालाबंदियों के कारण 1985 के दौरान श्रमिक-दिनों की हानि

8080. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985 के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण कितने श्रमिक दिनों की हानि हुई;

(ख) क्या 1984 की तुलना में स्थिति में सुधार हुआ या स्थिति और खराब हो गई; और

(ग) हड़तालों और तालाबन्दियों के प्रमुख कारण क्या थे ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) श्रमिक दिनों की हानि में तेजी से कमी होने के कारण औद्योगिक सम्बन्ध स्थिति में सुधार हुआ है। यह संख्या वर्ष 1984 में 560.3 लाख से घटकर वर्ष 1985 में 291.9 लाख रह गई।

(ग) औद्योगिक विवादों के कारण-वार विश्लेषण से पता चलता है कि अन्य कारणों के साथ वेतन और भत्ते, अनुशासनहीनता और हिंसा और कार्मिक तथा छंटनी हड़तालों और तालाबन्दियों के प्रमुख कारण रहे हैं।

कुक्कुट उत्पादन में वृद्धि

8081. **डा० डी० एन० रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों तथा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के संस्थानों द्वारा विकसित एच० एच० 260 और बी० एच० 78 जैसे कुक्कुट "लेयर स्ट्रेन्स" तथा "फास्ट ब्रोयलर स्ट्रेन्स" के कारण कुक्कुट उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह वास्तविक रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले कुक्कुट "स्ट्रेन्स" के आंकड़ों पर आधारित है और यदि हां, तो प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न कुक्कुट "स्ट्रेन्स" का ब्यौरा क्या है तथा स्ट्रेन का स्रोत क्या है; और

(ग) क्या सफल कुक्कुट पालन करने वाले किसान अधिकांशतः भूमिहीन और गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं और यदि हां, तो इनके कुक्कुट पालन का काम आरम्भ करने से पहले और यह कार्य अपनाने के बाद उनकी आय का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कुक्कुट उत्पादन बढ़ाने में मुख्य योगदान गैर-सरकारी क्षेत्र के शुद्ध वंशक्रम के कुक्कुट प्रजनन फार्मों तथा मूल कुक्कुट के आयात पर आधारित हेचरियों द्वारा कुक्कुट पालकों को उपलब्ध किए जा रहे "लेयर तथा ब्रायलर स्ट्रेन्स" द्वारा किया गया है। केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों में तथा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के समन्वित कुक्कुट प्रजनन परियोजनाओं के तहत विकसित स्ट्रेनों ने भी इसकी वृद्धि करने में योगदान दिया है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

"ड्राईलैण्ड फार्मिंग कैन ट्रबल प्रोडक्शन" शीर्षक से समाचार

8082. श्रीमती प्रभावती गुप्त :
श्री अनंत प्रसाद सेठी :
डा० गौरी शंकर राजहंस :
श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री के० वी० शंकर गोडा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 31 मार्च, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में ड्राईलैंड फार्मिंग कैन ट्रबल प्रोडक्शन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली के विशेषज्ञों के अनुसार असिंचित भूमि में शुष्क भूमि पर खेती सम्बन्धी स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके फसल उत्पादन तिगुना किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो देश में शुष्क भूमि पर खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। श्रीमान्।

(ख) इस रिपोर्ट में दिए गए परिणाम भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा अपने परिचालन अनुसन्धान प्रायोजना और अनुसन्धानशाला से खेत तक कार्यक्रमों पर आधारित है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 200 हैक्टर क्षेत्र में 500 किसानों को शामिल करके चलाए गए। इन अध्ययनों से पता चला है कि सरसों की पूसा बोल्ड किस्म की पारम्परिक विधियों को अपना कर प्राप्त 7.5 क्विंटल प्रति हैक्टर की आधार उपज को बढ़ाकर 23 से 26 क्विंटल प्रति हैक्टर के औसत तक लाया जा सकता है।

(ग) सरकार सातवीं योजना में निम्न विशेष कार्यक्रम चलाकर अपने प्रयत्नों को केन्द्रित कर रही है :

(i) बारानी क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल संभर विकास कार्यक्रम ।

(ii) तिलहन उत्पादन पर प्रौद्योगिकी मिशन ।

(iii) राष्ट्रीय प्रदर्शनी, प्रयोगशाला से खेत तक तथा परिचालन अनुसन्धान प्रायोजनाओं जैसे भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रमों को बारानी क्षेत्रों तक बढ़ाया जा रहा है ।

फिल्म कर्मचारियों का कल्याण

8083. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्म उद्योग के कर्मचारियों को मुआवजा लाभ और कल्याण उपाय नहीं मिलते हैं जबकि अभी कुछ समय पहले उनकी संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) फिल्म उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों, कलाकारों, तकनीशियनों आदि की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) सिनेमा कर्मचारियों के हित और कल्याण में केन्द्रीय सरकार की स्थिति क्या है; और

(घ) इन अधिनियमों को विस्तार और आधुनिक बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जन प्रदर्शनी के उद्देश्य से सिनेमाटोग्राफ चित्र बनाने या ऐसे चित्रों को प्रदर्शित करने में लगे व्यक्ति कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत आते हैं और वे रोजगार चोट के कारण हुई अपंगता या मृत्यु के मामले में अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजे का दावा कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त, वे सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 के अधीन दी जाने वाली सभी कल्याण सुविधाओं, जैसे चिकित्सीय देख-रेख, आवास, शिक्षा और छात्रवृत्तियों के भी पात्र होंगे ।

(ख) श्रेणी-वार सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, अनुमान है कि फिल्म उद्योग में लगभग एक लाख श्रमिक नियोजित हैं ।

(ग) केवल सिनेमा कर्मकारों और सिनेमा थियेटर कर्मकारों के लिए निम्नलिखित अधिनियम बनाए गए हैं :

(i) सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981;

(ii) सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981;

(iii) सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981.

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित सामाजिक सुरक्षा कानून भी सिनेमा कर्मकारों पर लागू होते हैं।

(i) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952;

(ii) उपदान संदाय अधिनियम, 1972;

(iii) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923.

(ख) इस समय सिनेमा कर्मकारों के लिए तीन विशिष्ट अधिनियमों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, समय-समय पर सामाजिक सुरक्षा कानूनों की पुनरीक्षा की जाती है और उनमें संशोधन किया जाता है ताकि आवश्यकता अनुसार उनके सीमा-क्षेत्र को बढ़ाया जा सके और उनमें अन्य परिवर्तन किए जा सकें।

अधिक उपज देने वाली धान किस्म की फसल का खराब होना

8084. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्षा के आधार पर धान की खेती होने वाले क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले धान की किस्म की खेती सफल नहीं रही;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह खराब हुई है तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में पृथक-पृथक अधिक उपज देने वाली धान की किस्म के उत्पादन की असफलता/सफलता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी चावल उत्पादक राज्यों तथा आन्ध्र प्रदेश में विशेषकर, इस योजना को सफल बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती, उन वर्षा सिंचित क्षेत्रों में, जहां औसत वर्षा लगभग 1000 मिली लीटर से अधिक होती है, सफल रही है।

(ख) और (ग) चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती सभी राज्यों में सफल रही है। देश में चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों का क्षेत्र 1975-76 के 124.4 लाख हैक्टार से बढ़कर 1983-84 में 217.4 लाख हैक्टार हो गया। 1975-76 और 1983-84 के दौरान आंध्र प्रदेश और चावल का उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख राज्यों में चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) कृमियों के सहनशील/प्रतिरोधी स्थान विशिष्ट अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती को तेजी से लोकप्रिय बनाने के लिए चावल मिनिकिट की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश सहित चावल उगाने वाले सभी राज्यों में किसानों को नयी निर्मुक्त की गई/विकसित की गई किस्मों के बीज मिनिकिट बड़ी मात्रा में वितरित किए जाते हैं। असम, बिहार, मध्य प्रदेश,

उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चल रहे प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम, विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम के जरिए और चावल की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत और विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों के माध्यम से चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों की उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रसार किया जा रहा है।

विवरण

(लाख हैक्टार में)

	1975-76	1983-84
आंध्र प्रदेश	24.77	34.66
असम	3.28	9.90
बिहार	7.68	20.00
कर्नाटक	5.75	8.77
मध्य प्रदेश	11.50	15.00
उड़ीसा	4.83	14.27
तमिलनाडु	18.60	22.82
उत्तर प्रदेश	15.93	29.90
पश्चिम बंगाल	10.53	20.10
अखिल भारत	124.43	217.36

पुर्से-सीन जालों के अन्धाधुन्ध प्रयोग का प्रभाव

8086. श्री सुरेश कुरुप : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मछली पकड़ने के लिए पुर्से-सीन जालों के अन्धा-धुन्ध प्रयोग से समुद्री सम्पदा तेजी से घट रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) समुद्री तटीय राज्यों द्वारा मछली पकड़ने वाले पुर्से-सीन जालों के प्रयोग पर कड़ाई से नियन्त्रण किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

समुद्री खाद्य पदार्थों का उत्पादन तथा निर्यात

8087. कुमारी डी० के० तारा देवी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अन्तर्देशीय मछली का कुल कितना वार्षिक उत्पादन हुआ;

(ख) उनमें से कितना मछली उत्पादन का निर्यात किया गया; और

(ग) वर्ष 1990 में समुद्री खाद्य पदार्थों का कितना उत्पादन होने की संभावना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गत 3 वर्षों के दौरान अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन निम्न प्रकार है

वर्ष	उत्पादन लाख मीटरी टन में
1983-84	9.87
1984-85 (अनन्तिम)	10.82
1985-86 (अनुमानित)	11.18

(ख) अधिक मात्रा में नहीं ।

(ग) 1990 तक समुद्री आहार के सम्भावित उत्पादत का लक्ष्य लगभग 20 लाख मीटरी टन है ।

श्रमिकों को विदेश भेजने वाली जाली एजेंसियां

8088. श्री एम० टोम्बी सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन शक्ति का निर्यात करने वाली उन एजेन्सियों के नाम क्या हैं जिन्हें कदाचार में संलिप्त होने के कारण रद्द कर दिया गया है;

(ख) वे किस किस्म के कदाचारों में संलग्न थीं; और

(ग) क्या अन्य सभी एजेन्सियों को कार्य करने की अनुमति दी जाएगी अथवा उन्हें सरकारी नियंत्रण के अधीन लाया जाएगा अथवा सरकार इस कार्य के लिए अपना संगठन स्थापित करेगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सूची दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) सरकार के पास पंजीकृत भर्ती एजेन्सियों और राज्य स्वामित्व वाले अन्तर्राज्यिक निगमों को विदेशों में रोजगार के लिए भारतीय श्रमिकों की भर्ती करने की अनुमति दी जाती है ।

विवरण

उन पंजीकृत भर्ती एजेंटों की सूची, जिनका पंजीकरण प्रमाणपत्र निलम्बित किया गया है

क्रमांक	भर्ती एजेन्ट का नाम	निलम्बन की तारीख	शिकायत का स्वरूप
1	2	3	4
1.	मैसर्स अल-अदनान	6-4-85	कागजातों की धोखाधड़ी
2.	मैसर्स ब्लू नील ट्रैवल्स एण्ड टूर्स, बम्बई	4-9-85	संविदा का प्रतिस्थापन
3.	मैसर्स गुप्ता टूर्स एण्ड ट्रैवल्स, बम्बई	27-7-85	दस्तावेजों में धोखाधड़ी
4.	मैसर्स ओवरसीज इन्जीनियरिंग कन्सट्रक्शन्स कम्पनी, नई दिल्ली	12-8-85	संविदा का प्रतिस्थापन
5.	मैसर्स निशान इण्टरनेशनल, हैदराबाद	23-7-85	धन ऐंठना
6.	मैसर्स नसीर ट्रेड इण्टरनेशनल, बम्बई	25-8-85	वीजा दस्तावेजों में धोखाधड़ी
7.	मैसर्स एस० आर० एस० इण्टरप्राइजिज, दिल्ली	5-9-85	उचित उत्प्रवास अनुमति के बिना श्रमिकों को भेजना।
8.	मैसर्स यू० के० मैरीन, बम्बई	28-11-85	संविदा का प्रतिस्थापन
9.	मैसर्स वर्ल्ड टूर एण्ड ट्रैवल, बम्बई	28-10-85	धन ऐंठना।
10.	मैसर्स पैरामाउन्ट कारपोरेशन, बम्बई	16-1-86	रोजगार दस्तावेजों में असंगति
11.	मैसर्स फोरेन लिंकर्स (पर्सनल) नई दिल्ली	2-1-86	श्रमिकों से धोखेबाजी।
12.	मैसर्स सहल ट्रैवल्स, दिल्ली	26-1-86	उचित दस्तावेजों के बिना भर्ती
13.	मैसर्स आनन्द इण्टरप्राइजिज, दिल्ली	30-1-86	संविदा का प्रतिस्थापम
14.	मैसर्स अमेरिकन एक्सपोर्ट, बम्बई	11-2-86	नौकरी चाहने वाले से धोखेबाजी।
15.	मैसर्स के० के० इण्टरप्राइजिज, नई दिल्ली	13-2-86	भर्ती के काम में अनियमितताएं

1	2	3	4
16.	मैसर्स एक जोत इण्टरनेशनल, लुधियाना	2-3-86	श्रमिकों से धोखेबाजी
17.	मैसर्स शाव इण्डिया, दिल्ली	13-2-86	संविदा का प्रतिस्थापन
18.	मैसर्स अल घोरी इण्टरनेशनल, बम्बई	25-2-86	—यथोक्त—
19.	मैसर्स जे० के० इण्टरप्राइजिज, लुधियाना	13-3-86	धन ऐंठना
20.	मैसर्स सेलेक्टिव पावर (पी०) लि० नई दिल्ली	11-3-86	धन ऐंठना

चाय बागानों में कीटनाशी और कृमिनाशी दवाइयों का प्रयोग

8089. **श्री के० राममूर्ति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि चाय बागानों में कीटनाशी और कृमिनाशी दवाइयों के प्रयोग के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों का चाय उद्योग द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो चाय बागान श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) चाय चाय बागानों में कृमिनाशी दवाइयों के प्रयोग में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानदण्डों का उल्लंघन किए जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत बनाए गए कीटनाशी नियम, 1971 में कीटनाशियों के विनिर्माण, सूत्रीकरण, परिवहन वितरण अथवा उपयोग के दौरान उनकी सम्भाल करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सुरक्षात्मक कपड़ों और अन्य वस्तुओं के बारे में विस्तृत हिदायतें दी गई हैं।

बागानी फसलों पर कृमिनाशियों का हवाई छिड़काव भी शुरू किया गया है, अतः किसी सम्भव जोखिम से बचने के लिए कीटनाशी नियम, 1971 में बचाव सम्बन्धी बहुत ही विशिष्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं।

[हिन्दी]

कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण

8090. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य उद्योगपतियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके विपरीत कृषि उत्पादों के मूल्य सरकार द्वारा नियुक्त कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी दोहरी नीति अपनाए जाने के क्या कारण हैं और उसका क्या औचित्य है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में समान नीति निर्धारित करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अधिकतर औद्योगिक जिन्सों के लिए मूल्यों का निर्धारण बाजार में मौजूदा सप्लाई और मांग के रुख द्वारा किया जाता है। तथापि, भारत सरकार अन्तिम उपभोक्ता के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझे जाने वाली औषधियों, उर्वरक, लेवी चीनी जैसे कुछ चुनींदा औद्योगिक उत्पादों और अर्थव्यवस्था के भीतर व्यापक संयोजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण समझे जाने वाले कोयला, अलमोनियम और लेवी सीमेंट जैसे औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों का निर्धारण और/अथवा विनियमन करती है।

औद्योगिक उत्पादों के लिए सरकार द्वारा आकलित मूल्य धारण अथवा उचित बिक्री मूल्य हैं जो अधिकतम बिक्री मूल्यों के रूप में निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) महत्वपूर्ण कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्यों की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की जाती है और सरकार द्वारा उनका निर्धारण किया जाता है जिसमें जिस को उत्पादन-लागत सहित सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है ताकि उत्पादक स्वार्थ सिद्धि के लिए नियत मूल्यों द्वारा शोषण से बच सकें।

(ग) और (घ) कृषि और औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया के बीच मूल अन्तर होते हैं इसलिए औद्योगिक मूल्यों का सिद्धान्त सम्पूर्णतः कृषि क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

कृषि श्रमिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लाभ

8091. श्री के० कुन्जम्बु : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों को राज्य बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन तक इन लाभों को पहुंचाना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कृषि श्रमिकों तक पहुंचाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रमिकों को विदेश भेजने वाली वाली एजेन्सियां

8092. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्राधिकृत और बिना पंजीकरण वाली कुछ एजेन्सियां और कम्पनियां भारतीयों को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए अभी भी काम कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और देश में ऐसी एजेन्सियों और कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 को लागू करने से, कोई भी भर्ती एजेन्सी या कम्पनी, जो सरकार के पास पंजीकृत नहीं है, विदेशों में रोजगार के लिए भर्ती का काम नहीं कर सकती। बिना पंजीकरण वाली भर्ती एजेन्सियों की एक सूची दर्शाने वाले विवरण संलग्न है, जिनके खिलाफ सरकार को शिकायतें मिली हैं। इन एजेन्सियों के विरुद्ध शिकायतों को सम्बन्धित पुलिस प्राधिकरणों के पास आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है।

विवरण

बिना पंजीकरण वाले भर्ती एजेंट्स

1. अल अमीर इन्टरप्राइजिज, बम्बई
2. बी० आर० ट्रेडिंग एण्ड कन्ट्रेक्टिंग एस्टे०, बम्बई
3. डी० टी० कारपोरेशन, दिल्ली
4. साइमेक्स कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लि०, बम्बई
5. कन्सलटेन्सी सर्विसेज, नई दिल्ली
6. दीपक इन्टरप्राइजिज, बम्बई
7. फारेन लिंकर्स, दिल्ली
8. जी० के० ट्रेवल्स, मद्रास
9. हाले एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लि०, बम्बई
10. जया कुमार एन्ड एसोसिएट्स, त्रिवेन्द्रम
11. कमानी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लि०, बम्बई
12. लिंक पर्सनल इन्टरनेशनल प्राइवेट लि०, नई दिल्ली
13. किंग ट्रेवल एजेन्सीज, कोचीन
14. कौशल ट्रेवल्स, जलन्धर

15. के० के० कन्स्ट्रक्शन कं०, नई दिल्ली
16. एम० अरूंग धाम आफ एस० डी० ट्रेडर्स, बम्बई
17. मैन्सयोर इन्टरप्राइजेज, मद्रास
18. मूगा एक्सपोर्ट्स, नई दिल्ली
19. मलकियात सिंह सन्धू, डिस्ट्रिक्ट संगरूर
20. एम० एस० रशीद अली, मद्रास
21. मार्टिन फर्मास्यूटिकल्स, बम्बई
22. पन्छी इन्टरप्राइजेज, दिल्ली
23. पम्पा टूर्स एण्ड ट्रेवल्स, मंगलौर
24. ओबेड इन्टरप्राइजेज, मद्रास
25 पंजाब केमी-प्लांट्स लि०, चन्डीगढ़
26. पी० एन० के० इन्टरप्राइजेज, फगवाड़ा
27. राघवन आफ मद्रास
28. रोहित अल फाहिम, बम्बई
29 राकेश ऑफ मेट्रो होटल, नई दिल्ली
30. रोक्सी इन्जीनियरिंग वर्क्स, नई दिल्ली
31. रौनक इन्टरनेशनल, दिल्ली
32. सुप्रिम ट्रेवल्स, दिल्ली
33. स्विफ्ट एयर ट्रेवल्स (प्राइवेट) लि०, चन्डीगढ़
34. सत्याम फारेन लिंकर्स
35. शाह कन्स्ट्रक्शन
36. शेख मोहम्मद आफ गार्डन रीच, कलकत्ता
37. बग्गा इन्टरनेशनल, दिल्ली
38. सत्याम कारपोरेशन, बम्बई
39. शिवम कारपोरेशन, बम्बई
40. वी० एम० टूर्स एन्ड ट्रेवल्स प्रा० लि०, बम्बई
41. वरालक्ष्मी ट्रेवल्स, बम्बई
42. बी० आई० पी० पर्सनल्स मेनेजमेन्ट्स कन्सलटेन्ट्स, बम्बई

बीड़ी श्रमिकों को ई० एस० आई० के लाभ देना

8093. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी श्रमिकों को ई० एस० आई० योजना के अन्तर्गत लाभ मिल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार बीड़ी श्रमिकों को ई० एस० आई० योजना का लाभ पहुंचाने का है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) फिलहाल ऐसे क्षेत्रों में जिनमें कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू है, स्थित बीड़ी का निर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों में, जो बिजली का प्रयोग करते हैं तथा जिनमें 10 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या बिजली का प्रयोग नहीं करते हैं तथा उनमें 20 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, नियोजित बीड़ी श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन लाभों के पात्र हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पर्वतीय क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं में कार्यरत नैमित्तिक कर्मचारियों को मंजूरी देना

8094. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या श्रम मंत्री पर्वतीय क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं में कार्यरत नैमित्तिक कर्मचारियों को मजूरी देने के बारे में 6 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2082 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त नैमित्तिक कर्मचारियों के लिए सरकार ने 1971 में आदर्श स्थायी आदेश जारी किए थे ;

(ख) क्या नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की सम्बन्धित श्रेणी के मिलने वाले प्राधिकृत वेतनमान में वेतन जमा महंगाई भत्ते का तीसवां हिस्सा मिल रहा है; और

(ग) क्या लगातार 90 दिन तक नैमित्तिक कर्मचारियों के रूप में कार्य करने पर उसे नियमित कर्मचारी को मिलने वाले अन्य लाभ और राहत ग्राह्य हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) श्रम मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में नैमित्तिक श्रमिकों के लिए मॉडल स्थायी आदेश 1971 में जारी किए थे। इन आदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ कार्य घन्टों, समयोपरि मजदूरी, मजदूरी दरों, साप्ताहिक विश्राम, छुट्टियों, मजदूरी के भुगतान आदि के उपबन्ध हैं। ये परामर्शी स्वरूप के हैं और इनकी कोई वैधानिक मान्यता नहीं है।

(ख) मॉडल स्थायी आदेशों में यह व्यवस्था है कि यदि नियोजन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत आता है, जो नैमित्तिक श्रमिक को उक्त अधिनियम के अधीन निर्धारित मजदूरी का

भुगतान किया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत न आने वाले श्रमिक को स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा नियोजन के प्रकार के अनुसार निर्धारित स्थानीय दैनिक दरों का भुगान किया जाता है। यदि ऐसा सम्भव नहीं है, तो उसे प्रतिष्ठान में तदनुरूपी श्रेणी के नियमित कर्मचारी के देय न्यूनतम प्राधिकृत वेतन मान का 1/30 और महंगाई भत्ता अदा किया जाना चाहिए। मंत्रालय भुगतान की गई वास्तविक मजदूरी से सम्बन्धित सूचना नहीं रखता है।

(ग) मॉडल स्थायी आदेशों के पैरा 15 के अनुसार नैमित्तिक कर्मकार को जिसने उसी प्रतिष्ठान में या उसी नियोजक के अधीन लगातार 90 दिन की सेवा पूरी कर ली है, प्रतिष्ठान की नियमित सेवा में लाया जाएगा। इस उपबन्ध के (जो परामर्शी स्वरूप का है) अनुपालन के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में अभ्रक की खानें

8095. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में अभ्रक की खानों के अन्तर्गत कुल कितना क्षेत्र है तथा वहां अभ्रक का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में अभ्रक की खानों में कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में अभ्रक खान कार्यों के विस्तार की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नए कानूनों के लागू होने से खाड़ी के देशों से भारतीय श्रमिकों का बहिर्गमन

8096. **श्री टी० बशीर : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ खाड़ी के देश अपने श्रम कानूनों को कुछ सख्ती से लागू कर रहे हैं जिसका विदेश के भारतीय श्रमिकों पर अत्याधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो खाड़ी के कौन-कौन से देश इन कानूनों को सख्ती से लागू कर रहे हैं और इससे प्रत्येक देश में अनुमानतः कितने श्रमिक प्रभावित होंगे;

(ग) खाड़ी के देशों से श्रमिकों का भारत को बहिर्गमन रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं क्योंकि इससे एकाएक देश में, विशेषकर केरल में सामाजिक समस्यायें उत्पन्न होंगी; और

(घ) श्रमिकों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) हाल ही में खाड़ी के देशों

ने उन श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करना शुरु कर दिया है जिनका प्रभाव सभी निवासित श्रमिकों पर पड़ रहा है। ऐसे श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, जिन पर प्रत्येक देशों में प्रभाव पड़ेगा। यह खाड़ी देशों का आन्तरिक नीति निर्णय है अतः इस मामले को उनकी सरकारों के साथ उठाया नहीं गया है। भारतीय श्रमिकों का बहिर्गमन नहीं किया जा रहा है।

फिलहाल स्वदेश वापस आ रहे प्रवासियों के पुनर्वास के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिक्किम को विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम में सम्मिलित करना

8097. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का सिक्किम को विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम में सम्मिलित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जी नहीं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम में सिक्किम को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सोवियत संघ के नमूने पर कृषि क्षेत्र में सुधार

8098. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में सोवियत संघ के नमूने पर सुधार करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जैसा कि 31 मार्च, 1986 के "ट्रिब्यून" में समाचार प्रकाशित हुआ ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में क्या-क्या परिवर्तन किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सिक्किम में छोटे और सीमांत किसानों को सहायता

8099. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण जनता के जीवन में सुधार लाने हेतु छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता दी जा रही है :

(ख) यदि हां, तो क्या सिक्किम के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है; और

(ग) क्या सिक्किम में "प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम" लागू किया गया है और यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितना परिव्यय किया गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए छोटे एवं सीमांत किसानों को सहायता

देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 5.00 लाख रुपए की रकम प्रति ब्लाक प्रतिवर्ष देने की व्यवस्था की गयी है। यह रकम सिक्कम सरकार तथा भारत सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन की जाएगी।

(ग) इस समय प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम 30 सितम्बर, 1986 तक के लिए मंजूर है और यदि इसे प्लान स्कीम के रूप में इसकी अवधि को आगे बढ़ाया गया तो सिक्किम को इसमें शामिल किया जाएगा।

कच्चे पटसन के मूल्य

8101. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे पटसन के न्यूनतम कानूनी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपादनों का अनुपात क्या है;

(ख) मुनाफे की कितनी गुंजाइश रखी जाती है; और

(ग) क्या औसत पटसन-उत्पादन परिवार के जीवन-निर्वाह लागत सूचकांक को हिसाब में लिया जाता है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार कच्चे पटसन का न्यूनतम सांविधिक मूल्य, कृषि लागत तथा मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों, सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों तथा अन्य सबद्ध घटकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करती है। कृषि लागत तथा मूल्य आयोग पटसन के लिए मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन तथा मूल्य प्रवृतियों, कच्चे पटसन की उत्पादन लागत, आदानों के मूल्यों में परिवर्तन, अन्तः फसल मूल्य समानता, भुगतान किए गए मूल्यों तथा प्राप्त हुए मूल्यों में समानता, घरेलू मांग तथा पूर्ति, औद्योगिक लागतों पर मूल्य नीति का संभाव्य प्रभाव आदि सहित पटसन अर्थ व्यवस्था की समूची संरचना को दृष्टि में रखता है।

(ख) उत्पादन लागत अनुमानों में रेंटल मूल्य के रूप में भूमि से और लाभ के मार्जन के तौर पर पूंजी पर ब्याज के रूप में आय शामिल है।

(ग) कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तों में और अंतिम उपयोग, जिसका जीवनयापन लागत पर प्रभाव पड़ता है, के सम्बन्ध में किसानों द्वारा क्रय किए गए जिंसों के लिए उनके द्वारा दिए गए मूल्यों के सूचकांक में हुए परिवर्तनों को कच्चे पटसन का न्यूनतम सांविधिक मूल्य निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

बिहार की जल सप्लाई परियोजनाएं

8102. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के लिए 166 जल सप्लाई योजनाएं शुरू की गई थीं;

(ख) क्या इन योजनाओं के लिए सरकार द्वारा आबंटित की गई राशि समस्या प्रधान गांवों में इन योजनाओं और इनके कार्यान्वयन के अन्तर्गत निर्माण कार्य को पूरा करने के बजाय नगरों और उप शहरी क्षेत्रों में खर्च/इस्तेमाल की जा चुकी है;

(ग) यदि हां, तो उन क्षेत्रों में जहां अधिकांश भूमिहीन परिवार बसे हैं कब तक जल सप्लाई कार्य शुरू करने और पूरा करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस बारे में बरती गई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच एक समिति के माध्यम से कराने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जलपूर्ति राज्य का विषय है। राज्यों द्वारा अपना-अपना बजट प्रावधान करके शहरी क्षेत्रों में पेयजल मुहैया करने की योजनाएं बनाई जाती हैं तथा उनका निष्पादन किया जाता है। शहरी जलपूर्ति के लिए राज्यों को अनुदान देने के लिए कोई केन्द्रीय योजना नहीं है, इसलिए, शहरी क्षेत्रों में पूर्ण की गई योजनाओं की संख्या, उपयोग में लाई गई निधि आदि के सम्बन्ध में सूचना केवल राज्य सरकारों के पास उपलब्ध होगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

आगरा छावनी की हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की शाखा में कामबंदी

8103. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरा छावनी की हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स की शाखा में कामबंदी की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या यह घोषणा मान्यता प्राप्त यूनियनों के परामर्श से की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस कामबंदी के क्या कारण हैं और उक्त एकक के लिए पर्याप्त कार्य जुटाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां

(ख) 31 मार्च, 1986 को आगरा में पैकेट एयरक्राफ्ट की ओवर हालिंग का काम पूरा होने पर हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने 1-4-1986 से आगरा में 119 श्रमिकों की कामबंदी की घोषणा की।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय वायु सेना द्वारा 1-4-1986 से हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के साथ

फेयर चाइल्ड एयरक्राफ्ट के सेवा संविदा की समाप्ति के कारण कामबंदी आवश्यक हो गई। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड उन्हें वैकल्पिक काम प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहा है।

खाद्य फसलों के उत्पादन और खपत का अनुमान लगाने के लिए सूचना प्रणालियां

8104. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य फसलों के देश में उत्पादन और इसकी खपत का अनुमान लगाने के लिए सभी आधुनिक औजारों और प्रणायों को नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ख) सूचना प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए देश में कार्य कर रही एजेन्सियों के नाम क्या हैं जो कि खाद्य उत्पादन और खपत के आंकड़े उपलब्ध करायेंगी;

(ग) क्या सरकार एफ्रो-एशियाई क्षेत्र में विकासशील देशों को देश में खाद्य फसलों के उत्पादन और इसकी खपत का अनुमान लगाने में प्राप्त बहुमूल्य अनुभव उपलब्ध कराएगी; और

(घ) यदि हां, तो एफ्रो-एशियाई देशों की सहायता करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) खाद्य फसलों सहित प्रमुख फसलों के उत्पादन के अनुमान उपज के लिए वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई फसल कटाई परीक्षणों के क्षेत्र तथा विश्लेषण के लिए अधिकतर राज्यों के सम्बन्ध में अलग-अलग क्षेत्रों की पूर्ण संगणना के आधार पर तैयार किए जाते हैं। "राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकरण" के नाम से जानी जाने वाली पूर्व-पदनामित एजेन्सियां हैं, जो कृषि मंत्रालय को जानकारी भेजती हैं जहां उन्हें इकट्ठा करके अखिल भारतीय पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय सुदूर सवेदनशील ऐजेन्सी के जरिए क्षेत्र और उपज अनुमान के लिए सुदूर संवेदनशील तकनीकों को लागू करने हेतु प्रयास किए जाते है। परन्तु ये परीक्षण की स्थिति में हैं और इनके परिष्कृत में अधिक समय लगेगा। विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र में उत्पादन अनुमान लगाने, फसल सम्बन्धी पूर्वानुमान लगाने आदि के लिए कम्प्यूटराईजेशन भी लागू किया जा रहा है। खाद्य फसलों सहित मुख्य मदों को खपत के अनुमान, राष्ट्रीय नमूने सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जा रहे उपभोक्ता व्यय पर घरेलू वस्तुओं के नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। भावी सर्वेक्षणों के नमूना डिजाइन की दक्षता सुधारने में प्राप्त किए गए अनुभव को ध्यान में रखते हुए इन सर्वेक्षणों के डिजाइन की निरन्तर समीक्षा को जाती है।

(ग) और (घ) भारत सरकार एफ्रो-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन के सहयोग से, एफ्रो-एशियाई देशों के उम्मीदवारों के लिए "खाद्य फसलों को पैदावार के अनुमान लगाने की तकनीक" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर चुका है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से अपने संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय सर्वेक्षण सामर्थ्य कार्यक्रम के तहत एस्केप क्षेत्र के देशों के उम्मीदवारों के लिए घरेलू वस्तु उपभोक्ता सर्वेक्षण सहित "नमूना और घरेलू वस्तु सर्वेक्षण पद्धति" पर 1983 और 1985 के दौरान दो पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया। इस समय, इस श्रृंखला में तीसरा पाठ्यक्रम चल रहा है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : समाचार कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कह रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर में भयंकर बाढ़ आई है और 9 आदमी मर गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको किसने रोका है 377 देने के लिए, किसने रोका है कालिंग-अटेंशन देने के लिए, किसने रोका है, आई विल अलाउ यू ।

श्री हरीश रावत : हमने नोटिस दिया है और उसकी तरह आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं । बाढ़ में 9 आदमी मारे गए हैं, इसके लिए आपसे निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहां पर हैं……।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, प्लीज सिट-डाउन ।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : जम्मू-कश्मीर में भयंकर बाढ़ आई है, 9 आदमी मारे गए हैं, उनको राहत देने के लिए……।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं, आप भी खड़े हैं । मिस्टर राम सिंह यादव, मैं यह कहना चाहता हूं कि सारा सदन अगर इस तरीके से खड़े होकर मुझे कोई बात बताना चाहता है तो यह आपका भ्रम है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : …… आप ऐसा क्यों करते हैं ।

श्री हरीश रावत : कभी-कभी तो हम लोग कहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्यों करते हैं, जब आपको पूरा अख्तियार है, मैंने रोका नहीं है, न रोकने की इच्छा रखता हूं । आप सबने मुझे दिया है, आप लोग 377 के अधीन दे सकते हैं, कालिंग अटेंशन

दे सकते हैं। मुझे भी उनसे हमदर्दी है, जो बाढ़ से पीड़ित हुए हैं उनकी सहायता करनी है। इस बात में कोई झगड़ा नहीं है, कोई प्राब्लम नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सहाता करनी है तो किस तरीके से करेंगे ? अगर आप 50 आदमी खड़े होकर कोई बात कहेंगे तो न मेरी समझ में आएगी और न आपकी समझ में आएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तैयार बैठा हूं, कोई आदमी कहे तो सही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कहिए, आप भी कहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : कृषि मंत्री महोदय को कश्मीर का दौरा करके वहां खाद्य कमी का जाएजा लेना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आपका जो मामला है……।

[अनुवाद]

शान्ति, शान्ति, अब मैं सब कुछ बताऊंगा। अब मैं आपको बता रहा हूं। सूचना और प्रसारण मंत्री महोदय ने सभा में आश्वासन दिया है "कृपया इन्तजार कीजिए। समस्या के समाधान के लिए मैं फलदायक बातचीत कर रहा हूं" इसलिए उनकी कार्रवाई का इन्तजार कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह वही जानें मैं क्या कर सकता हूं ? नियम 377 के अन्तर्गत प्रस्ताव दीजिए। मैं इस पर अनुमति दे दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : 377 से काम नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई भी प्रस्ताव दे सकते हैं लेकिन इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न ही नहीं उठता।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

आप इतना शोर क्यों करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता ?

[अनुवाद]

मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : चर्चा करने की अनुमति आप क्यों नहीं दे सकते ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब इन्कार किया है ? मैंने कब इन्कार किया है ?

[अनुवाद]

यदि आप नियम 377 के अन्तर्गत प्रस्ताव करें, तो मैं इसकी अनुमति दे दूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको रोका किसने है ?

[अनुवाद]

मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं तथा आप कुछ भी चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

मुझे कोई प्राब्लम नहीं है।

[अनुवाद]

आप इस तरह चिल्लाएं नहीं। आप कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ? अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आपको इस तरह का आचरण करना शोभा नहीं देता। यह अशोभनीय है। यदि किसी सही मसले पर युक्तियुक्त चर्चा करनी है, तो मैं इसके लिए तैयार हूं लेकिन आप ऐसा व्यवहार न कीजिए। इससे आपकी छवि बिगड़ती है। हम इस मामले को देखेंगे। उसमें कोई समस्या नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस मामले को देखेंगे।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि इस समय सभा में उपस्थित हैं, का ध्यान हाल ही में लीबिया पर आक्रमण के बारे में विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद् में हुई बहस की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें अमरीकी प्रतिनिधि ने अपने भाषण में सम्पूर्ण गुट-निरपेक्ष समुदाय, विशेषत: भारत को धमकी दी थी तथा उन्होंने हमारी आन्तरिक समस्याओं का भी जिक्र किया था। यह एक गम्भीर मामला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे विदेश मन्त्री महोदय से उक्त विषय पर सभा में एक वक्तव्य देने के लिए कहें। समूचे सदन को इसकी निन्दा करनी चाहिए क्योंकि यह हमें डराने वाली बात है।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

प्रो० के० के० तिवारी : भारत को धमकी दी गई है, भयभीत किया गया है। इसलिए विदेश मन्त्री महोदय को उक्त विषय पर सभा में एक वक्तव्य देना चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ऐसा करना उनका अविवेकपूर्ण कार्य है।

अध्यक्ष महोदय : तिवारी साहब, आपने अपनी बात कह दी है। यदि आप इस बारे में कोई नोटिस दें, तो मैं उस पर गौर करूंगा। हम किसी से भी भयभीत होने वाले नहीं हैं। हमें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। यदि मुझे किसी प्रस्ताव के रूप में कुछ दिया जाए मैं उस पर मंत्री महोदय से, यदि यह उचित समझें, तो तथ्य देने के लिए कहूंगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के एक माननीय सदस्य, सैयद शाहबुद्दीन के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है। 13 अप्रैल, 1986 को उन्होंने आस्ट्रेलिया रेडियो को एक साक्षात्कार दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे आज सूचना दी है। मैं इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, कृपया मुझे अनुमति दें। यह एक गम्भीर मामला है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कृपया उनको अनुमति दें।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : आस्ट्रेलिया रेडियो को दिया गया साक्षात्कार इस प्रकार है "मैं उस दिन की बात सोच कर कांप उठता हूं, जब मुस्लिम युवा वर्ग यह ठान लेगा कि अब न कोई आशा है, न मौका है, न अवसर है। अब हमें इसके लिए संघर्ष करना ही है। मैं कह सकता हूं कि यदि भारतीय सेना 25 वर्ष की शान्ति के बाद भी नागाओं पर नियन्त्रण नहीं कर सकी तथा भारतीय सेना पंजाब में असहाय हो गयी है तथा चन्द आतंकवादियों पर नियन्त्रण नहीं कर सकती है तो वास्तव में मैं नहीं जानता कि हम उस स्थिति से कैसे निपटेंगे जहां मुसलमानों की तरह अन्य समुदाय जो जनसंख्या का 12 प्रतिशत है······(व्यवधान)······

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह एक गम्भीर मामला है।

प्रो० के० के० तिवारी : यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : उन्होंने हिन्दू अन्ध देश भक्ति की बात भी कही है, "यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, यह देश की एकता के लिए खतरा है, यह देश के भविष्य के लिए खतरा है।"

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, इससे हिन्दू की भावनाओं को ठेस पहुंची है। कृपया मुझे अनुमति दें। यह विशेषाधिकार हनन का स्पष्ट मामला बनता है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैंने सदन की भावनाओं से समझ लिया है। मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : यह सदन में आपके द्वारा अभिव्यक्त किए गए विचार के एकदम विपरीत है। आपने सदन में यह अभिव्यक्त किया था कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी तरह साम्प्रदायिक भावना प्रभावित हो। सदन के सदस्य के लिए इस तरह का वक्तव्य देना अत्यन्त अशोभनीय है और वह भी विदेशी रेडियो पर।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस तरह की भावनाओं को शुरू में ही कुचल देना चाहिए और यदि यह सही है तो हमें कार्यवाही करनी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैं हाउस के ख्यालात से बिल्कुल परिचित हूं, इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं और हमेशा कहता हूं, जब तक आप इस कैंसर को दूर नहीं करेंगे, देश का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा और आने वाला जो इतिहास है, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, वह हमें कभी माफ नहीं करेंगी। मैं देखकर, सोचकर, आपके साथ विचार करूंगा। यह देखने की बात है और इस तरह का तरीका देश में कोई भी करे, उसके लिए यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमन्त्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हाल ही में हुई ओला-वृष्टि तथा बाढ़ के कारण जम्मू और कश्मीर में फसल को भारी नुकसान हुआ है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे 377 क्यों नहीं दिया।

(व्यवधान)

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : प्रधानमन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में सात आदमी मर गए हैं और हजारों का नुकसान हो गया है......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुल्तानपुरी जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरी उन पीड़ितों के साथ हमदर्दी है। अगर आप मुझे······(**व्यवधान**) दें तो मैं बात करूंगा।

(**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : एग्रीकल्चर मिनिस्टर को जाना चाहिए।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, आपने पिछले हफ्ते से बिहार में हरिजनों की सामूहिक हत्या का मामला रोका हुआ है और हम लगातार इस मसले को उठा रहे हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में तथ्य इकट्ठे कर रहा हूं और वे मेरे पास आ रहे हैं। मुझे यह पता लगाना है कि यह सामूहिक हत्या का मामला है या कानून और व्यवस्था का कुछ मसला है। यदि यह कानून और व्यवस्था की समस्या है, तो मैं, नहीं······

(**व्यवधान**)

इधर देखिए, इसमें कुछ मूल समस्याएं हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप तो इसकी अनुमति दे रहे हैं न उनसे वक्तव्य दिलवा रहे हैं·········(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त, मुझे असलियत का पता लगाना है क्योंकि यह एक राज्य से सम्बन्धित मामला है। इसका सम्बन्ध केन्द्र से नहीं है। मुझे असलियत का पता लगाना है।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती······मुझे सन्देह है, कि क्या वे हरिजन हैं या अन्य लोग, मुझे पता लगाना है······यह राज्य से सम्बन्धित मामला है, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। जो कुछ भी अन्य सदस्य कह रहे हैं, उसकी अनुमति नहीं दी जाती।

(**व्यवधान**)**

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह हरिजनों का सवाल नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : खेद है, हमें इसके विरोध में बहिर्गमन करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : आपका स्वागत है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी भी सदस्य को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले पर विचार कर, उससे आश्वस्त होकर ही अनुमति दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हरिजनों की सुरक्षा केवल राज्य का ही मामला नहीं है, इस बारे में केन्द्रीय सरकार का भी दायित्व है।......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा क्या काम है, मैं जानता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें वक्तव्य देना चाहिए......

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो कुछ भी कह रहे हैं उसे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या कल इस बारे में हम कुछ उम्मीद करें?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता; मुझे इस पर गौर करना पड़ेगा। यदि मैं आश्वस्त हो जाता हूं, तो अनुमति दूंगा, अन्यथा नहीं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती।

मैं अपना निर्णय दे चुका हूं। मुझे इस पर गौर करना है। यदि मैं आश्वस्त हो जाता हूं, तो अनुमति दूंगा, अन्यथा नहीं।

अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे हर व्यक्ति के साथ सहानुभूति है।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम बहिर्गमन कर रहे हैं।

तत्पश्चात् श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यगण सभा-भवन से बाहर चले गए।

12.13 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975

[अनुवाद]

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री जनार्दन पुजारी की ओर से दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 11 अप्रैल, 1986 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4(10)/86-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2566/86]

नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट को-आपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, बम्बई और नेशनल फेडरेशन आफ फिशरमैन्स को-आपरेटिव्ज लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट को-आपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट को-आपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट को-आपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2567/86]

(3) (एक) नेशनल फैडरेशन आफ फिशरमैन्स को-आपरेटिव्ज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फैडरेशन आफ फिशरमैन्स को-आपरेटिव्ज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2568/86]

12.14 म० प०

लोक लेखा समिति

40वां तथा 41वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री राम मंगल पांडे (देवरिया) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के बारे में समिति के 219वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में 40वां प्रतिवेदन।

(2) खाद्यान्न वैगनों के संचलन से उत्पन्न क्षतिपूर्ति दावों के बारे में भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1982-83, संघ सरकार (रेल) के अग्रिम प्रतिवेदन के पैरा 1 के उप-पैरा 1.12(ख) और 1.12(ग) के सम्बन्ध में 41वां प्रतिवेदन।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

8वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरी) : मैं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग—संगठनात्मक ढांचा और परियोजना स्वीकृति के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 8वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति का तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

10वां, 12वां तथा 15वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(एक) परिवहन मन्त्रालय (जल भूतल परिवहन विभाग)—शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा नियोजन के बारे में समिति का दसवां प्रतिवेदन।

(दो) गृह मन्त्रालय—अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं के बारे मे समिति का बारहवां प्रतिवेदन।

(तीन) इस्पात और खान मन्त्रालय (खान विभाग)—नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण तथा नियोजन के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि इनकी पार्टी के लोगों ने वाक-आउट किया है या नहीं, क्योंकि ये यहां बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये बाहर नहीं गए, आप जबर्दस्ती क्यों भेज रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं वाक-आउट पर गया, फिर चला आया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने वाक-आउट नहीं किया। आप अनावश्यक क्यों शोर मचा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : तीन लोग गए होंगे इनकी पार्टी के, सर।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने वाक-आउट किया और फिर आ गया।

अध्यक्ष महोदय : ये नहीं गए।

[अनुवाद]

उन्होंने वाक-आउट नहीं किया। मैंने उनका वाक-आउट नहीं माना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : हम कहना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब श्रीनगर जाएं, सारी स्थिति को असैस करें। हम प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जह चाहते हैं कि वे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को वहां जाने और कुछ रिलीफ देने के लिए कहें। डिस्कशन तो बाद में होती रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब के कान बन्द नहीं हैं···(व्यवधान)··· और कितनी दफा कहेंगे, आप।

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : जम्मू और कश्मीर में स्थिति खराब है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब सब कुछ सुन रहे हैं।

[अनुवाद]

कृषि मन्त्री बड़े ध्यान से सुन रहे हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उन्हें श्रीनगर जाकर पता लगाना चाहिए।

[हिन्दी]

एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब कुछ बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (श्री बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, श्री डोगरा और अन्य सदस्यों द्वारा उठाए गए मामले के सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री ने हमें पहले ही कह दिया है और हम आज ही जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश को एक दल भेज रहे हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं चाहता हूं कि कृषि मन्त्री राज्य का दौरा करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कुछ करना है, वह कर लिया।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को खुद वहां जाना चाहिए। आप इन्हें कहिए कि ये खुद जाएं। अगर ये चाहेंगे तो मैं भी साथ जाऊंगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य।

———

12.17 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के अपने लाभदायक उपभोक्ता उत्पाद डिवीजन को बेचने के कथित निर्णय तथा उससे उत्पन्न स्थिति के संबंध में

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं उद्योग मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :—

"यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के अपने लाभदायक उपभोक्ता उत्पाद डिवीजन को बेचने के कथित निर्णय और उसके द्वारा भोपाल गैस विभीषिका के पीड़ितों के दावों की पर्याप्त रूप से पूर्ति करने के लिये अपर्याप्त आस्तियों के छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति तथा इसके संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन को अधिकार में लेने के प्रयास के पश्चात् एक सार्वजनिक रूप से घोषित योजना के अनुसार कंपनी ने अपने उपभोक्ता उत्पादों के कारोबार को बेचने तथा शुद्ध अंकित मूल्य से अधिक निबल प्राप्तियों का प्रयोग कंपनी के शेयरधारकों को विशेष लाभांश के भुगतान हेतु करने का निर्णय लिया। हाल ही की प्रेस सूचनाओं के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि कंम्पनी ने इस कारोबार की बिक्री को तदनुसार अन्तिम रूप दे दिया है जो जून, 1986 के अन्त से पूर्व पूर्ण नहीं होगा।

2. सरकार ने इन सब बातों को ध्यान में रखा है और वित्तीय विशेषज्ञों की सहायता से स्थिति पर कड़ी निगरानी रही है ताकि जब आवश्यक और उचित हो, तब सभी संबद्ध मामलों तथा यू० एस० ए० के कानून जहां यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध शिकायत पर कार्यवाही की जा रही है, पर विचार करने के पश्चात प्रभावी कार्यवाही की जा सके। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि सभी महत्वपूर्ण समय में भोपाल पीडितों के दावों की पूर्णतया सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया केवल दस मिनट बोलिये।

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री जी द्वारा अभी दिये वक्तव्य से यह पता चलता है कि सरकार भोपाल के गैस पीड़ितों के मामले में कितनी लापरवाही का रुख अपना रही है। यूनियन कार्बाइड ने विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक और पर्यावरणीय दुर्घटना की अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिये कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। महोदय, यह स्पष्ट है कि एक बार बिक्री पूरी हो जाने पर यूनियन कार्बाइड की वित्तीय स्थिति भोपाल गैस दुर्घटना के 4,45,000 पीड़ितों के दावों की पर्याप्त पूर्ति के लायक नहीं रह जायेगी। यह समझौता जल्दीबाजी में किया गया है और भारत सरकार को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उपभोक्ता डिवीजन की यह प्रस्तावित बिक्री यूनियन कार्बाइड द्वारा सैकड़ों-हजारों असहाय भारतीयों को हुई हानि की प्रतिपूर्ति की अदायगी की जिम्मेवारी से

बचने और इन पीड़ितों के, जो कि अपने शेष जीवन में उस दुर्घटना के दुष्प्रभावों से प्रभावित रहेंगे, पुनर्वास की लागत से इन्कार करने की एक बहुत बड़ी चाल है।

उपभोक्ता वस्तु डिवीजन की बिक्री से 2.5 बिलियन डालर की प्राप्तियां हुई हैं जो कि तुरंत ही कार्बाइड के शेयरधारकों में बांट दी जायेंगी और भोपाल गैस कांड के पीड़ितों की देयताओं की अदायगी के लिये आरक्षित राशि के रूप में नहीं रखी जायेगी।

महोदय, संयुक्त राज्य अमरीका की निगमित संस्थाओं के इतिहास में यूनियन कार्बाइड द्वारा अपनाई गई कार्यवाही के कई पूर्वोदाहरण हैं। पिछले पन्द्रह वर्षों में ऐसे कई मामले हुए हैं जिनमें बड़ी अमरीकी कम्पनियों ने अपनी गलतियों से पीड़ित होने वालों को प्रतिपूर्ति की सारी राशि की अदायगी से बचने के लिये दिवालिया घोषित होने के आसान रास्ते को चुना है।

महोदय, उदाहरण के लिये एस्बेस्टोस उत्पादों के निर्माण करने वाली मैन्युअल कम्पनी ने 'एस्बेस्टोस' के विष से पीड़ितों के साथ एक समझौता किया और फिर दिवालिया घोषित किये जाने के लिये अपील दायर कर दी।

जब तक भारत सरकार इस बारे में कठोर कदम नहीं उठायेगी वह भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के लिये अधिक कुछ वसूल नहीं कर पायेगी।

भोपाल गैस पीड़ितों के तथाकथित हितैषी गैस पीड़ितों को न्यायालय में गये बिना समझौता करने के बारे में प्रभावित करने और भारत सरकार द्वारा पिछले दिसम्बर में संयुक्त राज्य अमरीका के न्यायालय में प्रतिपूर्ति के लिए मुकदमा लड़ने के लिये प्राप्त शक्तियों को निरस्त करने के लिये उनसे पुनः मत प्राप्त करने यहां आये थे।

महोदय, भोपाल में स्थिति अभी भी सुचारू नहीं है। प्राधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कोई अधिक प्रयत्न नहीं किये हैं जिनसे गैस से प्रभावित जनसंख्या का व्यापक रूप से हित हो, हालांकि दुर्घटना के बाद 16 महीने व्यतीत हो चुके हैं। लगभग 4 लाख व्यक्तियों की, जो कि घातक गैस से प्रभावित हुए थे और इसमें लगभग 14,000 जो मर गये अथवा स्थायी रूप से विकलांग हो गये हैं, देखभाल की जरूरत है। यह एक भारी काम है।

महोदय, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा था, वह पिछले वर्ष दिसम्बर से बंद कर दिया गया है। अधिकतर पीड़ित लोग दिहाड़ी मजदूर थे जो रोज मिलने वाली मजूरी पर आश्रित रहते हैं, परन्तु गैस के कारण हुई विभिन्न बीमारियों के कारण शारीरिक श्रम लगभग असंभव हो गया है। विकलांग हुए सभी व्यक्तियों को स्थायी वित्तीय सहायता और व्यापक चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अत्यधिक पीड़ित लोगों को खाद्यान्न वितरण बंद क्यों कर दिया है। यदि धन की कमी इसका मुख्य कारण था, तो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार की सहायता के लिये आगे क्यों नहीं आई ताकि खाद्यान्नों की मुफ्त सप्लाई पुनः प्रारम्भ की जा सकती?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : पीड़ितों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति की राशि हमारी सरकार द्वारा किये गये दावे से बहुत कम है। सरकार का प्रतिपूर्ति की राशि बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

12.26 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

दूसरे, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सरकार यूनियन कार्बाइड को अमरीकी वकीलों से अपने हित में समझौता कराने की बातचीत करने से रोकने के लिये न्यायालयों से न्यादेश प्राप्त करेगी; क्या मध्य प्रदेश सरकार पीड़ितों को खाद्यान्नों की मुफ्त सप्लाई, जो कि पिछले दिसम्बर में बंद कर दीगई थी, पुनः प्रारम्भ करेगी? क्या केन्द्रीय सरकार इस मामले में राज्य सरकार की सहायता करेगी ?

डा० सुधीर राय (बर्दमान) : हत्यारी कम्पनी बहु राष्ट्रीय यूनियन कारबाइड, भोपाल के गरीब और अभागे गैस पीड़ितों को फिर से वंचित रखने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले, उसने तोड़फोड़ किये जाने की कहानी फैलाने की कोशिश की; और उसके बाद निःसहाय गैस पीड़ितों को केवल 350 मिलियन डालर देने की पेशकश करने की कोशिश की है।

यह बात अब सर्वविदित है कि अब तक की जानकारी में मानव इतिहास में यह बात सबसे अधिक बड़ी औद्योगिक दुर्घटना है। पहले ही, 14,000 लोग या तो मर गये अथवा पूर्णतः विकलांग हो गये; और एक स्थानीय विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग के प्रमुख ने उनके मामले को जल जाने का मामला बताया है।

दो लाख पीड़ित लोगों ने आंखें खराब होने की शिकायत की है। नब्बे हजार लोगों ने अब शिकायत की है कि वे स्थायी रूप से अपंग हो गये हैं, फिर भी यूनिय्रन कारबाइड लाभ देने वाले अपने उपभोक्ता उत्पाद डिवीजन को बेचने की कोशिश कर रही है। और वे कुछ प्राइवेट वकीलों की सहायता से मामले का निपटान आपसी समझौते से न्यायालय के बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उन्होंने अमरीका में मुकदमा क्यों दर्ज किया। क्या वे अब भी राज्यक्षेत्रातीत अधिकारों पर विश्वास रखते हैं ? विगत में साम्राज्यवादी शक्तियां इस प्रकार की राज्यक्षेत्रातीत अधिकारों का दावा करती थीं और यदि उनके राष्ट्रिक कोई घिनौने अपराध करते हैं, तो उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। क्योंकि, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र है, भारत अपने ही न्यायालयों में मुकदमा दायर कर सकता है, परन्तु उन्होंने अमरीका में मुकदमा दायर करना उचित समझा। यह वास्तव में विचित्र है।

इनके अतिरिक्त, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि भोपाल के दो महापौरों को अमरीका के उन वकीलों के आमंत्रण पर अमरीका की निःशुल्क यात्रा करने की अनुमति क्यों दी गई, जो यूनियब कारबाइड से साठगांठ रखते हैं और जो मामले का निपटान न्यायालय के बाहर करने को कोशिश कर रहे हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि बिक्री संबंधी कथित प्रस्ताव को रोकने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप इस मामले को न्यायालय में ले जायें ताकि प्रस्तावित बिक्री संबंधी कार्यवाही को अवैध घोषित किया जा सके। मैं मंत्री महोदय से अमरीका में ख्यातिप्राप्त निगमित वकीलों और जन हित के समर्थक एडवोकेटों को नियुक्त करने का अनुरोध करता हूं ताकि वे इन मामलों को प्रकाश में ला सकें। मैं भारत सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह अमरीका में लोगों को घटना से परिचित कराने के लिए वहां एक व्यापक जन आन्दोलन चलाएं कि किस प्रकार लगभग चार लाख पचास हजार लोगों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई गई है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह समाचार बहुत ही परेशानी पैदा करने वाला है कि यूनियन कारबाइड अपने उन यूनिटों को बेच रहा है जो लाभ कमा रहा है। परंतु चिंता की इस बात को इस वक्तव्य में कहीं नहीं दर्शाया गया है। मैं यह बात अवश्य कहूंगा कि यह बिल्कुल ही गैरजिम्मेदाराना वक्तव्य है। वे जिस ढंग से इन सारी बातों पर कार्यवाही कर रहे हैं, उसे भी इसमें दर्शाया गया है। मैं प्राप्त समाचारों के बारे में गहराई से नहीं जा रहा हूं। मैं पत्रकार श्री जे० एन० परीमू का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने "दि टाइम्स आफ इण्डिया" में इस संबंध में निरन्तर लिखा है और हमें इसकी जानकारी दी है। यह अत्यन्त गंभीर मामला है। ये बदनाम बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस बात को पसन्द नहीं करती हैं। वे इसलिये अपनी संपत्ति बेच देती हैं ताकि मुआवजा देने की जिम्मेदारी से बच सकें। यूनियन कारबाइड भी अपनी लाभदायक संपति को बेचना और अपने आप को दिवालिया घोषित करना चाहता है ताकि वे भोपाल के गैस पीड़ितों को दिये जाने वाले मुआवजे से बच सकें। वे बिक्री से प्राप्त धन को शेयर होल्डरों में बांट देंगे। परन्तु उन्हें उन पीड़ितों की कोई चिंता नहीं है जो भोपाल में उनके कुप्रबंधन और यूनिट चलाने के उनके जन विरोधी प्रबन्ध के कारण हमारे देश में ही कष्ट उठा रहे हैं। इसका विस्तृत विवरण आ चुका है। परन्तु मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं।

ये जो कुछ समाचार प्राप्त हुए हैं कि वे अपने उपभोक्ता उत्पाद व्यापार यूनिट को बेचने जा रहे हैं। सरकार ने इस संबध में क्या उपाय किए हैं। सरकार ने कहा है कि हम निगरानी रख रहे हैं। वे किस प्रकार की निगरानी रख रहे हैं? सामान्य बात यह है कि सरकार को इसे न्यायालय में ले जाना चाहिए था जहां इस बात पर विचार किया जा रहा है कि यदि यूनियन कारबाइड अपनी कोई संपति बेचता है तो उस पर अपनी निषेधाज्ञा जारी कर दे। सरकार ने इस दृष्टिकोण से क्यों नहीं सोचा? परंतु वे जो दृष्टिकोण अपना रहे हैं, उससे हमारी जनता को खुशी नहीं होगी। एक रिपोर्टर ने सुझाव दिया है कि सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि बिक्री से प्राप्त धन भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए रखा जाये। हम इसे यों ही स्वीकार नहीं कर सकते। हमें यह देखना है कि उक्त यूनिट बेचा न जाये। यदि वह बिक जाता है, तो बात हाथ से निकल जायेगी।

सरकार ने इस सभा में अधिनियमित कानून द्वारा न्यायालय में गैस पीड़ितों का मामला उपस्थित करने की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। इन सब तथ्यों, सर्वविदित तथ्यों के बावजूद, यह कैसे हुआ है कि हमारे कुछ लोग प्राइवेट वकीलों के साथ सांठ-गांठ कर रहे हैं जिन्हें हम एम्बुलेन्स चेसरर्स के रूप में सुना है। वे भोपाल का दौरा कर रहे हैं। वे कौन लोग हैं? उनमें से एक भोपाल

नगर निगम का भूतपूर्व महापौर है। दूसरा भोपाल नगर निगम का वर्तमान महापौर है। वे किस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं ? वे उस दल के प्रतिनिधि हैं, जो इस समय देश का शासन चला रहा है। यह इस सभा का, हमारे देश की प्रभुसत्ता का, और इस सरकार का भी सरासर अपमान है। उन्होंने उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की ? मैंने आज के समाचारपत्र में पढ़ा है कि उन्होंने किसी के विरुद्ध कार्यवाही की है।

**मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप उनका नाम क्यों ले रहे थे ?

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : आप इस बात से क्यों चिढ़ जाते हैं ? यह बात समाचार पत्रों में आई है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनका नाम क्यों ला रहे हैं ? यह उनकी पार्टी का मामला है। इन सभी बातों को मत लाइये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप नाम हटा दीजिये। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान) परंतु, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि निष्कासन किया गया था जिसका कारण मुझे पता नहीं है। यह उनका पार्टी का मामला है। परंतु प्रश्न यह है कि जब किसी बात पर कार्यवाही की गई है—यह कहा गया है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने प्रधान मंत्री बनने का दावा किया था यदि उनके निष्कासन का कारण यह हो सकता है—यह कैसे संभव है कि उन लोगों को नहीं निकाला गया जिन्होंने देश की बेइज्जती की है ? वे अमरीका कैसे जा सकते हैं ? ये वकील उन्हें पैसा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि न्यायालय से बाहर आपसी समझौता ही गैस पीड़ितों के लिए सर्वाधिक लाभदायक होगा। मैं आपसे कहूंगा कि सरकार जिस निरुत्साह से कार्यवाही कर रही है, वह जिस प्रकार गैस पीड़ितों से बर्ताव कर रही है, लोगों को इस संकट काल में जिस प्रकार सहायता नहीं मिल रही है, इससे लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है कि उन्हें न्यायालय में सरकार के प्रयासों से क्या मिलने वाला है। खाद्य अनुदान सहायता क्यों बन्द हो गई है ? यदि सरकार पर्याप्त मात्रा में बचाव के उपाय नहीं करती, तो ये लोग कहां जायेंगे ? ये प्राइवेट वकील इन अवसरों का लाभ उठाकर भोपाल के गैस पीड़ितों को प्रलोभन देते हैं कि तुम हमारे साथ आओ, हमारा साथ दो, हम तुम्हें सबसे अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और तुम्हारी सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाली है।

जय प्रकाश नारायण बस्ती, जो भोपाल में यूनियन कारबाइड के सामने है, के निवासियों में 'एम्बुलान्स चेसर' मि० कोले के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार किसी बात पर क्यों विचार नहीं कर रही है ? क्या सरकार पर कोई जिम्मेदारी है ?

जब यह मामला अमरीकी न्यायालय में दायर किया गया, तो हमें बताया गया है कि उनका कानून अधिक मुआवजा प्रदान करेगा। उस समय भी मैंने इसे एक तरह का अपमान समझा था। मैं नहीं जानता कि अमरीकी न्यायालय में आने की इस कार्यवाही से क्या मिलने वाला है।

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मुझे विश्वास है कि न्यायाधीश कैनन भी न्यायालय से बाहर आपसी समझौते के पक्ष में हैं। मि० एण्डरसन का उत्तर सबसे चौंकाने वाला है, यह बात मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं। यह समाचार आज के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित हुआ है।

> "प्रश्न : भारत सरकार सोचती है कि पेशकश बिल्कुल अपर्याप्त है और उनकी नजरों में इसका कोई निपटान नहीं दीख पड़ता। वे इस मामले में आगे बढ़कर कानूनी कार्यवाही करेंगे।"

क्या भारत सरकार का यही दृष्टिकोण है। मुझे इसका स्पष्ट जवाब चाहिए,

> "उत्तर : आप जानते हैं, यह शब्दों और समझ की बात है; लोग अनेक बातें कहते हैं और उनके अनेक मतलब निकालते हैं। भारत सरकार के लिए एक बहुत ही जटिल समस्या है। वे एक ऐसी स्थिति से निपट रहे हैं जो सबसे अधिक भयंकर औद्योगिक विनाश से उत्पन्न हुई है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। यहां लोकतांत्रिक सरकार है जहां किसी आदेश द्वारा एकतरफा कार्यवाही करने की अनुमति नहीं है। यहां एक नेता हैं, श्री गांधी जिन्होंने अपने आपको किसी देश के अग्रणी नेता साबित किया है। जिस समय से उन्होंने कार्य आरंभ किया और वे इस समय जिस स्थिति में हैं, उनकी ख्याति में बहुत ज्यादा अन्तर है।"

अब प्रश्न यह है कि वे ये सब अनुकूल बातें इस आशा से कर रहे हैं कि यद्यपि सरकार अब कह रही है कि वह न्यायालय के बाहर आपसी समझौता नहीं चाहती है, वह उस करार का एक पक्ष नहीं है, जो पहले ही किया जा चुका है, उनके प्रधान मंत्री प्रतिभाशाली हैं और वे जो कुछ कह रहे हैं, तथा जो कुछ समझ रहे हैं तथा जो कुछ कररहे हैं उनमें अन्तर है और वे इसे स्वीकार कर सकते हैं। यह बहुत ही खतरनाक बात है। मैं जानना चाहता हूं उन्होंने क्या मुकसमा दायर किया है? उन्होंने कितने मुआवजे का दावा किया है? उसका वैज्ञानिक आधार क्या है। उन्होंने उस जांच कार्य को क्यों रोक दिया जिसे राज्य सरकार ने आरम्भ कराया था। हम इसका स्पष्ट उत्तर चाहते हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जो इस पर निगरानी रखती है और जो समय-समय पर इस सभा को सूचित करेगी कि क्या कार्यवाही की जा रही है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। इस मामले में कोई फेर-बदल किया गया तो इससे देश के हित को काफी नुकसान होगा।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सभी के लिए चिंता का विषय है, जिन्हें मानवता से प्रेम है कि भोपाल गैस कांड के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके अपराधिक कार्य के कारण उन्हें आसानी से छोड़ नहीं दिया जाना चाहिए।

यद्यपि न्यूयार्क के संघीय न्यायालय के न्यायाधीश जॉन कैनन उन सभी मामलों पर अपना निर्णय देंगे कि क्या इस विनाश के कारण मुआवजे संबंधी मामलों पर अमरीकी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा अथवा भारतीय न्यायालयों का, तथापि भारत सरकार के लिए, यदि वह यूनियन कारबाइड द्वारा अपनी आस्तियों को बेचने की चाल का प्रतिरोध करने हेतु उचित कानूनी कार्यवाही नहीं करती, तो घोर लापरवाही होगी।

यूनियन कारबाइड कारपोरेशन सभी तरह की अनिष्टकारक बातें कर रहा है। यह मामला इस दृष्टि से अपने आप में अनूठा है कि विश्व कानून इतिहास में पहली बार तीसरे विश्व का कोई देश किसी बहुराष्ट्रीय कारपोरेशन के विरुद्ध उसके अपने ही देश में मुकदमा चला रहा है और उसकी कार्यवाही तथा परिणाम एक उदाहरण स्थापित करने वाले हैं। सरकार को इस अवसर का उपयोग उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों और रसायन उद्योगपतियों को एक सबक सिखाने में करना चाहिए जो तीसरे विश्व में कार्य कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि वे तीसरे विश्व के किसी देश के हजारों निरीह लोगों को मारकर, साफ बचकर यूं ही नहीं चले जा सकते। परंतु दुर्भाग्यवश भारत सरकार ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर कार्यवाही करने में लापरवाही बरत रही है। वे अब तक अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किये गये कानूनी और निगमित अपराधों को सख्ती से रोकने में असफल रहे हैं।

यूनियन कारबाइड अपनी परिस्थितियों, जो एक पूर्व पांच अरब डालर आंकी गई थी, को बेचने अथवा निपटाने की कोशिश में है। वह इस योजना को आंशिक तौर पर पहले ही क्रियान्वित कर चुका है। मंत्री महोदय द्वारा यहां दिए गए वक्तव्य में कोई नई बात नहीं कही गई है। ये सब बल्कि इससे भी अधिक जानकारी समाचार पत्रों में छप चुकी है। यूनियन कारबाइड की क्या गतिविधियां चल रही हैं और वह अपनी परिसम्पत्तियों को किस तरह बेचने जा रही है, ये सब खबरें पिछले एक माह से टाइम्स ऑफ इण्डिया में छप रही हैं। सब बातें प्रकाशित की जा रही हैं। और यह दो पैराग्राफ का वक्तव्य है······**(व्यवधान)** यह जरा सा भी किसी राजनेता का वक्तव्य नहीं लगता है।

महोदय, आप जानते हैं कि इस कंपनी ने चालाकी से अपने आधे से भी अधिक शेयरधारियों को ऋणकर्ताओं में परिवर्तित कर दिया है। पिछले दिसम्बर में, जी० ए० एफ० कारपोरेशन द्वारा इसे अपने हाथ में लेने पर, यूनियन कारबाइड ने प्रत्येक शेयर पर 85 डालर कीमत देकर अपने शेयरधारियों से 55 प्रतिशत शेयर खरीदने की पेशकश दी थी। 20 डालर तो नकद दिए गए और शेष राशि ऋण पत्र और बंध पत्र के रूप में विभिन्न प्रतिभूतियों के रूप में अदा किए गए। यह कहा जा चुका है और समाचार-पत्रों में भी यह बात छप चुकी है। कुछ दावों को प्रतिभूतियों के रूप में लिखा जा चुका है जिससे ऋणकर्ताओं के इस नए समूह को अन्य ऋणकर्ताओं से प्राथमिकता प्रदान की जा सके। इसका अर्थ यह हुआ कि कंपनी के परिसमापन अथवा इसकी परिसम्पत्तियों में कोई फेरबदल होने की दशा में इन ऋणकर्ताओं को प्राथमिकता मिलेगी न कि भोपाल गैस-पीड़ितों को। इस तरह यूनियन कारबाइड एक अरब डालर राशि पहले ही कम्पनी से बाहर हस्तांतरित कर चुका है।

जैसा कि यहां पहले ही बताया जा चुका है दूसरी कार्यवाही यह है कि कंपनी अपने अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता उत्पाद प्रभाग को बेचने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। वह शेयरधारियों को बिक्री का मुनाफा, लाभांश के तौर पर अदा करना चाहती है। इस कम्पनी के चेयरमैन, वाल्टर एन्डरसन, टाइम्स ऑफ इण्डिया के संवाददाता के साथ अपने साक्षात्कार में इस बात का जिक्र कर चुके हैं। इस कार्यवाही से उसे अपनी 1.4 अरब डालर की सम्पत्ति को निपटाने में मदद मिलेगी और इस प्रकार उसकी सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य घट कर आधा रह जाएगा। ये दो कार्यवाहियां की गई हैं।

मैं भारत सरकार और संबंधित मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उनकी क्या करने की मंशा है। क्या वह यूनियन कारबाइड कारपोरेशन की इन कार्यवाहियों पर रोक लगाने के लिए अमरीकी न्यायालय से निषेधादेश प्राप्त कर रहे हैं ?

वक्तव्य में तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। मंत्री महोदय को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि हम यूनियन कार्बाइड को इन सब बातों से रोकने के लिए अमरीकी न्यायालय में जा रहे हैं।

मेरे सहयोगी कामरेड सुधीर राय ने जो दूसरी महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया है वह यह है कि : क्यों न हम अमरीका में यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध व्यापक प्रचार अभियान छेड़ें ? न्यायाधीश ने कुछ पीड़ितों से व्यक्तिगत साक्षात्कार करने के लिए कहा और इसके लिए इन हजारों लोगों में से चार व्यक्ति चुने गए तथा इसके लिए शर्त यह रखी गई कि उन्हें अंग्रेजी आनी चाहिए। इनमें से एक सरकारी कर्मचारी था जो कि इस गैस रिसाव के स्थल से 6 किलोमीटर दूर रहता है और अन्य दो में से एक इंजीनियर था और एक डाक्टर है। ये तीन व्यक्ति गैस के रिसाव से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए थे और पीड़ितों का एकमात्र प्रतिनिधि एक 10 वर्षीय लड़का था जो कि इस दुर्घटना में अपनी बहिन और मां, सब कुछ खो चुका था। उन्हें इसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की चिकित्सा रिपोर्टों सहित 40 या 50 लोगों को शामिल करना था। अमरीकी डाक्टरों को उनकी जांच करनी थी और अवसर का उपयोग इस अपराध के संबंध में एक व्यापक प्रचार अभियान आरम्भ किया जाना था। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

'एम्बुलेंस चेअर्स' के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? इस महान सदन द्वारा पारित कानून के अनुसार भारत सरकार को गैस पीड़ितों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकृत किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। आप जो भी स्पष्टीकरण चाहते हैं, वह बतायें।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, बस दो मिनट लूंगा।

वे अमरीका से भोपाल तक आए, उन्होंने गैस पीड़ितों के हस्ताक्षर लेकर भोपाल में अभियान छेड़ा, और जहां तक मैं समझता हूं, भोपाल नगर निगम ने इन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए उनको प्राधिकार सौंपा। ऐसा कैसे हुआ ? सरकार ने इसकी अनुमति कैसे दी ?

(व्यवधान)

और अन्त में, मैं उस कानूनी फर्म के बारे में जानना चाहता हूं जिन्हें पीड़ितों के मामले में बहस करने के लिए भारत सरकार की ओर से नियत किया गया है। महोदय, उन्हें इस किस्म की इतनी बड़ी मुकदमेबाजी का कोई अनुभव नहीं है। इसके अलावा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का, यूनियन कार्बाइड की कार्यवाहियों का प्रतिरोध करने के लिए निगमित मामलों के किसी सक्षम कानूनी फर्म को यह काम सौंपने का विचार है। अमरीका में कानून की कतिपय शाखाओं से संबंधित कुछ विशेषज्ञ फर्में हैं।

एक माननीय सदस्य : भारत में भी है।

श्री सुरेश कुरूप : भारत में भी है, पर अमेरिका में विशेष तौर पर। अतः न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए कुछ ऐसी नई फर्मों की मदद ली जानी चाहिए जो निगमित मामलों से संबंधित हों और सरकार को इस समय चल रही बातचीत के बारे में इस सदन को अपने विश्वास में लेना चाहिए। न्यायालय से बाहर मामले को निपटाने के लिए कुछ बातचीत चल रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसा प्रस्ताव रखा है कि "अमुक रकम लेकर हम इसे न्यायालय से बाहर निपटारा करने को तैयार हैं।" यदि हां तो, सरकार की इन भोपाल गैस पीड़ितों के लिए कितनी रकम प्राप्त करने की मंशा है ? सरकार को इसे स्पष्ट करना चाहिए, मंत्री महोदय को इस बात का उत्तर देना चाहिए कि क्या हम न्यायालय से बाहर इसका निपटारा चाहते हैं और क्या हम इस संबंध में कोई बातचीत कर रहे हैं अथवा नहीं ?

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भोपाल गैस दुर्घटना, संसार की सर्वाधिक दुखद घटनाओं में से एक है।

महोदय, दिक्कत यह है कि मुआवजे का सारा मसला कानूनी पेचीदगियों में उलझा पड़ा है और भोपाल गैस पीड़ित अभी भी अपने मुआवजे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज हमें इस दुर्घटना पर माननीय मंत्री महोदय का एक वक्तव्य सुनने को मिला है जिससे हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। सरकार की क्या करने की मंशा है, वक्तव्य में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। सरकार को समाचार-पत्रों में छपी यूनियन कार्बाइड द्वारा बेची जा रही संपत्तियों और इस तरह की अन्य खबरों की जानकारी है और वह इस मामले के प्रत्येक पहलू पर विचार कर रही है। परन्तु वह अपने दृष्टिकोण के बारे में नहीं बता रही है, वह यह नहीं बता रही है कि वह क्या कार्यवाही करने जा रही है। यही त्रासदी है। अब हम क्या स्पष्टीकरण मांगें। जब सरकार अपना कोई निर्णय नहीं बता रही है तो, स्पटीकरण क्या मांगे जाएं ? यह वक्तव्य भारत सरकार की पूर्णतः अनिर्णय में रहने की स्थिति को दर्शाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सोच का दिवालियापन है।

श्री जैनुल बशर : दिवालियापन नहीं, इसे अनिर्णय कहें। मेरे विचार से हमारी एक गलत कार्यवाही अमरीका जाना और वहां के न्यायालय में मुकदमे दायर करना है। परन्तु मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया हूं कि हालांकि सरकार कई बार यह स्पष्ट कर चुकी है—कि हमें अमरीकी न्यायालय क्यों जाना चाहिए। इससे कई संदेह उपजे हैं। अमरीकी वकीलों द्वारा कई गैस पीड़ितों को अलग मुकदमे दायर करने के लिए उकसाया गया और अमरीकी वकीलों ने हमारे देश में कुछ दलाल रखे और गैस पीड़ितों को अलग से न्यायालयों में मुकदमा करने के लिए उकसाया। अब, हमारे पास दो तरह के मुकदमे हैं—एक भारत सरकार की ओर से दायर और दूसरे अलग-अलग गैस पीड़ितों द्वारा दायर। वे न्यायालय से बाहर पीड़ितों से अलग-अलग निबटारा करना चाहते हैं। वे पीड़ितों को उकसा रहे हैं। उनका कहना है कि हम इतनी अधिक रकम दे रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें। इस मामले में कई वर्ष लग जाएंगे; आपको कुछ नहीं मिलेगा; खोना ही पड़ेगा। इन परिस्थितियों में, यह खबर फैली है कि यूनियन कार्बाइड अपना संयंत्र बेच रहा है, अपने शेयरधारियों को विशेप लाभांश दे रहा है। अब, हम यूनियन कार्बाइड को ही अपने नियंत्रण

में क्यों न ले लें ? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या हम इस यूनिट को अपने हाथ में नहीं ले सकते, क्या इसे स्वयं बेच कर, उस रकम को लेकर पीड़ितों को राहत के रूप में बांट नहीं सकते ? हम ऐसा कर सकते हैं । हमने अपने देश की कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने नियंत्रण में लिया है । हम यूनियन कार्बाइड को भी अपने नियंत्रण में ले सकते हैं । क्या हम स्वयं इसे नहीं बेच सकते और इस रकम को गैस पीड़ितों को राहत के रूप में नहीं बांटा जा सकता ? हम अमरीकी न्यायालयों की दया पर, जहां कानूनी पेचीदगियां, और अन्य बातें मौजूद हैं, क्यों निर्भर रहें ? वहां अधिक समय लगने की समस्या हैं । पीड़ितों को शीघ्र राहत चाहिए । वे वर्षों तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते । कई लोग तो निर्णय से पहले ही मर जाएंगे । हमारे देश में कुछ न्यायालयों के मुकदमों में 20 से 25 वर्ष लग जाते हैं । यही हाल अमरीका का है । वहां 20 या 25 वर्ष लग सकते हैं और तब जब राहत दी जाएगी तो पीड़ित मौजूद नहीं रहेगा । वह मर चुका होगा । अतः इतना विलंब किसलिए ? मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह यूनियन कार्बाइड को अपने नियंत्रण में ले ले । यूनियन कार्बाइड का सारा कारोबार सरकार के नियंत्रण में चला जाना चाहिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : बिना मुआवजे के ।

श्री जैनुल बशर : जी हां, बिना मुआवजे का तो सवाल ही नहीं उठता है । यदि इसकी जरूरत है तो हम इस प्रयोजनार्थ संसद में एक कानून पारित कर सकते हैं । यदि इसमें कोई कानूनी अड़चन है तो हम उसे दूर कर सकते हैं । इस संसद के द्वारा हम सभी कानूनी अड़चनें दूर कर सकते हैं ।

मैं इस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि वक्तव्य में सरकार के किसी निर्णय की जानकारी नहीं दी गई है, अब मैं क्या स्पष्टीकरण मांगूं ? परन्तु मुझे एक प्रश्न अवश्य पूछना है ? जैसा कि मैंने कहा है, सरकार यूनियन कार्बाइड को अपने नियंत्रण में लेने वाली है और बिना मुआवजे के इसे अपने हाथ में लेकर···

श्री बसुदेव आचार्य : हम इसे बेच सकते हैं ।

श्री जैनुल बशर : हम इसे बेच सकते हैं, और रकम ले सकते हैं । सरकार भोपाल में गैस पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा अदा करने के लिए और क्या कार्यवाही कर रही है ? धन्यवाद ।

(व्यवधान)

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : मैं माननीय सदस्यों द्वारा इस सभा में व्यक्त चिंता से पूरी तरह सहमत हूं । इस लाभप्रद कारोबार के एक भाग की बिक्री, शेयर धारियों को विशेष लाभांश प्रदान करने से उत्पन्न आशंका के बारे में पूरा स्पष्टीकरण देने के लिए मुझे उन पिछली बातों का जिक्र करना होगा कि यूनियन कार्बाइड की सर्वाधिक लाभप्रद उपभोक्ता वस्तु को बेचने का विचार कैसे उठा । जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों द्वारा भी बताया जा चुका है । 1985 के अन्त में यू० सी० जी० को एक दूसरी कंपनी द्वारा अपने नियंत्रण में लेने की बात उठी थी । इसके लिए यूनियन कार्बाइड ने अपने शेयर भारी दरों पर पुनः खरीदने का निर्णय किया । इसके फलस्वरूप, उनकी अदायगी के लिए, उसने

कुछ बैंकों से ऋण करार किया, ताकि इस कर्ज के एक भाग की अदायगी हो सके और जैसाकि मैंने कहा अपने शेयरधारियों को विशेष लाभांश प्रदान करने के लिए यूनियन कार्बाइड ने उस हिस्से को बेचने का निर्णय किया जो एक सर्वाधिक लाभप्रद उपभोक्ता वस्तु के रूप में जानी जाती है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वे इसे बेच क्यों रहे हैं ?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : आपको यह सब स्पष्ट हो जाएगा। आप सुनें। मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाकर सभा को इसकी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय मंत्री को उत्तर देने दें।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : गड़बड़ी की पुरानी आदतें मुश्किल से ही छूटती हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसमें आदत की क्या बात है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले उत्तर सुन लें। माननीय मंत्री ने आपकी बात सुनी है। उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। जब वह उत्तर दे रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : सरकार ने सबसे पहले इस बिक्री की खबर की जांच के उपाय किये। क्या यूनियन कार्बाइड के पास इसकी बिक्री के बाद, भोपाल दुर्घटना के कारण किए गए दावों की अदायगी करने हेतु पर्याप्त साधन, पर्याप्त परिसम्पत्तियां नहीं रहेंगी।

1.00 म० प०

सरकार ने पहला कदम यह उठाया कि इस सम्बन्ध में एक विश्लेषण कराया। हौलिहान, लोके, हावर्ड एण्ड गुकिन इन्कारपोरेटिड नामक एक विशेषज्ञ मूल्यांकन परामर्शदायी फर्म को नियुक्त करके पूंजी पर्याप्तता संबंधी विश्लेषण कराया गया। यह वह वित्तीय परामर्शदायी एजेंसी है जिसे सरकार ने वित्तीय परिस्थितियों का बारीकी से मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किया था···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले सुन लीजिये।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : जैसा कि मैंने कहा था, श्रीमान, पुरानी आदतें मुश्किल से छूटती हैं......

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : स्पष्टीकरण न करें ? पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। तब आप पूछ सकते हैं। आप पहले सुनिये। वे स्पष्ट कर रहे हैं।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : मेरा विचार है कि मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मैं जो थोड़ा विषयान्तर कर रहा हूं, उसका कारण यह है कि इस सभा में ही नहीं, राज्य सभा और विभिन्न मंचों पर भी यह बात कई बार बताई और दोहराई जा चुकी है कि भारत सरकार ने अमरीका में एक मुकदमा दायर किया है और मैं यह फिर से दोहरा दूं कि अमरीका में इस

मुकदमे को दायर करने का मुख्य कारण यह है कि यही सर्वाधिक उपयुक्त और कारगर मंच था।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि हमें यूनियन कार्बाइड का अधिग्रहण कर लेना चाहिये। हम यूनियन कार्बाइड, जो कि अमरीका में है, का अधिग्रहण कैसे कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूं.........

(व्यवधान)

यदि माननीय सदस्य भारत के यूनियन कार्बाइड की शाखाओं के बारे में कहें, तो मैं उनकी इस चिंता को समझ सकता हूं। किन्तु यह तो इस बारे में है कि किस प्रकार (व्यवधान) यूनियन कार्बाइड का अधिग्रहण किया जाये जो कि अमरीका में है (व्यवधान) फिर भी, सभी बातों पर विचार करने के बाद अप्रैल, 1985 में हमने यह निर्णय किया था कि इस मामले का निर्णय करने के लिये अमरीका सबसे अच्छा स्थान होगा। इस सम्बन्ध में सभी प्रकार की रायों पर विचार किया गया, विभिन्न स्तरों पर चर्चायें की गईं और गुणावगुण का अध्ययन किया गया और हमने अप्रैल, 1985 में निर्णय लिया। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि यह निर्णय अप्रैल में लिया गया था या मार्च में। अप्रैल अथवा मार्च, 1985, जो भी महीना रहा हो, में हमने अमरीका में यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध मुकदमा दायर किया।

अब क्या हो रहा है कि उस मुकदमे के विरुद्ध यूनियन कार्बाइड द्वारा एक अपील दायर की है जो स्थान सम्बन्धी असुविधा के बारे में अपील के रूप में जानी जाती है। स्वयं यूनियन कार्बाइड की यह धारणा है यह मुकदमा अमरीका में दायर नहीं किया जाना चाहिये। भारत सरकार को यह मुकदमा अमरीका में दायर नहीं करना चाहिये और इसे वापस भारत ले जाया जाना चाहिये—यहां के माननीय सदस्यों की भी यही धारणा है। माननीय सदस्य भी ठीक व ही आशंकायें व्यक्त कर रहे हैं और उनकी भी वही धारणा है जो यूनियन कार्बाइड की है......

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह क्या है ?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह :.........कि मुकदमा भारत में चलाया जाना चाहिये जबकि सरकार ने पूर्ण रूप से विचार-विमर्श करने के बाद और विख्यात विधिज्ञों के साथ मामले के गुणावगुणों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करके यह निर्णय किया कि इसके लिये अमरीका ही सर्वोत्तम स्थान है। कुछ प्रत्यक्ष कारणों से मैं इस बारे में विस्तृत ब्यौरा नहीं दे सकता। ऐसा करना जनहित में नहीं होगा......

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अलग से एक नोटिस दें। हम देखेंगे।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह :......ऐसी प्रत्येक बात बताने के लिये जोकि प्रश्न के पहले भाग के उत्तर स्वरूप हो।

(व्यवधान)

मेरे पास उत्तर देने के लिये अनेक अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

श्री नारायण चौबे : आप कृपया प्राथमिकता के अनुसार चलें।

श्री बसुदेव आचार्य : वे उस विषय पर आ रहे हैं।

श्री आर के० जयचन्द्र सिंह : जैसा कि मैंने कहा था, मैं थोड़ा विषयान्तर कर गया था और अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं। हमने अमरीका में एक परामर्शदायी फर्म नियुक्त की है जो कि बारीकी से मूल्यांकन कर रही है, किन्तु मैं यहां उसका ब्यौरा नहीं दे सकता। मैं निश्चित रूप से आपके विचारों, और आशंकाओं को मानता हूं। इस परामर्शदायी फर्म की अध्ययन रिपोर्ट स्वयं यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है क्योंकि हमने इसके लिये न्यायालय को सहमत करा लिया था। यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन को नगद अथवा अन्य परिसम्पत्तियों के बारे में जानकारी देनी होगी। हमने न्यायालय का संरक्षण लिया और न्यायालय ने गोपनीयता की शर्त पर हमें यह सूचना देने के लिये यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन को निर्देश दिया था। वित्त सम्बन्धी यह विशेषज्ञ समिति पूंजी पर्याप्तता विश्लेषण सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार करने के लिये हम जानकारी के आधार पर यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रही है। दुर्भाग्यवश यह रिपोर्ट प्रकट नहीं की जा सकती क्योंकि जैसाकि मैंने कहा था यह रिपोर्ट यूनियन कार्बाइड से गोपनीयता की शर्त पर प्राप्त सूचना पर आधारित है, इसलिये हमे इस समय बताया नहीं जा सकता। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार इस विशेष उपभोक्ता प्रभाव को बेच दिये जाने के बाद भी यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन की मौजूदा परिसम्पत्तियों का बारीकी से मूल्यांक कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह पर्याप्त होगी......मैं अपने वक्तव्य में बता चुका हूं कि वास्तव में यह बिक्री जून, 1986 में ही पूरी हो जायेगी और जैसाकि मैंने अपने वक्तव्य के प्रारम्भ में भी बताया था इसे बेचने के दो मुख्य कारण हैं। दूसरा कारण यह है कि बैंक से लिये गये श्रम का भुगतान करना हैं और शेयरधारकों को विशेष लाभांश का भुगतान करना है।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने यह स्वीकार किया है।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : हां, यह सही है, बैंक को ऋण का भुगतान करने के लिये.........

श्री बसुदेव आचार्य : कुछ नहीं छोड़ा जायेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हे बात पूरी करने दीजिये।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : शेयरधारियों को दिये जाने वाले लाभांश का भुगतान भोपाल के गैस पीड़ितों के दावों के भुगतान के बाद किया जायेगा। मैं सभा को इतनी सूचना दे सकता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : किस प्रकार ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वे गैस पीड़ितों के मुआवजे में गड़बड़ी करने पर उतारू हैं। वे इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री सुरेश कुरूप : कृपया मुझे एक स्पष्टीकरण लेने की अनुमति दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : उनके वक्तव्य में व्यवधान मत डालिये। मैं किसी को भी स्पष्टीकरण लेने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उसे बेचा क्यों जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : इससे पहले की कार्यवाही का क्या रहा ?

श्री बसुदेव आचार्य : आप बिक्री को उचित ठहरा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : मैं जो कहा व रहा हूं वह यह है कि जब तक भोपाल के गैस पीड़ितों के दावों का निपटान नहीं कर दिया जाता, शेयर धारियों को विशेष लाभांश का भुगतान भी नहीं किया जायेगा। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कौन ले रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ले रही है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमें इससे वंचित कर दिया जायेगा। हम मामले को न्यायालय में क्यों नहीं ले जा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : मैं उस बारे में बताऊंगा। इसमें थोड़ी गड़बड़ी है। जैसा कि मैंने कहा था, इसे बेचने के दो कारण हैं। एक कारण है विशेष लाभांश का भुगतान और दूसरा कारण है बैंक, बंधक बैंक, के ऋण का भुगतान करना। मैं जो कह रहा हूं उसमें सुधार हो सकता है। विशेष लाभांश गौण विषय नहीं है, किन्तु दीर्घावधिक ऋणों के भुगतान की राशि जो कि लगभग 2.5 बिलियन है, जो कि शेयरधारकों को भुगतान की जाने वाली राशि है, वह भोपाल के गैस पीड़ितों के दावों की तुलना में गौण है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : दूसरी राशि कितनी है ?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : यह भी लगभग उतनी ही है —1.14; और 1.4......

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह कम्पनी के लिये किस प्रकार अनिवार्य होगा ? (व्यवधान)

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकार बारीकी से निगरानी रख रही है और सरकार उपयुक्त समय पर क्रय-पूर्व कार्यवाही करेगी......(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : आपके अनुसार उपयुक्त समय कब होगा ? वे अपनी परिसम्पत्तियां बेच रहे हैं, वे सभी प्रकार की चालाकियां चल रहे हैं। आप न्यायालय में नहीं जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : रकम बांट दी जायेगी और तब आप उपयुक्त कार्यवाही करेंगे !

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्हें इसे स्पष्ट करना है। उन्होंने कहा है कि शेयरधारकों को विशेष लाभांश का भुगतान भोपाल के गैस पीड़ितों के दावों के भुगतान के बाद किया जायेगा। यह निर्णय किसने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह भी उतने ही चिंतित हैं जितने कि आप ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्होंने कहा है कि एक भाग भोपाल के गैस पीड़ितों के लिये रखा जायेगा । यह निर्णय किसने किया है ? यूनियन कार्बाइड के लिये यह किस प्रकार अनिवार्य होगा ? उन्हें यह बताना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, तब वे जबाव देंगे ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह कौन देखेगा कि वह भोपाल के गैस पीड़ितों की लिये रखी गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी अपना उत्तर पूरा नहीं किया है ।

श्री नारायण चौबे : महोदय, क्या आप उनके उत्तर से संतुष्ट हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी अपना उत्तर पूरा नहीं किया है । और आप पूछ रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूं, या नहीं । मैं यह कैसे बता सकता हूं ? उन्होंने अभी अपना उत्तर पूरा नहीं किया है ।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : मैं माननीय सदस्यों को यह भी बता दूं कि हमारे न्यायवादियों ने 23 दिसम्बर, 1985 को एक पत्र द्वारा और पुनः 21 अप्रैल, 1986 को यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन को वित्तीय पुनर्गठन करने और शेयरधारकों को कोई भुगतान करने से पहले भोपाल के गैस पीड़ितों के दावों के परिमाण का उचित रूप से ध्यान रखने के प्रति हमारी चिंता व्यक्त कर दी थी । यह रिकार्ड में है ।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : किसके रिकार्ड में है ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वे न्यायालय में भी नहीं जा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनसे उत्तर चाहते हैं या नहीं ? यदि आप इसी प्रकार व्यवधान पैदा करते रहेंगे, तो वे उत्तर नहीं दे सकते । **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : वे न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त क्यों नहीं कर सकते ? वे सम्पत्ति बेचे जाने के मामले में न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर सकते हैं । अन्त में हमारे पास मुआवजे का भुगतान करने के लिये धनराशि नहीं बचेगी ।

(व्यवधान)

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : सरकार जानती है कि वह क्या कर रही है । सरकार अत्यन्त सावधानीपूर्वक इस पर निगरानी रख रही है । मैं भी आपके समान चिंतित हूं......... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हर कोई इस प्रकार व्यवधान डालता रहेगा तो वे उत्तर कैसे दे सकते हैं ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्होंने गैस पीड़ितों को खाद्य सहायता रोक कर 'अत्यन्त सावधानीपूर्वक निगरानी' रखी है। उन्हें यूनियन कार्बाइड द्वारा अमरीका में की जाने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए 'दूर की निगरानी' रखनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या वे यूनियन कार्बाइड का समर्थन कर रहे हैं ? यह राष्ट्र के लिए शर्मनाक बात है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसा लगता है वे कार्बाइड का बचाव कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन पर दया करो। वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान् आप बैठ जाइए। मंत्री महोदय क्या आपने अपना वक्तव्य पूरा कर लिया है ?

श्री आर० के जयचन्द्र सिंह : सिर्फ एक और बात श्रीमान्।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी अपना वक्तव्य पूरा नहीं किया है। पहले उन्हें इसे पूरा करने दीजिये। यदि आप इसी तरह बहस करते रहेंगे तो मैं आपका बचाव नहीं कर सकता।

श्री सुरेश कुरूप : आप उन्हें स्पष्ट उत्तर देने के लिये कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। मैं आपका बचाव कैसे कर सकता हूं ?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : मामले के निपटान के बारे में सिर्फ एक अन्तिम स्पष्टीकरण जिसके सम्बन्ध में अनेक सदस्यों ने पूछा है। कल ही हमें अपने न्यायवादियों—यदि आप भी देश के अंग हैं, तो आपके भी न्यायवादी—से एक टेलेक्स संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि श्री एण्डरसन ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि :

"भारत सरकार के बिना किया गया कोई निपटान एक निरर्थक निपटान होगा।"

मैं उसके कुछ अंश पढ़ सकता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम इसे पहले ही पढ़ चुके हैं।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : यदि आप पढ़ चुके है तो सदन के अन्य सदस्यों को भी इस बारे में बताएं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उनका कहना है कि आप उत्तेजित न हों, हम देखते हैं क्या हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : आप इस प्रकार से हर बात की अनुमति नहीं दे सकते। आखिरकार आपको नियमों के अनुसार काम करना है।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : आप उन्हें इस सबकी अनुमति नहीं दे सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया आप बैठ जाएं।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : महोदय, उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया और कहा :

> "भारत सरकार को शामिल किए बिना यह एक खोखला समझौता है। श्री एण्डरसन ने बताया कि 350 मिलियन डालर से इस मामले को निपटाने का समझौता किया गया। श्री एण्डरसन ने यह बात भी स्वीकार की कि यूनियन कार्बाइड ने अपने पहले के प्रयासों में गलती की है और कहा है कि मुझे नहीं मालूम कि प्राकृतिक विपदा और मानव सृजित समस्या से विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं।"

श्री एण्डरसन ने यह बात महसूस की है। उन्हें मालूम है कि कोई भी समझौता……

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्हें क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं इस बात को दोहराऊंगा कि संरक्षणात्मक आदेश प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व, विस्तृत वित्तीय विश्लेषण किया जाना होगा और यह उस फर्म द्वारा किया जा रहा है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है ? इस प्रकार के वित्तीय विश्लेषण के पश्चात् ही आगे बिक्री को रोकने की कार्रवाई करने के संबंध में विचार किया जा सकता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पर्याप्त है। उन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने इस बात का उत्तर नहीं दिया है कि महापौर अमरीका यात्रा पर क्यों गए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : उन्होंने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया है कि महापौर को जाने की अनुमति क्यों दी गई।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही इसका उत्तर दे चुके हैं। अब हम अगला विषय लेंगे।

(व्यवधान)

1.19 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

23वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 25 अप्रैल, 1986 को सभा में प्रस्तुत किए गए 23वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 25 अप्रैल, 1986 को सभा में प्रस्तुत किए गए 23वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.20 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अन्तर्गत मामलों को लेंगे।

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) मैथिली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : मैथिली भाषा का भारतीय भाषाओं में एक विशिष्ट स्थान है। भारत एक बहु-भाषी राष्ट्र है और प्रत्येक भाषा की विशेष संस्कृति और क्षेत्रीय मूल्य है। मैथिली भाषा को केन्द्रीय साहित्य अकादमी में शामिल किए जाने के समय, संविधान में शामिल किए जा सकने की सक्षमता के कारण, इसे सरकारी संरक्षण का आश्वासन दिया गया था। यह भाषा अन्य किसी भी आधुनिक भारतीय भाषा से कम नहीं है और इसे बोलने वालों को इस पर गर्व है।

देश के विभिन्न भागों में लगभग तीन करोड़ लोग मैथिली भाषा में बोलते हैं। मैथिली में दैनिक समाचार भी निकलते हैं। इसके अतिरिक्त, इस भाषा में कई पत्रिकाएं भी निकलती हैं। मैथिली में सैकड़ों शोधकार्य प्रकाशित हो चुके हैं। अन्य राज्यों के अलावा, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मैथिली भाषा में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान की जाती है। यह विडम्बना ही है, जबकि यह नेपाल में दूसरी राष्ट्र भाषा है, इसे भारत में उपेक्षित किया जा रहा है, जो कि इसका उद्गम देश है।

भाषा शास्त्रियों के अनुसार मैथिली, संस्कृत के समान प्राचीन और विश्व की किसी भी अन्य भाषा के समान मृदु है। इसलिए इसको उचित स्थान मिलना चाहिए और इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

(दो) उड़ीसा की ठकुरानी लौह अयस्क खानों को इस्पात संयंत्रों से सम्बद्ध करने की आवश्यकता

****श्री हरिहर सोरन** (क्योंझर) : लौह अयस्क के उठान में तेजी से गिरावट के कारण उड़ीसा में ठकुरानी लौह अयस्क खानों में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हजारों कामगर, जिनमें अधिकांश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों से है, इन खानों में काम करके अपनी आजीविका कमाते हैं। किन्तु, इस्पात संयन्त्रों द्वारा लौह अयस्क के उठान में अनियमितता होने के परिणामस्वरूप सारी खनन गतिविधियां ठप्प पड़ गई हैं। इससे खान मजदूरों की दैनिक आय पर सीधा प्रभाव पड़ा है। वह बिना किसी रोजगार के घर बैठे हैं। छंटनी ऐसे समय में हो रही है जब भारत सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए सभी संभव कदम उठा रही है। इसलिए, इस्पात संयन्त्रों द्वारा ठकुरानी लौह अयस्क खानों से लौह अयस्क के उठान में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। इससे छंटनी किए गए श्रमिकों को रोजगार मिल सकेगा।

इसलिए, मैं मांग करता हूं कि वर्तमान संकट को समाप्त करने के लिए ठकुरानी लौह अयस्क खानों को किसी भी इस्पात संयन्त्र, बेहतर होगा राउरकेला इस्पात संयन्त्र से सम्बद्ध किया जाए।

1.23 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

(तीन) मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने की आवश्यकता

श्री कम्मोदी लाल जाटव (मुरैना) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अभी तक कोई खास उद्योग नहीं लगाए गए हैं। केवल बानमोर में थोड़े से उद्योग हैं, वह भी ज्यादातर बन्द रहते हैं जबकि मुरैना जिले की विजयपुर तहसील, केलारस तहसील व करहाल तहसील में काफी सीमेंट बनाने का पत्थर है। वह पत्थर सीमेंट बनाने के लिए दूसरे जिले में जाता है जबकि हमारे मुरैना जिले के लाखों लोग बेरोजगार हैं।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मुरैना जिले में सीमेंट बनाने के लिए किसी उद्योगपति को लाइसेंस देने की कृपा करें ताकि कुछ लोगों को रोटी-रोजी का साधन हो सके।

**मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(चार) दिल्ली के झुग्गी-झोंपड़ी वासियों तथा फुटपाथ पर रहने वालों का पुनर्वास करने की आवश्यकता

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर (करोल बाग) : सभापति महोदय, देश के चार प्रमुख नगरों में दिल्ली में भी यह समस्या अत्यन्त गम्भीर रूप धारण किए हुए है। झुग्गी-झोंपड़ी, फुटपाथों पर विचरण करना, आज इन नगरों की प्रमुख समस्या बनी हुई है। दिल्ली में प्रतिवर्ष लाखों आम तबके के लोग आते हैं। मेरे करोल बाग क्षेत्र में विशेषकर यह समस्या है। इन लोगों के रहने के लिए फुटपाथ भी बड़ी मुश्किल से नसीब होते हैं। सरकार का ध्यान इस ओर कतई नहीं है। मेरा सुझाव है कि कई बेकार पड़े पार्कों का इस्तेमाल इन लोगों के रहने के लिए किया जा सकता है और फिर छोटी-मोटी सुविधाएं भी दी जा सकती हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस ओर शीघ्र ही कोई कार्यवाही करे।

[अनुवाद]

(पांच) पेय जल समस्या को हल करने के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता

डा० जी० विजय रामा राव (सिद्दिपेट) : आन्ध्र प्रदेश में लम्बे समय से चल रहे सूखे के कारण तमाम राज्य, विशेषकर हैदराबाद और सिकन्दराबाद में पेय जल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। चूंकि तमाम प्राकृतिक संसाधन पहले ही समाप्त हो चुके हैं और भूमि जल का स्तर नीचे गिर गया है, इन दोनों नगरों के निवासियों को दो दिन में एक बार पानी मिल रहा है। हैदराबाद के आस-पास कई उद्योग भारी कठिनाई में हैं। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या की ओर ध्यान दे और हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के लिए जल संसाधन जुटाने के लिए उदारतापूर्वक धनराशि मंजूर करे।

(छः) तैयार चमड़े के सम्बन्ध में 1981 में भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मानदण्डों को बनाए रखने की आवश्यकता

श्री पी० कुलनदईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : चमड़ा निर्यात नीति में परिवर्तन किए जाने से भारत में लघु चमड़ा कारखाने प्रभावित होते हैं। यह आरोप लगाया गया है कि यह परिवर्तन एकाधिकार घरानों तथा बड़े ग्रहों के हक में हैं। तमिलनाडु सरकार ने तैयार चमड़े के लिए भारतीय मानक संस्थान के 1981 के मानदण्डों को बहाल करने के लिए अभ्यावेदन किया है।

लघु चमड़ा कारखानों को इस नीति के कारण अपने उत्पादों को बड़े ग्रहों को कौड़ियों के दाम बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वर्तमान नीति में प्रत्येक यूनिट में 20 लाख रुपए का निवेश करने की अपेक्षा की गई है जोकि उनकी परियोजना क्षमता से बहुत अधिक है।

तमिलनाडु सरकार, भारत सरकार की इस नीति का समर्थन करती है किन्तु एक समयबद्ध कार्यक्रम रखें, जैसे पांच वर्ष तक का उदाहरण दिया गया है। किसी निर्णय के अभाव में चमड़ा कारखानों को अपना निर्यात बनाए रखने के लिए विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं।

मेरा सुझाव है कि 1981 के मापदण्ड बनाए रखे जाएं और भारत सरकार एक चौथा संशोधन करने के आदेश जारी करे।

[हिन्दी]

(सात) डीजल, ट्रैक्टर, और अन्य उपकरण खरीदने के लिए किसानों को अनुदान देने की आवश्यकता

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, देश की तीन चौथाई जनसंख्या की जीविका आज भी कृषि पर आधारित है। स्वतन्त्रता के बाद निःसन्देह कृषि के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है और उसी का परिणाम है कि आज हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। फिर भी किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जिस अनुपात में किसनों द्वारा कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली चीजों के मूल्य जैसे ट्रैक्टर, पम्पिंग सैट, उर्वरक डीजल बीज सिंचाई और बिजली की दरें, मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि हुई है, कृषि उत्पादों का मूल्य उस अनुपात में नहीं बढ़ा है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सर्व सुविधा सम्पन्न राजकीय फार्मों पर पैदा किए गए गेहूं जो लगभग 300 प्रति क्विंटल की दर पर उत्तम बीज के नाम पर देचे जाने पर बावजूद ऐसे सरकारी फार्म अधिकतर घाटे में चल रहे हैं, फिर सुविधाविहीन, निर्धन, आधुनिकतम कृषि वैज्ञानिक तरीकों से आपरिचित ग्रामीण किसान जो अपने रक्त से सींच कर खाद्यान्न का उत्पादन करता है, उसे 155 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं बेच कर लाभ कैसे मिल सकता है?

इसलिए मैं माननीय कृषि मंत्री जी से मांग करता हूं कि जिस प्रकार उद्योगपतियों को उद्योग लगाने हेतु शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के छूट और अनुदान दिए जाते हैं, उसी प्रकार भारतीय कृषिकों को भी डीजल, ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि उत्पादन से सम्बन्धित उपकरणों और वस्तुओं पर अनुदान देकर किसानों की गिरती हुई आर्थिक स्थिति एवं मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(आठ) भुवनेश्वर हवाई अड्डे को सीमाशुल्क हवाई अड्डा और भुवनेश्वर नगर को सीमाशुल्क भाण्डागार केन्द्र घोषित करने की आवश्यकता

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उड़ीसा में अब तक कई बड़े और मध्यम वर्ग के उद्योग लगाए जा चुके हैं और वह इन यूनिटों में बनायी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं।

चूंकि भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क लगाए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए इन औद्योगिक यूनिटों के पास अपनी आवश्यकता भी वस्तुओं का कलकत्ता जैसे सीमा-शुल्क हवाई अड्डे से मंगवाने के अलावा कोई चारा नहीं है; और इस प्रकार उन्हें अपना माल छुड़ाने में, एयरपोर्ट कारगो कम्पलैक्स और सीमा-शुल्क ग्रह में आयात विभागों में अपनायी जाने वाली लम्बी प्रक्रिया के कारण, क्योंकि पर एक छत के नीचे नहीं है, काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

इस मामले पर 11.10.1985 को भुवनेश्वर स्थित निर्यात सवंधन सम्बन्धी उड़ीसा राज्य बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था और उड़ीसा सरकार ने उपर्युक्त कठिनाइयों पर काबू पाने के

लिए चेयरमैन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय भारत सरकार से भुवनेश्वर हवाई अड्डे को सीमा-शुल्क हवाई अड्डा और भुवनेश्वर नगर को सीमा-शुल्क भाण्डागार केन्द्र घोषित करने का अनुरोध किया है। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि एक बार भुवनेश्वर हवाई अड्डे को तेल और प्राकृतिक गैस की महानदी आफशॉर ड्रिलिंग परियोजना के लिए आयात-निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए सीमा-शुल्क हवाई अड्डा घोषित किया गया था किन्तु बाद में इस अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे और भुवनेश्वर हवाई अड्डे को सीमाशुल्क हवाई अड्डा और भुवनेश्वर नगर को सीमाशुल्क भाण्डागार केन्द्र घोषित करने के में तुरन्त आवश्यक अधिसूचना जारी करे।

1.31 म० प०

वित्त विधेयक, 1986

[—जारी]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब श्री विश्वनाथ प्रतात सिंह द्वारा दिनांक 24-4-1946 को रखे गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :

> "कि वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री बेंजावाड़ा पपी रेड्डी (ओंगोल) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मुझे यह कहते हुए खेद है। शब्दकोष में दी गई परिभाषा के अनुसार बजट प्रत्येक वर्ष राष्ट्र को धोखा देने के लिए एक विशेण सरकारी दस्तावेज है। तदनुसार विरोध करने के लिए भी यह त्रुटि कुछ प्रतीत होती है। रविवार दिनांक, 27-4-1986 के "फाइनेंसियल एक्सप्रैस" के अनुसार अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण में जो कुछ लिखा गया है उसमें बहुत अधिक त्रुटि प्रतीत होती है। मैं यह आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे अथवा यदि वह अन्तर रखना चाहते हैं तो मुझे इन ब्यौरो को बाहर भेजने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मुझे यह कहते हुए भी खेद है। हर समय मंत्री महोदय अपने उत्तर में हमसे यही कहते हैं कि धन नहीं है। अतः मैं करुणानिधि के बारे में याद दिलाता हूं। जिस समय वह तमिलनाडु के मुख्य मंत्री थे उनके पास वित्तीय सहायता के लिए एक अभ्यावेदन भेजा गया था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा वह यह था "मेरे पास करुणा है लेकिन "धन" नहीं है।" ऐसा केन्द्र में भी हो रहा है। केन्द्र सरकार सहानुभूति रखती है लेकिन उनके पास सभी परियोजनाओं को देने के लिए "धन" नहीं है।

मैं यह भी कहूंगा कि वित्त मंत्रालय में विश्वनाथ प्रताप सिंह और जनार्दन पुजारी के बीच अत्यधिक अन्तर है। जनार्दन पुजारी आन्ध्र प्रदेश के हैं। वे अतिथि का शिष्टाचार करना भी नहीं जानते हैं। मेरा विश्वास है उन्होंने हमारे मुख्य मंत्री श्री रामाराव की आलोचना की। जैसा कि यह उनका अपना निजी धन था जिसे वे आन्ध्र प्रदेश को दे रहे थे। उनका कहना है कि आन्ध्र प्रदेश को

बहुत धन दिया गया है और श्री रामाराव और तेलुगु देशम पार्टी उससे मजा उड़ा रही है। मुझे इस बात का खेद है कि श्री पुजारी में कोई शिष्टाचार और आदर की भावना नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी अपनी कांग्रेस पार्टी के मित्रों की सलाह पर चलते हैं जिनको हमारी आलोचना करने के अतिरिक्त और कुछ कहना ही नहीं आता है।

इस ऋण मेला के सम्बन्ध में मैं समाचार पत्रों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बढ़ा चढ़ा कर इन के बारे में छापा है। ऋण खाने पीने का धन्धा बन गया है अतः ये मेले खाने पीने के धन्धे बन गए हैं। जहां कहीं श्री पुजारी जी जाते हैं वहीं ऋण का वितरण करते हैं। मैं यह नहीं जानता कि सरकार इस ऋण को इस प्रकार से इस कैसे वसूल करेगी जिस तरीके से कार्य हो रहा है। मुझे यह कहने में खेद है कि 21वीं शवी में हम सभी यह आशा करते है कि राहुलगांधी प्रधान मंत्री होंगे। मेरे विचार से उन्हें जो कुछ करना पड़ता है वह ऋण देना ही है इस कार्य में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।

यहां तक कि गरीबी-विरोधी उपायों के बारे में मेरा विचार है यह मामला पार्टी से सम्बन्धित मामला है, यह पार्टी कि पक्ष का मामला बन गया है क्योंकि हमें यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश में ऋण का प्रति व्यक्ति वितरण 1026 रुपए हैं जबकि हमारे यहां आन्ध्र प्रदेश में यह 350 रुपए प्रति व्यक्ति है। मेरा कहना है कि मंत्री महोदय को इसकी जांच करवानी चाहिए, यह इसलिए हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमण्डल में 10 मंत्री हैं। हमारे मंत्रिमण्डल में एक भी मंत्री नहीं है। मंत्रिमण्डल में आंध्र प्रदेश का कोई भी मंत्री नहीं है। मंत्री परिषद में आन्ध्र प्रदेश के दो मंत्री हैं और मेरे विचार से वे दोनों राज्य मंत्री हैं मंत्रिमण्डल के मंत्री नहीं हैं।

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : ये निर्धारित मानदण्डों के अनुसार है इस कारण नहीं कि किसी एक या दूसरे राज्य के मंत्रिमण्डल में अधिक मंत्री हैं।

श्री बेजावाड़ा पपी रेड्डी : मेरे पास "हिन्दू" दैनिक से लिए गए कुछ आंकड़े हैं।

सरकारी क्षेत्र के बारे में, सरकार पूर्ण रूप से असफल रही है। हमने बहुत से उद्योग इस आशा से शुरू किए हैं कि उनसे हमारी आमदनी में वृद्धि होगी लेकिन इनसे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनमें रुपया बरबाद हो रहा है। यह उस बच्चे की तरह है जो शोरगुल ज्यादा करता है लेकिन उसकी बात का कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार उद्योगों के बारे में शोरगुल बहुत ज्यादा है लेकिन उनका देश को कोई फायदा नहीं हो रहा है। यह सरकारी क्षेत्र में हो रहा है। मैं यह नहीं जानता हूं कि इंडियन एयर लाइंस को अपनी गतिविधियों के बारे में विज्ञापन क्यों देना चाहिए जबकि लोगों को कहीं नहीं जाना है। उदाहरण के लिए हमारी इंजीनियरिंग इंडिया लि० को ही ले लीजिए। किसी समय यह एक ख्याति प्राप्त कम्पनी थी। अब यह 500 करोड़ रुपए के घाटे में है। मैं यह नहीं जानता कि इसको इतनी बड़ी धन राशि का घाटा कैसे हुआ। दोनों सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां अपने घाटे की क्षमता को सुधारने में एक दूसरे से होड लगा रही प्रतीत हो रही हैं।

दूसरे दिन, श्री बसन्त साठे उस आधारभूत ढांचे के बारे में कह रहे थे जिसको उन्हें अन्य उद्योगों को उपलब्ध करना पड़ा था। घटनाएं किस प्रकार हो रही हैं। प्रत्येक मंत्री यह सोचता है कि उसका विभाग अधिक महत्वपूर्ण है और हम यह जानते हैं कि यह कैसे हो रहा है। कल के समाचार पत्र की खबर है कि पिछले पांच वर्षों में इस्पात के मूल्य में दस गुनी वृद्धि हो गयी है। आप यह कैसे आशा करते हैं कि उद्योग और अन्य लोग किस प्रकार अपने को बचा पायेंगे जब आप अपनी इच्छा से मूल्यों में वृद्धि होते जाने देंगे।

अन्त में शिक्षा के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि 10+2+3 शिक्षा प्रणाली का अन्त कहां होगा। कालेज से शिक्षा समाप्त करते-करते छात्र सब कुछ भूल चुका होगा।

छापों के बारे में मैं आपको वर्ष 1978 की याद दिलाऊंगा जिस समय श्री मोरारजी देसाई की यात्रा के बाद मैं अमरीका में था मैं वहां जहां कहीं भी गया मुझसे यह पूछा गया कि क्या आप मूत्र चिकित्सा में विश्वास करते है। हमसे यह मनवाया गया था हमारा देश एक मूत्र उपभोक्ताओं का है। आखिरकार, मैं व्यवसायी वर्ग को कोई विश्वास नहीं करता हूं। किसी भी तरह मनुष्य को अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए अथवा अन्य देशों के बड़े उद्योगपतियों से विचार विमर्श के लिए अपनी छवि बनाये रखना चाहिए। क्या आप यह जानते हैं कि जापान का एक बड़ा उद्योगपति उस व्यक्ति से ही विचार विमर्श करना चाहेगा जिसे उसकी सरकार ने शोभराज या किसी अन्य व्यक्ति की उपमा दे दी है। उस तरीके से जो विदेशी हमसे मिलना चाहते हैं उनके हमारे साथ किसी प्रकार की बातचीत करने के लिए, उनके आगे आने के बारे में उनके अपने सन्देह हो सकते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वस्तुत; अमरीका में एक लोकप्रिय समाचार पत्र में यह विचार व्यक्त किया गया था कि ऐसा आर्थिक कार्य बहुत पहले किया जाना चाहिए था।

श्री बेंगाबाडा पपी रेड्डी : हो सकता है; मैं उस बात की चिन्ता नहीं करता हूं जो विदेशी समाचार पत्र कहते हैं?

अतः मैं वह बात कहता हूं जो जॉन कनेडी ने कही है :

"यदि आप शान्त विरोध करते हैं, तो यह असम्भव है, यदि आप हिंसक विरोध कर रहे हैं तो यह अनिवार्य है।"

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : श्रीमान, मैं आपका इस बात के लिए आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है वित्त मंत्री महोदय उन नीतियों के लिए सराहना के पात्र हैं जिनको उन्होंने अपना यह पद भार ग्रहण करने के समय से ही अपनाया है। आय-कर दरों के सम्बन्ध में पिछले वर्ष उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया था और अधिकतम वसूली की गयी थी। वह एक ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने यह सोचा कि कराधान का मुख्य उद्देश्य धन इकट्ठा करना है और वही ऐसे वित्त मंत्री है जो जनता से परामर्श लेते रहे हैं और अपने उस विभाग के विरुद्ध निर्णय दिया है जिसने वर्षों तक जनता को सीधी दिशा में चलने की अनुमति नहीं दी।

उन्होंने आय-कर की दरों को कम किया है और अधिकतम वसूली की है। इस बार भी उन्होंने हमें एक दीर्घकालीन वित्त नीति दी है। उनकी आलोचना भी की गई है। मैंने विपक्ष के अधिकांश सदस्यों द्वारा घाटे की वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में की गई आलोचना को ध्यान से सुना है। यहां दो बातों की आलोचना की गई है। यह एक दीर्घकालीन नीति है और श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि वित्त मंत्री ने विदेशियों को लम्बे पट्टे दिए हैं और जो भी शब्दावली वे जानते हैं उन सबका उन्होंने प्रयोग किया है।

दीर्घकालीन वित्त नीति ने हमारी विकासीय नीतियों को स्थायी बना रही है। लेकिन वह उस पर सख्ती से नहीं चल रहे हैं। उस नीति के भीतर वह स्थिति का समय-समय पर उत्तर देते रहे हैं। इस नीति की घोषणा किये जाने की तारीख से अब तक बहुत सी अधिसूचनाएं जारी की गयी हैं।

जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई उन्होंने अपने निर्णय के अनुसार हस्तक्षेप किया है। उन्होंने कराधान की दरों में परिवर्तन किया है। और उन्होंने वे सभी कदम उठाए हैं जिनके उठाए जाने की आवश्यकता थी। इसलिए मेरे विचार से यह आलोचना उचित नहीं है। मैं इसको पूर्णरूप से दुर्भाव पूर्ण ही कहूंगा।

जहां तक घाटे की अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है एक ऐसे देश में जहां अभूतपूर्व सूखा, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाएं आई हों और जिसके पड़ोसी देश सुरक्षा के ऊपर भारी धनराशि खर्च करने के लिए मजबूर कर रहे हों मुझे इस बात का आश्चर्य है कि वे इस बात पर आपत्ति कैसे उठा रहे हैं कि मंत्री महोदय घाटे की अर्थ व्यवस्था का सहारा ले रहे हैं। जब वे सभी व्यक्ति जो अपने को समाजवादी और कम्युनिस्ट होने का दावा करते हैं वे घाटे की अर्थ व्यवस्था के बारे में बातें करते हैं क्या वे पूंजी वादियों और साम्राज्य वादियों के नारे नहीं लगा रहे हैं? ऐसा कौन सा समाजवादी देश है जिनके अपने सभी खर्चों को कराधान के माध्यम से प्राप्त किया है। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं मैं यह कहूंगा कि जब हमारे वित्त मंत्रालय ने घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा नहीं लिया था तो हमने अनेकों बार यह देखा है कि अविभाजित भारत में बंगाल का एक भयंकर अकाल पड़ा था। जब तक उन उत्पादक और गैर उत्पादक दोनों बातों के लिए धन खर्च नहीं किया जाता है जिनके लिए तत्काल धन खर्च किये जाने की आवश्यकता है। हम इन समस्याओं का मुकाबला कैसे कर सकेंगे। नारे लगाना बहुत आसान है। मैं वित्त मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहूंगा कि घाटे की वित्त व्यवस्था करना कोई बुरी बात नहीं है। घाटे की वित्त व्यवस्था केवल एक विचार से ही खराब है और वह एक ऐसे समाज में अहस्तक्षेप करना है जो प्रतियोगिता पर ही जीवित रहता हो और उसमें धन की पूर्ति वस्तुओं के मूल्य पर नियन्त्रण करती है। उस प्रकार के समाज में सम्भवतया घाटे की वित्त व्यवस्था से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो सकती है।

लेकिन भारत में व्यवस्थित मूल्य हैं। हम उन व्यक्तियों द्वारा दवाब दिए जाने के लिए बाध्य हैं जो आलोचना करते हैं और जो परिस्थितियों के दबाब में हैं हमें अब तक प्रत्येक छह महीने के बाद खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि करनी पड़ी है। भारत के औसत मूल्य स्तर मुख्य रूप से खाद्यानों के मूल्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए मूल्य स्तर के सम्बन्ध में यह घाटे की वित्त व्यवस्था नहीं है जो मूल्यों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक गैर-उत्पादक व्यय का सम्बन्ध है हमें इसको कराधान तथा उन अन्य साधनों से पूरा करना चाहिए, जिनसे हम राजस्व में वृद्धि कर रहे हैं। जहां तक उत्पादक और विकास सम्बन्धी खर्च का सम्बन्ध है, हमें परियोजनाओं तथा अन्य बातों के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था के साधनों द्वारा वित्तीय व्यवस्था करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऋणों चाहे वे आन्तरिक या विदेशी हों, में वृद्धि करने की अपेक्षा घाटे की वित्त व्यवस्था करना कहीं ज्यादा अच्छा है, यदि हम इससे उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, यह वही बात है जिसे हमें स्वर्गीय श्री सी० डी० देशमुख के सिखाया था। और इस बात को हमारे वित्त मन्त्री महोदय यह कहते समय अपने ध्यान में रखते हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था सम्पूर्ण राष्ट्रीय उत्पादक के अनुपात में होनी चाहिए। लेकिन मेरा कहना है हमें इससे भी एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए और हमें प्रत्येक उस परियोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हमारे उत्पादन में वृद्धि हो सकती है? यदि हम उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं तो हमें निश्चय ही इसमें वृद्धि करनी चाहिए। हमें विशेष रूप से पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचों के लिए भी वित्तीय व्यवस्था करनी चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक तथा अनिवार्य है। अन्यथा आप इस देश का विकास करने में सफल नहीं होंगे। आप देश में कुछ पाकेटों का ही विकास कर सकते हैं लेकिन सारे देश में ऐसा नहीं कर सकते हैं।

श्रीमन् एक लोकतांत्रिक देश में समान विकास बहुत आवश्यक है। और हमें देश के सभी भागों में साधारण लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए। आपको भारत भर में रहने वाले साधारण लोगों के विश्वास का आनन्द लेना चाहिए। आप उनके लिए कुछ करते हैं। पिछड़े इलाकों में विकास के सम्बन्ध में भी पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में प्रचलित परिस्थितियों के बारे में वित्त मन्त्री के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को उसकी अच्छी जानकारी नहीं है। आपको देश भर में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बिजली की आवश्यकता है। पहाड़ी क्षेत्रों जहां आप पन बिजली परियोजनाएं चला सकते हैं और यही उपलब्ध बिजली का मुख्य स्रोत है। यदि हम सम्पूर्ण देश का विकास करना चाहते हैं तो देश के विकास के लिए बिजली और सड़क बहुत आवश्यक है। इसलिए आप घाटे की वित्त व्यवस्था किए बिना इन बातों को नहीं कर सकते है।

बिजली आयोजना करने में एक दोष यह है कि केन्द्र सरकार बहुत बड़ी परियोजनाओं को चलाती है और देश की मध्यम परियोजनाएं राज्यों के लिए छोड़ दी जाती हैं। बहुत बड़ी परियोजनाओं के लिए आयातित मशीनरी की आवश्यकता होती है और मध्यम परियोजनाओं के लिए स्वदेशी धन व्यवस्था की जा सकती है और स्वदेशी माल से उनका निर्माण किया जा सकता है। आप उनके लिए अपनी मुद्रा से ही वित्तीय व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए आप उन मध्यम परियोजनाओं को अनदेखा क्यों करते हैं जिनसे आपको तत्काल लाभ हो सकता है। आपने मध्यम परियोजनाओं को राज्यों के लिए छोड दिया है और राज्य उपलब्ध अवसरों का उचित उपयोग नहो कर रहे हैं। आप उन्हें धन देते हैं लेकिन वे उसे अपने ढंग से ही व्यय करते हैं। वे आपकी योजना का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि जहां तक घाटे की वित्त व्यवस्था का सम्बन्ध है तो समय-समय पर योजना तथा परियोजनाओं के कार्यान्वियन पर निगरानी रखना बहुत आवश्यक है। आप राज्यों को धन दीजिए, लेकिन परियोजनाओं की निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है। आप निगरानी के लिए कोई ढांचा बनाएं, यह मैं आप पर छोड़ता हूं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि उससे लोग सहमत अथवा असहमत हो सकते हैं।

श्रीमन्, मैं प्राकृतिक विपदाओं के बारे में कह रहा था। यहां तक कि जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में देखें···मैं आज जम्मू से आया हूं, वहां बहुत भारी वर्षा हुई है और ओले पड़े हैं, वहां बाढ़ आई है, वहां बहुत से लोग बाढ़ में बह गए हैं, और वर्षा और बाढ़ों से बहुत से पशु मारे गए हैं। नदियों में बाढ़ आई हुई है और खेत में पड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। यहां तक कि चारे को भी नुकसान पहुंचा है। इन सभी बातों का हमें सामना करना पड़ेगा। आप कृपया यह देखें कि इन लोगों की मदद होनी चाहिए।

विकास और आत्म-निर्भरता के बारे में मैं केवल एक बात कहूंगा। आत्मनिर्भरता बहुत ही आवश्यक है और आत्म-निर्भरता के लिए आपको यह देखना होगा कि जो कुछ भी हम देश में और देश के किसी भी भाग में पैदा करते हैं, वह बाजार में आना चाहिए और लोगों की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है। आत्म-निर्भरता के सम्बन्ध में, आपको कृषि की ओर अधिक ध्यान देना होगा। हम कुछ चीजें जैसे धान और गेहूं का आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन जहां तक तिलहनों का सम्बन्ध है, हमें यह देखना होगा कि इसको उचित तरीके से संगठित किया जाए। इस सम्बन्ध में कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आनुवंशिकी (जैनेटिक) इंजीनियरी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और कृषि के विकास के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की सेवाओं का भी पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से हमारी योजना दोषपूर्ण है। बृहत

योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे बड़े पैमाने पर विस्तृत तरीके से योजना तैयार की जा सके और इन सब का तालमेल किया जा सके। ऐसी योजना बनानी चाहिए कि हमें क्या पैदा करना चाहिए और जिस चीज की हमें आवश्यकता हो उसे पैदा किया जा सके। योजना आयोग द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। वित्त मन्त्री महोदय भी योजना आयोग के सदस्य हैं। मैंने इस सम्बन्ध से उनका ध्यान आकर्षित किया है। मैं यह मानता हूं कि उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ठीक से योजना बनाने के लिए उनको हस्तक्षेप करना होगा। यह कोई कठिन बात नहीं है। उनको यह देखना चाहिए कि सही तालमेल हो और एक सम्पूर्ण योजना बनाई जाए, विभिन्न विभागो के साथ तालमेल तथा राज्य योजनाएं भी बहुत आवश्यक हैं।

इसलिए मैं फिर कहूंगा कि मुझे उनको अवश्य मुकारकबाद देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने काफी कुछ किया है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि आपने कुछ नहीं किया है। आपने बहुत कुछ किया है। यदि आपने विशेषकर घाटे की अर्थव्यवस्था न अपनाई होती तो मैं कहता हूं कि लोग भूखे मर गए होते और बंगाल जैसा अकाल पड़ गया होता जैसा कि देश को विभिन्न भागों में कई बार पड़ा है। लेकिन हर जगह लोगों को कुछ चीजें प्राप्त हो रही हैं। केवल दूरदराज के उन क्षेत्रों में, जिनका देश से शेष भाग से सम्पर्क टूटा हुआ है जैसा कि आप जानते हैं आपके राज्य में और मेरे राज्य में वहां कुछ समस्याएं हैं, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में और दूर-दराज के क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों की परिभाषा में, "निचले पहाड़ी क्षेत्रों" में जिनकी स्थिति बहुत ही खराब है उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। मैं केवल इतना कहूंगा कि उन निचले पहाड़ी क्षेत्रों में किसान पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

मेरा अनुरोध है कि जिन मुद्दों पर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं केवल एक बात कहूंगा। आय कर की दरों में संशोधन करते समय आपको छूट की सीमा को बढ़ाना चाहिए था और करों की दरों में कमी करनी थी। इस तरीके से आपको और अधिक धन प्राप्त होता। मैंने इस मुद्दे पर उन लोगों से चर्चा की है जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। मैंने स्वयं भी इसका अध्ययन किया है। मैं भी इस बारे में तथा इसके व्यवहारिक पहलू के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर वित्त मन्त्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं और वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, मैं वित्त मन्त्री महोदय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मुझे अपनी सरकार को अवश्य मुबारकबाद देनी चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने अपने सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को बिना किसी भ्रम अथवा पक्षपात के जारी रखने का निश्चय कर रखा है। जो लोग कर चोरी अथवा अन्य आर्थिक अपराधों में लगे हुए हैं वह ऐसा अपने जोखिम पर करेंगे।

वित्त मन्त्री का कार्य कोई आसान कार्य नहीं है क्योंकि भारत विश्व में बहुत बड़े लोकतांत्रिक और विकासशील देशों में से एक है। इसलिए वित्त मन्त्री को बजट में सम्पूर्ण राज्य के विभिन्न हितों का सामंजस्य स्थापित करना होता है। मुझे अपने वित्त मन्त्री महोदय को मुबारकबाद देनी है क्योंकि वित्त मन्त्री द्वारा रियायत के बारे में की गई घोषणा काफी अच्छी है। मैं लघु क्षेत्र के लिए दी गई रियायतों का स्वागत करती हूं। मैं वित्त मन्त्री को इसलिए भी मुबारकबाद देती हूं कि यह पहला अवसर है जब हमारे वित्त मन्त्री समाज के निर्धन वर्गों को इन्दिरा गांधी आवास योजना में अवसर दे

रहे हैं। ऐसा भी प्रस्ताव है कि 65 प्रतिशत धन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर खर्च किया जाए जिससे निर्धन लोगों में से सबसे निर्धन लोगों को लाभ होगा। इससे विशेषकर रिक्शा चालकों, नाइयों, किसानों, श्रमिकों को और निर्धन लोगों के सभी वर्गों को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से अवसर प्राप्त होगा।

मैं अपने वित्त मन्त्री का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि जब विश्व में मुद्रास्फीति की दर 21 प्रतिशत तक पहुंच गई है, हमारे देश में यह दर घट कर 4.7 प्रतिशत तक आ गई है। वास्तव में यह एक उपलब्धि है और इसका श्रेय वित्त मन्त्री जी को देना चाहिए। हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए।

मैं सरकार को भी बधाई देती हूं क्योंकि सरकार ने काले धन का पता लगाने के लिए कदम उठाए हैं। हाल ही में सरकारी एजेन्सियों द्वारा कर की चोरी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मारे गए छापों से कर अपवंचन में कमी आई है। बड़ी संख्या में भ्रष्ट व्यापारी पकड़े गए और इससे पता चलता है कि राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हुई है। बाटा इण्डिया लिमिटेड जैसी एक कम्पनी ने अपनी गलती मानी है और उन्होंने अब लगभग 1 करोड़ रुपए सरकारी राजकोष में जमा कर दिए हैं। इसका श्रेय सरकार को जाना चाहिए। (व्यवधान) विपक्ष को विरोध तो करना चाहिए किन्तु वह रचनात्मक होना चाहिये। सरकार की आलोचना करना बड़ा आसान है लेकिन लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करना आसान नहीं है। आजादी के समय हमारे यहां थोड़े से ही व्यक्ति अवसर प्राप्त और उद्योगपति थे। 75 प्रतिशत लोग गरीब थे। महात्मा गांधी और पंडित जवाहर-लाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री तथा हमारी महान माता श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में अब हमारी 35 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह गई है। हमें समझना चाहिए कि गरीबी मुख्य समस्या नहीं है। निरक्षरता, अकुशलता, अतिरिक्त संसाधन तथा कार्यान्वयन मुख्य समस्याएं हैं।

मैं जानती हूं कि जबकि हमारे युवा प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी सभा के अन्दर और सभा के बाहर तथा देश के भीतर और बाहर सम्पूर्ण ढांचे, सम्पूर्ण नीति में परिवर्तन करने और नई नीति तैयार करने तथा प्रौद्योगिकी और नए आधुनिक तरीके अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन नीतियों के विरुद्ध कुछ बड़ी साजिश की जा रही है। हम ऐसे सभी प्रयासों को नाकाम कर देंगे। हमें अपनी सरकार को मजबूत बनाना चाहिए। हमें गरीबी के विरुद्ध लड़ना चाहिए।

मैं श्रीमती गांधी के शब्द उद्धृत करना चाहती हूं :

> "हम सबको नए भारत में आस्था है। हमें देश की तरक्की के लिए कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करना चाहिए।"

देश के विकास का काम केवल सत्तारूढ़ दल का ही नहीं है बल्कि सभी वर्गों का यह कर्तव्य है कि वे हमारे देश का विकास करें।

यहां मैं पुनः श्रीमती गांधी के शब्द उद्धृत करना चाहती हूं :

> "हमारी विशाल और विविधतापूर्ण जनसंख्या के किसी वर्ग को उपेक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। उनकी उपेक्षा सामूहिक रूप से हम सब का नुकसान है।"

अपने देश का विकास करना हमारा कर्त्तव्य है। हमें इस बात का अहसास होना चाहिए कि भारत हमारी मातृ-भूमि है और हमें अपने देश के लोगों के भले के लिए कुछ करना चाहिए।

सरकार ने सिंचाई, बिजली, उर्वरक, काम करने के अधिकार, शिक्षा और हर चीज की व्यवस्था की है। हमें महसूस करना चाहिए कि कार्यान्वयन मुख्य पहलू है। केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हर कार्य पर निगरानी रखे। मुझे मालूम है कि हमारे राज्य में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और कई अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार धन दे रही है परन्तु यह धन कहां जा रहा है? सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। यह एक बहुत गम्भीर मामला है।

सभापति महोदय : लेकिन इस बात को सामने लाने वाला कोई नहीं है।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : विपक्षी सदस्यों को कुछ नहीं कहना है। इसीलिए वे सभा से अनुपस्थित हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात उठाना चाहती हूं। मैं वित्त मन्त्री जी की आभारी हूं कि उन्होने 23 अप्रैल को अपने उत्तर में कहा कि वे पीअरलैस जनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, जिसकी प्राधिकृत पूंजी लगभग 2 करोड़ रुपए है और जिसने जनता से, अधिकांशतः ग्रामीण गरीब लोगों से, 650 करोड़ से अधिक रुपए एकत्र किए हैं, और जो अब इस धनराशि का दुरुपयोग कर रही है, के मामले में गम्भीरतापूर्वक जांच कर रहे हैं। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया और कम्पनी कार्य विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री आर० वेंकटरमन ने भी इस कम्पनी की अनियमितताओं के विरुद्ध पत्र लिखा था।

अब तक आपको सम्माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के 14 मार्च, 1986 के निर्णय सम्बन्धी दुर्भाग्यपूर्ण समाचार विभिन्न समाचार-पत्रों के माध्यम से मिल गया होगा, जिसमें न्यायालय ने इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधिनियम, 1978 के उपबन्धों के अनुसरण में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस कम्पनी को अपना कारोबार बन्द करने की योजना और कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु दिए गए नोटिस के विरुद्ध इस कम्पनी द्वारा 1979 में प्राप्त स्थगन आदेश तथा अन्य अन्तरिम आदेशों को नामंजूर कर दिया है।

2 00 म० प०

मैं कहना चाहती हूं कि 200 लाख जमाकर्ताओं तथा 4000 कर्मचारियों, 4 लाख फील्ड कर्मचारियों तथा 2.65 लाख प्रमाण-पत्रधारियों के हितों के संरक्षण हेतु सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह इन बातों की ओर ध्यान दें। मैं जानती हूं कि यह मामला न्यायालय में निर्णयाधीन है और हमारी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन न्यायालय के फैसले के बाद हमारी सरकार को इस मामले में बहुत गम्भीरता से हस्तक्षेप करना चाहिए। मुझे मालूम है दूसरे पक्ष के कुछ सदस्य इस सम्बन्ध में राजनीतिक रूप से कुछ विवाद पैदा करने के कोशिश कर रहे हैं। वे राजनीतिक रूप से सारा श्रेय प्राप्त करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की कार्यवाही के कारण पीयरलैस कम्पनी में काम करने वाले लोग आज सड़कों पर हैं। इसका कारण है इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधिनियम का कार्यान्वयन। कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के कुछ सदस्य इस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण हेतु प्रधानमन्त्री को पत्र लिख रहे हैं और उनसे

मिलने भी जा रहे हैं। कुछ संसद सदस्य, विशेष रूप से श्री सोमनाथ चटर्जी, प्रबन्धकों के पक्ष की वकालत कर रहे हैं। यह सब कुछ धन के कारण हो रहा है। मैं यह कहना चाहूंगी कि यह हमारे हित में है और यह हमारा आश्वासन है। मैं इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगी क्योंकि इन लोगों का संरक्षण करना हमारा कर्त्तव्य है क्योंकि हमारे राज्य में बेरोजगारी काफी अधिक है। मैंने फील्ड कर्मचारियों को देखा है, उन्हें किस तरह संघर्ष करना पड़ता है, अब उन्हें यह सुअवसर मिला है। यदि यह अवसर उनके हाथ से निकल जाता है, तो वे मर जाएंगे और उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सरकार को इस पीयरलैस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। अन्यथा यदि सरकार बिना वर्तमान व्यवस्था के इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करती है तो ये फील्ड कर्मचारी स्थिति ज्यों कि त्यों रहेगी और अगर वे इसका राष्ट्रीयकरण वर्तमान व्यवस्था के अनुसार करते हैं, तो इससे फील्ड कर्मचारी तथा प्रमाणपत्रधारियों की मदद होगी। दूसरा कोई अन्य रास्ता नहीं है.........

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

कुमारी ममता बनर्जी : कृपया मुझे दो मिनट और बोलने दीजिए। यह एक बहुत गम्भीर मामला है......

सभापति महोदय : ठीक है, कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

कुमारी ममता बनर्जी : आप इसे जीवन बीमा निगम के साथ मिला सकते हैं ताकि वर्तमान व्यवस्था जारी रहे। यह मेरा सुझाव है।

मैं अपने राज्य में रुग्ण उद्योगों के बारे में एक शब्द कहना चाहती हूं। मैं केवल एक मामले का ही उल्लेख करूंगी। मैं बार-बार यह कह चुकी हूं और मैं प्रधानमन्त्री जी को भी मिल चुकी हूं। मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री जनार्दन पुजारी और श्री एन० डी० तिवारी से भी मिली हूं। यह एकक मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है। यह 5 वर्ष से भी अधिक समय से बन्द पड़ा हुआ है। यह स्टील एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड है जोकि एकमात्र ऐसी फर्म थी, जो हर प्रकार के 'कटर' औजार बनाया करती थी। इसमें तालाबन्दी घोषित की गई थी और परिणामस्वरूप यह 2 अप्रैल, 1980 से बन्द पड़ी है जिसके कारण लगभग 2000 परिवार अकथनीय संकट और भुखमरी का सामना कर रहे हैं। गत पांच वर्षों की अवधि के दौरान भुखमरी के कारण अनेक मजदूर मर गए हैं। मैं कई बार मुख्य मंत्री जी से मिली हूं। लेकिन ये लोग केन्द्रीय सरकार को दोषी ठहराते हैं। ये और कुछ नहीं करते हैं। अभी-अभी मैं इन लोगों का दर्द सुन रही थी। वे आज सुबह यूनियन कारबाइड पर बात कर रहे थे। हम भी इस सम्बन्ध में काफी चिन्तित हैं। बंगाल में कई कारखाने बन्द पड़े हैं। हम उन्हें फिर से खोलने की कोशिश करते हैं और मैंने उस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी से मिलने की कोशिश की थी। किन्तु वे इस बात को सुनने के बिलकुल भी इच्छुक नहीं हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा। मैं सरकार को बधाई देती हूं। हमारी सरकार सारे देश में ऋण मेले आयोजित करने में अत्यन्त रुचि दिखा रही है। मेरे राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, स्व-रोजगार कार्यक्रम आदि के लिए बैंकों से सभी सुविधाएं मिल रही हैं और हम अपने निर्वाचन-क्षेत्र में ऋण शिविर आयोजित करने जा रहे हैं। किन्तु कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को पत्र दिया है

कि ये ऋण शिविर न लगाए जाएं, उनका इरादा क्या है ? उन्हें गरीब लोगों का संरक्षण करना चाहिए। यदि वे कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के लोग नहीं हैं, तो उन्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिएं। आप यह देखेंगे कि ये ऋण मेले पश्चिम बंगाल में आयोजित हों और इन्हें बन्द न किया जाए। यदि इन्हें रोक दिया गया, तो इससे पश्चिम बंगाल के गरीब लोगों के हितों पर प्रभाव पड़ेगा। मैं एक और निवेदन करना चाहती हूं। कृपया स्व-रोजगार योजना के लिए कुछ और धन दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार स्व-रोजगार कार्यक्रम के लिए 25000 रुपए आबंटित किए गए हैं। किन्तु मैं समझती हूं यह धनराशि पर्याप्त नहीं है। कृपया इस धनराशि को 25000 रुपए से बढ़ाकर 50000 रुपए कर दीजिए। तब और अधिक बेरोजगार युवक आगे आएंगे और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : माननीय सभापति जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जो द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण को दो घन्टे में समाप्त किया था और देश के करीब करीब सब आस्पैक्ट्स पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी। मैं सारी बातों की चर्चा नहीं करूंगा। मेरा ज्यादातर क्षेत्र गांव से सम्बन्धित है इसलिए मैं उसके बारे में बहुत ही सूक्ष्म में अपने विचार इस सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा।

वित्त मंत्री जी ने गरीबी हटाओ प्रोग्राम के तहत पहले के मुकाबले में 50 परसैंट ज्यादा फंड एलोकेट किया है। हर साल 1851 करोड़ का आपका प्रावधान है, जब कि पिछले वर्ष 1239 करोड़ का प्रावधान पहले था, यह स्वागत-योग्य बात है।

गांव में गरीबी हटाने के लिए मुख्य मुद्दे हैं—कृषि सबसे प्रधान है, उसके बाद सिंचाई और उसके बाद वन। मैं सबके बारे में वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा।

हमारे देश में 142 मिलियन हैक्टर जमीन काश्त के काबिल आंकी गई है। उस जमीन में भी 85 मिलियन हैक्टर डी-ग्रेड जमीन है यानी मैजोरिटी जमीन की फर्टिलिटी कमजोर है, और उस को रेस्टोर करने के लिए काफी कोशिश करने की आवश्यकता है। मेरा ऐसा अनुमान और अनुभव है कि अभी तक गांवों में खेती की जमीन के लिए एंटी सायल-इरोजन वर्क बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और सरकार की जो लैंड यूज पालिसी है, वह भी कम-से-कम हमारे राज्य राजस्थान के बारे में मैं निवेदन कर सकता हूं कि वहां उसको प्रापर्ली फालो नहीं किया जाता है। ऐसी जमीन जिसको काश्त के काम में नहीं लिया जाना था, उसको भी एलाट किया गया है। जो कि ईरोडेड लैंड है, जो काश्त के काम की नहीं है, उस काश्त ने देने से कटाव पैदा किया जा रहा है। इस नीति की वजह से भूमि कटाव बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उनके हिसाब से जमीन के कटाव का जो सालाना अन्दाजा है वह 12 हजार मिलियन टन मिट्टी बह जाने का है इन टर्म्स आफ मनी अन्दाज से साढ़े 4 हजार करोड़ से साढ़े 7 हजार करोड़ का भाड़ा है। नुकसान हमारे इस सायल ईरोजन की वजह से मुल्क में हो रहा है। मेरा सोचना है कि जो जमीन हमें खेती के लिए उपलब्ध है, उसका उपयोग अच्छी तरह से होना चाहिए।

हमने खेती के क्षेत्र में काफी उन्नति की है, लेकिन फिर भी जो हमारी प्रोडक्शन है वह दूसरे देशों—चाइना, जापान और कोरिया के मुकाबले में बहुत कम है। उनके यहां 6 टन पर हैक्टर के हिसाब से पैदावार होती है जब कि हमारे यहां 1.7 टन पर-हैक्टर की पैदावार है। इसलिए हमारे यहां पैदावार बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। अभी हमारी पैदावार दूसरे देशों के मुकाबले में 1/3 भी नहीं है, इसलिए इसकी तरफ आप को ध्यान देना चाहिए और खेती की तरक्की के लिए और ज्यादा कोशिश करने की आवश्यकता है।

अब मैं वनों के फोरेस्टस के बारे में सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे राजस्थान में पहले से ही डैजर्ट बहुत ज्यादा है। जब रियासतों का मर्जर हुआ 1950-51 में, उस वक्त राजस्थान में 9.1 परसैंट एरिया में फोरेस्ट्स थे। जबकि नेशनल गाइड-लाइन के हिसाब से 33 परसेंट फारेस्ट होने चाहिए थे।

राजस्थान बनने के बाद और फारेस्ट का साइंटिफिक-वे में आर्गेनाइजेशन होने के बाद से उम्मीद की जाती थी कि राजस्थान में फारेस्ट का विकास साइंटिफिक रूप से होगा लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि 1950-51 में जो 31,150 स्क्वेअर किलोमीटर में जंगल थे, 21% भूमि पर वे 1972-73 में एरिया वही के रहते उस फारेस्ट कवर की दृष्टि से 11,294 स्क्वेअर किलोमीटर में रह गए जो कि टोटल एरिया का 3.3 परसेंट था। यही फारेस्ट 1980-82 में घटकर 5972 स्क्वेअर किलोमीटर में रह गए जो कि टोटल एरिया का 1.75 परसेंट है। जहां हमारे स्टेट में इस बात की आवश्यकता थी कि फारेस्ट का एरिया 33 परसेंट के करीब लाने की कोशिश होनी चाहिए वह 9.1 से घटकर आज 1.75 परसेंट रह गया है और इसमें भी दिनोंदिन कमी होती जा रही है। अगर आप गरीबी हटाओ का कार्यक्रम चलाना चाहते हैं तो जहां सबसे ज्यादा रोजगार मिल सकता है और जो फारेस्ट का क्षेत्र है। उसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है।

आज राजस्थान में जमीन की कमी नहीं है। वहां बहुत सा एरिया रबोन का है जिसमें आसानी से प्लांटेशन किया जा सकता है, लेकिन फारेस्ट डिपार्टमेंट इस विषय को गम्भीरता से नहीं ले रहा है। मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि आप इस बात के ऊपर गम्भीरता से ध्यान दें कि आपके ग्रामीण क्षेत्र के प्रोग्राम ठीक चलें। एलोकेशन तो बहुत हो गया है, लेकिन उस रुपए का अच्छी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। जिस काम के लिए रुपया एलाट किया जाता है, उस काम पर वह पैसा ठीक से नहीं लगाया जाता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बात की ओर ध्यान दें कि एलाट किया गया धन ठीक ढंग से काम आये।

अभी तक जो फारेस्ट की पालिसी चलायी जा रही है उसमें गांवों के लोगों का को-आपरेशन नहीं मिलता है क्योंकि ऐसी जगह फारेस्ट लगाए जा रहे हैं जिससे गांवों के लोगों को हरैसमेंट होती है। इसमें मेरा निवेदन है कि अगर गांवों के लोगों का को-आपरेशन लेकर फारेस्ट की पालिसी चलाई जाये तो हमारा बहुत सा पैसा बच सकता है। जो वायर फैनसिंग व एनक्लोजर पर खर्च हो रहा है। हमने यह देखा है कि अभी जो प्लांटेशन की पालिसी है, उसमें पर-हैक्टेयर करीब 800 रुपए से 1200 रुपए खर्च हो जाते हैं। यदि गांवों के लोगों का को-आपरेशन लेकर चलें तो फैनसिंग और एनक्लोजर पर खर्च होने वाला रुपया भी बचाया जा सकता है।

2 12 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

देश में सिंचाई के लिए काफी कुछ काम किया गया है, लेकिन अभी भी सिंचाई के क्षेत्र में काफी अधिक साधन बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे यहां जो इरिगेशन का टोटल पोटेंशल है उसमें से करीब 113 मिलियन हेक्टर में है जहां इरिगेशन किया जा सकता है परन्तु अभी तक हमारी उपलब्धि 68 मिलियन हेक्टर की हो पाई है और इसमें से भी 30.5 मिलियन हेक्टर मेजर और माइनर इरिगेशन के तहत क्रियेट हो पाया है। क्रियेटिड पोटेंशल में से 5.2 मिलियन हेक्टर में अभी पानी का उपयोग नहीं हो रहा है। यह आफिशियल इनएफिशेंसी की वजह से ही 5.2 मिलियन में अभी तक सिंचाई नहीं हो पायी है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जितना पाटेंशल बढ़ाने के लिय प्रावधान किया गया है, यह 502 MHC का रकबा उससे भी बड़ा रकबा है। यह सारा अनयुटिलाइज पाया गया है। तो यह डिपार्टमेंट की इनएफिश्येंसी के कारण है सरकार द्वारा फंड्स उपलब्ध कराने के बावजद भी और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी पोटेंशियल्स का उपयोग नहीं हुआ है। इस तरह से गरीबी नहीं मिटायी जा सकती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप के द्वारा जो एलाटमेंट किए जाते हैं उनके यूटिलाइजेशन व प्रापर यूज के ऊपर उनके सुपरविजन के ऊपर और ऐडमिनिस्ट्रेटिव एफिश्येंसी के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि आप इसको उपलब्ध करने क ऊपर देते हैं।

वाटर-लागिंग की समस्या है। इन पोटेंशियल्स से अगर वाटर का मैनेजमेंट ठीक होता तो यह समस्या नहीं होती। 6.8 मिलियन हेक्टेयर एरिया में याटर लागिंग है और इतना बड़ा एरिया है जितना एरिया आप लैंड रिफार्म्स के जरिए से सीलिंग कायम करके प्राप्त करेंगे उससे भी ढ़ाई गुना एरिया अधिक है जो वाटर लागिंग के कारण और मिसमैनेजमेंट के कारण खराब हो चुका है। जो एरिया खराब हो रहा है वह बेटर क्वालिटी की सोयल में हो रहा है, ऐसी एरिया में हो रहा है जहां कि पानी के साधन उपलब्ध हैं जिससे आप की पैदावार बहुत बढ़ सकती है। लेकिन उस एरिया को खराब हो जाने देने के लिए आप टालरेट करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ लैंड रिफार्म के नाम पर कृषकों को भूमि लेते जा रहे हैं। उस के लिए जितना एफर्ट आप कृषकों की भूमि प्राप्त करने पर कर रहे हैं उतना आप इम्पलीमेंटेशन पर करें तो मेरा निवेदन है कि उससे आप को ज्यादा लाभ मिल सकता है। इसलिए जो चीज आप की अवलेबल है उसका सुचारु रूप से उपयोग होना चाहिए। वाटर लागिंग, सोयल ईरोजन और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिश्येंसी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से पैदावार कम हो रही है। उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी तरफ से इन सब ऐस्पेक्ट्स पर, सिंचाई पर और विकास के दूसरे ऐस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान दिया है लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पार्टेंट बात है वह इम्पलीमेंटेशन और ऐडमिनिस्ट्रेटिव एफिश्येंसी की बात है। अगर उसकी तरफ भी उतना ही सीरियसली ध्यान देंगे जितना कि रुपया एलाट करने पर देते हैं तो आप के एलैकेशंस से पूरी तरह जनता को फायदा पहुंच सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको जो आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदार माननीय मन्त्री जी द्वारा रखे गए वित्त विधेयक का समर्थन करता हू। महोदय, बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के तत्काल बाद ही वित्त मन्त्री महोदय ने स्वयं देश में इधर-उधर जाकर उन लोगों को मिलने का कष्ट किया, जो इस

बजट से प्रभावित हुए थे। मैं उन्हें इस कार्य के लिए बधाई देता हूं जो उन्होंने किया है और उन्हें मिलने के तत्काल बाद जिसके लिए उन्होंने उपचारात्मक हल निकाले।

मुझे याद है जब माननीय वित्त मन्त्री महोदय बम्बई गए थे और बम्बई तथा महाराष्ट्र के आस-पास सैंकड़ों लघु उद्योगपतियों तथा उद्यमियों से मिले थे। उन्होंने अनुपयुक्त संशोधित मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली की शिकायत की—यह अब अनुपयुक्त नहीं है, पहले यह अनुपयुक्त थी, अब हर व्यक्ति संशोधित मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली की बात कर रहा है। मैं वित्त मन्त्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि यूरोप, जर्मनी और इंग्लैण्ड में मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली को कार्यान्वित करने में तीन वर्ष लगे और जब उनकी सरकार ने कर पर कर के बढ़ते हुए बोझ का प्रभाव महसूस किया। वास्तव में यह बहुत अच्छी बात है कि वित्त मन्त्री महोदय स्वयं यह प्रस्ताव लाए हैं।

प्रारम्भ में काफी कठिनाइयां थीं तथा मुझे खुशी है और मैं इन कठिनाइयों को सुलझाने के लिए तथा प्रस्तावों को सरल व कारगर बनाने के लिए वित्त मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हू। समूचे देश में वही व्यक्ति, जो कि संशोधित मूल्य वर्धित कर प्रणाली की शिकायत कर रहे थे, अब इसका स्वागत कर रहे हैं। मैं वित्त मन्त्री महोदय से केवल यही आग्रह करूंगा कि वह यह देखें कि केन्द्रीय मुख्यालयों तथा विभिन्न राज्यों एवं विभिन्न शहरों के बीच उचित समन्वय तथा सम्पर्क हो। कई बार ऐसा होता है कि केन्द्रीय स्तर पर पारित परिपत्र तथा घोषणाएं कार्यान्वयन स्तर पर समय पर नहीं पहुंच पाते। मैं आशा करता हू कि वे इस ओर ध्यान देंगे।

दूसरी बात, जो वित्त मन्त्री महोदय ने ठीक ही स्वीकार की है, वह 80 एम० प्रस्ताव को वापस लेना है। यह वास्तव में पूंजी निवेश तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया आदि जैसी बड़ी वित्तीय संस्थाओं के लिए लाभदायक होगा। हमने वित्त मन्त्री महोदय से मकान की खरीद पर आयकर की छूट की भी सिफारिश की थी—उसे वापिस ले लिया गया। मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मन्त्री महोदय ने इसी सभा में अपने अन्तरिम उत्तर में ऋण पर वसूल किए गए ब्याज की राशि पर छूट देना स्वीकार कर लिया है, लेकिन मेरा उनसे अनुरोध है कि 5000 रुपए की सीमा पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण इलाकों में तथा विशेषतः शहरी इलाकों में आप 5000 रुपए वार्षिक ब्याज पर जो लगभग 40,000 रुपए ऋण पर होगा, आवासीय मकान नहीं खरीद सकते। बम्बई में 40,000 रुपए से आप एक झोंपड़ी भी नहीं ले सकते। इसलिए 5,000 रुपए की सीमा पर्याप्त नहीं है। इस सीमा को 10,000 रुपए या 15,000 रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि शहरों में गृह-निर्माण की लागत बढ़ती जा रही है। हमें शहरों में गृह-निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए।

महोदय, हम बहुधा योजना के लिए साधनों की बात करते हैं तथा वित्त मंत्री महोदय ने इस विषय पर अलग से विचार किया है। हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 1,80,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है जिसको जुटाना मुश्किल होगा। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आज राष्ट्रीय बचत दर सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 23 प्रतिशत है, जो प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए से अधिक बैठती है। बैंक केवल 18,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं तथा 3,000 करोड़ रुपए शेयर तथा डिबेन्चरों से प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे देश में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत अभी तक अप्रयुक्त पड़ी हुई है। इसमें से लगभग 48 प्रतिशत हमारे ग्रामीण इलाकों में है। सरकार को इस बचत का उत्पादक प्रयोजनों के लिए अत्यधिक कारगर ढंग से उपयोग करने के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शेयर तथा

डिबेन्चर में पूंजी लगाने की अनुमति दी जाए तथा दोहरे कराधान—एक बार स्रोत पर तथा दूसरी बार उस व्यक्ति पर जो शेयर और डिबेन्चर में पूंजी लगाता है—के बजाय केवल स्रोत पर आयकर लगना चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जब मैं अमरीका गया था, तो मैंने इसके बारे में पूछताछ की थी। अमरीकी कानून के अन्तर्गत भी लाभांश प्राप्तकर्ता के पूरे लाभांश पर आयकर लगाया जाता है।

श्री मुरली देवरा : महोदय, हमारे देश में कुल जनसंख्या की एक प्रतिशत जनता भी आयकर नहीं देती। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता कर देने को तैयार है लेकिन वह कराधान के जाल के अन्तर्गत नहीं आना चाहती। उनके लिए लेखा-जोखा रखना बड़ा कठिन है। चूंकि 48 प्रतिशत राष्ट्रीय बचत, ग्रामीण क्षेत्रों में है इसलिए यह बहुत अच्छी बात होगी यदि आप दोहरे कराधान को हटाकर आय स्रोत पर कर लगा कर इसे बढ़ाएं।

महोदय, दीर्घकालीन वित्तीय नीति की घोषणा करते समय आपने परियोजनाओं हेतु आयात पर आयात शुल्क में कटौती की घोषणा की थी। यह नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। कई लघु उद्योगों ने आपसे शिकायत की थी कि आपने गत वर्ष जो कटौती की थी, वह इस वर्ष पुन: बढ़ा दी गई है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने 20 प्रतिशत की कटौती की थी तथा 10 प्रतिशत की वृद्धि की है। स्वदेशी पूंजीगत माल उद्योगों को नुकसान हो रहा था। इसलिए मैंने इसे 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत किया है।

श्री मुरली देवरा : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप पूरी छूट दे दें बल्कि मैं परियोजनाओं हेतु उस आयात की बात कर रहा हूं जिन्हें पहले ही तकनीकी विकास महानिदेशालय ने जांच के बाद मंजूरी दे दी है। हमें अपने स्वदेशी पूंजीगत माल उद्योगों को संरक्षण देना चाहिए लेकिन जिन उद्योगों को स्वदेशी दृष्टिकोण से तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा पहले ही मंजूरी मिल चुकी है उनसे भी उसी दर से आयात शुल्क लिया जाना चाहिए। महोदय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए का 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक अवमूल्यन हो गया है और प्रत्यय-पत्र धारी व्यक्तियों को जापान तथा जर्मनी से आयात करने में 25 प्रतिशत की हानि उठानी पड़ेगी। यह अमरीकी शेयर के मुताबिक अधिक नहीं है, लेकिन जहां तक पौण्ड स्टरलिंग, जर्मन मार्क आदि का सम्बन्ध है, उन्हें अधिक शुल्क देना पड़ेगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इससे हमारे स्वदेशी उद्योगों को लाभ होगा।

श्री मुरली देवरा : लेकिन उन व्यक्तियों को, जो पहले वर्ष के आपके बजट प्रस्तावों के बाद सौदे कर चुके हैं, उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि आप आयात शुल्क में यह वृद्धि रखना चाहते हैं, तो उन उद्योगों को रियायत दी जानी चाहिए जो प्रत्यय पत्र ले चुके हैं तथा कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किए जाने ऐसे व्यक्तियों के कारण नहीं होनी चाहिए, जो पूर्व व्यवस्था के अनुसार सौदे कर चुके हैं। कर की दर को कम करने तथा कर संचय को बढ़ाने के लिए आप सभा के प्रत्येक सदस्य के धन्यवाद के पात्र हैं। 60 प्रतिशत से अधिक पूंजी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए मुहैया की गई है। लेकिन मैं सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश के इतिहास से श्री सिंह ही एक पात्र वित्त मन्त्री हैं जिन्होंने शहरों में रहने वाले गरीबों के बारे में सोचा। हमारे

पास समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इत्यादि कार्यक्रम हैं। ये सभी बड़े कार्यक्रम ग्रामीण गरीब जनता के लिए हैं। लेकिन शहरी गरीब जनता के लिए शायद ही कोई कार्यक्रम ही कुल जनसंख्या का एक चौथाई अर्थात् लगभग 17.5 करोड़ लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। 12 शहर ऐसे हैं, जिनमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या रहती है तथा इस शताब्दी के अन्त तक हमारे देश में एक तिहाई जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी। अब गरीबों के लिए आपके कार्यक्रमों के सम्बन्ध में, मैं यह नहीं कहता कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं होने चाहिएं लेकिन साथ ही जब कोई व्यक्ति बम्बई शहर से एक मील दूर रहता है तो उसे इन कार्यक्रमों के लाभ सुलभ होते हैं लेकिन ज्यों ही वह शहर में आकर बस जाता है तो उसे शहरी अमीर समझा जाता है और उसे ये फायदे सुलभ नहीं होते। महोदय जब वह वहां आकर बसता है, तो उसका प्रवास शहरी क्षेत्रों के लिए समस्या पैदा कर देता है। मैं शहरी गरीबों की स्थिति को समझने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। यह पहली बार हुआ है कि जब माननीय वित्त मन्त्री ने रिक्शा चालकों, मोचियों इत्यादि को सहायता देकर एक कार्यक्रम की शुरूआत की है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। इन शहरी गरीबों के लिए बहुत कुछ किया जाना है। शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए रोजगार की गारन्टी क्यों नहीं दी जाए? शहरी गरीबों के लिए कई और कार्यक्रम होने चाहिएं।

महोदय, केन्द्रीय योजना के वित्त पोषण के लिए वर्ष 1985-86 में बजट प्रावधान का 66 प्रतिशत दिया गया तथा 34 प्रतिशत व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के स्रोतों से की गई। लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना में बजट सहायता का 47 प्रतिशत तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के स्रोतों का 53 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। मैं वित्त मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे इतने ही पैर पसारें जितनी कि हम व्यवस्था कर सकें क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो कुछ अनुमान लगाया गया है वह साकार नहीं हो पाएगा। महोदय हमारी अर्थव्यवस्था या हमारे देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास केवल 5 प्रतिशत विदेशी सहायता पर निर्भर है। लेकिन 1981 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के ऋणों या उदार शर्तों वाले ऋणों में हमारा हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत का और 1985 में यह घटकर 22 प्रतिशत रह गया है और अमरीका, सऊदी अरब आदि बड़े-बड़े ऋण देने वाले देश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के कोष में अपना योगदान नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा निर्यात बढ़े, हमारी ऋण सेवा अनुपात में कमी आए तथा यदि हम पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं कर पाए तो हमारी अर्थव्यवस्था को काफी हानि उठानी पड़ेगी। धन्यवाद।

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको तथा संसदीय कार्य मन्त्री महोदय को मुझे वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। कुछ चुने हुए मन्त्रालयों की बजट मांगों पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श होने के बाद हमने इस वित्त विधेयक को इस सभा में विचार-विमर्श के लिए लिया है लेकिन दुर्भाग्यवश हम मानव संसाधन विकास मन्त्रालय सहित 16 मन्त्रालयों की मांगों पर अधिक चर्चा नहीं कर सके। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय महत्वपूर्ण मन्त्रालयों में से एक है और पहली बार मानव संसाधन विकास के लिए एक अलग मन्त्रालय बनाया गया है। यह सम्माननीय सभा वित्त विधेयक पारित करने के अलावा लगभग सभी वित्तीय कार्य निपटा चुकी है। इसके पारित होने पर हमारे संविधान तथा नियमों की अपेक्षा के अनुसार बजट प्रस्ताव प्रभावी होंगे। मैं वित्त मन्त्री महोदय को हमारे सम्मुख रखे गए बजट प्रस्तावों तथा अन्य प्रस्तावों के प्रति उनके द्वारा अति साहसिक,

व्यवहारिक तथा आशावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रशंसा करता हूं जोकि भारतीय वित्तीय व्यवस्था को स्वस्थ व स्थिर बनाती है, जो प्रगति तथा आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। शायद गत वर्ष उनके द्वारा अपनायी गई कराधान की प्रोत्साहन प्रणाली के उपायों से उनका हौंसला बढ़ा है जिसके अन्तर्गत आर्थिक विकास के साथ-साथ कराधान का आधार भी व्यापक हुआ है। वित्तीय बुद्धिमानी उत्पादन, बचत एवं निवेश को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने में है और इसके प्रभावशाली परिणाम सामने आए हैं, कम्पनी करों से प्राप्त कुल राशि में 23 प्रतिशत वृद्धि हुई है, सीमा-शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क से 22 प्रतिशत अतिरिक्त आय हुई है तथा कुल मिलाकर केन्द्रीय सरकार के कुल राजस्व में 22.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राजकोष में वृद्धि के साथ-साथ इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है।

गत वर्ष के बजट के अलावा इसके अन्य परिणाम भी सामने आए हैं। इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, कृषि उत्पादन में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि हुई तथा सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 4.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्षों में यह वृद्धि 3.7 प्रतिशत हुई थी। और वास्तव में यह मुद्रास्फीति की निम्नतम दर है। तकदीर बहादुरों का ही साथ देती है का मुहावरा इस मामले से अधिक सत्य सिद्ध होता है।

इस वर्ष भी वर्ष 1986-87 के वार्षिक बजट में वित्त मन्त्री ने संसाधनों की कमी के बावजूद कुल योजना आबंटन में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है परन्तु इससे घाटे में काफी कमी हुई है। गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लिए परिव्यय में 65 प्रतिशत की वृद्धि की गई है; ऐसा ही कोयला, विद्युत, रेलवे, पेट्रोलियम, जैसे मूलभूत ढांचे, संचार के जोकि प्रमुख विषय है आधुनिकीकरण और क्षमता में वृद्धि के लिए आबंटन में वृद्धि की गई है।

गरीबी निवारण के सरकार के इस समाजवादी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लिए परिव्यय में की गई 65 प्रतिशत की यह वृद्धि उन कमजोर वर्गों के लिए स्वागत योग्य है जो आधे पेट और साधनहीन हैं और जो जिनके पास खाने को पर्याप्त नहीं है अथवा उनकी पहुंच से बाहर है। अतः, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी एजेन्सियों के 2000 ई० तक सभी के लिए स्वास्थ्य जैसे लुभावने नारे और अन्य बातें उनके लिए बहुत दूर की बात अथवा स्वप्न सिद्ध होंगी जब तक हम उनके लिए कुछ न करें।

लघु उद्योगों के लिए उत्पादन-शुल्क में छूट, खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन और पूंजीगत उद्योग को भारी सहायता देना न केवल विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लाभदायक होगा वरन् उससे देशी तेल उत्पादन के इन क्षेत्रों में आत्म-निर्भरता में वृद्धि होगी। इस संदर्भ में, देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शुष्क भूमि खेती के विस्तार, तिलहनों के साथ-साथ दालों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने का कृषि मन्त्रालय का प्रस्ताव अत्यधिक प्रशंसनीय है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अधिक भाग दिए जाने, राज्यों को संसाधनों के अन्तरण में अत्यधिक वृद्धि, लघु बचत को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना, केन्द्रीय योजना सहायता में 38 प्रतिशत वृद्धि और सूखा एवं बाढ़ राहत को 772 करोड़ रुपए करना एक और स्वागत योग्य बात है।

मैं एक ऐसे राज्य से हूं जो पिछले दो दशकों से सूखा, बाढ़ और तूफान से ग्रस्त है और यह तीनों प्राकृतिक विपदाएं या तो एक साथ अथवा एक के बाद एक करके लगातार रहीं हैं। विशेषकर,

हमारा राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें 41 प्रतिशत से अधिक लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं और लगभग 70 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यह राज्य खनिज, वन और जल सम्पदा के मामले अत्यधिक समृद्ध हैं जोकि एक विरोधाभास है और उसका हमें अभी भी पूर्ण उपयोग करना है।

772 करोड़ रुपयों के बारे में जोकि सूखा और बाढ़ राहत के रूप में दिए गए हैं, मैं कुछ उल्लेख करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि प्रधानमन्त्री ने कुछ सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते समय यह उल्लेख किया था कि प्राकृतिक विपदाओं के निपटने के लिए एक हजार करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक व्यय किया जाता है और कमोबेस यह योजना परिव्यय नहीं है। न तो इससे अर्थव्यवस्था को कोई लाभ पहुंचता है और न ही इससे कोई स्थायी परिसम्पत्ति अर्जित होती है। यह एक ऐसी बात है जिस पर हमें सम्पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा क्योंकि केवल राहत और सहायता दे देने से राज्य अथवा लोगों अथवा देश को कोई सहायता नहीं पहुंचती है।

हमें यह जानकर प्रसन्नता है कि गरीबी-निवारक उपायों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए दी जाने वाली सहायता को 230 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 443 करोड़ रुपए किया गया है। यह वृद्धि लगभग 93 प्रतिशत है जिससे 30 करोड़ मानव दिवसों का सृजन होगा। इसी तरह ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम से 26.40 करोड़ मानव दिवसों का सृजन होगा और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए दी जाने वाली सहायता को भी 283 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कर 483 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पिछड़े समुदायों के लिए आवास, ग्रामीण पेयजल योजनाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए योजनाएं, रिक्शा चलाने वालों, मोचियों, सफाई कर्मचारियों, कुलियों और शहरी कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई यह सभी योजनाएं प्रशंसनीय हैं जिनके लिए मैं वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं।

मैं वित्त मन्त्री को विशेष रूप से बधाई देता हूं क्योंकि पिछले वर्ष 19 नवम्बर को इसी सदन में वह कुछ कमजोर वर्गों के लिए हमारे किसानों और वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और बेहतर कार्य निष्पत्ति और कृषि को लगातार बढ़ावा देने की सरकार को नीति का भी लाभ उठाते हुए, खाद्यान्नों के लिए राजसहायता देने सम्बन्धी योजना लाए थे ताकि खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भरता और पर्याप्तता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। फालतू खाद्यान्नों का उपयोग साधन और सुविधाविहीन और बेरोजगार आदिवासियों के साथ-साथ गैर-आदिवासियों के लिए समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं, एम० ए० डी० ए० परियोजनाओं आदि के माध्यम से होना चाहिए। यह भयंकर रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी प्रारम्भ की जा रही है। इसका लाभ उन्हें उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इससे उनके पोषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी पहलुओं में भी सुधार होगा जिससे स्वास्थ्य मन्त्रालय भी लाभान्वित होगा जोकि '2000 ई० तक सभी के लिए स्वास्थ्य' के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। परन्तु जब तक हमारी जनता को उचित पोषक आहार प्राप्त नहीं होगा यह केवल एक आदर्श उद्देश्य ही रहेगा।

कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में भी व्यय की मात्रा को 2207 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2838 करोड़ तक किया गया है, जोकि लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि है। प्राथमिक तौर पर यह असन्तुलित विकास के क्षेत्रों, विशेषकर हरित क्रान्ति वाले क्षेत्रों के लिए है।

यदि मैं यह उल्लेख न करूं कि मेरे राज्य उड़ीसा को प्रारम्भिक स्तरों पर धन की कमी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा है तो मैं अपने कर्त्तव्य में असफल रहूंगा। क्षेत्रीय असन्तुलन अथवा असन्तुलित विकास, जैसा कि उल्लेख किया गया है, हमारे राज्य में एक वास्तविक तथ्य है। छठी योजनावधि में दी गई वृहद केन्द्रीय सहायता के कारण ही उड़ीसा ने काफी अच्छा काम किया है और वास्तव में इसने 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की है जोकि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। हम अन्तर को कम करने, क्षेत्रीय विसंगतियों को दूर करने, क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने और उड़ीसा को राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। चाहे वह सिंचाई का क्षेत्र हो, जोकि 60 प्रतिशत के अखिल भारतीय स्तर की तुलना में केवल 26 प्रतिशत है, हमें केन्द्रीय सरकार और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से जोकि राज्य सरकारों की सहायता करने की इच्छुक हैं भारी सहायता की आवश्यकता है। भारत सरकार को यथार्थवादी रुख अपनाना चाहिए और इन एजेन्सियों को सहायता देने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए चाहे वह सिंचाई परियोजना अथवा विद्युत परियोजना अथवा दक्षिण कोरिया की ट्यूनदई परियोजना जैसी कोई समेकित परियोजना हो जोकि पारादीप पत्तन के माध्यम से लौह अयस्क के निर्यात के लिए खनिज और धातु व्यापार निगम की योजनाओं पर विचार करती है, पारादीप पत्तन को गहरा करने कार्य हो और दैतारी खानों और बांसपाणी क्षेत्र के मध्य रूप से कायम करना हो जिसमें दैतारी से जगपुरा तक केवल 33 किलोमीटर लाइन ही पूरी हो पाई है।

महोदय, रक्षा मन्त्रालय के परिव्यय में भी वृद्धि करके उसे 8728 करोड़ रुपये किया गया है। इसके लिए मैं प्रधानमन्त्री के साथ-साथ रक्षा अनुसन्धान के युवा मन्त्री दोनों को बधाई देता हूं। वास्तव में उन दोनों ने चर्चा के दौरान उत्तर देते हुए बहुत सटीक बातें कहीं क्योंकि कई वर्षों से हम तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय, बेहतर सम्पर्क के बारे में निरन्तर यही कह रहे थे और उसी के साथ-साथ रक्षा योजना आर्थिक विकास के अनुरूप होनी चाहिए ताकि यह आर्थिक विकास का अभिन्न भाग बन सके क्योंकि इसमें कई मामले हैं, कई सिविलियन मामले हैं और रक्षा व्यय के कारण अनेक लाभ होते हैं। कोलम्बिया विश्वविद्यालय के एक अमरीकी प्रोफेसर, प्रो० एमिल बेनोड ने भारत सहित विश्व के 55 विकासशील देशों का अध्ययन किया है जिसमें यह निष्कर्ष निकाला है कि रक्षा व्यय का देश के आर्थिक विकास पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है।

जहां तक भारत की स्थिति का सम्बन्ध है इससे न केवल प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ता है, आधुनिकीकरण होता है वरन् तथ्य यह है कि रक्षा सेनाओं से 32 से 42 वर्ष की आयु में 70,000 ऐसे लोग सेवानिवृत्त होते हैं जो प्रशिक्षित, अत्यधिक अनुशासित और अनन्य देशभक्त होते हैं। देश अभी तक उनका लाभ राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं उठा पाया है। ये देशभक्त और समर्पित लोग अपना प्रबन्ध अपने आप करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अतः यह एक सन्तोषजनक बात है कि भूतपूर्व सैनिकों के सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय समिति की 68 सिफारिशों में से सरकार—रक्षा मन्त्रालय ने स्वीकार कर ली हैं और अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं। इस पर मैं उन्हें पुनः बधाई देता हूं। मैं रक्षा मन्त्री को पुनः बधाई देता हूं कि उन्होंने पेंशनरों को शामिल करने के लिए चतुर्थ वेतन आयोग के निदेश पदों में परिवर्तनों को शीघ्र मान लिया। यह एक काफी पुरानी मांग थी और एक उचित मांग है कि समान पद के लिए समान पेंशन होनी चाहिए। जब चतुर्थ वेतन आयोग अपनी सिफारिशें दें तो उसमें इसे मान लिया जाना चाहिए।

मैं प्रधानमन्त्री और रक्षा मन्त्री को थल सेना के टेलीकॉप्टर विंग सम्बन्ध लम्बे समय से

लम्बित पड़े प्रश्न को हल करने के लिए बधाई देता हूं, वास्तव में यह आर्मी एविएशन कोर के रूप में प्रारम्भ हुआ था। जैसाकि आपको मालूम है कि वायुसेना आर्मी एविएशन कोर के पृथक हैं और रक्षा के मामले पर चर्चा के समय प्रधानमन्त्री ने थल सेना के लिए हेलीकॉप्टर विंग के गठन की घोषणा की थी और इससे हमें गति मिलेगी, अधिक मारक शक्ति और हमारी यांत्रिक रेजीमेंटों के साथ-साथ सैन्य ठिकानों को गति प्राप्त होगी। इससे निश्चित रूप से मारक शक्ति में वृद्धि होगी और हमारी सशस्त्र सेनाओं की प्रभावोत्पादकता बढ़ेगी।

इस सम्बन्ध में मैं पुनः यह उल्लेख करूंगा कि सशस्त्र सेनाओं का हौसला इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने भूतपूर्व सैनिकों की देखभाल कैसे करते हैं, और यह प्रत्यय रूप से तथा आनुपातिक रूप से सम्बद्ध है। अतः दुबारा अवसर प्राप्त करने अथवा 70,000 प्रशिक्षित, अनुशासित, शिक्षित और कुशल तथा आधुनिक औद्योगिकी में प्रशिक्षित लोगों को बाद में फिर कहीं शामिल करने जैसी कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशें हैं।

आज, इन्फेंट्री का एक सिपाही लाखों रुपए के उपकरण का उपयोग करता है। एक भूतपूर्व सैनिक को चौकीदारी के रूप में समझने के दिन अब चले गए हैं। आज इन्फेंट्री का एक सिपाही औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आई० टी० आई०) से प्रशिक्षण प्राप्त अथवा अन्य ऐसे किसी तकनीकी संस्थान के विद्यार्थी से बेहतर अथवा उसके समान होता है। अतः, ऐसे प्रयत्न करने चाहिए कि हम इन 70,000 भूतपूर्व सैनिकों को, जोकि सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त होते हैं, सरकारी सेवाओं चाहे वे अर्ध सैनिक बल हों अथवा बैंक हों या रक्षा सहित अन्य सिविल मन्त्रालय हों, खपाना चाहिए।

वास्तव में, हमारे उप राष्ट्रपति ने जब वह रक्षा मन्त्री के यह आदेश दिए थे कि हमें भूतपूर्व सैनिकों को रक्षा उत्पादन और रक्षा मन्त्रालय में नियोजित करना चाहिए।

दूसरे, उनकी सेवा की शर्तों के बारे में। एक सेवा है "कलर सर्विस"। मुझे पता लगा है कि इसके लिए एक समिति है जिसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि रक्षा कर्मचारियों की "कलर सर्विस" कम की जानी चाहिए, जैसाकि वह 1974 के पहले थी। इसके अन्तर्गत लगभग 7 वर्ष की "कलर सर्विस" के बाद वे आयु बार और शारीरिक रूप से दूसरी जीविका प्राप्त करने हेतु उपयुक्त हो जाएंगे। इससे आपको पेंशन सम्बन्धी लाभों, उपदान और अन्य देयताओं को, जिसे राज्य सरकार द्वारा व्यय करना होता है, बचाने में सहायता मिलेगी। भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास का प्रश्न भी है, जो मुख्यतः राज्य सरकारों का कार्य है।

एक जनवाणी कार्यक्रम में रक्षा विभाग के युवा राज्य मन्त्री, श्री अरुण सिंह ने राष्ट्रीय सेवा का उल्लेख किया था। मुझे याद है, बहुत समय पहले वर्ष 1972 में मैंने सभी सक्षम लोगों के लिए अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण आरम्भ करने के लिए एक संविधान (संशोधन विधेयक) प्रस्तुत किया था। वस्तुतः, मैं चाहता था कि हमारी बालिकाओं को भी सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अन्ततोगत्वा वर्ष 1982 में मेरे विधेयक को "क" श्रेणी प्राप्त हुई थी। परन्तु दुर्भाग्यवश, मुझे मन्त्रिमण्डल में शामिल कर लिया गया और मेरा विधेयक पारित न हो सका। मुझे बताया गया कि एक विधेयक आ रहा है। और मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर अपनी उचित राय दे और वे इस पर गहराई से विचार करें और यह सुनिश्चित करे कि सभी को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाए और चाहे आरम्भ में उन्हें प्रादेशिक सेना के रूप में प्रशिक्षण दिया जाए। बाद में इसका विस्तार किया

जा सकता है। इससे हमारी युवा शक्ति के अनुशासन, चरित्र और रक्षा सम्बन्धी जागृति पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा और हमारी युवा शक्ति में देश भक्ति की भावना पैदा होगी और हमारे देश की एकता और अखण्डता को बल मिलेगा, जिस पर हमारे प्रधान मन्त्री हमेशा जोर दे रहे हैं। वस्तुतः, सशस्त्र बल राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए गढ़ के सदृश्य हैं। वे राष्ट्रीय अखण्डता की उज्ज्वल मिसाल हैं। अतः हमारे युवा वर्ग को सोवियत संघ, जर्मनी, अमरीका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और स्वीडन की तरह इस सेवा का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वस्तुतः, इजराइल में समूचे राष्ट्र में प्रादेशिक सेना गठित है। उन्हें राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। स्विटजरलैण्ड की स्थिति भी ऐसी ही है। वस्तुतः स्विटजरलैंड के प्रधानमन्त्री को, जब वे सैनिक प्रशिक्षण लेने जा रहे थे, रोका गया था। उन देशों में सभी नागरिकों के लिए सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। अतः यह एक पहलू है, मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और इसे तेजी से कार्यान्वित भी करे।

दूसरा, इकोलोजिस्ट बटेलियन है जिसे वर्ष 1983-84 में आरम्भ किया गया था। इसे हमरी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आरम्भ किया था। वस्तुतः, इने स्थानों के 100 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक ···(व्यवधान)। विश्व में यह पहला पारिस्थितिकी (इकोलोजिकल) कृतिक बल है। और इसे शाहजहांपुर, देहरादून में आरम्भ किया गया था और दूसरी कृतिक बल राजस्थान नहर के आस पास राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में सराहनीय सेवा कर रहा है। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार इस पहलू पर विचार करे और सुनिश्चित करे कि शिवालिक हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में एक एक पारिस्थिति की वाहिनी (बटेलियन) का गठन करने की योजना बनायी जाए। महाराष्ट्र, गोवा, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और उड़ीसा सरकार से भी इसी तरह के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए और इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

आधारभूत सुविधाओं के बारे में चर्चा करते हुए, मैं इसके दो या तीन पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। (एक) बिजली का प्रश्न। इस समय उड़ीसा बिजली के संकट का सामना कर रहा है। हम गत बीस वर्षों से अन्य प्रकार के सूखों से गुजरे हैं। परन्तु उड़ीसा के लिए बिजली का संकट बिल्कुल नई बात है। हमारे राज्य में बिजली का आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता था। हम करीब करीब 1980 तक बंगाल और अन्य राज्यों को बिजली देते रहे थे। उड़ीसा में द्रुत औद्योगीकरण और औद्योगिक वातावरण तथा तालचेर के ताप बिजली केन्द्र के डिजाइन में कुछ त्रुटियां रहने के कारण, हमें लगभग 400 किलोवाट बिजली की कमी हो जानी है, क्योंकि तालचेर ही उड़ीसा का एक मात्र सुपर ताप बिजली संयंत्र है और शेष सभी पन बिजली संयंत्र है। तालचेर सुपर ताप बिजली संयंत्र में 39,000 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है। यह उन छः संयंत्रों में से एक हैं जिसे छटी पंचवर्षी योजना के लिए स्वीकृत किया गया था परन्तु छटी योजना की सूची से इसे विचित्र रूप से निकाल दिया गया। आज हमें इस बात का विश्वास नहीं है कि यह आठवीं योजना तक पूरा हो जाएगा इस तालचेर सुपर ताप बिजली संयंत्र से बिजली का संकट काफी मात्रा में दूर हो जाएगा क्योंकि इसमें 3-4 वर्ष लग जायेंगे और सातवीं योजना के अन्त तक तालचेर और 'इब' घाटी का निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए। 'इब' घाटी भी 57,000 मिलियन टन कोयले के भण्डार के ऊपर बनाई गई परियोजना है जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है और वहां पर 4 × 210 है अर्थात 840 बिजली संयंत्र हैं जब तालचेर में 1000 किलोवाट बिजली पैदा होगी। सिद्धान्त रूप से माना जा रहा है कि एक परियोजना का निर्माण राष्ट्रीय ताप बिजली निगम करेगा और दूसरी का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अब राज्य सरकार के पास 1,600 करोड़ रुपए से अपनी सिंचाई

परियोजना को भी पूरा करने के लिए धन की कमी है। सूखे, बाढ़ और तूफान से बुरी तरह प्रभावित होने तथा इसकी आबादी के बहुत बड़े भाग के निर्धनता रेखा के नीचे रहने और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध होने के कारण इसका संसाधन जुटाने का आधार बहुत ही छोटा है। अत:, यदि केन्द्रीय सरकार इन दोनों परियोजनाओं के लिए भारी धन राशि नहीं देगी, तो उड़ीसा न केवल पिछड़ जाएगा, अपितु वहां क्षेत्रीय असंतुलन और क्षेत्रीय असमानता पुनः उत्पन्न हो जाएगी, जिसे दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार वचनबद्ध है।

अन्य महत्वपूर्ण मद, जिसका उल्लेख मैंने पहले कर रखा है, हियून्दाई है और यह समेकित परियोजना है। वित्त मंत्री ने, जब वे वाणिज्य मंत्री थे, और जब खनिज और धातु व्यापार निगम अयस्कों का निर्यात नहीं कर पा रहा था, सरकार उड़ीसा की सहायता की थी। आज दक्षिण कोरिया और जापान उड़ीसा से लौह अयस्क लेने के इच्छुक हैं। इतना ही नहीं, इससे न केवल दैतारी और कासपानी के बीच का सम्पर्क अपितु पारादीप का विकास भी सम्बन्धित है। जैसा कि खनिज और धातु व्यापार निगम ने उल्लेख किया है, लौह अयस्क का निर्यात 2 मिलियन टन से बढ़ कर 6 मिलियन टन हो गया लेकिन इससे इन दोनों क्षेत्रों के बीच की दूरी 330 किलो मीटर कम हो जायेगी। आज लौह अयस्क उड़ीसा से बिहार, पश्चिम बंगाल होकर 630 किलो मीटर जाता है, फिर लौटकर उड़ीसा आता है और परादीप में पहुंचता है। पारादीप बन्दरगाह की पृष्ठ भूमि के अन्तर्गत मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा आते हैं जिन्हें 300 किलो मीटर की दूरी पर बन्दरगाह की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इससे केन्दुझर, मयूरभंज और मिदनापुर जिलों के 30,000 आदिवासियों का जीवन यापन होगा और हमें भारी मात्रा में महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा मिलेगी। मैं इस बारे में विस्तृत विवरण देकर सभा का समय नहीं लूंगा।

सरकार का उद्देश्य और योजना की प्रक्रिया तब ही सफल होगी, यदि इन सराहनीय विचारों पर उचित निगरानी रखी जाती है और इन्हें यथार्थ रूप से कार्यान्वित किया जाता है। इस सम्बन्ध में सिविल कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार के स्तर से राज्य सरकार के स्तर तक पुन: प्रशिक्षण और पुन: प्रबोधन की व्यवस्था करने के लिए मैं कार्मिक विभाग को बधाई देता हूं। फिर भी, जिला स्तर पर विशेषकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि खाद्यानों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के उपभोक्ताओं तक पहुंचने का यही मुख्य उपाय है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकारों और केन्द्रीय सरकार, दोनों के सहयोग से इसे किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : हमारे वित्त मन्त्री अच्छे आदमी हैं। वे विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। परन्तु मुझे डर है कि उनके प्रताप से हमारे देश की समूची अर्थव्यवस्था संचालित नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं एक एक करके कुछ बातें बताऊंगा और उन्हें पता होना चाहिए कि ये कुछ ऐसी कठिन बातें हैं जिनसे उन्हें हर समय निबटना है।

आप विदेशी ऋण आमन्त्रित कर रहे हैं। इसमें दूसरे देशों का कुछ अपना स्वार्थ है। उनकी राजनैतिक स्वार्थ है। जब आप विदेशी ऋण लेते हैं अथवा बहु राष्ट्रीय कम्पनियों को आमन्त्रित करते हैं, तो आपको किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को इस देश की सहायता करने के लिए बुलाने से पहले दो बार सोचना चाहिए।

हमारे देश में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। अतः जो कुछ विकास हम कर रहे हैं, वह भ्रष्टाचार के कारण समाप्त हो जाता है। सरकार की सभी शक्तियों का उपयोग इस देश से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए किया जाए। यदि आप भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं करते, तो इस देश में कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह लाभोन्मुख समाज है। इसके परिणामस्वरूप गरीब और गरीब होता जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषित होता जा रहा है।

यदि आप भूमि सुधार का कार्य शीघ्र करने को तैयार नहीं हैं तो, इससे हमारे देश और हमारी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा।

आप अधिक से अधिक अप्रत्यक्ष कर लगा रहे हैं और आपने इसमें 60 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसका अभिप्राय है कि निरीह गरीब लोगों पर अप्रत्यक्ष कर का भार डाला जाता है। इससे मध्यम वर्ग अथवा व्यापारी वर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि सभी अप्रत्यक्ष करों का भार उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता है और इन्हें यह सहन करना पड़ता है।

विश्व बाजार में हमारे व्यापार में दिन प्रति दिन असमानता बढ़ती जा रही है। हमारे पास जो कुछ तैयार माल है, उसे हम विदेशों में नहीं बेच सकते। यदि हम विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं करेंगे, तो हम इस देश को कैसे चलाएंगे ? अतः व्यापार में इस खतरनाक घाटे को किसी न किसी तरह पूरा किया जाना चाहिए।

रुग्ण उद्योगों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। यदि आप एक नया यूनिट खोलते हैं, तो तीन या चार यूनिट रुग्ण हो जाते हैं। क्या कारण है कि बड़ी संख्या में बड़े और छोटे उद्योग रुग्ण हो जाते हैं ? उद्योगों को रुग्ण करने और देश की प्रगति में बाधा डालने वाले वे लोग कौन हैं ?

बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। यदि जन शक्ति का समुचित उपयोग नहीं किया जाता है, तो इससे कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी जैसा कि पंजाब और हरियाणा में हो रहा है। हमारी युवा शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था का प्रश्न उठ खड़ा होता है।

3.00 म० प०

हम स्वयं को धर्म-निरपेक्ष समाजवादी लोकतान्त्रिक गणराज्य कहते हैं परन्तु व्यवहारिक रूप से हम धर्म-निरपेक्ष नहीं हैं। चुनाव के समय और रोजगार देते समय भी हम जाति, धर्म और भाषा के आधार पर सोचते हैं। अतः हम स्वयं को धर्म-निरपेक्ष कहते हैं परन्तु व्यवहार में हम बिल्कुल धर्म-निरपेक्ष नहीं हैं अथवा समाजवादी बिल्कुल नहीं हैं। हमारा उद्देश्य और विकास कार्य समाजवादी विचार पर शुद्ध रूप से नहीं चल रहा है परन्तु वास्तव में पूंजीवादी विचार पर चल रहा है। अतः यथार्थ में, हम बिल्कुल धर्म-निरपेक्ष नहीं हैं, बिल्कुल समाजवादी नहीं हैं। हम शायद एक प्रकार से लोकतान्त्रिक हैं। हम दूसरों का शोषण करने वाले लोकतान्त्रिक हैं। हमारा लोकतन्त्र ऐसा है। हमारा लोकतन्त्र किसी अन्य तरह का नहीं है।

काले धन के सम्बन्ध में बताते हुए मुझे कहना है कि आपके पास इसका कोई हिसाब नहीं है,

और आप काले धन तक नहीं पहुंच सकते। जब तक आप इस काले धन का पता नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा विकास प्रभावित होगा और हम आगे नहीं बढ़ सकते।

अन्य वक्ताओं ने कई अन्य बातों का उल्लेख किया। मैं केवल चाय उद्योग पर आता हूं। हमारे देश में चाय उद्योग में रोजगार के सब से अधिक अवसर हैं, फिर भी उसकी उपेक्षा की जा रही है क्योंकि इसमें विशेष रूप से आदिम जाति के लोग नियुक्त किए जाते हैं। यहां तक कि उनको भोजन भी उपलब्ध नहीं होता। कृषि मन्त्री ने बताया है कि हमारे पास खाद्य का पर्याप्त भण्डार है परन्तु उन्हें 6000 टन चावल नहीं दिया जा सकता है, जो उनकी प्रति माह की आवश्यकता है। चाय बागान कामगारों को चावल और गेहूं के सिवाय और कोई आवश्यक वस्तु मुहैया नहीं की जा रही है। उदाहरणार्थ, मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं जो समस्त भारत में सभी गांवों, यहां तक कि शहरी क्षेत्रों में वितरित की जाती हैं, चाय बागान श्रमिकों को वितरित नहीं की जा रही हैं। मैं यह नहीं समझ सका हूं कि ये वस्तुएं उन्हें क्यों नहीं प्रदान की जा रही हैं। अत: मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर गौर करें क्योंकि यही एकमात्र ऐसा उद्योग है जो प्रतिवर्ष 700 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। इसलिए, कृपया ध्यान दें कि इतनी धनराशि जुटाने वाले लोगों का समुचित ध्यान रखा जाना चाहिए। आप आधुनिकीकरण की चर्चा करते हैं पर उनके लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध नहीं है। चाय बागानों में शिक्षा का प्रतिशत एक से भी कम है। अत: आरम्भ में चाय बागानों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए क्योंकि यह अग्रणी उद्योग 700 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। इसलिए, मैं इस बात पर जोर देता हूं कि उनकी कठिनाइयों पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। अन्य लोगों को जो आवश्यक वस्तुएं मुहैया की जाती हैं, इन लोगों को भी मुहैया की जानी चाहिए। इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल और अन्य सुविधाएं प्राप्त की जानी चाहिए। वे अपने पैसे से यह सब हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्हें अच्छे क्वार्टर, पानी की सप्लाई और अन्य आवश्यक वस्तुएं मुहैया की जानी चाहिए।

मेरा दूसरा विषय है उत्तरी बंगाल जो भूटान और सिक्किम के समीप स्थित है। यह बड़ा नाजुक क्षेत्र है और भूटान और सिक्किम से उद्भूत नदियां पहाड़ी नदियां हैं, उनकी धारा बड़ी तेज है और अगर उन्हें ठीक से नियन्त्रित नहीं किया जाता है तो वहां बाढ़ और भू-क्षरण होगा। मुझे खुशी है कि आपने एक योजना शुरू की है। इस योजना को क्रियान्वित किया जाना चाहिए और पानी का समुचित इस्तेमाल हो सकता है, और अगर पानी का समुचित इस्तेमाल होता है तो उत्तरी बंगाल, जिसमें 5 या 6 जिले शामिल हैं, पूरे बंगाल की आवश्यकता पूर्ति कर सकता है। इसलिए इस क्षेत्र के बारे में, आपको यह नहीं कहना चाहिए कि पैसा नहीं है, आप चाय बागानों से प्राप्त विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय बागान धन कमाते हैं, आप उस धन को दिल्ली अथवा कलकत्ता न ले जाएं, इस धनराशि से आप चाय बागान के उस क्षेत्र में लघु उद्योग स्थापित करें और उस क्षेत्र के बढ़ती हुई संख्या में बेरोजगार लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। वन क्षेत्र में, कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएं ताकि निरक्षर लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों। हमें सदैव रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की बात करते हैं परन्तु उन निरक्षर लोगों के बारे में सोचिए जो रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नहीं हैं। आपको यह भी सोचना चाहिए कि अगर इससे असन्तोष की आग भड़क उठी तो आप उस पर नियन्त्रण नहीं पा सकेंगे। जैसा कि अब मैं आपसे कह रहा हूं, कि ये लोग चाय बागानों के लिए पैसा कमा रहे हैं और इसलिए यह धनराशि विकास

कार्य पर लगनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इन लोगों के लिए एक लघु उद्योग स्थापित करें ताकि वे देश के विकास के लिए अधिक धन कमा सकें।

अन्त में कुछ शब्द पीयरलेस कर्मचारियों के सन्दर्भ में कहूंगा। सभी पक्षों, चाहे वे किसी भी दल के हों, की ओर से यह मांग उठ रही है कि इस पीयरलेस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल ठीक है परन्तु चार लाख फील्ड कर्मचारियों के प्रति सजग रहें। इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। आरम्भ में पूंजी केवल 300 करोड़ रुपए थी। परन्तु अब उनकी पहल और मेहनत से यह बढ़कर 600 करोड़ रुपए हो गई है। अतः यदि कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो उनके काम को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और उनका सम्मान और प्रतिष्ठा स्वीकार की जानी चाहिए क्योंकि इन लोगों ही ने तो कम्पनी के लिए पैसा कमाने हेतु घर-घर जाकर कार्य किया। यह निश्चित है कि उन्होंने इस पैसे को अपने पास सुरक्षित नहीं रखा, परन्तु उन्होंने अपना पैसा आपको दिया और आप उसे विकास कार्यों में भी लगा सकते हैं। इसलिए, मैं इस बात को पुनः दोहराता हूं कि भविष्य में आप जो भी कदम उठाएं, इन चार लाख फील्ड कर्मचारियों के कार्य को ध्यान में अवश्य रखें।

जरा आम आदमी के बारे में सोचिए। बड़े उद्योग के बारे में सोचने के बजाए, आप आम आदमी के लिए न्यूनतम मजूरी प्राप्त करते हैं। इस पर सरकार क्या सोचती है? आपको उसके भोजन, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और प्रत्येक पहलू पर सोचना होगा। केवल पैसा बांट दीजिए। उसे कितना पैसा मिलता है और पैसे का अवमूल्यन होने पर उसका इस पैसे से कितना काम चल सकता है? न्यूनतम मजूरी का प्रतिशत भी गलत है, परन्तु आप जानते हैं कि औसत आदमी की आय क्या है। अतः, सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है? आम आदमी को भविष्य में अपेक्षाकृत अधिक लाभ पहुंचना चाहिए। और तभी हम यह कह सकते हैं कि भारत में सब खुशहाल हैं और उन्हें कम से कम न्यूनतम मजूरी प्राप्त होती है और वे इन्सान की तरह रह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने 1986-87 का जो बजट प्रस्तुत किया है वह वास्तव में एक सन्तुलित बजट है और इस बजट में गरीबों के लिए जो प्रावधान किया गया है, वह भी एक प्रशंसनीय कदम है।

3.11 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

हमारे सामने एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि हम खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं, परन्तु अभी जो संकेत मिल रहे हैं कि 1984-85 में 14 करोड़ 60 लाख मिलियन टन अनाज पैदा हुआ और 1985-86 में केवल 15 करोड़ ही अनाज पैदा हुआ। यह संकेत एक अच्छे संकेत नहीं हैं। अगर इस प्रकार की स्थिति रही तो हम आत्मनिर्भरता से वापिस गिरावट की ओर आ सकते हैं। इस कारण हमें सिंचाई की ओर विशेष कदम उठाने होंगे, लेकिन हम इस ओर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं।

अब मैं अपने क्षेत्र राजस्थान के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इन्दिरा गांधी नहर राजस्थान की ही नहीं बल्कि सारे विश्व की एक बड़ी नहरों में से है। इस नहर के प्रति जिस प्रकार

केन्द्र सरकार असहयोग की नीति बरत रही है, उससे यह दिखता है कि इन्दिरा गांधी नहर 40 वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकेगी। छठी पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में अवश्य ही अधिक प्रावधान किया गया और केन्द्र ने 40 करोड़ रुपए की विशेष सहायता भी दी, परन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 250 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि इन्दिरा गांधी नहर और उसकी लिफ्ट केनाल 1189 करोड़ रुपए में बनेगी और सालाना प्रावीजन 50 करोड़ के बराबर किए जाएंगे। प्राइसिज एस्कुलेशन को देखते हुए जोकि कभी 4 परसेंट और कभी 5 परसेंट के हिसाब से बढ़ रहे हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में यह स्थिति बनेगी कि 1100 करोड़ रुपए और खर्च करना होगा। इसलिए इन्दिरा गांधी नहर जोकि विश्व की सबसे बड़ी नहर है, जोकि रेगिस्थान क्षेत्रों को बहुत सिंचित करेगी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन व अर्थ-व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, लिए आवश्यक है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में ढ़ाई सौ करोड़ रुपए का और प्रावीजन किया जाए। इसके साथ-साथ आठवीं पंचवर्षीय योजना में इतना अधिक प्रावीजन किया जाए जिससे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में वह नहर पूरी हो सके। यह भी टारगेट बनाया गया है कि 1991 में इसको पूरा कर देंगे। जिस रफ्तार से यह कार्य चल रहा है, उसके हिसाब से 1990-91 में पूरी नहीं हो सकती है। अगर आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह पूरी हो जाती है तो यह एक बड़ी भारी उपलब्धि होगी जिससे हम कृषि उत्पादन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेंगे।

डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम सातवीं पंचवर्षीय योजना की एक अच्छी उपलब्धि रही है। मैं 3 वर्ष से लगातार इस सम्बन्ध में प्रयास कर रहा था। प्लानिंग कंसलटेटिव कमेटी में भी मैंने इस बात को रखा था। हमारे प्रधानमन्त्री इससे प्रभावित हुए और उन्होंने डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 245 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि नार्म्स चेंज करके सेंट परसेंट केन्द्रीय सरकार ने डेजर्ट डेवलपमेंट के लिए बड़ा भारी विकास का कार्य किया है और उससे हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि हुई है। मगर यदि हमारे साथ न्याय होता तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 870 करोड़ का प्राविजन किया गया। हमारी जनसंख्या अवश्य कम है, उनकी जनसंख्या 4 करोड़ है, हमारी 2 करोड़ है परन्तु क्षेत्रफल हमारा उनसे दूना है। उस दृष्टि-कोण से देखकर 500 करोड़ का प्राविजन होता तो और भी ज्यादा उपलब्धि उससे होती।

इस प्रकार के जो प्रोग्राम हैं उनके इम्पलीमेंटेशन के लिए अगर केन्द्र सरकार प्रापर स्टाफ का प्राविजन करे तो उससे ज्यादा लाभ मिल सकता है। अगर केन्द्र सरकार इस प्रकार से स्टाफ की व्यवस्था नहीं कर सकती है तो राजस्थान सरकार को निर्देश दे क्योंकि प्रापर स्टाफ न होने के कारण भी इन प्रोग्राम्स का इम्पलीमेंटेशन ठीक प्रकार से नहीं होता। वह एमाउंट उस पर खर्च नहीं हो पाता और उससे जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वह नहीं हो पाती। इसलिए डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी यह विचार में रखें। इसी तरह एन० आर० ई० पी० और आई० आर० डी० के जो प्रोग्राम हैं उनसे लाभ अवश्य हुआ है। आई० आर० डी० पी० के बारे में मैंने निवेदन किया था कि सब्सिडी का निसयूज होता है। इसके लिए सोचने की आवश्यकता है। सब्सिडी के स्थान पर उनको इन्टरेस्ट फ्री लोन यदि दें तो उनको उससे ज्यादा फायदा होगा और उनकी फाइनेन्शियल पोजीशन ज्यादा साउन्ड हो सकेगी।

हमारे देश में कुछ प्रदेश विकसित हैं, कुछ अर्द्ध-विकसित हैं और राजस्थान जैसे प्रदेश बिलकुल विकसित नहीं हैं। अनडेवलप्ड हैं। आपने जो मैचिंग ग्रान्ट का फारमूला बनाया है आई०

आर० डी० पी० के लिए वह सारे राज्यों के लिए समान रखा। राजस्थान के लिए भी वही एक समान 50 परसेंट और महाराष्ट्र के लिए भी एक समान 50 परसेंट। आई० आर० डी० पी० के द्वारा जो हम इस तरह गरीबी हटाने का प्रोग्राम बना रहे हैं उस प्रोग्राम के अन्दर अगर हम राजस्थान जैसे प्रदेश को अधिक धनराशि नहीं देते तो हमारा राज्य गरीबी हटाने में कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैं वित्त मन्त्री से कहना चाहता हूं कि 75 परसेंट इसमें केन्द्र अदा करे और 25 परसेंट राज्य कंट्रीब्यूट करे। इसी तरह एन० आर० ई० पी० के लिए 75 प्रतिशत केन्द्र अदा करे और 25 प्रतिशत स्टेट्स अदा करें। तब तो वह अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अन्यथा उनके फाइनेन्शियल प्रास्पेक्ट्स के ऊपर इससे बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है और वे उस राशि को अदा नहीं कर सकते। इसलिए इस दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर मैं पब्लिक सेक्टर के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि पब्लिक सेक्टर इस पर हमारा जितना भी प्लान है वह निर्भर करता है और हमारी अर्थ-नीति. उस पर निर्भर है। हमने लाभ प्राप्त करने की योजना बनाई है परन्तु हमारे मैनेजमेंट की कैपेसिटी बहुत कमजोर है। हम आई० ए० एस० पर डिपेंड करते हैं। जिनको मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन बनाते हैं उनको उस विषय का ज्ञान नहीं होता। इसलिए इसके लिए हम एक स्पेशल कैडर तैयार करें। उस कैडर के अन्दर आई० ए० एस० भी आ सकते हैं और दूसरे भी आ सकते हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह एक कमीशन बनाकर मैनेजमेंट के लिए व्यवस्था करें, तभी जाकर पब्लिक सेक्टर सफल हो सकते हैं।

हमारे राष्ट्रीय कृत बैंक जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उससे जनता को लाभ नहीं पहुंच रहा है। गरीब आदमी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें लोन जो मिलता है उसके लिए बार-बार चक्कर काटना पड़ता है। इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है।

एक अन्तिम बात कह कर समाप्त करता हूं। आपने जो पांच दिन का सप्ताह बनाया है यह यहां की परिस्थितियों के लिए बिलकुल ही अनुकूल नहीं है। अगर राज्यों में भी इसी प्रकार का फार्मूला एडाप्ट किया गया तो जनता को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा था—आराम हराम है परन्तु इस प्रकार से हर हफ्ते दो दिन की छुट्टियां मनाई जाती हैं और इसके अलावा दूसरी छुट्टियां भी होती हैं, रेलिजस छुट्टियां होती हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि यह जो पांच दिन का सप्ताह रखा गया है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं सेकेन्ड सैटर्डे भी छुट्टी न रखा जाए, सिर्फ सन्डे की ही एक छुट्टी दी जाया करे। राष्ट्र की उन्नति के लिए हमको काम करना चाहिए और इस प्रकार की छुट्टियों का प्रावधान करके राष्ट्र की प्रगति में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए और जनता के कष्टों को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर (दुर्ग) : बजट पेश करने की तिथि भारत के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसे अंग्रेजी शासन के दौरान उनकी सहूलियत के लिए निश्चित किया गया था। अब हमें इसमें परिवर्तन करना चाहिए क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था अभी भी मुख्यत: वर्षा पर निर्भर करती है। हमें मानसून की विफलता अथवा सफलता का पता अक्तूबर के अन्त तक चलता है और अगर बजट को अक्तूबर और नवम्बर में पेश किया जाए तो जिला मुख्यालयों को

विकास कार्यों हेतु आबंटित रकम 15 नवम्बर अथवा नवम्बर के अन्त तक वहां पहुंचेगी और विकास कार्य जून के अन्त तक अथवा 15 जून तक चलते रहेंगे। अब होता यह है कि आबंटित रकम जिला मुख्यालयों में 15 अप्रैल अथवा अप्रैल के अन्त तक पहुंचती है। वे इसे मुश्किल से एक महीने इस्तेमाल कर पाते हैं। फिर वर्षा शुरू हो जाती है। सड़कों, बांधों, नहरों इत्यादि का निर्माण कार्य वर्षा के कारण ठप्प हो जाता है। यह विषय सरकार के पास बहुत पहले से विचाराधीन था परन्तु किन्हीं कारणों से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं माननीय वित्त मन्त्री से पुरजोर अपील करता हूं कि उन्हें दृढ़ प्रयास करने चाहिए अथवा यूं कहें कि उन्हें ऐसा करना ही चाहिए। यदि वह ऐसा करने का निर्णय करते हैं तो इसके बावजूद कि प्रस्तावित परिवर्तन के दौरान कई दिक्कतें सामने आ सकती हैं, और कोई दिक्कत पेश नहीं होगी। पर यदि वे चाहें तो, वे निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। वह एक कुशल वित्त मन्त्री हैं और उन्होंने कई काम किए हैं। मैं समझता हूं कि वह इस अत्यावश्यक सुधार कार्य को भी कर लेंगे और बजट को अक्तूबर अथवा नवम्बर में प्रस्तुत करेंगे।

दूसरे, रेलवे में किए जाने वाले भारी व्यय की वजह से रेल बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता है। परन्तु अब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हमने 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए लगाए हैं और बजट में जब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं तो वह चर्चा पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती है और हम केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर ही विशेष ध्यान देते हैं। परन्तु मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। मैं माननीय वित्त मन्त्री को यह सुझाव देता हूं कि उन्हें बजट में ही अथवा एक अलग बजट सरकारी क्षेत्र के समस्त उपक्रमों हेतु तैयार करने के बारे में विचार करना चाहिए ताकि हम सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के बारे में 2, 3 अथवा 4 दिन तक ब्यौरेवार चर्चा कर सकें। यह आजकल बहुत आवश्यक हो गया है क्योंकि अन्ततः हमने इतनी बड़ी रकम इन पर लगाई है और अगर हम सरकारी क्षेत्र में निवेश से आय बढ़ाएंगे तो इतना अधिक व्यक्तिगत कर लगाना आवश्यक न होगा। यही वित्त मन्त्री महोदय का भी विचार है। यही प्रधानमन्त्री का भी विचार है।

फिर अगर एक अलग बजट पेश किया जाता है तो, माना कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों हेतु एक अलग मन्त्रालय खोलने के बारे में सोचें—मैं यह नहीं कहता कि सरकारी क्षेत्र के सभी यूनिट एक मन्त्रालय के अधीन हों—परन्तु उस प्रस्तावित मन्त्रालय के अधीन कारगर तालमेल पैदा की जा सकती है। अब होता यह है कि न तो भर्ती के मामले में कोई तालमेल पैदा की जाती है और न ही प्रबन्ध निदेशक को अधिकार प्रदान करने के मामले में अथवा कीमतों के मामले में। अतः समुचित तालमेल की जानी चाहिए। जब तक हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य चालन में सुधार लाने का समन्वित प्रयास नहीं करेंगे, तब तक अधिकांश सरकारी क्षेत्र यूनिटों को मुनाफा कमाने योग्य नहीं बनाया जा सकता।

हमारी संसद के तीन सत्र होते हैं—एक जुलाई अथवा अगस्त के महीने में, फिर नवम्बर अथवा दिसम्बर में और फिर यह बजट सत्र। चूंकि ये सभी बजट एक सत्र में पेश किए जाते हैं, इन पर चर्चा करनी बहुत मुश्किल हो जाती है और केवल वित्तीय पहलुओं पर ही चर्चा हो पाती है न कि नीतियों और मुद्दों पर। यदि रेल और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बजट जुलाई के महीने में पेश करने संभव हों तो हम उस समय उन पर चर्चा कर सकते है। जुलाई मे सत्र की अवधि बढ़ा सकते हैं। अब जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में संसद सदस्य और विधायक संसद अथवा विधान

सभा में व्यस्त रहते हैं और वे चालू विकास कार्यों को स्वयं आकर नहीं देख पाते हैं। वस्तुतः इन प्रतिनिधियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों का दौरा करने और चालू विकास कार्यों को देखने की छूट होनी चाहिए, विशेषकर दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल माह में। जनवरी से लेकर अप्रैल के महीने तक न केवल सरकारी अधिकारी बल्कि अधिकांश संसद सदस्य और विधायक संसद अथवा विधान सभा में व्यस्त रहते हैं। कम-से-कम ससद में यदि रेल बजट और सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी बजट जुलाई में पेश किए जाएं, तो हम उन पर उस समय गहराई से विचार कर सकते हैं; और आम बजट अक्तूबर अथवा नवम्बर में जब पेश हो तो तब उस पर चर्चा की जा सकती है।

यह अच्छी बात है कि सरकारी उपक्रमों की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है। हम उन पर अधिक-से-अधिक धन लगा रहे हैं। सरकार की यही नीति और उद्देश्य होना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि उन्हें चलाने के लिए एक औद्योगिक प्रबन्ध संवर्ग होना चाहिए। आजकल किसी भी व्यक्ति को कोई विभाग अथवा सरकारी उपक्रम चलाने के लिए कह दिया जाता है। जो लोग औद्योगिक प्रबन्ध संवर्ग अथवा भारतीय आर्थिक सेवा में हैं उन्हें इन उपक्रमों को सचालित करने की अपेक्षित योग्यता है। अतः, इन दोनों सेवाओं में सुधार लाया जाना चाहिए। मैंने इसीलिए एक अलग मन्त्रालय का प्रस्ताव किया है, ताकि औद्योगिक प्रबन्ध संवर्ग और भारतीय आर्थिक सेवा में सुधार किया जा सके। यदि आज से इसकी शुरुआत हो तो उनमें पूर्णतः सुधार करने में हमें दस वर्ष लग जाएंगे। इनमें सुधार करना यह बड़ा उपयुक्त समय है। ताकि हमारे सरकारी उपक्रम समुचित रूप से और कारगर ढंग से चलाए जा सकें।

नई शिक्षा नीति शीघ्र ही पेश होने वाली है; मैं समझता हूं 2 तारीख को शिक्षा नीति घोषित की जाती है। विकास कार्यों को हमारी शिक्षा नीति से जोड़ा जाना चाहिए। उदाहरणार्थ हमारे पास लगभग 5,000 ब्लाक और लगभग 5,000 कालेज, लगभग 70,000 हाई स्कूल हैं। हमें युवा पीढ़ी को कुछ समय कम से कम वर्ष में एक बार, ग्रामीण क्षेत्रों में भेजना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कार्यों से वे अवगत हो सकें। इस समय शहरों में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की दशा कभी नहीं जानते हैं। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही घोषित की जाने वाली शिक्षा नीति में इस पहलू पर भी ध्यान दिया जाएगा।

जैसा कि आप जानते हैं इस समय लगभग 37 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है। मेरा विश्वास है कि जब हम इक्कीसवीं शताब्दी में पहुंचेंगे तो यह घट कर 10 प्रतिशत से भी कम रह जाएगा। किन्तु जहां तक शिक्षा का प्रश्न है हम बहुत पिछड़े हुए हैं। जब हम 21वीं शताब्दी में कदम रखेंगे तो हमारे देश में साक्षरता की प्रतिशतता मुश्किल से 52 के आस पास होगी। यह अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि शिक्षा के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया जाए ताकि जब हम 21वीं शताब्दी में पदार्पण करें तो अनपढ़ लोगों की संख्या 15 या 20 प्रतिशत से अधिक न हो।

जैसा कि आपको मालूम है जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है। किन्तु सिंचाई तथा संचार की सुविधाएं बहुत कम हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश

के सम्बन्ध में 3 पैरे लिखे गए हैं—कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और इस बात का ध्यान रखना केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है कि वहां संचार का विकास किया जाए, रेलवे का विकास किया जाए सड़कों का विकास किया जाए और दूर संचार साधनों का विकास किया जाए। किन्तु उसके पश्चात् मध्य प्रदेश में संचार तथा अन्य सुविधाओं के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हम बिस्तर के बारे में बहुत बातें करते हैं जो हमारे देश के सबसे बड़े जिलों में से एक है। यह आदिवासी बहुल जिला है। किन्तु वहां कोई रेलवे लाइन नहीं हैं। किन्तु गाजहरा से बेलाडेला तक रेल लाइन का निर्माण करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण पूरा किया गया है। सब कुछ तैयार है किन्तु धन उपलब्ध नहीं कराया गया है। मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि धन आबंटित किया जाए। कम से कम सांकेतिक अनुदान दिया जाना चाहिए ताकि रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य आरम्भ किया जा सके।

राजनन्दगांव जिले में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के सम्बन्ध में यह कहना है कि वहां केवल 2 प्रतिशत भूमि में सिंचाई होती है। मोंगरा बांध नामक बांध के लिए स्थान प्रस्तावित किया गया है। यदि उस बांध का निर्माण किया जाता है तो न केवल राजनन्दगांव बल्कि बस्तर जिले को भी इसका लाभ पहुंचेगा। मुझे विश्वास है कि आदिवासी लोगों की इन समस्याओं की ओर वित्त मंत्रालय का रवैया सहानुभूतिपूर्ण होगा और मध्य प्रदेश में सिंचाई, संचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और रेलवे लाइन तथा मोंगरा डैम का निर्माण किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति जी, इस वर्ष की बजट प्रक्रिया के अन्तिम चरणों में हम हम लोग पहुंच गए हैं। इस बजट की जो मुख्य विशेषता है वह है गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम। पहली बार भारतीय बजट के इतिहास में इतनी अधिक रकम गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों के लिए रखी गई है। इसके लिए सब तरफ से वित्त मंत्री जी को बधाई मिली है। उन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत की है और इसके लिए उन्होंने मध्यम श्रेणी के बहुत से लोगों को कुछ नाराज भी किया है। उनकी नाराजगी को मोल लेकर भी उन्होंने गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों के लिए बहुत अधिक धन की व्यवस्था की है। अब यह उनका, सरकार की और सभी की चिन्ता का विषय होना चाहिए कि जो रकम गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों के लिए रखी गई है, वह ठीक प्रकार से खर्च हो और उस के ठीक नतीजे निकल सकें।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि पिछले दो, तीन वर्षों में इस माननीय सदन में और इसके बाहर जो गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हैं, उनके कार्यान्वयन की जो हालत है, उनके इम्पलीमेंटेशन की जो हालत है, उसके बारे में ठीक प्रकार से रिपोर्ट नहीं आई है, उनके बारे में ठीक प्रकार से कहा नहीं गया है। उसमें बहुत कमियां हैं। आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा बरबाद हो रहा है लेकिन किस प्रकार से इसको ठीक किया जाए, इसके बारे में वित्त मंत्री जी ने हम लोगों को पिछले साल भी कुछ नहीं बताया, अभी भी कुछ नहीं बताया और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम आज तो वे इस के बारे में बता दें। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मिडिल क्लास के बहुत से लोगों की, मध्यम श्रेणी के बहुत से लोगों की नाराजगी को मोल लेकर यह पैसा उन्होंने इन कार्यक्रमों के लिए दिया है और यह हार्डअर्न्ड मनी है और इसकी पाई पाई इन कार्यक्रमों में ही खर्च हो और यह पैसा गरीबों को ऊपर उठाने में लगे। इसका सही प्रयोग इन कार्यक्रमों में नहीं हो सका है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं और यह ठीक प्रकार से खर्च हो, इसके लिए आपने क्या नीति

बनाई है और आप क्या करने जा रहे हो। इसमें एक बड़ी कमी है, जिसकी तरफ मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन कार्यक्रमों के इम्पलीमेंटेशन के स्टेज में जनप्रतिनिधियों का बहुत कम हिस्सा है और उनकी कोई भूमिका ही इसमें नहीं है। सारा पैसा राज्य सरकारों को जाता है। राज्य सरकारों के माध्यम से वह जिलों में जाता है। वहां एक डी० आर० डी० ए० नाम की संस्था है। उस संस्था में आफिसर अधिक हैं और जन-प्रतिनिधि कम हैं। जन-प्रतिनिधियों में ब्लाक लेवुल पर ब्लाक प्रमुख इस डी० आर० डी० ए० संस्था का मेम्बर नहीं है। जिला परिषदें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ज्यादातर जिलों में काम नहीं करते। तो जन-प्रतिनिधि हैं, जो जनता के नुमाइन्दे उनकी कोई आवाज नहीं सुनता—किसी भी लेबुल पर नहीं सुनता। चाहे डिस्ट्रिक्ट लेबुल हो, चाहे स्टेट लेबुल हो, चाहे यह केन्द्रीय लेबुल हो, किसी भी लेबुल पर नहीं सुनता।

अभी हमारे चन्द्राकर जी कह रहे थे कि जन-प्रतिनिधियों को इसका मौका मिलना चाहिए कि वे डवलपमेंट के कामों को देखें। उनके देखने के बाद भी क्या होता ? जब वे कामों को देख कर चिट्ठी लिखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को या केन्द्रीय सरकार को तो उसकी जांच करने के लिए मामला उसी के पास जाता है जिससे खिलाफ चिट्ठी लिखी जाती है। फिर चार-पांच महीने में जबाव आ जाता है कि आपकी इंफर्मेशन ठीक नहीं है। हमने इंफर्मेशन के लिए चिट्ठी थोड़े ही लिखी थी, हमने सब कुछ देखने के बाद चिट्ठी लिखी थी। इस चीज को वित्त मंत्री जी भी जानते हैं। इसका क्या इलाज है ? अगर इसका कोई इलाज नहीं निकाला गया तो आपने जो पैसा रखा है उसका कोई उपयोग नहीं हो पायेगा।

एक माननीय सदस्य : कोई सुझाव दीजिए।

श्री जैनुल बशर : हम सुझाव देंगे ? वित्त मंत्री जी सारे हिन्दुस्तान के बारे में सोचते हैं, आपको पूरी बातें मालूम हैं। आप सही तरीके से यह पैसा खर्च करवाइगे तब जाकर गरीबों को इसका लाभ मिलेगा। नहीं तो यह पैसा भी ब्लेक मनी में बदल जायेगा। आप ब्लेक का पैसा निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप सात ताले तोड़ेंगे, वह चौदह तालों के अन्दर चला जायेगा। आप ब्लेक मनी निकालने में लगे हैं लेकिन आप ही का पैसा ब्लेक मनी में जा रहा है। आप इसको रोकिए तब जाकर आप कुछ लाभ लोगों को दे सकते हैं। (व्यवधान) मंत्री जी खुद सब कुछ जानते हैं।

सभापति जी, आजकल उत्तर प्रदेश में, बिहार में और कई राज्यों में पेयजल का गम्भीर संकट पैदा हो गया है। गांवों में पीने का पानी नहीं मिल रहा है। कुएं सूख गए हैं। शहरों और देहातों दोनों में पीने का पानी नहीं है। जो नलकूप या ट्यूबवेल होते हैं उनका पानी बहुत नीचे चला गया है। उनसे भी अब पानी नहीं मिल रहा है। हालत बहुत खराब है। हमारे यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में खुद वित्त मंत्री जी के जिले इलाहाबाद में बहुत खराब हालत है। गाजीपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, किस-किस जिले का मैं नाम गिनाऊं, सबमें पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसकी व्यवस्था इसलिए नहीं हो पा रही है कि डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर पर पेयजल की व्यवस्था के लिए पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। कल ही हम आये है। हमने कलेक्टर को फोन किया तो उन्होंने बताया कि पेयजल की मद में कोई पैसा हमारे पास नहीं आया। जब तक उनके पास पैसा नहीं जाएगा तब तक वह कैसे व्यवस्था कर सकते हैं। जब तक उनके पास पैसा जाएगा तब तक बरसात हो जाएगी। पानी बरस जायेगा तो पानी की कठिनाई भी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। गर्मियों के दिनों में पेयजल की व्यवस्था के लिए कुछ दौड़-धूप होती है, बाकी के दिनों में सरकारी मशीनरी चुपचाप बैठी रहती है।

मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपने स्तर पर वे इस बात को देखें कि पेयजल के लिए जो पैसा वे देते हैं, वह पैसा उन स्थानों पर पहुंचे जहां के लिए वे पैसा देते हैं।

जब आप यहां कामर्स मिनिस्टर थे, उस काल में और उसके पहले आपके मुख्य मंत्रित्व काल में भी ··· (व्यवधान)

यह ठीक है कि राज्य सरकारें व्यवस्था करती हैं, पैसा तो आप देते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : राज्य सरकारों को पैसा तो इकट्ठा जाता है।

श्री जैनुल बशर : यही तो मुसीबत है कि राज्य सरकारें इसे नहीं कर रही हैं, आप ही कुछ करिए। हम मेम्बर आफ पार्लियामेंट आप से ही कह सकते हैं। आप उसके लिए कुछ करिए। वित्त मंत्री जी इसको जानते हैं।

सभापति महोदय, बनारस एक ऐसा शहर है जो अपनी संस्कृति के लिए, धार्मिक स्थल के लिए और अपनी सभ्यता के लिए, अपनी कला के लिए तो मशहूर है ही, साथ-साथ बनारस की रेशम की साड़ियों के लिए भी बहुत मशहूर है और आजकल रेशम का भाव आसमान छू रहा है। सरकार की नीति है कि 450 रुपए किलो से अधिक रेशम का भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन बनारस में रेशम का भाव 700 रुपए चल रहा है। बनारस में हजारों करघे रेशम के बन्द पड़े हैं और हजारों बुनकरों को रोजी-रोटी मिल रही है। कर्नाटक से हमारे यहां रेशम जाता है और कर्नाटक का भी अजीब महिमा है। वहां का जो स्टाक-एक्सचेंज है वह इस तरह से मेनुपुलेट करता है कि रेशम का दाम घटने न पाए, बल्कि बढ़ता ही चला जाए। कर्नाटक स्टाक एक्सचेंज की एक दुकान है, उसमें भी उसी भाव पर रेशम मिल रहा है, जो खुले बाजार में मिलता है। इसका एक ही तरीका है कि जब भी भाव 450 रुपए किलो से ऊपर जाए तो रेशम दूसरे देशों से इम्पोर्ट किया जाए और वह क्वालिटी इम्पोर्ट की जाए जो बनारस के कपड़ों में लगती है। कभी-कभी सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो रेशम इम्पोर्ट करता है वह दूसरी क्वालिटी का होता है और पावरलूम में चला जाता है, हैण्डलूम में नहीं लगता। इसलिए मैं वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आप कृपया इस मामले को दिखवा लें और आवश्यकता इस बात की है कि रेशम बाहर से मंगाया जाए। अगर रेशम बाहर से नहीं मंगाया जाएगा तो मैं समझता हूं कि अगले दो-तीन महीनों में रेशम का भाव 8-9 सौ रुपए किलो तक जा सकता है। इससे बनारस के बुनकर और बनारस के आस-पास के कई जिलों में बनारसी साड़ियों के बुनकर रहते हैं, वे भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे।

एक और बात की तरफ माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी हमारे एक साथी श्री जैन जो कि राजस्थान से आए हैं, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे थे। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक है, हिल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ठीक है, ये पंचवर्षीय योजनाओं का हिस्सा बनाए गए हैं, लेकिन मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हू कि अत्याधिक पिछड़े क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए क्या पंचवर्षीय योजनाओं में कोई स्थान नहीं है। मैं पिछले अनेक वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, बुन्देलखण्ड के विकास के लिए आवाज उठाता रहा हूं, सवालों के माध्यम से या किसी और माध्यम से और योजना-आयोग का जवाब आता है कि यह राज्य सरकार का काम है, हम राज्य सरकार को सहायता देते हैं और राज्य सरकार इसको करे। वित्त मन्त्री जी जो कि मुख्य मन्त्री भी रह चुके हैं, इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि कोई राज्य अपने किसी एक क्षेत्र

का विकास राज्य के साधनों से नहीं कर सकता, जब तक उसके लिए स्पेशल व्यवस्था नहीं की जाएगी। जब तक प्लानिंग कमीशन से, जब तक पंचवर्षीय योजनाओं में अत्याधिक पिछड़े क्षेत्रों के लिए अलग से स्पेशल व्यवस्था नहीं की जाएगी, जैसे हिल डेवलपमेंट के लिए की गई है, जैसे डेजर्ट डेवलपमेंट के लिए की गई है, वैसे ही अत्याधिक पिछड़े क्षेत्रों के डेवलपमेंट की व्यवस्था जब तक सीधे केन्द्र से नहीं की जाएगी, तब तक उन क्षेत्रों का विकास नहीं हो सकता, ये क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकते। उत्तर प्रदेश का भूतपूर्व मन्त्री होने के नाते आपको मालूम है कि राज्य के साधनों से पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं किया जा सकता, आप पूरब का विकास नहीं कर सकते, बुन्देलखण्ड का नहीं कर सकते, सारे प्रदेश के सारे हिस्सों का चाहे वे विकसित हों, चाहे कम विकसित हों, एक मापदण्ड के हिसाब से सबके लिए व्यवस्था करनी होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि अत्याधिक पिछड़े क्षेत्रों के लिए प्लानिंग कमीशन द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए संस्तुति की हुई है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड आदि क्षेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश में अलग व्यवस्था की जाए, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था है, तभी ये क्षेत्र आगे बढ़ सकते हैं। इन क्षेत्रों के बारे में आपको मालूम है कि ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं, सूखा पीड़ित क्षेत्र हैं। कभी-कभी वहां बाढ़ आती है। और कभी वहां सूखे का प्रकोप होता है। आपको यह भी मालूम है कि इन क्षेत्रों ने आजादी की लड़ाई में त्याग किया है और बलिदान दिया है तथा बहुत परेशानी उठाई है। जब वे लोग त्याग और बलिदान दे रहे थे तो उन्होंने सपना देखा था कि जब भारत आजाद होगा, तो उनकी भी खुशहाली होगी, वे भी विकास कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस मामले में भी वे पिछड़े क्षेत्रों के लिए अलग से योजना बनाने के लिए कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री आर० जीवारथिनम (अराकोनम) : सभापति महोदय, वित्त विधेयक, 1986 के समर्थन में मैं कुछ शब्द कहूंगा।

वित्त मन्त्रालय की 1985-86 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ पहली बार मन्त्रालय की कार्य योजना अनुबन्ध के रूप में दी गई है। इस कार्य योजना में अक्तूबर, 1985 से दिसम्बर, 1985 की अवधि के लिए एक मद "काले धन सम्बन्धी रिपोर्ट पर निर्णय" संलग्न है। मैं जानना चाहता हूं कि काले धन सम्बन्धी रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिए गए हैं और उन्हें किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार जनवरी, 1986 से मार्च 1986 की अवधि के दौरान आयकर अधिनियम के उपबन्धों, आयकर पर सरकार के निदेशों और आदेशों तथा इस सम्बन्ध में अदालतों के मामलों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए मद्रास में एक कम्प्यूटर टर्मिनल स्थापित किया जाता है। आज तक मद्रास में कोई कम्प्यूटर टर्मिनल स्थापित नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि मद्रास में जल्द कम्प्यूटर टर्मिनल स्थापित किया जाए।

ब्रिटेन में 'मोडवाट' योजना कार्यान्वित करने में तीन वर्ष लगे। हमें अपने माननीय वित्त मन्त्री की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि 'मोटवाट' योजना 6 मास की अवधि के भीतर बिना किसी त्रुटि के कुशलतापूर्वक कार्यान्वित की जाएगी। मुझे इस बात की वास्तव में प्रसन्नता है कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने 'मोडवाट' योजना के अन्तर्गत मोटर कार और

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जारी निर्माताओं को उत्पादन शुल्क में रियायत दी है। यह भी समझा जाता है कि इस मोडवाट योजना से उत्पाद शुल्क से अपवंचन में कमी आएगी।

सरकार ने आयकर अपवंचन को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। 1-4-1985 से 31-12-1985 तक 4940 छापे मारे गए और 32.41 करोड़ रुपए की सम्पत्ति बरामद हुई। यह समुद्र मे बूंद के समान है। आयकर अपवंचन देश में काले धन का प्रजनन स्थल है अनुमान है कि देश में 30,000 करोड़ रुपए काला धन परिपालन में है। काले धन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गिरवी रख छोड़ा है। काले धन को समाप्त करने से सरकार के प्रयत्नों के अभी अच्छे परिणाम नहीं निकले हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि छापे मारने के काम में तेजी लानी चाहिए। 31-3-1985 को 10 लाख रुपए से अधिक के आयकर से मामले की बकाया राशि का मूल्य 1106.68 करोड़ रुपए था तथा उनकी संख्या 1729 थी। इन सभी 1729 मामलों की तेजी से जांच की जानी चाहिए और 1106.68 करोड़ रुपए की राशि एकत्र करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए।

1985 में तस्करी-विरोधी गतिविधियों को भी तेज किया गया। 21,655 छापे मारे गए और 36 करोड़ रुपए मूल्य की परिसम्पत्तियां जब्त की गई। 805 तस्करों पर मुकद्दमा चलाया गया। महोदय आप इस बात से सहमत होंगे कि हमारी सरकार की तस्करी-रोधी गतिविधियों को पर्याप्त सफलता नहीं मिली है। तस्करी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले करोड़ों रुपए से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तस्करी-रोधी गतिविधियों में तेजी लाना अति आवश्यक है। यदि आवश्यक हो तो तस्करी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए तट रक्षक बेड़े और भारतीय नौसेना की सहायता ली जानी चाहिए।

मैं नहीं चाहता कि वित्त मन्त्री महोदय यह समझें कि मैं उनके मन्त्रालय के कार्य चालन में दोष ढूंढ़ रहा हूं। किन्तु इस बात को उजागर करना आवश्यक है कि उत्पाद शुल्क अपवंचन को कम करने के लिए मारे गए 1905 छापों में केवल 21.62 करोड़ रुपए मूल्य की आस्तियां बरामद हुई। आप इस बात से सहमत होंगे कि कई सौ करोड़ रुपए के उत्पाद शुल्क की चोरी होती है। केवल 26 उत्पादशुल्क अपवंचकों को सजा दी गई है। यह संख्या भी बहुत कम है। उत्पादन शुल्क अपवंचन भी काले धन में वृद्धि का एक प्राथमिक कारण है। उत्पाद शुल्क अपवंचन के उन्मूलन के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

जीवन बीमा निगम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी क्षेत्र और संयुक्त स्टाक कम्पनियों को ऋण देता है। 1985 के दौरान जीवन बीमा निगम ने गैर-सरकारी क्षेत्र की जायन्ट स्टाक कम्पनियों को 622 करोड़ रुपए का ऋण दिया। किन्तु जीवन बीमा निगम ने ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं के लिए केवल 86 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जीवन बीमा निगम ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं के लिए अधिक ऋण दे। इसी प्रकार 1985 के दौरान जीवन बीमा निगम ने चीनी सरकारी समितियों को 37.20 करोड़ रुपए का ऋण दिया। अधिकांश चीनी समितियों, जिनको इस प्रकार के ऋण मंजूर किए गए, का प्रबन्धकों द्वारा शोषण किया जा रहा है। यह खेद की बात है कि राज्य सरकार, चीनी सहकारी समितियों, जो कि रुग्ण सूची में आती है, के प्रबन्ध के लिए कुशल और योग्य विशेष अधिकारी नियुक्त नहीं करती है। इन सरकारी चीनी मिलों में कदाचार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री को, देश में इन सहकारी चीनी मिलों के प्रबन्ध को अपने हाथ मे लेने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने सम्बन्धी योजना

की जांच करनी चाहिए। हम इन चीनी सहकारी मिलों में लगे जनता के धन का नुकसान नहीं कर सकते। इन चीनी सहकारी मिलों की ओर जीवन बीमा निगम के ऋण की बकाया राशि 18.5 करोड़ रुपए है। उनसे यह भी वसूल की जानी चाहिए।

देश के 460 जिलों में से केवल 380 जिलों में ही जीवन बीमा निगम के कार्यालय हैं। 80 जिलों में जीवन बीमा निगम का कोई कार्यालय नहीं है। मैं चाहता हू कि देश के सभी जिलों में जीवन बीमा निगम का कार्यालय होना चाहिए। जीवन बीमा निगम की प्रत्येक जिले में अपनी कार्यालय इमारत होनी चाहिए। देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या चिन्ताजनक रूप से बढ़ रही है। कई स्नातक, एम० ए० बी० काम, बी० एस० सी०, एम० काम डिगरीधारी बेरोजगार हैं। माननीय वित्त मन्त्री को चाहिए कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा व्यापार हासिल करने के लिए इन युवा डिगरीधारियों की सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए योजना तैयार करें। इस मामले में उन्हें प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें जीवन बीमा निगम द्वारा कमीशन दी जानी चाहिए। एक ही झटके में हम देश में बेरोजगार स्नातकों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे। इसी प्रकार, रुग्ण औद्योगिक एककों में अरबों रुपए फंसे हुए हैं। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जनता का धन इस प्रकार नहीं फंसाना चाहिए। मैं वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि 5 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाले बड़े रुग्ण औद्योगिक एककों के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करें। उस क्षेत्र के संसद सदस्य, जहां बड़े पैमाने का वह रुग्ण उद्योग स्थित है, को भी इस प्रकार की समितियों से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। जो रुग्ण एकक पुनर्वास के लायक हैं उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। जिन यूनिटों का पुनर्वास नहीं हो सकता उन्हें बन्द कर दिया जाना चाहिए। ऐसे यूनिटों में फंसे सरकारी धन को इन यूनिटों के संयंत्रों और मशीनों की नीलामी करके वसूल किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री इस विषय पर विचार करें और आवश्यक कार्यवाही करें।

जीवन बीमा निगम को, अपने पालिसी धारियों को मकान बनाने के लिए ऋण देने के लिए आगे आना चाहिए। जीवन बीमा निगम द्वारा इस समय वसूल की जाने वाली ब्याज की दर अधिक है। जीवन बीमा निगम द्वारा कमाए जाने वाले भारी मुनाफों को ध्यान में रखते हुए, भवन निर्माण के लिए दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर कम करके 8 प्रतिशत कर देना चाहिए। इससे मकान बनाने सम्बन्धी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और देश में आवास की समस्या भी कम हो जाएगी। मैं यह सुझाव भी दूंगा कि एक लाख रुपए से अधिक के पालिसी धारियों के बच्चों को स्वत: नियोजन योजनाओं के लिए ऋण दिया जाना चाहिए। मैं वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इसकी जांच करें और आवश्यक कार्रवाई करें।

332 जिलों में केवल 189 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और बाकी के 128 जिलों में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं हैं। तमिलनाडु में केवल 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जिनकी दो जिलों के अलावा तमिलनाडु भर में और कोई शाखा नहीं है। देश से सभी जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं होनी चाहिएं। प्रत्येक खण्ड विकास मुख्यालय में एक शाखा होनी चाहिए। इस समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 11886 शाखाएं हैं जो 5.5 लाख गांवों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।

मैं मांग करता हूं कि पल्लीपट्टू, जो कि ये संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अरकोनाम में है, में एक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैंने वित्त मन्त्री को भी एक पत्र लिखा है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करें।

मुझे विश्वास है कि हमारे योग्य वित्त मन्त्री दक्षिणी राज्यों में रहने वाले लोगों की उचित आवश्यकताओं की जांच करेंगे और वह उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगे।

मुझे आशा है कि उनके कुशल नेतृत्व में राजकोषीय नीति को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा जो कि हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक): सभापति जी, मैं वित्त मन्त्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने लघु उद्योगों की मांग को मानकर बहुत सारे रा-मटीरियल्स पर या तो एक्साइज-ड्यूटी हटा ली है या उन पर कम कर दी है जिससे उनको बहुत राहत मिली है, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ ऐसी और बातें भी हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर ये इनको मान लेंगे, तो लघु उद्योगों को बहुत फायदा होगा।

सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जो छूट दी है कि अगर कोई भी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज वाले किसी मैन्यूफैक्चरर से डायरेक्ट माल खरीदते हैं, तो उनको एक्साइज-ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, इससे उसको मॉडवेट में भी फायदा होगा। लेकिन महोदय, आप जानते हैं कि लघु-उद्योगों में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास साधन ज्यादा हैं या पैसा बहुत ज्यादा है। ये छोटे कारखाने वाले हैं और इनके पास पैसा कम होता है और इनको रा-मटीरियल खरीदने में हमेशा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वे थोड़े रुपए में अपने कारोबार को चलाते हैं। इसलिए उनके लिए यह मुमकिन नहीं होता है कि वे डायरेक्ट मैन्यूफैक्चरर से माल ले सकें और मॉडवेट का फायदा उठा सकें। उनको तो बाजार जाकर सौ रुपए, पांच सौ रुपए या एक हजार रुपए का माल खरीदना पड़ता है जिससे उनको एक्साइज की वह रिबेट नहीं मिलती है। इससे क्या होता है कि जो माल वे खरीदते हैं, उस पर आलरेडी एक्साइज लगी हुई होती है जिससे उनका जो माल बनता है वह महंगा बनता है जिससे और लोगों की बनिस्बत अपना माल बेचने में उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

दूसरी बात मान्यवर यह है कि जो नॉन-कन्फर्मिंग एरियाज में स्माल इंडस्ट्री लगी हुई हैं, वे एस० एस० आई० में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकती हैं। चूंकि वे एस० एस० आई० में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकती हैं इसलिए उनको एक्साइज में एक्सटेंशन नहीं मिल सकती है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उनके ऊपर भी ऐसी दृष्टि डालें जिससे उनको फायदा हो सके और उनकी इन दिक्कतों को दूर करने के लिए कोई न कोई कदम जरूर उठाएं।

तीसरी बात महोदय यह है कि जो आपने दस लाख रुपए की लिमिट रखी है एक्साइज रजिस्ट्रेशन के लिए, इसको बढ़ाकर पन्द्रह लाख कर देना चाहिए। एक्साइज देने से कोई नहीं घबराता है, लेकिन वह जो इंस्पेक्टर राज है जिसकी वजह से उनके गले पर हर वक्त तलवार लटकी रहती है, फैक्ट्री वाले उससे घबराते हैं। उनके कायदे-कानूनों से घबराते हैं जिसका वे फायदा उठाकर फैक्ट्री वालों का गला दबाते हैं। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस दस लाख की लिमिट को बढ़ाकर पन्द्रह लाख की कर देंगे।

मान्यवर, इसके बाद मैं आपका ध्यान प्लास्टिक इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें आपने सोलह किस्म का जो रा-मटीरियल है जिन पर पहले पन्द्रह प्रतिशत एक्साइज लगती थी, उनमें से बारह किस्मों पर आपने बढ़ाकर वह ड्यूटी अब 20 परसेंट कर दी है, लेकिन जो चार किस्मों का रा-मटीरियल है, उन पर आपने पच्चीस परसेंट ड्यूटी कर दी है। ये चार किस्में— 1. यूरिया फॉर्मल डिहाइड 2. फेनोल फार्मल डिहाइड 3. मैलोमिन मोल्डिंग पाउडर एवं 4. नाइ-लोन मोल्डिंग पाउडर —हैं। जिन पर आपने ड्यूटी पच्चीस परसेंट कर दी है। जो लोग इन चार किस्म के रा-मटीरियल का उपयोग करके माल बनाते हैं, उनका माल महंगा होगा बनिस्बत और बारह वैराइटीज के। इसलिए मेरी इस बारे में यह दरख्वास्त है कि इन चार किस्मों के रा-मटीरियल पर भी ड्यूटी घटाकर बीस प्रतिशत कर देनी चाहिए।

मान्यवर, अब मैं आपका ध्यान फूटवीयर इंडस्ट्री की ओर दिलाना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि जो तीस रुपए का जूता आता था उसकी एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाकर पेंतालीस रुपए कर दी है। लेकिन उसके साथ-साथ पहले जो 49 वर्कर्स जिस फैक्ट्री में काम करते थे उस पर एक्साइज नहीं लगती थी, लेकिन अब आपने उन पर भी एक्साइज लगा दी है जिससे उन लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले जैसी छूट आपने दे रखी थी किसी तरह उसी प्रकार की छूट दुबारा भी दे दें।

मान्यवर, एक बात अब मैं आपके ध्यान में यह लाता हूं कि रा-मटीरियल जो वे लोग खरीदते हैं, उसमें मॉडवेट का फायदा उनको नहीं मिल पाता है जिससे एक्साइज रिबेट उनको नहीं मिल पाएगा। इसके कारण उनका माल महंगा बनेगा जिससे उन्हें अपना माल बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस तरफ भी आप ध्यान दीजिए।

मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं अब आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ब्लैक-मनी के सम्बन्ध में आप दो बातों का ध्यान रखें। आप उस ब्लैक-मनी को व्यापारियों की तिजोरी में ढूंढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर उनकी ओर आप ध्यान देंगे, तो आप उस काले धन को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं जो मोटी-मोटी मछलियां हैं, जो काले धन का इस्तेमाल ज्यादातर करती हैं और आपकी नाक के नीचे दिल्ली में करती हैं, उनको आप पकड़ सकते हैं।

आपने देखा होगा, पुरानी दिल्ली में सौ-सौ दुकानों की मार्किट बनती हैं। जिस पैसे से मार्किट बनती हैं, उस पैसे की कोई लिखत-पढ़त नहीं होती है। उसको कोई नहीं ढूंढ़ता है, वह कभी इन्कम टैक्स में नहीं दिखाया जाता है। सौ-सौ दुकानों की मार्केट बनती है और एक-एक दुकान की कीमत तीन लाख से पांच लाख रुपए तक होती है और वह कहीं नहीं दिखाई जाती है। इस प्रकार से एक-एक मार्केट की कीमत डेढ़-दो करोड़ रुपए होती है। इस प्रकार से सैकड़ों मार्केट पुरानी दिल्ली और दिल्ली में बनी हैं।

4.00 म० प०

यह 100 करोड़ से 150 करोड़ तक का कालाधन आपकी दिल्ली में ही एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं हैं।

इसके साथ ही एक्सपोर्ट में जो कोटा दिया जाता है, उसका ट्रांस्फर जो एक एक्सपोर्टर दूसरे एक्सपोर्टर को करता है, वह सीधा करता है और उसमे 10 रुपए से लेकर 50 रुपए पर पीस तक

एक एक्सपोर्टर को देना पड़ता है और इस तरह से लाखों पीसों का कोटा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है और इस तरह से करोड़ों रुपए का कालाधन होता है, जिसकी कोई एन्ट्री कहीं नहीं होती है।

मैं आशा करता हूं कि जहां आप कालाधन ढूंढ रहे हैं, उसके साथ इनकी तरफ भी अगर आपकी नजर जाएगी तो आपको काला धन ढूंढने में ज्यादा कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद।

4.01 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए।]

[अनुवाद]

श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1986-87 के लिए प्रस्तुत किए गए वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

जैसा कि आप जानते हैं कि बजट प्राप्तियों और व्यय का विवरण अथवा विभिन्न शीर्षों में धन राशि आवंटन का वर्गीकरण ही नहीं होता है अपितु वस्तुतः यह विशेष रूप से सम्बन्धित वर्षों के लिए सरकार की आर्थिक विचार धारा को भी परिलक्षित करता है। इस तरह चालू वर्ष के बजट प्रस्ताव पिछले वर्ष के बजट में जोकि इस सरकार का पहला बजट था, सरकार तथा वित्त मंत्री द्वारा प्रतिपादित आर्थिक सिद्धान्त की व्याप्ति हैं।

मैं सरकार विशेष रूप से वित्त मंत्री जी को गत एक वर्ष से ज्यादा समय में हमारी अर्थ-व्यवस्था के समुचित प्रबन्ध के लिए बधाई देता हूं। उसी के परिणामस्वरूप हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में पिछले वर्ष 3.5 प्रतिशत की अपेक्षा 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुद्रास्फीति की दर और थोक मूल्य सूचकांक भी 3.4 प्रतिशत पर नियंत्रित रहा जबकि पिछले वर्ष यह 5.4 प्रतिशत था। प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हमारा कृषि उत्पादन 1500 लाख टन पहुंच सका है।

औद्योगिक उत्पादन में प्रगति दर 7 प्रतिशत थी जोकि सराहनीय है। राजस्व में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा प्रत्यक्ष करों से 22 प्रतिशत अतिरिक्त वसूली हुई है। कोयले के क्षेत्र में हमने देखा है कि दस प्रतिशत ज्यादा कोयला सप्लाई किया गया है। ताप बिजली के क्षेत्र में हमने पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत और उत्पादन प्राप्त किया है। अतः इस सबसे पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था का प्रबन्ध समुचित रूप से किया गया था और देश प्रगति की ओर बढ़ा है।

इन तमाम अच्छाईयों के बावजूद कुछ निराशाजक बातें भी हुई हैं। इस वर्ष के बजट प्रस्ताव पिछले वर्ष में घोषित बजट प्रस्तावों के आर्थिक सिद्धान्त की व्याप्ति हैं। इस वर्ष भी व्यक्तिगत और निगमित कर की कम दर जारी रही। मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों को दी गई राहत का व्यापक स्वागत किया गया है। लघु उद्योगों को अनेक प्रोत्साहन दिए गए हैं। इस वर्ष के बजट की महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम पर अधिक ध्यान दिया गया है इसीलिए इसके लिए 67 प्रतिशत आबंटन रखा गया है जोकि पूर्व वर्ष के आबंटन से काफी अधिक है।

अब मैं कुछ ऐसी समस्याओं पर बोलूंगा जिनसे हम जूझ रहे हैं। हमने सरकारी क्षेत्रों को बहुत महत्व दिया है और हमें यह जारी रखना चाहिए। लेकिन सरकारी क्षेत्रों का कार्य निष्पादन

कुल मिलाकर अच्छा नहीं है यद्यपि पिछले वर्ष हमने 221 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में 42,811 करोड़ रुपए निवेश किए थे। क्या आप जानते हैं कि हमें उनसे क्या लाभ मिला है? हमें उनसे मुश्किल से 4.95 प्रतिशत, 5 प्रतिशत से भी कम लाभ मिला है। यह कम से दस प्रतिशत होना चाहिए। इसलिए सातवीं योजना बनाते समय हमारे पास एक कार्यक्रम है कि सरकारी क्षेत्र को इसके निजी कोष में से 53 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। इसके व्यय का 53 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों दूसरा स्वयं अर्जित किया जाना चाहिए। लेकिन क्या इस प्रकार के कार्य-निष्पादन से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं। जब तक सरकारी क्षेत्र के कार्य निष्पादन में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक हमारी अर्थ व्यवस्था विफल मानी जाएगी। अतः मैं वित्त मंत्री महोदय और सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन्हें सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध को कारगर बनाने में उसमें सुधार लाने हेतु अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। मंत्री महोदय ने बताया है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में कठोर कदम उठाए जाएंगे किन्तु किस प्रकार के कदम उठाए जायेंगे यह उन्होंने नहीं बताया है। मैं यह कहूंगा कि सरकारी कृषिऔर सरकारी वाहनों का भारी दुरुपयोग किया जा रहा है। यदि आप किसी को पब्लिक स्कूल में भेजें तो आप देखेंगे कि कितने सरकारी वाहन सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को लाने ले जाने में लगे हुए हैं। इसी तरह यदि आप बाजार जाएं तो आप वहां भी यही देखेंगे। सरकारी वाहनों और सरकारी सम्पत्ति का रात दिन खुले आम दुरुपयोग हो रहा है। जब तक इस पर रोक नहीं लगाई गई और दक्षता नहीं बढ़ाई गई, तब तक हमारी अर्थ व्यवस्था में सुधार कैसे होगा? हमने सरकारी क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं और यदि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्धक बिना किसी उत्तरदायित्व के 'लार्ड्स' की तरह रहेंगे तो स्थिति और खराब होगी। इसलिए मैं सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध को कारगर बनाने के लिए कठोर कार्यवाही किए जाने पर बल देता हूं।

महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं हमारी अर्थव्यवस्था में ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत पहलू है। यह हमारी अर्थव्यवस्था की उन्नति की कुंजी है, किन्तु ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा आत्म-निर्भरता का कार्यक्रम है। सातवीं योजना का एक लक्ष्य ऊर्जा के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना है लेकिन क्या हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? निश्चित रूप से नहीं। इस योजनावधि के अन्त तक लगभग 10,000 मेगावाट बिजली की कमी रहेगी, यह लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में मेरी गम्भीर आपत्तियां हैं। कई राज्यों, विशेष रूप से उड़ीसा में बिजली की कमी है, निःसन्देह ही उड़ीसा हर क्षेत्र में एक गरीब राज्य है। यह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, प्रगति करने की कोशिश कर रहा है किन्तु वहां बिजली का उत्पादन 50 प्रतिशत से कम होता है। वहां लगभग 700 मे० वा० से 800 मे० वा० बिजली की आवश्यकता है किन्तु वहां केवल 250 मे० वा० अथवा 300 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि यद्यपि उड़ीसा के सदस्य इस बात को बार-बार सरकार की जानकारी में लाते रहते हैं किन्तु उड़ीसा में विद्युत क्षेत्र में इस दयनीय स्थिति को सुधारने हेतु अब तक कोई गम्भीर उपाय नहीं किए गए हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री महोदय की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि उड़ीसा में बिजली उत्पन्न करने की काफी गुंजाइश है।

वहां दो ताप बिजली संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव हैं। एक उच्च ताप बिजली संयंत्र ताल्चर में, जिसे पर्यावरण के थोथे आधार पर अनावश्यक रूप से रोका हुआ है और दूसरा ताप बिजली संयंत्र इब घाटी में तथा ताल्चर उच्च ताप बिजली संयंत्र के लिए विश्व बैंक से सहायता

मांगी गई है और इब ताप बिजली संयंत्र के लिए विदेशी सरकारों से धन प्राप्त करने के लिए बातचीत चल रही है। इस ताप बिजली संयंत्र की स्थापना में मदद करने के लिए इटली आदि देश आगे आ रहे हैं। तकनीकी पेचीदगियां रास्ते में नहीं आनी चाहिए। मैं वित्त मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वे पूरी सहानुभूति से इन बातों को अन्तिम रूप दें ताकि ये दोनों परियोजनायें सातवीं योजना में स्थापित हो सकें।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि आपको विदित है, हमारी योजना के उद्देश्य और लक्ष्य सामाजिक न्याय तथा क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करते हुए देश की प्रगति करना है। आप जानते हैं यह निराशाजनक बात है कि योजना के बाद योजना बना कर हमारी योजनाओं की तरक्की के साथ-साथ क्षेत्रीय असन्तुलन कम होने के बजाय बढ़ा ही है। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे यह सुनिश्चित करने हेतु इस पहलू की ओर ध्यान दें कि क्षेत्रीय असन्तुलन को कैसे कम किया जा सकता है। गरीबी-निवारण योजनाओं के सम्बन्ध में, जिन पर हम अधिक ध्यान दे रहे हैं, इसके लिए पिछले वर्ष के आबंटन की तुलना में इस आबंटन में 66 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। मैं सरकार को गरीबी हटाने और समाज के दलित वर्ग के लोगों की पीड़ा को कम करने में सरकार की रुचि के लिए उसे बधाई देता हूं। लेकिन उनके कार्यक्रम ठीक से कार्यान्वित नहीं किए जाते हैं क्योंकि उनमे काफी कुछ सुधार की गुंजाइश रह जाती है। 50 प्रतिशत से भी अधिक धन बर्बाद हो रहा है। जब तक इन पर उचित निगरानी नहीं रखी जाएगी तब तक ये कार्यक्रम अपेक्षित परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस बात को देखना चाहिए। एक बात यह भी है कि जब तब मद्य निषेध लागू नहीं किया जाता, मैं समझता हूं तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा क्योंकि अधिकांश धन शराब की दुकानों में चला जाता है। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

मैं यह कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा कि हीराकुण्ड बांध परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में एक है और यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है कि इसमें कई दरारें पड़ गई हैं। इसकी मरम्मत आदि के लिए उन्हें 7 करोड़ रुपए की जरूरत है। यह राशि उन्हें नहीं दी गई है। बाद में श्रीलंका में और कुछ वर्ष पूर्व गुजरात में मोर्वी में क्या हुआ था? इन दोनों स्थानों पर बांध टूट गए थे और उससे भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस बात को भूलना नहीं चाहिए और हीराकुण्ड बांध तथा नहर व्यवस्था की मरम्मत को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इन पहलुओं की ओर ध्यान दें। इस सम्बन्ध में व्यावहारिक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति महोदय, मैं तो किसान का लड़का हूं, टैक्सेशन के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, फिर भी कुछ बातें मैं माननीय वित्त मन्त्री के सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां एक ए० पी० रैयान्स इण्डस्ट्री खोली गई है। वह जंगल को काट कर तागा बनाते हैं। हमारे यहां भारत देश में कपास की कमी नहीं है। फिर भी हम लकड़ी को काट कर तागा बनाना चाहते हैं, यह हमारी इण्डस्ट्रियल पालिसी है। हमारे यहां ग्रेन पल्प बहुत काफी है। फिर भी हम बाहर से मंगाते हैं और इस कारण ए० पी० रैयान्स क्लोज हो गया। उसमें आन्ध्र प्रदेश सरकार का कितने पैसे का नुकसान हुआ? 45 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। फिर आपके आने के बाद,

राजीव गांधी जी की पालिसी के बाद, आप लोगों ने मुझे जो उत्तर दिया है उस में साफ बतलाया है :

[अनुवाद]

यह 15 अप्रैल, 1986 को बताया गया था :

"कम्पनी ने बताया है कि इसको 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार 45 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है।"

[हिन्दी]

यह क्यों ? यहां जो ग्रेन पल्प उपलब्ध था उनका भाव पहले 13 सौ रुपए टन था और उसके इम्पोर्ट की पालिसी जो है, उसके तहत जिस वक्त रैयान ग्रेन पल्प बाहर से मंगाना शुरू किया तो उसके कारण उसको बिलकुल एग्जम्पशन दिया इम्पोर्ट के तहत, जिस कारण उसको 600-700 में बेचना पड़ा। तो एक तो आपका पैसा गया और आपका माल भी नहीं बिका। यह किसके कारण हुआ। आपकी सरकार की नीति के कारण हुआ हमारी सरकार की नीति के कारण अपना जंगल जाता है, पैसा जाता है और मजदूर जो घर में बैठते हैं उनको तनख्वाह देनी पड़ती है। एजिटेशन करते हैं। इस पालिसी से 35 सालों में आप भारत देश को इस स्थिति में ले आए हैं। आज आप किसी. भी पब्लिक अण्डरटेकिंग में चले जाइए, वहां पर आपको नुकसान ही मिलेगा। क्या कारण है ? जैसा अभी मेरे मित्र बता रहे थे कि वहां पर डायरेक्टर को जितनी अच्छी कार मिलती है उतनी अच्छी कार मिनिस्टर को भी नहीं मिलती है। जितना खर्चा वहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर करता है वह आप भी नहीं करते हैं। उनका एक मामूली. बाबू भी प्लेन में जाता है। इसलिए वहां पर नुकसान होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितनी भी पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज हैं उनको अच्छी तरह से लाभ में चलाया जाना चाहिए। जो सीक्रेट चीजों को मैन्युफैक्टर करने की आवश्यकता होती है वह तो हमें करना ही होगा लेकिन जो दूसरी चीजें हैं उनको मैन्युफैक्चर करने का काम हम दूसरों को दे सकते हैं।

एम० आर० टी० सी० ऐक्ट के तहत जितनी वस्तुएं आती हैं, मैं मन्त्री जी को बताना चाहूंगा वे जरा गौर से सुनें —आजकल पान-डिब्बा बेचने वालों को अरेस्ट किया जा रहा है। क्या कारण है ? सिग्रेट की डिब्बी पर उनको एक पैसा भी नहीं मिलता है। वह चाहे वजीर सुल्तान कम्पनी हो या कोई भी दूसरी सिग्रेट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी हो या कालगेट पेस्ट बनाने वाली कम्पनी हो वे अपनी मोनोपोली चलाते हैं, डीलरशिप दूसरों को नहीं देते हैं और कमीशन भी नहीं देते हैं। अगर कोई पान डिब्बे वाला होटल में बेचता है तो वह भी दो पैसे ज्यादा लेता है लेकिन एम० आर० टी० पी० ऐक्ट के अन्तर्गत जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें उसको कोई मुनाफा नहीं मिलता है। कोई डीलर अगर मैन्युफैक्चर करके अपने डिब्बे में रखकर बेचता है तो एक-दो पैसे मुनाफा लेगा ही। बगैर सिग्रेट के पान भी नहीं बिकता है। आपके जो वेट्स ऐंड मेजर्स वाले हैं वे जाकर उनको अरेस्ट कर रहे हैं, उनका हैरसमेन्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि एम० आर० टी० पी० में जितने मेन्यु-फैक्चरर्स हैं उनके ऊपर भी आप नजर डालिए। मैं चाहता हूं छोटे उद्योगों में जो चीजें तैयार होती हैं उनको बनाने की अनुमति मीडयम स्केल इण्डस्ट्रीज वालों को नहीं देनी चाहिए। और मीडियम स्केल इण्डस्ट्रीज में जो चीजें तैयार होती हैं उनको बनाने की अनुमति हेवी इण्डस्ट्री वालों को नहीं मिलनी चाहिए। उनको इन चीजों को बनाने के लाइसेन्स नहीं दिए जाने चाहिए। आज हम देखते हैं

कि ब्रिटेनिया वाले बिस्कुट बनाते हैं लेकिन काटेज इण्डस्ट्रीज में भी बिस्कुट बन रहे हैं। हिन्दुस्तान लीवर लाइफब्वाय साबुन बनाता है तो गांवों में भी साबुन बन रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि छोटे उद्योगों में जो वस्तुएं बन सकती हैं उनको बनाने के लाइसेन्स मीडियम और लार्ज स्केल इण्डस्ट्री वालों को नहीं दिए जाने चाहिए।

जहां तक एक्साइज ड्यूटी की बात है आप साल में अक्सर एक्साइज ड्यूटी में एग्जेम्शन देते रहते हैं, इसके बारे में पी० ए० सी० कमेटी ने एक रूल्स कमेटी बनाने का सुझाव दिया है। जितने भी आम एग्जेम्शन दे रहे हैं वह गवर्नमेन्ट के हाथ में ही रहता है। अगर कोई एक्साइज ड्यूटी वगैरह आप डालते हैं तो वह पार्लमेन्ट में आता है लेकिन जब एक्साइज ड्यूटी वगैरह में आप एग्जेम्शन देते हैं तो नीचे से सरकारी बाबू जो फाइल भेज देता है, मिनिस्टर साहब उसपर दस्तखत कर देते हैं और इस प्रकार एक दस्तखत से ही कई करोड़ का एग्जेम्शन मिल जाता है। इसीलिए पी० ए० सी० ने रेकमेन्ड किया है, एक पार्लमेन्टरी कमेटी बनानी चाहिए जो कि इस बात को देख सके कि किस-किस चीज पर एग्जेम्शन देना चाहिए। इस सुझाव पर विचार करने के लिए भी मैं मन्त्री जी से कहूंगा।

साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूंगा। इस सदन में बहुत से किसान हैं। कपास, जूट, मिरची—इन चीजों के बारे में सरकार को कोई पालिसी बनानी चाहिए। हर बार हमको आपके डोर पर धरना देना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है। जिस किसान ने जूट पैदा किया है वह आज मर रहा है। आपने सौ-दो सौ रुपए टन ज्यादा बढ़ाया होगा और उसको कम करने के लिए अब आपने प्लास्टिक के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया। इसके कारण आई० डी० बी० आई० लाख में जाता है। कर्जा लेकर, पैसा लेकर काम किया लेकिन अब इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक घाटे में जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो चीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में तैयार होती है उसके लिए आप किसी मैन-मेड फैबरिक में लाइसेंस मत दीजिए नहीं तो उसका नतीजा यही होगा जैसे कि आज कपास को 250 रुपए में कोई पूछने वाला नहीं है। अभी मैंने घर जाकर देखा किसान हमारे सामने कपास लाकर रखें और कहा कि हम इसको आग लगाने वाले हैं क्योंकि कोई भी इसको पूछने वाला नहीं है। 250 रुपए क्विंटल का भाव मिल रहा है। कॉटन कारपोरेशन परचेज करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बताता हूं, पिछले तीन महीनों में 175 करोड़ रुपए का कपास जला दिया गया है। कॉटन कारपोरेशन वालों ने जला दिया है, क्योंकि इन्शोरेंस कम्पनी उनको पैसा देती है। यह स्थिति औरंगल में पैदा हुई। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे जूट हो, चाहे कपास हो, चाहे मिर्च को, इसके लिए आपको परमानेण्ट पॉलिसी बनानी चाहिए। देश के उत्पादन को देखते हुए हमें कितना बाहर से मंगाना है, इस पर विचार करना चाहिए। आपके भरोसे पर ही किसान पागल बनता है। अभी हम शूगर बाहर से मंगा रहे हैं। चीनी के साथ और भी चीजें मंगा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि चीनी बाहर से मंगाने में जितना पैसा खर्च होता है, यदि आप उसको लाभ यहां के किसानों को दें, उनको प्रोत्साहन दें, तो देश के किसानों का लाभ होगा। लेकिन आप ऐसा करने वाले नहीं हैं। यदि यही स्थिति चलेगी तो एक दिन चावल, गेहूं की भी यही स्थिति आने वाली है। इसलिए मैं कहता हूं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए आप एक परमानेन्ट नीति बनाइए, ताकि किसानों को लाभ हो। किसानों को लाभ नहीं होगा तो वे धरना देते हैं, पार्लियामेंट के बाहर आकर धरना देते हैं। इन सब चीजों को रोकने के लिए आपको किसानों को लाभ देना चाहिए।

इतना कहते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने सदन में जो वर्तमान वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो दीर्घकालीन स्थिर वित्त राष्ट्रीय नीति का निर्धारण किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही आने वाले समय में कर-निर्धारण के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के सम्बन्ध में, औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में जो आपने नियम और उप-नियम एवं नीति का निर्धारण किया है, वह अपने आप में राष्ट्रीय वित्त नीति को आगे चलकर के एक समर्थन देगा और उसमें स्थिरता लाएगा।

माननीय वित्त मंत्री जी की जो कल्पना है, वह यह है कि देश में आय के स्रोत सतत् गति से और निरन्तर गति से पैदा हो और आने वाले समय में हमारे केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के रेवेन्यू रिसीट्स अपने आप एक प्रकार से निर्धारित हो सकें और उनमें किसी प्रकार अपेक्षित रूप से कम-व-पेश न हो सके। मैं यहां पर जो माननीय वित्त मंत्री जी ने छूटें दी हैं, विशेष रूप से इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय जो उन्होंने दी हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। वे छोटे मध्यम वर्ग और उद्योग में लगे हुए जो लोग हैं, खास तौर से मध्यम वर्ग समाज का जो तबका है, उससे उनको विशेष रूप से लाभ दिया है, उससे सारा समाज आपकी तारीफ करता है। इन छूटों को देने में जो आपका दृष्टिकोण रहा है, वह राष्ट्र के हित में है और समाज के हित में है। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक निश्चित प्रणाली राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करने की घोषणा की है, यह आपने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इससे निश्चित रूप से राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक यह जान सकेगा कि उसको कितना कर देना है। यह दीर्घकालीन कर नीति अपने आप मे प्रशसनीय नीति है। इसके साथ ही मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और आपकी जो स्थानीय निकाय संस्थाएं हैं, उन पर कितना खर्चा होता है, यदि आप दीर्घकालीन रूप से निश्चित कर दें, तो आपको आपकी इस वित्त नीति में एक प्रकार से सहयोग मिलेगा। मैं मौजूदा बजट को पढ़ रहा था। उसमें केन्द्रीय सरकार का खर्च 52,800 करोड़ रुपए का है और यह अपने आप में कुल राष्ट्रीय आय का 25 प्रतिशत है और यदि इसमें राज्य सरकार के व्यय और स्थानीय निकायों, म्यूनिसिपेलिटीज और महापौर आदि के खर्च को जोड़ दिया जाए, तो करीब 30 और 40 प्रतिशत हो जाता है। इतना अधिक खर्चा, 30, 40 प्रतिशत खर्चा केवल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के तौर पर खर्च हो, तो इसके बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए और इसके बारे में एक नीति निर्धारित करके इस खर्चे को कम किया जाना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने अपने बजट भाषण के भाग ख, पृष्ठ 34 पर क्रम संख्या 127 में यह बात कही है :

> "मेरा अगला प्रस्ताव खाद्य तेलों के अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के बारे में है।"

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो खाद्य तेलों के सम्बन्ध में और शुगर के सम्बन्ध में इतना रुपया विदेशी मुद्रा का खर्च करते है और आज भी बाहर से इनको मंगा रहे हैं, इसको कम करना चाहिए। अभी जो आपने घोषणा की है और सरसों के तेल के ऊपर 1500 रुपए एक्साइज ड्यूटी जो थी, उसको आपने 750 रुपए कर दिया, इससे किसानों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है और बाजार मूल्य में इससे जो 30 रुपए क्विंटल भाव में बढ़ोतरी हुई है इन्हीं दिनों आपकी इस घोषणा के बाद, इससे सीधे किसान को इन्सेंटिव मिलता है। मैं चाहता हूं कि कृषि जिंसों के बारे में आपको निश्चित रूप से एक दीर्घकालीन मूल्य नीति निर्धारित कर देनी चाहिए कि इनका इतना

मूल्य देंगे और किसानों को यह आश्वासन हो जाए कि आने वाले पांच सालों में सरसों या दूसरे जो आयलसीड्स हैं, उनका इतना मूल्य मिलेगा, तो वह निश्चित रूप से उनको पैदा करेगा।

दूसरी बात मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि अभी कामर्स मिनिस्टर साहब ने यह घोषणा की है कि हम अपनी कैश कम्पेसेटरी सपोर्ट की जो नीति है, उसको हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी लागू करेंगे।...(व्यवधान)...मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि श्री शिव शंकर जी ने जो सदन में 1 अप्रैल को घोषणा की है कि केश कम्पेंसेटरी सपोर्ट की जो स्कीम है, इसको हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर लागू किया जाएगा, निश्चित रूप से आप इसको देखें और देखकर घोषणा करें कि किन-किन जिंसों पर उसका लाभ मिलेगा। इसको आप देखें और साथ ही साथ जो किसान पैदा करता है, जिसको केश क्रोप कहते हैं जैसे आलू है, शुगर है और इसके साथ-साथ प्याज है, जो मेरे इलाके में पैदा होती है, अलवर में और गुजरात में भी पैदा की जाती है, केला है और दक्षिण के लोग कार्डामोम, छोटी इलाइची पैदा करते हैं और अदरक पैदा करते हैं, जो पैदा होने के करीब दो महीने बाद खराब हो जाती है, इन सबको एक्सपोर्ट करने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के ऊपर भी क्या आप केश कम्पेंसेटरी प्राइस देने की व्यवस्था करेंगे।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है, वह करीब 7 हजार करोड़ रुपए का है और इस साल में गैप ज्यादा हुआ है। इस साल आपका इम्पोर्ट जो है, वह 20 प्रतिशत बढ़ा है। इसके ऊपर क्या आप अपना नियन्त्रण कायम करेंगे। जब तक हमारा इम्पोर्ट सही नहीं होगा, तब तक देश की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से नियन्त्रण नहीं हो सकेगा।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की समाजवादी नीति को देखते हुए, आपने जो इस्टेट ड्यूटी से बिल्कुल मुक्त कर दिया है, उसको फिर से लागू करें क्योंकि इससे जो ब्लैक मनी का जेनरेशन है, वह रुकेगा। ब्लैक मनी का जेनरेशन इसलिए रुकेगा कि आदमी जो जायदाद छोड़ता है, वह कम से कम आपके एकाऊन्ट्स में आएगी, आपके कागजों में आएगी और रिकार्ड में आएगी। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मिनिस्टर साहब बहुत ईमानदारी और सच्चाई के साथ राष्ट्र के हित में यह बजट लाए हैं और मैं आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं, उन पर वे विचार करेंगे।

[अनुवाद]

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने उत्पाद शुल्क में और रियायतें दी हैं।

महोदय, कृषि, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यद्यपि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन काफी अधिक बढ़ा है किन्तु देश में इसकी प्रति हैक्टेयर पैदावार बहुत कम है। उदाहरण के लिए वर्ष 1983 में गेहूं की प्रति हैक्टेयर पैदावार 1848 किलोग्राम थी जबकि इसका विश्व औसत 2144 किलोग्राम था। उसी वर्ष में आयरलैण्ड का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 7292

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

किलोग्राम था। इस प्रकार भारत ने गेहूं उत्पादक देशों में 31वां स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह चावल के उत्पादन में भारत का 38वां स्थान रहा। भारत में वर्ष 1983-84 में चावल की प्रति हैक्टेयर पैदावार 2025 किलोग्राम थी जबकि विश्व औसत 3004 किलोग्राम था। दक्षिण कोरिया ने शीर्ष स्थान प्राप्त करके प्रति हैक्टेयर 6364 किलोग्राम पैदावार थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत प्रति हैक्टेयर पैदावार में अन्य देशों से काफी पीछे है। अतः देश में प्रति हैक्टेयर पैदावार बढ़ाने और भारत को उन देशों, जिनकी खाद्यान्नों में अधिक से अधिक उत्पादकता है, के समतुल्य लाने हेतु आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं, मेरे राज्य केरल के सम्मुख आ रही कुछ समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम ही है केरल औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य है और वहां केन्द्रीय सहायता न ण्य है। केन्द्र को केरल के औद्योगीकरण के लिए केरल में पूंजी निवेश बढ़ाने हेतु तत्काल कदम उठाने चाहिए।

इस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि केरल में एच० एम० टी० यूनिट का विस्तार किया जाना चाहिए। ऐसा मालूम हुआ है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का सातवीं योजना के दौरान अपनी यूनिटों का विस्तार करने का प्रस्ताव है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह कलमसेरी स्थित एच० एम० टी० की यूनिट के विस्तार कार्य में तेजी लाये। इसी प्रकार पालघाट स्थित इण्डिया टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के यूनिट का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह यूनिट इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज और टेलीफोन उपकरणों का विनिर्माण कर सके। यह अवश्य किया जाना चाहिए। श्रीमान केरल में कभी भी रक्षा उत्पादन की कोई यूनिट स्थापित नहीं की गई। केरल सरकार द्वारा यह मांग की गई है कि केरल राज्य में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम-से-कम एक रक्षा उत्पादन यूनिट स्थापित की जाए। मैं समझता हूं कि रक्षा मन्त्रालय का इस योजना अवधि के दौरान कुछ आयुध फैक्टरियां स्थापित करने का प्रस्ताव है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह यह देखे कि एक इस प्रकार का यूनिट केरल में भी स्थापित किया जाए। सरकार ने सातवीं योजना के दौरान रेल सवारी डिब्बों की एक विशाल फैक्टरी स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। केरल सरकार ने मांग की है कि एक रेल सवारी डिब्बा फैक्टरी केरल राज्य में स्थापित की जाए। मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे इस मांग पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और केरल में पालघाट में इस फैक्टरी की स्थापना के लिए कार्यवाही करें।

महोदय, सातवीं योजना में केरल के तटवर्ती क्षेत्र में एक अपतटीय तेल गवेषण कारखाना शुरू करने का प्रस्ताव है। किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस कार्य को शीघ्र शुरू करने के लिए आवश्यक धनराशि आबंटित करे।

महोदय, केरल का पालघाट जिला अभूतपूर्व सूखे से ग्रस्त है। अधिकांश तालुके सूखाग्रस्त हैं। स्थिति इतनी गम्भीर है कि कई स्थानों में तो पेय जल की भी अत्यधिक कमी है। फसलों की बहुत हानि हुई है और लोग अपनी जीविका के इस एकमात्र साधन से भी वंचित हो गए हैं। शुरू में 33 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था और अब इनकी संख्या 91 हो गई है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि जिन किसानों की दूसरी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है, उन्हें निःशुल्क उर्वरक और बीज प्रदान किए जाए। इसी प्रकार जिनकी वाणिज्यिक फसल नष्ट हो गई है, उन्हें

पर्याप्त मात्रा में क्षतिपूर्ति की राशि दी जाए। मैं यह मांग भी करता हूं कि कृषि मजदूरों को मुफ्त राशन दिया जाए। कुछ परियोजनाएं, जो पालघाट जिले में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए थीं, छोड़ दी गई। उदाहरणार्थ कुरियरकुट्टी—कारापारा परियोजना, जो कि पालघाट के सूखा पीड़ित क्षेत्रों में खेतों की सिंचाई के लिए थी, अधूरी पड़ी है। इस परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिए। मैं सरकार से यह अनुरोध भी करना चाहूंगा कि किसानों को राहत देने के लिए कृषि ऋणों पर स्थगन की सुविधा देने की घोषणा की जाए।

पालघाट में सूखा निवारण सम्बन्धी उपायों के लिए आबंटित की गई धनराशि बहुत अपर्याप्त है। 10.8 करोड़ रुपए की मांग की गई थी किन्तु केवल 76 लाख रुपए ही दिए गए हैं। वहां व्याप्त सूखे की गम्भीर स्थिति से निपटने के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह केरल सरकार द्वारा मांगी गई पूरी धनराशि जारी करे।

महोदय, मैं अनेक बार इस सभा में यह मांग कर चुका हूं कि पालघाट की स्थिति का अध्ययन करने के लिए वहां एक केन्द्रीय अध्ययन दल भेजा जाए और वहां के लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। मैं अपनी इस मांग को दोहराता हूं। एक अध्ययन दल वहां शीघ्र भेजा जाये और अनुवर्ती कार्यवाही की जाये। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक कदम उठाएंगी। मैं पुनः इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय मैं माननीय सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों और उनके महत्वपूर्ण सुझावों के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मैं इस समर्थन के लिए, विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र के पक्ष में किए गए परिवर्तनों, कर अपवंचन के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कड़ी कार्यवाही और हमारे द्वारा अपनाई गई खुली बजट की प्रणाली के समर्थन के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। समस्त सभा द्वारा दिए गए समर्थन से मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ हूं। इससे मुझे वर्ष भर यह शक्ति मिलती रहेगी कि मैं इन नीतियों को जारी रखूं और इन्हें क्रियान्वित करता रहूं। मैं इसके लिए सभा का आभारी हूं। मैंने आलोचनात्मक टिप्पणियों को भी बहुत रुचिपूर्वक सुना है और मैंने उन्हें सद्‌भावनापूर्वक लिया है और वे अच्छे उद्देश्य को लेकर की गई हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वे सद्‌भावनापूर्वक भी की गई थीं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं यह स्वीकार करता हूं कि वे सद्‌भावनापूर्वक भी की गई थीं। निस्सन्देह हम खुले दिमाग वाले लोग हैं। हम इन टिप्पणियों में जहां भी कोई अच्छाई पाते हैं उसे तत्काल स्वीकार कर लेते हैं और उनके अनुसार सुधार कर लेते हैं।

महोदय, जिस आलोचना का कोई ठोस आधार नहीं होता मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता अथवा उसके लिए सभा का समय नष्ट नहीं करता, मैं समझता हूं कि समय ही उसका सही उत्तर होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन आलोचनाओं सही उत्तर होगा जिनका आपके पास कोई उत्तर नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : समय उत्तर देगा और बहुत शीघ्र देगा। समय के पास इसका उत्तर होगा और इसलिए मैं इनके बारे में नहीं कहूंगा।

महोदय, मैं विशेष रूप से श्री माधव रेड्डी जी के प्रति आभारी हूं। उन्होंने खुली बजट प्रणाली के सम्बन्ध में अधिकतम समर्थन दिया है। वस्तुतः इस वर्ष हमने कुछ रहस्यों को उजागर करने के लिए सावधानी पूर्वक प्रयास किया है। मैं यह नहीं कहता कि हम पूरी तरह से खुला बजट बनाने लगे हैं, मेरा विचार है कि सरकार का कार्यकरण यथासम्भव सुस्पष्ट होना चाहिए। ऐसे में जब कि संसाधन जनता के हैं और जनता के लिए ही जनता के संसाधनों का उपयोग किया जाना है, तो सिवाय उन मामलों के जहां कि बाजार पर खुले बजट का अनिश्चित प्रभाव पड़ सकता है, बीच में वित्त मंत्रालय का पर्दा ठीक नहीं है। विवेक कहता है कि कुछ गोपनीयता अवश्य होनी चाहिए किन्तु अन्यथा मैं यह महसूस करता हूं कि ज्ञान का अधिकाधिक आदान-प्रदान होना चाहिए। इसका उद्देश्य केवल यह नहीं है कि लोग वास्तविकता को जानें बल्कि यह भी है कि वे सार्थक तरीके से निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। वस्तुतः बजट रखे जाने के बाद बजटोपरान्त चर्चाओं और अन्तरवर्ती कार्यवाहियों में हमने निश्चित रूप से वस्तुतः इसी उद्देश्य को प्राप्त किया है, मैं यह महसूस करता हूं कि जनता में भागीदारी की भावना है। उसमें केवल भागीदारी की भावना ही नहीं है, बल्कि वह यह भी महसूस करती है कि सरकार के अन्तिम रूप से निर्णय करने की प्रक्रिया में उसका भी दखल है।

महोदय, निर्धन ग्रामीण जनता, रिक्शा चालकों, नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों, रेलवे के कुलियों आदि से मेरी अनेक बार बातचीत हुई है। संभवतः उन्होंने पहली बार वित्त मंत्रालय में प्रवेश किया है। मुझे आपको यह अवश्य बताना चाहिए कि जब हम एक साथ बैठे तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे अधिक पूछताछ नहीं करनी पड़ी क्योंकि उन्हें पता था कि वे क्या चाहते हैं और उनकी क्या समस्या है। उनकी कुछ समस्यायें ऐसी थीं जिन्हें वे कई बार रख चुके थे किन्तु हमने उन समस्याओं के बारे में सुना भी नहीं था। मुझे यह अवश्य बताना चाहिए कि उस आपसी बातचीत से मुझे बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुईं। हमने कुछ परिवर्तन भी किये। नगरपालिका के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि हम और कुछ करना चाहें, तो क्या आप हमें ऋण नहीं देंगे? उनका प्रश्न सारगर्भित था। आप केवल उसी कार्य के लिए ऋण क्यों दे रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। मेरे पास कोई उत्तर न था किन्तु उसके प्रश्न का उत्तर भी देना था और तत्काल हमने कहा कि हम औरों के लिए भी यह व्यवस्था करेंगे। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो हम ऐसा करेंगे।

इस प्रकार लघु उद्योग क्षेत्र के सम्बन्ध में हमारी देश भर में आमने सामने बातचीत हुई और इस पारस्परिक बातचीत का परिणाम यह रहा कि अनेक परिवर्तन किए जा सके और ये परिवर्तन केवल सरकार की ओर से ही नहीं किए गए बल्कि, मैं आपको यह बता दूं कि इसका श्रेय लघु उद्योग क्षेत्र और उसके प्रतिनिधियों को है...... उन्होंने भी अपनी स्थिति में परिवर्तन किया। सभी 20 लाख से अधिक छूट की सीमा की मांग कर रहे थे और उनका कहना था कि हमें 30 लाख 50 लाख रुपए दो और एस टी आई 68 बना रहना चाहिए और उस छूट के लिए मैंने बताया कि हमने इस देश में एक महत्वपूर्ण सुधार किया है। हमने समानीकरण की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुसार उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क की अन्तर्राष्ट्रीय विश्लेषण प्रणाली शुरु की है। विश्व में बहुत कम देशों ने ऐसा किया है, उन्होंने इसी प्रकार पूर्ण रूप से समानीकरण किया है। इसके साथ ही 'एक्स' विश्लेषण प्रणाली अथवा एस० टी० आई-68 को जारी रखना व्यर्थ ही मुर्दे को ढोने के समान होगा। क्या आप यह चाहते हैं? मुझे लघु उद्योग क्षेत्र के लोगों की समझदारी की अवश्य प्रशंसा करनी चाहिए। उन्होंने कहा : नहीं, जब आप यह सुधार कर चुके हैं, तो हम आपको सहयोग देंगे" और उन्होंने इससे ऊंची मांगें

की और 15 लाख रुपए की छूट की यह सीमा काफी नहीं थी, यह वित्त मंत्रालय का कोई आदेश हैं। यह निर्णय संयुक्त रूप से किया गया। यह प्रमाणिक ही नहीं है, बल्कि इसे इसकी स्वीकृति और समर्थन भी प्राप्त है और जैसा कि घोषित किया गया है, यह उन कतिपय निर्णयों से अधिक महत्वपूर्ण है जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा लिए जाते। अब मुझे लघु उद्योग क्षेत्र के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी और उन निर्णयों के जानकारी है जो हमारे सामने आये हैं। इसलिए उन्होंने भी अपनी मांगों में परिवर्तन कर दिया। वे किसी मानदण्ड का पालन नहीं करते। इसलिए इस अनुभव के बाद हमने भी यह निर्णय कर लिया है कि यदि किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी कोई आम समस्या हो जिसका जनता के समूचे वर्ग पर प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए हमारे दरवाजे 3.30 बजे म० प० से 4.30 बजे म० प० तक खुले रहेंगे और वह बिना किसी पूर्व नियत समय के मेरे पास आ सकता है।

एक माननीय सदस्य : दरवाजे का अर्थ आपके आफिस...?

श्री नारायण चौबे : वहां अनेक दरवाजे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : निश्चय ही इसका आशय संसद भवन से नहीं है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसका आशय उस कमरे से नहीं है जिसमें मैं न हूं। इसलिए, यदि हम ऐसा कर सके, तो मेरा यह निजी विचार है कि मुझे उद्योगपतियों, कृषकों, श्रमिकों और अर्थशास्त्रियों से बजट पूर्व विचार विमर्श करने के लिए इस व्यवस्था को अपनाना होगा। क्यों न संसद के शरद कालीन सत्र में एक दिन की चर्चा, अर्थात बजट पूर्व चर्चा की जाये ? संसद सदस्य क्यों नहीं आकर इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते कि आगामी वर्ष का बजट किस प्रकार का हो सकता है। मैं नहीं जानता कि क्या यह व्यावहारिक होगा। किन्तु निश्चित रूप से मैं इस बात का स्वागत करूंगा कि हम विचार विमर्श कर सकें ताकि इस महान सभा की ओर से इसकी प्रतिपुष्टि हो सके जिससे मुझे ऐसी नीतियों ओर दिशा को तैयार करने के लिए शक्ति मिलेगी जिनकी हम राजनीतिक व्यवस्था, देश की उच्चतम राजनीतिक संस्था से पहले ही प्रतिपुष्टि करा चुके हैं।

श्री नारायण चौबे : क्या आप चर्चा के पश्चात वाद-विवाद होने देंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस संसार में कोई भी स्वयं में पूर्ण नहीं। इसलिए वाद-विवाद तो सदा ही होता रहेगा।

श्री नारायण चौबे : क्या आपने उन्हें बुलाया जिनके साथ आपने परिपत्र जारी करके अथवा आपने उन्हें किस तन्त्र द्वारा आमन्त्रित किया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत अधिक क्षेत्रों से प्रतिनिधि आये थे। यह समर्थन नहीं था अथवा उस किस्म की कोई बात नहीं थी और उस बारे में कोई शिकायत भी नहीं की गई।

श्री नारायण चौबे : हमें बिलकुल भी यह पता नहीं चला कि आप उनसे मिल रहे हैं। यदि हमें इसकी जानकारी होती तो हम अपने लोगों को भी भेजते।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमने श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ अलग से यूनियन के मामलों के सम्बन्ध में विस्तार से विचार विमर्श किया और हमने एक दूसरे की बात को सुना है। और उस बैठक में इस किस्म की कोई शिकायत नहीं आई जिसमें मैं सभी पार्टियों के श्रमिक प्रतिनिधियों से मिला था।

श्री के० एस० राव (मछलीपत्तनम) : क्या आप बिचौलिया चाहते हैं?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि बुद्धि केवल वित्त मंत्री या लोगों के एक वर्ग में ही नहीं होती है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह जानकारी तो हमें आज मिली है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हां मैं इसे स्वीकार करता हूं। वह एक सही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है क्योंकि सामूहिक बुद्धिमत्ता से काम करना लोकतंत्र का सार है।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस (आई) पार्टी सहित।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एक बुनियादी बात है। जिस दिन हम सामूहिक बुद्धिमत्ता के महत्व को अस्वीकार कर देंगे तो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं रहेगी। इस प्रक्रिया मे राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का महत्व किसी वित्त मंत्री के अहम की अपेक्षा अधिक है। साथ ही वह अत्यधिक परमपावन भी है कि निहित स्वार्थों की वेदी पर इसका बलिदान नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय विकास के रास्ते में न तो व्यक्तिगत मान-सम्मान और न बुरी भावना वाले लालच को आने देना चाहिए। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त होने चाहिए जिन्हें मैं आप को बताना चाहता हूं और हमारे द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों को ध्यान में रखते हुए सभा जो मार्गदर्शन करेंगी उससे निश्चय ही मुझे प्रोत्साहन मिलेगा।

अब हम वित विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान चर्चा के लिए कुछ मुद्दे रखेंगे। हम ऐसा अवश्य करेंगे लेकिन इसके अतिरिक्त अर्थ व्यवस्था ऐसी चीज है जिसे आप विभाजन रेखा खींचकर बांट नहीं सकते है। आप राज्यों की सीमाएं निर्धारित कर सकते है देश की सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं लेकिन देश की यह अर्थ व्यवस्था कर संघटित चीज है। हम बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यह बहुत स्पष्ट है कि हम सभी को मिलकर चाहे हम इस ओर हों या विपक्ष में हों, इस देश के नागरिक के रूप में विचार करना होगा और हमें आम सहमति पर पहुचने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सी बाते हैं; ऐसा नहीं हैं कि सभी मामलों में मतभेद है। कुछ मामलों के सम्बन्ध में हमारे दोनों पक्षों का दृष्टि कोण समान है मेरे विचार में ऐसा करने पर ही हम इन मामलों का सामना करने में सफल होंगे। कुछ आर्थिक उपायों को जब तक राजनैतिक समर्थन नहीं मिलता है तब तक वे उपाय सफल नहीं हो सकते चाहे वह उपाय कितने भी अच्छे क्यों न हों।

और इस विनम्र भावना से मैं उन कुछ समस्याओं में आपको साझीदार बनाना चाहता हूं, जिनका आज हम सामना कर रहे हैं और हम उन पर कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

मुझे याद है कि कुछ समय तक "मोडवाट" को मार्च के पहले सप्ताह में वास्तव में "मैडवाट" कहा गया और उसके ऊपर बहुत से सम्पादकीय तथा लेख अखबारों में प्रकाशित हुए थे कि यह वास्तव में "मैडवाट" है। मुझे स्वयं कुछ शंकायें थी क्योंकि मैंने इसका उल्लेख किया था। लेकिन मैंने देखा कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैंने यथा सम्भव उपाय किए। इस मामले में एक तरीका यह था कि इस एक दशक के लिए यह अनिश्चितता कि देश अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है, लेखा रखने की प्रणाली अभी तैयार नहीं हैं लघु उद्योग को छूट देने के लिए लोग अभी तक तैयार नहीं है, लेखा रखने का अभी तक कम्प्यूटरीकरण नहीं किया गया है। अनेक बहुत सी बातें हैं। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, अपने को तैयार करना चाहिए और फिर इसे करना चाहिए मेरे विचार बहुत स्पष्ट

हैं। एक विचार यह कि हमारे पास "मैडवाट" नहीं होगा और दूसरे यह कि हमें असमानता को दूर करने के लिए इस मामले में आगे बढना चाहिए। मैं यह अच्छी तरह जानता था कि कुछ समय तक मेरी बहुत आलोचना होगी और वस्तुतः मैंने अपने को इसके लिए एक वर्ष तक तैयार किया था क्योंकि बहुत से देशों में जहां इसकी शुरुआत की गयी थी लोगों ने मुझे चेतावनी दी थी कि उन्होंने इसका निर्णय करने में बहुत समय लगाया था। मैंने कहा था कि ठीक ही है। मैंने 365 दिनों तक आलोचना किए जाने तक के लिए अपने को तैयार किया। मैंने स्वयं यह कहा कि यदि यही मूल्य दिया जाना है तो उस अर्थ व्यवस्था को बदलने के सम्बन्ध में चुकायी जाने वाली कीमत बहुत कम है जिसमें वर्षों लगते। यदि वित्त मंत्री की एक वर्ष तक आलोचना की जाती है तो यह बहुत मामूली कीमत है। जब यह राष्ट्रीय हित में आती है तो यह स्वयं को बचाने का प्रश्न नहीं है। यदि आप इसे दूर रहना चाहते हैं तो आप राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि यदि को बीमार व्यक्ति डाक्टर से नाराज है या उसे गाली दे रहा है यदि डाक्टर उस व्यक्ति से नाराज हो जाता है तो वह उस बीमार का इलाज नहीं कर सकता है।

इसलिए उन्हें इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आपकी दया और आपके समर्थन के कारण 365 दिन की आलोचना की बजाय मेरे विचार से 60 दिन की आलोचना पर्याप्त है। दो महीनों के लिए—आप मार्च के प्रथम सप्ताह से अप्रैल के अन्तिम सप्ताह की अवधि याद रखें—यदि आप इस पर ध्यान देते हैं तो अधिकांश समस्या हल हो जाती है और हमने अधिकांश समस्या पर काबू पा लिया है। जो कुछ भी हानि हो, दरवाजे खुले हैं और साल के अन्त तक यह एक प्रमाणित सत्य होगा। और मैं यह कहने का साहस भी रखता हूं कि 'मैडवाट' के तहत शेष मदों को अगले वर्ष देखेंगे। और इसके लिए शेष क्षेत्रों को तैयार करने के लिए अगले वर्ष के लिए विचार-विमर्श शुरू करेंगे। इसलिए केवल 38 अध्यायों की बजाय अगले वर्ष तक इसे सभी अध्यायों में जोड़ा जा सकता है।

'देवराजी' ने दिल्ली से क्षेत्र प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले निर्णयों के बारे में प्रश्न उठाया है। इसके लिए शीघ्रता की जा सकती है। अधिकारी बैठकें करते रहे हैं और मैं लोगों में एक-दूसरे की बात सुनने की इस प्रक्रिया को जारी रखूंगा। तथापि, अन्य तरीके के सम्बन्ध में टैलेक्स अथवा किसी अन्य तीव्र उपाय द्वारा मैं इस पहलू को देखूंगा ताकि हम अत्यधिक तेजी से सन्देश भेज सकें।

एक अन्य पहलू जिस पर हमने जोर डालने का प्रयास किया है वह है लघु उद्योग। यह केवल राहत नहीं है। लेकिन परिवर्तन का प्रमाण चिह्न विश्वास है जो सभी राहतों की अपेक्षा कहीं ज्यादा अच्छा है जिसकी मैं कई पृष्ठों पर सूची बना सकता हूं। हमने यह कहा है कि 50 लाख रुपए के उत्पादन के लिए यह पूर्ण रूप से स्व-निर्धारण के आधार पर होगा। तीन महत्वपूर्ण कारणों में से पहला विश्वास, दूसरा सरलीकरण, और तीसरा नियन्त्रण को कम करना है। इसलिए विश्वास के सम्बन्ध में मैंने यह कहा है कि 50 लाख रुपये तक का उत्पादन पूर्णतः विश्वास पर है अर्थात् स्व-निर्धारण के आधार पर है। सरलीकरण के सम्बन्ध में उत्पादन शुल्क के उद्देश्यों के लिए एक पंजीकृत पत्र की पावती-रसीद को ही उत्पादन शुल्क लाइसेंस माना जायेगा। हमने यह घोषणा की है कि लाल फीता शाही से छुटकारा पाने के लिए मैं और किसी सरलीकरण पर विचार नहीं करूंगा।

डागा जी ने 'इंस्पेक्टर राज' के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया है और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी इसके बारे में उल्लेख किया है। अच्छा। निरीक्षक भी मेरी व्यवस्था के अंग हैं और इसके परिणाम भी निकले हैं। मैं प्रत्येक की पूर्ण निन्दा के विचार का समर्थन नहीं करूंगा।

लेकिन लघु उद्योग के बारे में हमने कहा है कि निरीक्षक वर्ष में केवल एक बार ही छोटे पैमाने की एककों का निरीक्षण करेगा। इसलिए यदि कार्य में प्रतिदिन या सप्ताह में एक बार बाधा पैदा की जाती है तो मेरे विचार से यह स्पष्ट है और इसका भी ध्यान रखा जाता है।

एक माननीय सदस्य द्वारा एक मुद्दा यह उठाया गया था कि लघु उद्योग सीधे उत्पादकों से खरीद नहीं कर सकते हैं और वे 'मॅडवाट' का फायदा कैसे उठाएंगे। हमने बहुत-सी मदों के सम्बन्ध में व्यवस्थाएं की हैं। हमें यह मानना होगा कि इतनी धनराशि प्रपत्र के आधार पर ही चुका दी गई है। इसलिए लघु उद्योग के लाभ के लिए हमने यह व्यवस्था बहुत-सी उन मदों के लिए की थी जो लघु उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है।

हम यह देख चुके हैं कि कर दाताओं के बीच पैदा किया गया यह विश्वास पहले से ही कार्य कर रहा है। अब हम यह कहते हैं कि एक लाख रुपये तक की वापसी के लिए हम कर विवरिणियों की जांच नहीं करेंगे, हमारे पास व्यक्तिगत आय कर में विस्तार करने की गुंजाइश है और वस्तुतः यह विस्तार पिछले वर्षों की तुलना में व्यक्तिगत आय-कर में 43 प्रतिशत से अधिक है।

कुछ लोगों ने विशेष रूप से मेरे ऊपर और सामान्य रूप से सरकार के ऊपर ये आरोप लगाये थे कि सरकार उद्योगपतियों या कर-दाताओं का विश्वास नहीं करती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उस कारण से मैं कभी-कभी सरकार के प्रति भी गलत कार्य कर रहा हूं। वे कर-दाताओं पर हमारे विश्वास करने के सम्बन्ध में और क्या प्रमाण चाहते हैं? एक लाख रुपए तक हम इसे उनके कहने पर लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उसके कहने का मूल्य अब एक लाख रुपये तक है और लघु उद्योग उद्यमी के कहने का मूल्य 50 लाख रुपये है। लेकिन शायद वह व्यक्ति जो यह आरोप लगाते हैं कि सरकार और उद्योगपतियों को एक-दूसरे पर विश्वास नहीं हैं, आम व्यक्ति कर-दाता नहीं है। उनके लिए कर नहीं हैं, लघु उद्योग या उनके लिए जिन्होंने एक लाख रुपये तक लाभ कमाया है, उनके लिए भी कर नहीं है। केवल बड़े उद्योगपतियों पर कर लगते हैं। यदि आप कोई चीज दिखाते हैं तब ही विश्वास साबित होगा। लेकिन यदि इसका अभिप्राय यह है कि मुझे कर की चोरी करने वालों का विश्वास करना चाहिए, तो मुझे यह स्वीकार नहीं करना चाहिए कि मैं कर-वंचकों का विश्वास करता हूं। मैं उन कर-वंचकों का विश्वास नहीं कर सकता हूं जितना मैं उन व्यक्तियों का करता हूं जिन्होंने ये विवरिणियां भेजी हैं।

एक यह प्रश्न पूछा गया था, इस बारे में समाचार-पत्रों में काफी कुछ प्रकाशित हुआ है। अर्थात् 'मॅडवाट' के कारण कुछ मूल्यों में वृद्धि हुई है। 'मॅडवाट' के कारण नहीं हुई है। वस्तुतः हमने कुछ वस्तुओं पर अर्थात् कार, टी० वी०, रेफ्रीजरेटरों और एयरकण्डीशनरों पर जानबूझकर शुल्क लगाया था। जब जानबूझकर शुल्क लगाया जाता है तो मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक है।

मैं इसके लिए क्षमा याचना नहीं करूंगा क्योंकि यह उन व्यक्तियों से ससाधन जुटाने का एक सर्वसम्भव निर्णय है, जो इसे सहन कर सकते हैं। लेकिन जहां कहीं अन्तर है हम उसे दूर कर रहे हैं।

एक उदाहरण टैल्कों ट्रकों के बारे में दिया गया और वह प्रारम्भ में ही बिल्कुल सुस्पष्ट रूप से समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था। यह विचार किया गया था कि मूल्य कम हो जाएंगे लेकिन उनमें वृद्धि हुई है। ठीक है, मैंने पूछा : यह असमानता कैसे है ? मूल्यों में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन बजट से कुछ पहले अशोक लेलेन्ड ने अपने "कोमेट" के मूल्य में 6723 रुपये की वृद्धि की, टैल्कों ने 1210 ए० सी०-142 के मूल्य में बजट से पहले 9038 रुपये की वृद्धि की।

अब उन कम्पनियों ने बजट से पहले अपने मूल्यों में 9,000 रुपये की वृद्धि की है। वे इसको न्यायसंगत कैसे सिद्ध करेंगे और यह कहते हैं कि शुल्क लगाने के कारण 2 प्रतिशत वृद्धि हुई है ? मैं उनसे सहमत नहीं हूं (व्यवधान) यदि वे मूल्यों को बजट के पहले मूल्यों पर घटाकर ला सकते हैं मैं अपने शुल्क को भी घटा सकता हूं। लेकिन यदि वे कम्पनियां 9000 रुपये बढ़ा सकती हैं और यदि मैंने 2 प्रतिशत वृद्धि की है तो मैं उनके आरोप को न्यायसंगत नहीं मानता हूं। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं ऐसा कहना उचित नहीं समझता हूं कि मेरे कारण मूल्यों में वृद्धि हुई है। (व्यवधान)

लेकिन बजट से पहले की 9000 रुपये की वृद्धि के बारे में क्या औचित्य है ? अब उन्होंने 3000 रुपये बढ़ाए हैं जबकि यह 'मैडवाट' के पश्चात् केवल एक तिहाई है। वे यह कहते हैं कि यह अपराध है और 9000 रुपये की वृद्धि अपराध नहीं है।

तथापि इसका चर्चा में उल्लेख किया गया है। श्री माधव रेड्डी और अन्य सदस्यों ने इस मामले को उठाया है। यह छापों और तलाशी तथा सर्वेक्षण नियमों मे कुछ परिवर्तन करने के सम्बन्ध में है। कुछ सदस्यों और समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से मुझे इस बात का आभास मिलता है कि सरकार ने घरों की तलाशी लेना बन्द कर दिया है और अब प्रत्येक व्यक्ति रिहायशी आवासों में सुरक्षित है। क्या मैं यह कह सकता हूं कि यह पूर्णतः झूठ है ? (व्यवधान) नहीं; वे बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति उस विचार से राहत मिलने के बारे में भ्रम में है तो मैं इस भ्रम को दूर करना चाहता हूं क्योंकि पिछले वर्षों में तलाशी लेने सम्बन्धी हमारे पास जो शक्तियां थीं उनमें कमी नहीं हुई है। हम सर्वेक्षणों के सम्बन्ध में अपनी शक्तियों में और वृद्धि कर रहे हैं। उत्पादन और सीमा शुल्क के सम्बन्ध में हमें सभी शक्तियां प्राप्त हैं। आय कर कानून में हमारे पास केवल तलाशी लेने की शक्तियां थीं। उनको हमने बरकरार रखा है। इनमें से एक भी शब्द कम नहीं किया गया है। हमने व्यवसायिक घरानों तथा आवासों की सर्वेक्षण शक्तियों में वृद्धि की है ?

सर्वेक्षण के सम्बन्ध में यह आशंका थी कि कहीं इसका दुरुपयोग न किया जाए। निरीक्षक और छोटे स्तर के अधिकारी घरों में घुस सकते हैं और समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमने उस सीमा तक यह कहा : 'ठीक है, हम शक्तियां नहीं देते हैं।' लेकिन अभी भी हमें इस वर्ष अधिक शक्तियां दी गई हैं। तलाशी की शक्तियां वही हैं और व्यवसायिक स्थानों सम्बन्धी सर्वेक्षण शक्तियों को बढ़ा दिया गया है। इसलिए यह शक्तियों का प्रसार है न कि शक्तियों का घटाना।

कुछ लोग यह कहते हैं कि ये आतंकवाद के तरीके हैं। यदि मैं एक आतंकवादी की तरह दिखाई देता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। कहीं-कहीं मैं आतंक को खत्म करना चाहता हूं। कर-वंचकों के दिलों में मैं आतंक पैदा करना चाहता हूं।

5.00 म० प०

वास्तव में जो कुछ हो रहा है वह यह है कि हमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई द्वेष नहीं है। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि इस प्रकार का हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। वस्तुतः यह एक प्रणाली को उजागर करना है जो कुछ है और जो चलती रही है। मैंने कभी यह नहीं कहा है कि सभी उद्योगपति कर-वंचक हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। लेकिन उन्होंने स्वयं कहा है कि करों की चोरी होती रही है और यह एक प्रणाली है। मैंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने स्वयं ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है यह एक प्रणाली है। हम क्या कर सकते हैं?

5.01 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लेकिन यदि यह एक प्रणाली है फिर भी हमने एक सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। आखिरकार कानून कानून है। वित्त मन्त्री के अपने कोई निजी कानून नहीं हैं।

यहां तक कि वित्त मन्त्री भी कानून के तहत हैं, वह अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते कि कभी वह इसका प्रयोग करें और कभी नहीं। इसलिए कानून सर्वोपरि है। इसलिएं, यह एक अलग बात है। वह कार्य करेगा, इसे कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता है। हमने इस बारे में सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है ठीक है, यदि कोई प्रणाली थी, यह एक सामान्य बात है जो हो रही है।

हमने कहा, ठीक है आप आइए और कर का भुगतान कीजिए। हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। आप कर का भुगतान करते हैं। हम उत्पादन शुल्क और अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में यही दृष्टिकोण अपना रहे हैं। इसलिए यहां उचित इच्छा है—और अखबारों में जो कुछ भी कहा जाता है, मैं यह बिल्कुल नहीं कहता हूं कि यह सही है या सही नहीं है लेकिन मैंने उन लोगों से भी कहा है जो उद्योगों में है "देखिए आपको भी अपनी छबि बनाने का प्रयास करना चाहिए।" और उसे देखना चाहिए, हां, लोग यह सोचते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। बहुत-से ऐसे लोग हैं 'जो ऐसा कर रहे हैं।' मैंने यह कभी नहीं कहा है कि हम उन्हें भी वैसा ही नहीं मानते हैं जो योगदान नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि किसी को कालेधन पर रिपोर्ट यह जानने के लिए पढ़नी पड़ती है कि भारत में कालाधन प्रचलित है। आप जाएं और गांव में किसी व्यक्ति से पूछें। यहां तक कि गांव का एक बच्चा भी कहेगा कि काला धन है। अब यदि इस तरह का मामला है तो सभी के लिए प्रयास करने का यह एक उचित मामला है। केवल मुझे ही इसका पता नहीं लगाना पड़ेगा लेकिन इसका पता लगाने के लिए सभी को प्रयास करने पड़ेंगे और सुधार करना पड़ेगा और कोई अपनी छबि इस प्रकार की बनानी पड़ेगी कि लोग आपकी छवि को चुनौती नहीं दें और यदि इस प्रकार का आम विश्वास है तो इसके कुछ आधार होने चाहिएं।

अब एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े बताता हूं। वास्तव में आंकड़े क्या हैं इसका किसी को पता नहीं है। यह लगभग 40,000 करोड़ रुपये है। अब यदि 40,000 करोड़ रुपये का कालाधन है जिस पर कर नहीं लगा है तो दूसरी ओर गरीब लोग भी हैं जिन्हें सरकार को देखना है। मैं कहता हूं कि संसाधन नहीं हैं। मेरे कहने में क्या विश्वसनीयता है? मैंने कहा कि हमारे संसाधन नहीं हैं। कोई भी यह पूछ सकता है "आप सरकार में हैं। क्या यह सरकार उन संसाधनों

को प्राप्त कर नहीं सकती है जो हमारे हैं। जो हमारे पास आने चाहिएं थे। कौन पूछ रहा है? इसलिए जो व्यक्ति उद्योगों में हैं उन्हें ही इसका उत्तर देना होगा। लोगों का एक वर्ग है। यह किसी का भाग नहीं हैं जिसे वे मांग रहे हैं। वे अपने अंश के बारे में कह रहे हैं। यह सरकारी खजाने में आना चाहिए था, यह गरीबी हटाने के कार्यक्रम या सरकारी या सिंचाई परियोजनाओं या सड़क या अस्पताल में निवेश के रूप में आना चाहिए था और यह बहुत स्पष्ट है कि एक समृद्धिशाली देश जन साधारण को उनके वास्तविक अंश से वंचित रखकर नहीं बनाया जा सकता है। यह स्थायी नहीं रहेगा, और वे यह कहते हैं कि इसका कोई प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, हमने ऐसा कहा है। जब हम न्यायालय में जाते हैं हम इसको प्रकाशित करेंगे लेकिन प्रचार को दबाया जा सकता है लेकिन जनता के रोष को दबाया नहीं जा सकता है। कभी एक ऐसा समय आयेगा जब जनता का रोष उस सीमा तक पहुंच जायेगा जिससे जनता को अपना हिस्सा मिल सके।

ये मूल आर्थिक परिवर्तन हैं जिन्हें कुछ समाचार-पत्रों तथा अन्य सम्पादकीय लेखों में छापा—नहीं किया जा सकता है। मैं सभी समाचार-पत्रों के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि बहुत-से समाचार-पत्रों ने सरकार की इस कार्यवाही का समर्थन किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और मैंने हमेशा उनका आदर किया है। यहां तक कि वे पांचवीं लोक सभा में भी थे। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों और जन साधारण के लिए नहीं है। ठीक है, मैं यह नहीं कहता हूं कि इस बजट से गरीब व्यक्तियों की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह एक लम्बा रास्ता है जिसे हमें तय करना होगा। श्री सोमनाथ जी ने बजट प्राक्कलनों की संशोधित प्राक्कलनों से तुलना की थी। बजट प्राक्कलनों की तुलना बजट प्राक्कलनों से की जाती है। यह एक मानक है जिसे हर जगह अपनाया जाता है। यह एक मानक आधार भी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अन्यथा मैं ठीक हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ऐसा नहीं है तथ्य गलत है। सच यह है कि बजट प्राक्कलनों की बजट प्राक्कलनों से सामान्य तुलना की जाती है। और जब हम यह कहते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में विनियोजनों में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो यह बात ठीक है। मैं पूरे बजट वाद-विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। चूंकि इसे एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा उठाया गया है, मेरे विचार से उसके बारे में पुनः उन्हें याद दिलाने का यह समय है।

कुमारी ममता बनर्जी ने कहा कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए एक इन्दिरा आवास योजना थी और उसके लिए हमने 125 करोड़ रुपये का विनियोजन किया था।

वस्तुतः वह शहरी गरीब व्यक्तियों के लिए है। नगरपालिका सफाई कर्मचारियों तथा द्वारपालों के लिए एक दुर्घटना बीमा योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना को 100 और जिलों में लागू कर दिया गया है। अब इस योजना के अन्तर्गत 200 जिले आ जाएंगे।

श्री जंगा रेड्डी श्री रामसिंह यादव, और अन्य सदस्यों ने किसानों के बारे में चर्चा की थी। कृषि मन्त्री एक दीर्घकालीन कृषि मूल्य नीति लेकर आ रहे हैं। फसल बीमा को हम फलों के लिए भी लागू कर रहे हैं। हमें इसे सावधानीपूर्वक करना पड़ेगा क्योंकि पिछले वर्ष की फसल बीमा में हमको लगभग

100 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े हैं। हमें इसको सावधानीपूर्वक करना पड़ेगा। इसलिए हमें एक अल्पकालीन योजना की बजाय एक दीर्घकालीन योजना तैयार करनी पड़ेगी। और इसके अतिरिक्त हम यह कहते हैं कि यह व्यवहार्य नहीं है। हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं।

जहां तक मजदूरों की स्थिति का सम्बन्ध है भविष्य निधि पर हमने ब्याज बढ़ा दिया है मानक कटौती निर्धारित आय समूह के लिए है। वस्तुतः मैंने ट्रेड यूनियनों के नेताओं से मिला था और उन्होंने यह सुझाव दिया था कि आय कर से छूट की सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाना चाहिए। इस समय यह 18,000 रुपये प्रतिवर्ष है। इस मानक कटौती को 10,000 रुपये तक बढ़ाकर कुल छूट 28,000 रुपये तक हो गई है जो उससे भी 3000 रुपये अधिक है जिसकी मांग की गई थी।

इस बात को नजरअन्दाज नहीं किया जाना चाहिए कि इस सरकार ने मजदूरों को समान अधिकार दिये हैं और सुरक्षित ऋण सुविधाएं प्रदान की हैं। हमने इसको चौथे स्थान से पहले स्थान पर रखा है। इस सरकार ने पहली बार स्टाक विकल्प योजना शुरू की थी। इनमें से एक ऐच्छिक और दूसरी अनिवार्य है। किसी भी निजी फर्म द्वारा कोई भी नया पूंजीगत मामला इसका 5 प्रतिशत इसके कर्मचारियों को देना पड़ेगा। यह इस सरकार द्वारा किया गया है।

जहां तक मजदूरों की वास्तविक मजदूरी का संरक्षण करने का सम्बन्ध है, हमने पिछले वर्ष सरकारी क्षेत्र के लिए दैनिक भत्ते की 1.30 रुपये से बढ़ाकर 1.65 रुपये प्रति सूचकांक बिन्दु कर दिया। जो श्रमजीवी लोगों के लिए बोनस का मसला कई वर्षों से चल रहा था। हमने इसकी सीमा बढ़ाकर 1,600 रुपये कर दी और इसके लिए पात्रता की सीमा 2,500 रुपये कर दी। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि हमने गरीब लोगों, श्रमजीवी वर्ग की ओर ध्यान नहीं दिया है। मैं आपको बताता हूं कि यह जो एकमुश्त लाभ दो वर्षों से दिया जा रहा है, ऐसा ही एकमुश्त लाभ हमें शीघ्र ही निश्चित करना है। हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। हमने सभी बातों और सम्पूर्ण बजट पर गौर किया है।

इस समय जब अनेक बातें कही गई हैं, भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाये जा रहे हैं, मैं यह नहीं कहता कि हमें यहां इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देना है बल्कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता भी देखनी है। हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न भण्डार है, हमारी औद्योगिक प्रगति में सुधार हुआ है। औद्योगिक प्रगति की नवीनतम दर लगभग सात प्रतिशत है। आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन सामने आया है। यद्यपि अनेक अर्थव्यवस्थाओं को तथा विकसित देशों की सुदृढ़ अर्थव्यवस्थाओं को मन्दी का सामना करना पड़ा है, उसी समय भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रगति दिखाई है। अतः इन कारणों से हमारे देश को हर समय दबा नहीं रहना चाहिए।

अब मैं मुद्रास्फीति की दर की बात लेता हूं। जब हमने पिछले वर्ष बजट रखा था, तो उस समय यह कहा गया था कि घाटा बहुत अधिक है, इसका परिणाम बाद में पता चलेगा और जैसे ही हम वर्ष के अन्त में पहुंचेंगे, यह दुगुना हो जायेगा। दुगुना होने के बजाय यह पिछले वर्ष की तुलना में आधा हो गया है। 'दो' का आंकड़ा तो सही था। केवल आपने इससे गुणा करना चाहा जबकि यह विभाजक बन गया। 'दो' का अंक बिल्कुल सही है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसके बावजूद 1950-51 की तुलना में 1984-85 में मुद्रास्फीति को निकालने के बाद स्थिर मूल्यों के अनुसार वास्तविक

आय लगभग दुगुनी हो गई है। यह आर्थिक सत्य है, आप इस ओर ध्यान दें, कई लोग हांग कांग, ताइवान से तुलना करते हैं, और जब मैं विदेश में था, तो एक विदेशी पत्रकार ने कहा : "भारत कुछ अन्य देशों की तरह विकास की नीति क्यों नहीं अपनाता ?" मैंने कहा, "आप ये दो शर्तें रखें और फिर भारत की तुलना करें : एक यह कि उस देश का रक्षा व्यय का भार उसी के संसाधनों से वहन हों और दूसरे वहां वास्तविक लोकतन्त्र हो। आप ये दो मानदण्ड रखें और फिर भारत की कार्यकुशलता की तुलना करें कि क्या कोई देश इसके बराबर है। देश की भूमि पर विदेशी सेनाएं तैनात करके आपने अपना बोझ दूसरे पर डाल दिया है अथवा अपनी रक्षा करने की स्वतन्त्रता त्याग दी है और फिर आप कहते हैं कि आपने प्रगति और विकास किया है।"

यदि हम 1981-85 की अवधि के दौरान अपनी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को देखें तो पता चलता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था की वार्षिक औसत विकास दर 2.37 प्रतिशत थी, विकासशील देशों की 2.19 प्रतिशत और भारत की 5 प्रतिशत थी। तुलनात्मक आंकड़े तो यह हैं जिससे पता चलता है कि सरकार और लोगों ने मिलकर क्या किया है।

एक और बात सामने आई है, जो वर्ष प्रति वर्ष दोहराई जाती है। मैं समझता हूं कि इस सभा में घाटे पर चर्चा किये बिना और यह कहे बिना कि यह घाटा बहुत अधिक है, बजट अथवा वित्त विधेयक पारित नहीं होता, मेरा विचार है कि यह रामलीला संवाद की तरह वार्षिक विशेषता हो गई है। जब एक तरफ से यह बात कही जाती है, तो दूसरी ओर से इसका उत्तर दिया जाता है लेकिन यह वह समय होता है जब हम वह सब देखते हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए।

हम घाटे के बारे में चिन्तित क्यों हैं ? इसलिए कि इससे धन की सप्लाई बढ़ेगी और उसका मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा। यदि इसका मूल्यों पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो घाटे के बारे में कोई चिन्ता नहीं करता। इसलिए हमारे पास एक व्यवस्था है। बजट घाटे के अतिरिक्त जो कि धन सप्लाई बढ़ाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास दीर्घकालिक प्रतिभूतियां हैं, निवल विदेशी मुद्रा भण्डार है, भारतीय रिजर्व बैंक का वाणिज्यिक और विकास बैंकों को ऋण तथा भारतीय रिजर्व बैंक का निवल आर्थिक देयता हैं। ये विभिन्न कारक हैं। हम इन्हें नियंत्रित करके तथा इन्हें सबके जरिए अब भी धन सप्लाई और मूल्यों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर नियन्त्रण कर सकते हैं। इसलिए, पिछले वर्ष कम धन की सप्लाई के जरिये तथा घाटे के बावजूद, जिसकी निन्दा की जा रही थी, धन की सप्लाई में वृद्धि की केवल 17 प्रतिशत थी। इसपर नियन्त्रण रखा जा सका और हम अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रख सके और फिर हमें मालूम होना चाहिए कि किसके साथ तुलना की जाये। हमें इस वर्ष के अपने घाटे की पिछले वर्ष के घाटे से तुलना करनी चाहिए। यदि यह घाटा बढ़ा है, तो हम कह सकते हैं कि घाटा बहुत बढ़ गया है। लेकिन यदि इस वर्ष की और पूर्व वर्ष की अर्थव्यवस्था एक समान है तो इसकी तुलना वैध है। किन्तु इस वर्ष की अर्थव्यवस्था पूर्व वर्ष की अर्थव्यवस्था जैसी नहीं है। इसलिए यह तुलना वैध नहीं है, घाटे की तुलना करते समय हमें देखना चाहिए कि क्या जी० डी० पी० अथवा कुल धन सप्लाई की प्रतिशतता की तुलना में घाटा बढ़ा है। यही वैध तुलना है और यदि हम इस प्रकार तुलना करते हैं, तो 1979-80 में 2427 करोड़ रुपये का घाटा 1985-86 के 4,490 करोड़ रुपये के घाटे से बहुत अधिक था क्योंकि जब हम जी० डी० पी० के साथ में तुलना करते हैं, तो 2,427 करोड़ रुपये की राशि का घाटा जी० डी० पी० का 2.3 प्रतिशत था जबकि 1985-86 में 4,490 करोड़ रुपये की राशि का घाटा जी० डी० पी० का केवल 1.9 प्रतिशत ही है और एम०-3 की प्रतिशतता के रूप में 1979-80 का घाटा, जो धनराशि की दृष्टि से कम लगता है, एम०-3 का 6.1 प्रतिशत

था, जबकि 1985-86 का धनराशि की दृष्टि से अधिक घाटा एम-3 का केवल 4.4 प्रतिशत है। अतः मुद्रास्फीति पर इसका प्रभाव, जो धनराशि की दृष्टि से इतना अधिक दिखाई देता है, पहले के घाटे से कम है। इसलिए हम इस प्रकार की सही आर्थिक तुलना करेंगे और हम इस वर्ष के घाटे की प्रतिशतता पर ध्यान देंगे न कि घाटे की राशि के गलत तरीके से और तब आप तुलना करें क्योंकि गांव के दर्जी को भी इतनी समझ-बूझ होती है कि जब बच्चा बड़ा होगा, तो कोट भी बड़ा चाहियेगा। जब अर्थ-व्यवस्था का आकार बढ़ेगा, तो घाटे का आकार भी बढ़ेगा इसलिए वह बाजुओं आदि में कपड़ा दबा देता है ताकि उस समय कोट ठीक फिट आए और कहता है कि "अगले वर्ष मैं इसे खोल दूंगा।" अतः यह सही तुलना है और हमें यह जानना चाहिए कि किसकी किससे तुलना करें।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : क्या आपका कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें पंबन्द नहीं लगाने चाहिए ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी नहीं। इससे मेरा तात्पर्य यह नहीं है और मैं किसी भी प्रकार से यह धारणा नहीं रखना चाहता कि सरकार इसके बारे में असावधान रहे अथवा सरकार एक खुशनुमा तस्वीर पेश करे और नोट छापती जाये। मैं यह नहीं कह रहा हूं। किन्तु मैं तुलनाओं और आर्थिक मूल्यांकन की सही सापेक्षता तथा इस मामले की गम्भीरता के प्रभाव को पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। इसे ध्यान में रखते हुए घाटे को नियन्त्रित करने के लिए हम आन्तरिक रूप से पहली बार धन सप्लाई, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को ऋण और बैंकों द्वारा ऋण के आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंकों ने राज्यों आदि को ऋण दिए हैं और हमने आन्तरिक रूप से लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वास्तव में मन्त्रिमण्डल में पुनरीक्षा हेतु प्रति माह इसके आंकड़े रखे जाएंगे, इस पर कड़ी नजर रखी जायेगी। अतः सरकार इस बारे में जागरूक है और हम पहली बार अर्थव्यवस्था पर कठोर नियन्त्रण रखने का परीक्षण कर रहे हैं। अतः हम ऐसा कर रहे हैं और हम आगामी वर्ष से घाटे की आर्थिक परिभाषा करेंगे। हम जो बजट घाटा प्रस्तुत करते हैं वह वास्तव में पूरी तस्वीर पेश नहीं करता। हम रिजर्व बैंक से जो पैसा लेते हैं बजट घाटा दोनों को मिलाकर सही घाटे की राशि पता लगती है। अतः आगामी वर्ष से हम इस पर्दे को हटा देंगे और देश का सही आर्थिक घाटा प्रस्तुत करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं। किसी तथ्य को छिपाने का प्रश्न ही नहीं है।

दीर्घकालीन वित्तीय नीति के सम्बन्ध में काफी कुछ कहा गया है और शायद श्री सोमनाथजी ने कहा कि आप वचनबद्ध हैं कि करों में वृद्धि नहीं की जायेगी। विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी कहा है, चूंकि आप करों में वृद्धि नहीं कर सकते हैं अतः आप अधिक उधार भी नहीं ले सकते, आप कीमतें बढ़ाइये। आपने अपने आपको इतना बांध दिया है कि आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। अतः पहले मैं इसका पाठ पढ़कर सुनाता हूं कि हम कहां तक बंधे हुए हैं। आप पैरा 5.19 देखें, जिसमें यह कहा गया है, "कम्पनी करों की दरों में और कमी नहीं की जायेगी।" यह दीर्घकालीन वित्तीय नीति है, मैं उसका पाठ उद्धृत कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि इसका कैसे अर्थ निकाला जा रहा है। इसमें कोई झुकाव लगता है, मेरा तात्पर्य यह है कि यदि ऐनक रंगीन हों, तो अलग बात है। मैं इसे इसलिए उद्धृत कर रहा हूं ताकि झुकाव का तथा यह पता चले कि इसे किस रूप में पेश किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं इसे एक बार फिर पढ़ देता हूं।

"कम्पनी करों की दरों में और कमी नहीं की जायेगी।"

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी अध्याय पढ़िए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है, मैं प्रत्यक्ष करों पर आ रहा हूं । कम्पनी कर प्रत्यक्ष कर हैं, व्यक्तिगत आय-कर के बारे में हमने पैरा 5.4 में कहा है :

"सरकार का व्यक्तिगत आय कर और धन कर की कम अवधि के लिए कोई परिवर्तन न करके यथापूर्व बनाये रखने का विचार है ।"

किन्तु कम्पनी कर के सम्बन्ध में हमने कहा है कि हमने इनमें आगे कटौती नहीं की है । लेकिन इनमें हम परिवर्तन नहीं करेंगे ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इसमें वृद्धि की जानी चाहिए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हां, मैं अपनी बात पर दृढ़ हूं । मैं चाहता हूं कि यहां इस पर बारीकी से वाद-विवाद हो जिसमें सही मुद्दों पर ध्यान दें ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन निगमित……

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं उस पर आऊंगा । मैं प्रत्येक प्रश्न का जवाब दूंगा । हुआ क्या है ? हमने व्यक्तिगत आय-कर में कमी की है । पिछले वर्ष की तुलना में व्यक्तिगत आय-कर की राशि में 43% की वृद्धि हुई है । क्या आपने कभी व्यक्तिगत आय कर की राशि में 43% की वृद्धि की बात सुनी है ? क्या आपको दर से मतलब है या कर की प्राप्त राशि से ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : दोनों ही ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं कर चाहता हूं । क्या आप दर चाहते हैं ? मुझे कर की राशि प्राप्त हो गई है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दर में वृद्धि किए बिना आप कब तक ऐसा करते रहेंगे ? क्या यह एक बार की वसूली है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने कर के आधार को पहले ही अधिक व्यापक बना दिया है । अब इस आधार पर इसका वर्ष-प्रति-वर्ष विस्तार होता रहेगा । मेरा आधार क्षेत्र बढ़ गया है । मेरी आय बढ़ती जायेगी ।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : इस 43% में से ऐसी कर राशि कितनी है, जो स्वैच्छिक रूप से प्रकट की गई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे मालूम नहीं है, मैं इसके अधिक गम्भीर पहलू को लेता हूं । मैं प्रश्नवार उत्तर देता हूं । आप इस बारे में चिन्तित हैं क्योंकि आप समझते हैं कि हम साधन में जो अन्तर है, वह पूरा नहीं कर पाएंगे । इसलिए यह एक बन्धन है । आपने जो आपत्ति की है उसमें कुछ सार है, मैं इसे समझता हूं कि यह कोई बाधा नहीं है । इसका कारण यह है कि हमने इस प्रक्रिया से काफी कर प्राप्त किया है । लेकिन उन सभी समस्याओं का समाधान क्या है जिनका हम सामना कर रहे हैं ? आपका समाधान यह है कि इसमें वृद्धि की जाये और हम इस समस्या का समाधान करेंगे ।

समाधान क्या है ? आधार वर्ष 1985-86 में, यदि आप संशोधित प्राक्कलन देखें तो हमने 5,515 करोड़ रुपए प्राप्त किए। उदाहरण के लिये हम कर में 10% वृद्धि कर देते हैं। हम दीर्घकालीन वित्तीय नीति भूल जाते हैं, जैसा कि सुझाव दिया गया है, वह समाप्त हो जाती है। यह सुझाव दिया गया है। यदि हम इसमें 10% तक की वृद्धि करेंगे, तो हमें 550 करोड़ रुपये और मिलेंगे। इसमें से मोटे तौर पर 200 करोड़ रुपये व्यक्तिगत कर से और 300 करोड़ रुपये कम्पनी कर से मिलेंगे। 200 करोड़ रुपए व्यक्तिगत आय कर में से 85% राज्यों को जायेगा और केवल 30 करोड़ रुपये हमारे पास बच रहेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : राज्यों को तो मिलेगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आपको तो मिलेगा किन्तु आप आय केन्द्रीय बजट के घाटे पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैं उस मामले पर भी ले रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : संविधान के अन्तर्गत।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी, हां, संविधान के अन्तर्गत। यह अच्छी बात है। मुझे इस पर आपत्ति नहीं है। मैं उनके लिए अधिक पसीना बहाने के लिए तैयार हूं क्योंकि वे अलग नहीं हैं। वे देश के हिस्सा हैं। (**व्यवधान**)। मैं केन्द्रीय बजट के आर्थिक मसले को ले रहा हूं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं।

मेरे मित्र ने दीर्घकालीन वित्तीय नीति को रद्द करने का सुझाव दिया है। आप 10% वृद्धि कीजिये, आपको 550 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसमें से 200 करोड़ रुपये व्यक्तिगत कर होगा और 30 करोड़ रुपये हमें प्राप्त होंगे। 350 करोड़ रुपये में से जो हमें कम्पनी कर से मिलेंगे, 50% सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा भुगतान किया जाता है और 350 करोड़ रुपये का आधा 175 करोड़ रुपये तथा 30 करोड़ रुपये मिलकर 205 करोड़ रुपये हो जाएंगे।

4000 करोड़ रुपए का घाटा पूरा करने के लिए उन्होंने 205 करोड़ रुपए का सुझाव दिया है इसलिए उनकी राय से तो आधा क्या दसवां हिस्सा भी पूरा नहीं होता। इसलिए हमें ऐसे समाधान नहीं ढूंढने चाहिए जिनका कोई औचित्य न हो। हमें नोक झोक करने के बजाय स्वयं विषय पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए, हमारी नोक झोंक कर जनता पर बुरा असर पड़ेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अनुमान वास्तव में बहुत अच्छा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सोमनाथ जी हमने राज्यों को जो कुछ दिया है। अपने उस पर भी सवाल उठाया था। वर्ष 1985-86 के लिए 1,338 करोड़ रुपए का बजट अनुमान का हम राज्यों को 1,8446 करोड़ रुपए का हिस्सा दे चुके हैं जो कि 508 करोड़ रुपए अधिक है।

हम राज्यों को और अधिक धन देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अन्ततः केन्द्र और राज्य क्या है ? सब एक ही तो है। मुझे राज्य एक भी निवेश बताइये जिससे देश को लाभ न पहुंचता हो। मुझे वह भी बताइये जिसे लाभ होता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम चाहते है कि आप यही प्रवृति अपनाएं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : केन्द्रीय व्यय का कोई भी ऐसा लाभ प्राप्त कर्ता नहीं है जो किसी

राज्य से सम्बन्धित न हो । वास्तव में संवैधानिक विभाजन कतिपय कार्यों के लिए है । केन्द्रीय सरकार के पास रक्षा, संचार, रेलवे, आदि हैं; और राज्यों के पास शिक्षा, कृषि आदि हैं । दोनों ही महत्वपूर्ण हैं । किसी का भी दूसरे से कम महत्व नहीं है । वास्तव में राज्यों की संसाधनों सम्बन्धी समस्या नहीं है । छठी योजना में लगभग सभी राज्यों में इसका श्रेय मुख्य मंत्रियों को जाता है कि उन्होंने न केवल लक्ष्य ही पूरा किया बल्कि उससे भी आगे बढ़ गए । मैं अपवादों पर चर्चा ममता जी के लिए छोड़ रहा हूं । मैं अपवादों की चर्चा नहीं कर रहा हूं प्रत्येक राज्य में छठी योजना में अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लक्ष्यों को पूरा किया, न केवल लक्ष्यों को पूरा ही किया बल्कि उनसे भी अधिक उपलब्धि की ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : और भारत लाभान्वित हुआ ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : राज्यों में संसाधनों की कोई कमी नहीं है । समस्या राज्यों के संसाधनों के क्षय होने की है जो बिजली बोर्डों तथा राज्य परिवहन आदि द्वारा उपयोग किए जाने से कम होते हैं, यदि यह सत्य है तो······

श्री सोमनाथ चटर्जी : दिल्ली परिवहन निगम ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसके अलावा हमें स्वयं को टटोलना चाहिए । क्या हम राज्यों की अव्यवस्था को नजर अन्दाज करना चाहते हैं जहां हमारी रक्षा तथा हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के आधारभूत सुविधाओं पर खर्च को कम कर संसाधनों को आंबटित किया जाता है तथा उन पर नियन्त्रण कर अपव्यय का समर्थन किया जाता है ? हमें इसका वास्तविक और सही उत्तर देना है तथा इसी प्रकार हमें केन्द्र राज्य सम्बन्ध के मामलों को उठाना है । वास्तव में जिस फार्मूले से अन्तरण किया जाता है वह बिलकुल सही है यदि हम कुल राजस्वों में राज्यों तथा केन्द्र के कुल राजस्वो को लेते हैं तो गत वर्षों में राज्य के राजस्वों में वृद्धि हुई है और इसके अनुपात में केन्द्रीय राजस्वों में कमी हुई है । तथा इसमें यह फार्मूला लागू किया गया है जिससे लगभग 30-33 प्रतिशत अन्तरण किए गए हैं । हमें इस सम्बन्ध में निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए ।

इसलिए हमें निष्पक्ष रुख अपनाना चाहिए । मैं इस बात से चिन्तित हू कि इस बात से खराब छवि प्रदर्शित होती है जो हमारे देश की एकता की भावना को ठेस पहुंचाती है ।

अप्रत्यक्ष करों के बारे में मुद्दा उठाया गया है । हमने अपनी दीर्घकालिक वित्तीय नीति में बताया है कि हम जी० डी० पी के अनुपात से प्रत्यक्ष करों के अनुपात में वृद्धि करेंगे । इस वर्ष की वसूली में प्रगति हुई है तथा इस वर्ष का प्रतिशत गत वर्ष से अधिक है, जहां तक अप्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है यह किसी भी विकासशील देश के लिये अव्यवहारिक नहीं है । प्रत्यक्ष करों का आधार छोटा होता है । कृषि पर कर की छूट है । कितने स्व-नियोजित लोग कर देते हैं ? और जब आय ही कम है तो हमें भी थोड़ा धन मिलता है । तथा कई विकासशील देशों के समक्ष यह समस्या है । इसके अलावा अप्रत्यक्ष करों में अनुपाततः वृद्धि हुई है । क्योंकि जब उद्योग में प्रगति होती है तो उस पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है । जहां तक सीमा शुल्क का सम्बन्ध है इससे न केवल राजस्व का अर्जन होता है बल्कि हमारा उद्देश्य स्वदेशी उद्योग का संरक्षण करना भी होता है । और जब हम उस उद्देश्य से सीमा शुल्क लगाते हैं तो आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष करो के अनुपात में उनमें वृद्धि हुई है इसमें न केवल एक राजस्व की दूसरे राजस्व से तुलना ही की जाती है बल्कि इसके लिए अप्रत्यक्ष

कराधान जैसे अन्य प्रयोजन भी होते हैं जिनका आपका ध्यान रखना होगा। निसंदेह रूप से खाद्य और उर्वरक तथा अन्य कई वस्तुओं पर हम खर्चा ही करते हैं और यह व्यय बढ़ता ही जाता है। इसीलिए हमें सम्पूर्ण ढांचे को देखना होता है कि यह प्रगतिशील है या नहीं। इसलिए व्यय करते समय हम इस बात का ध्यान अवश्य रखते हैं कि प्रणाली प्रगतिशील हो।

श्री रामसिंह यादव ने व्यय के बारे में उल्लेख किया है। मेरे विचार से जहां तक वित्त मंत्रालय का सम्बन्ध है उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैं चाहता हूं कि इस पर संसद में चर्चा हो क्योंकि ऐसे बहुत से दुर्लभ क्षेत्र हैं जिन पर राजनैतिक परिप्रेक्षों तथा राजनैतिक आधार को भी स्पष्ट किया जाना है। यदि आप एक दृष्टि बजट पर डालें तो आप देखेंगे कि योजना शीर्ष के अन्तर्गत व्यय को हमने प्रत्येक मंत्रालय के लिए वर्ष 1990 तक चार वर्षों में चरणबद्ध करने का प्रयास किया है। लेकिन न केवल योजना शीर्ष में ही बल्कि गैर योजना शीर्ष में भी हमें दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाना है क्योंकि मैं योजना और गैर योजना शीर्षों से संतुष्ट नही हूं। वास्तव में प्रत्येक चीज योजनाबद्ध होनी चाहिए। गैर योजना अयोजनाबद्ध नहीं हो सकती। वास्तव में जब रक्षा पर व्यय किया जा रहा है तो यह आयोजना बद्ध व्यय नहीं हो सकता। हम विकासशील आवश्यक सहायता आदि की तरह की कोई नामवली ले सकते हैं। यह एक अच्छा शीर्षक हो सकता है। लेकिन यह एक परम्परा बन गयी है। इस क्षेत्र में आर्थिक सहायता जरूरी है। इसमें ये एक ऐसे लोगों का वर्ग है जिन्हें वर्तमान प्रणाली से संसाधन उपलब्ध नहीं होते। यदि समूची प्रणाली ठीक हो तो संसाधन निम्नस्थ स्तर पर काम करने वाले लोगों को भी उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि संसाधनों को एक स्थान से लेकर सीधे दूसरे स्थान पर उपलब्ध कराया जाये। इसलिए आर्थिक सहायता का मूल आधार वहां है। लेकिन इसके साथ ही जिस दर पर सहायता ही दी जा रही है उस पर भी ध्यान देना है। पिछले तीन वर्षों से यह 40 प्रतिशत की दर से है। और यदि सहायता की यही दर रखी जाये तो हम 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए व्यय करना पड़ेगा जो कि केन्द्र के दो वार्षिक बजटों के बराबर होगा। और यह राशि इस देश के प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक पाठशाला तथा एक नलकूप की लागत के बराबर होगी। अत: जहां आर्थिक सहायता को बनाए रखना आवश्यक है उसके साथ ही साथ जब इस सहायता से पूंजी निवेश, प्रमुख क्षेत्रों में पूंजी निवेश मे ह्रास होने लगेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि यदि प्रमूख क्षेत्रों में निवेश रुक जाए तो पांच वर्ष बाद शायद बिजली की कमी के कारण सिंचाई की कमी के कारण, परिवहन व संचार की कमी के कारण सब वस्तुओं की कीमतें एक साथ बढ़ जाएंगी और निर्धन व्यक्ति को अधिक वहन करना पड़ेगा। इसलिए सन्तुलन कैसे रखा जाए? हमे दोनों की आवश्यकता है। सन्तुलन कहां रखा जाए? इसके दोनों पहलुओं पर तर्क-वितर्क चलता रहेगा। मैं मार्गदर्शन और समर्थन के लिए सदन से अनुग्रह करूंगा। उन सीमाओं के अन्तर्गत सन्तुलन बनाए रखना है।

में इससे सहमत हूं कि विभिन्न निगमों में अनेक शीर्षों तथा अत्यधिक खर्चों मे कटौती की जानी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन खर्चों में कटौती करने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। उन खर्चों को किसी को भी अदा नहीं करना चाहिए। तथा न ही इनका भार हमें जनता पर डालना चाहिए······।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष तथा प्रशासक धन का अत्यधिक दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कल श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक प्रश्न किया था।......

श्री सोमनाथ चटर्जी : दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष प्रतिमाह 8000 रुपए यातायात भत्ते के रूप में लेते हैं। इस बारे में मैंने प्रधान मंत्री को लिखा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उन शीर्षों का जो न्यायोचित नहीं है, समर्थन करने का प्रश्न ही नहीं होता।

कुमारी ममता बनर्जी : डी० पी० एल० के अध्यक्ष धन का दुरुपयोग कर रहे है न कि दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आपके पास डाइरेक्ट हाटलाइन——है डाइरेक्ट हाटलाइन।

उदाहरण के लिए कल श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक बहुत ही स्पष्ट और उचित सवाल उठाया कि हमने वेतन आयोग के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने पूछा कि "आप इस के बारे में क्या करने जा रहे हैं ? ठीक है हमने बजट में इसके लिए व्यवस्था नहीं की क्योंकि हमें इस बात का अनुमान नहीं है कि इस पर कुल कितना व्यय किया जाएगा। किन्तु उन्होंने जो प्रश्न किया है वह वाजिब है। अब आप कहते हैं कि "अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि मत करों क्योंकि उससे मुद्रास्फीति होती है। इस सम्बन्ध में काफी चर्चा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त आप कहते हैं कि चालू मूल्यों में वृद्धि मत करो" मैं इसमें वृद्धि नहीं करूंगा। ठीक है। इसके अलावा आप कहते हैं कि "घाटे की वित्त व्यवस्था में वृद्धि मत करो; ऋणों में वृद्धि मत करो" इसके बाबजूद भी जो वेतन आयोग देना चाहता है वह दो। किस तरह ?

श्री नारायण चौबे : आप कहते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप मुझे बताइये। हमें इस विषय पर स्वयं ही गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : आप तो विश्व के प्रताप हैं।

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है। मैं भार वहन करने को तैयार हूं। मैं इससे बचने की कोशिश नहीं करता हूं। किन्तु हमें उन पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। ये ऐसी समस्याएं है जिन पर हमें मिलकर विचार करना है। मैं इसे आपके समक्ष रख रहा हूं। यही समस्या है। मैं इस सम्बन्ध में भी कहूंगा।

एक अन्य क्षेत्र भुगतान संतुलन से संबधित है; यह मामला विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाया गया था। श्री मुरली देवरा और श्री चिंतामणि पाणिग्रही द्वारा भी यह मामला उठाया गया था।

श्री बसुदेव आचार्य : यह सदन के दोनों पक्षों द्वारा उठा गया था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : भुगतान संतुलन के बारे में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला

है। यहां मैं इस बात पर पुनः बल दूंगा कि आत्मनिर्भरता तथा आयात प्रतिस्थापन को हमारी अर्थव्यवस्था भी धुरी बनाना होगा और किसी भी प्रकार के उदारीकरण से प्रतिस्थापन के उद्देश्य को पूरा करना होगा। यह हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत है। इसीलिए श्री मुरली देवरा ने मुझे इस बारे में कहा। पूंजीगत वस्तुओं के मामले में हमने यह किया, हमारी पूंजी वस्तु उद्योग को बचाने, सीमा शुल्क को बढ़ाने के लिए परियोजना आयात किया गया। परियोजना आयात के संबंध में यह पहले 65 प्रतिशत था। हम इसे कम करके 45 प्रतिशत पर लाए। हमने अनुभव किया कि यह कटौती अत्यधिक थी, इसलिए हमने इसे फिर से 52 प्रतिशत किया। अलग-अलग मदों की हम जांच कर सकते हैं; मैं देख सकता हूं कि कहां पर सुधार किए जाने की आवश्यकता है। और इस प्रयोजन के लिए हमारे बल्कि मदों के आयात के लिए हमने जो किया है वह यह है। श्री मनोज पांडे और श्री यादव ने खाद्य तेलों से संबंधित हमारी नीति का उल्लेख किया। मुझे विश्वास है कि हमने अब जो नीति अपनायी है उससे दो-तीन वर्ष के लिए कुछ समस्या हो सकती है किन्तु दो-तीन वर्षों के पश्चात् यह देश करोड़ों रुपए के खाद्य तेल के आयात की समस्या से मुक्त हो जाएगा। इससे किसान को आजीविका और देश को आर्थिक स्वततंत्रा मिलेगी। आप चीनी संबंधी नीति में हुए परिवर्तनों पर नजर डालिए। पिछले वर्ष जब हम चीनी के मूल्यों पर चर्चा कर रहे थे तो क्या स्थिति थी ? किसानों के लिए हमने गन्ने के मूल्य निश्चित किए और इसमें वृद्धि की। हमने दो वर्ष के लिए एक अन्य वृद्धि की घोषणा की। इस प्रकार तर्कसंगत परिवर्तन से, स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी कि पिछले वर्ष थी। इसी प्रकार हम बल्क मदों का आयात कर रहे हैं और निर्यात में हमने अत्यधिक वृद्धि करनी होगी।

अन्य क्षेत्र विदेशी ऋणों से सम्बन्धित है। यहां मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि चाहे हमें कितनी भी तकलीफें उठानी पड़ें, किन्तु हम कर्ज के जाल में नहीं फसेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त करके अर्थव्यवस्था को सम्भालना बड़ा सरल कार्य है। संभवतः मैं भी ऐसा कर सकता हूं और आप मुझे "एक बहुत अच्छा वित्त मन्त्री कहेंगे। कोई कर नहीं, मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं।"

श्री बसुदेव आचार्य : आपने यही किया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमने सोच समझकर उसका उपयोग किया है। आज, चूंकि भारत पर कर्ज नहीं है इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर कह सकते हैं कि हम उन शर्तों का, जो विश्व बैंक द्वारा बढ़ायी जा रही हैं, विरोध करते हैं······

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब आप हमारा समर्थन कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एक राष्ट्रीय सरकार को ऐसा ही करना चाहिए। इस सम्बन्ध में वाशिंगटन में हुई वार्ता में भी मैंने यही दृष्टिकोण अपनाया जब अफ्रीकी देशों को धन देने के मामले में विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें बढ़ाने की बात की जा रही थी। मैंने एक अत्यन्त स्पष्ट और तीखा सवाल किया। मैंने कहा कि प्रजातन्त्र में जब एक राष्ट्रीय सरकार गलत नीति अपनाती है तो लोग चुनाव आने पर इसका सबक दे सकते हैं। जहां पर लोकतन्त्र नहीं है, वहां पर भी लोग किसी न किसी दिन सरकार की गलत नीतियों को ध्यान में रखते हैं। अमरीका में यदि कोई डाक्टर गलत सलाह देता है तो वहां पर मुआवजा पाने के लिए समुचित कानून है। अथवा यदि कोई डाक्टर गलत दवा देता है तो उसके लिए समुचित मुआवजे की व्यवस्था है।

डेवेलपमेंट बोर्ड में भी मैंने कहा कि यदि आप गलत सलाह देते हैं और यह गलत साबित होती है तो इसका कौन जवाब देह है ? मैं एक नैतिक और राजनैतिक जवाब देही का प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं इसका जवाब चाहता हूं। मुझे इसका कोई उत्तर नहीं मिला। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक, जो फ्रांस से है, ने कहा कि नीति स्वीकार करना एक राष्ट्रीय सरकार का परमाधिकार है, और कम से कम अधिकारिक रूप से यह बात स्वीकार की जानी चाहिए क्योंकि वह एक समान नहीं हो सकती।

इसी प्रकार वह यह कह रहे हैं कि समिति यह बात स्वीकार करती है कि गैर-सरकारी विदेशी निवेश विकास में सहायक होता है। मैं इसके साथ "और सरकारी निवेश" शब्दों को जोड़ता हूं। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इसलिए बाद में समझौते के रूप में उन्हें महत्वपूर्ण शब्द छोड़ना पड़ा। यह बहुत खतरनाक बात है। विकासशील देशों को संगठित होना चाहिए और विकासशील देशों के लिये अधिक आर्थिक सहयोग और व्यापार और एकता अति आवश्यक है।

मैं छोटे-छोटे मुद्दों पर चर्चा नहीं करूंगा। हम बहुत से अवसरों पर उनके विषय में जवाब दे चुके हैं। डी० एफ० आई० आर० जैसे रुग्ण यूनिटों से सम्बन्धित मैं सभी विषयों को छोड़ रहा हूं। मैं कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। प्रो० दण्डवते यहां पर नहीं हैं। उन्होंने फेंच कॉफी की चर्चा की थी जो कॉफी और चिकोरी के साथ मिलायी जाती है। यह फ्रांस की नहीं है। उन्होंने इसे छूट देने की सिफारिश की है और मेरे पास कॉफी का एक कप है। वह यह बताएं कि यह अच्छा है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने चखा है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने इसे चखा तो नहीं है लेकिन कर से छूट देने का निर्णय किया है। यह फेंच कॉफी चिकोरी और कॉफी पाउडर का मिक्चर है। यह लघु क्षेत्र में बनायी जाती है।

मैंने अपने बजट भाषण में सार्वजनिक धन पर ब्याज की दर को पहली अप्रैल, 1986 से बढ़ा कर प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। मेरा विचार बड़ी बचतों को बढ़ावा देने के लिये इस योजना में कुछ और रियायतें देने का है। वर्ष में अंशदान की सीमा को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये किया जा रहा है। इस समय लोक भविष्य निधि सुविधा सम्बन्धित व्यक्तियों और एच० यू० एफ० की ही उपलब्ध है। मेरा विचार इसे सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को उपलब्ध कराने का है। इस समय कोई भी अंशदाता 6ठें से 15वें वर्ष के दौरान केवल 4 बार धन वापस लेने का हकदार है। मेरा विचार, इस अवधि के दौरान प्रतिवर्ष एक निकासी की अनुमति देने का है। इस समय अंशदाता के परिवार को उन मामलों में कठिनाई होती है जब अंशदाता की मृत्यु कोई भी नामांकन किये बिना हो जाती है, क्योंकि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत करने में काफी समय लगता है। मेरा विचार इस प्रकार के मामलों में कानूनी उत्तराधिकारियों को एक लाख रुपये तक की बकाया राशि का भुगतान शपथपत्र के आधार पर करने की व्यवस्था करने का है।

मोहेयर टॉप और रेशे को पूरी तरह से उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने चश्मों पर उत्पादन शुल्क का मामला उठाया था। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि

चश्मों को उत्पादन शुल्क से मुक्त किया गया है। मुझे बताया गया है कि उनको समुचित रूप से जानकारी नहीं दी गई थी। महोदय, इस प्रकार मैंने सामान्य और विशेष मुद्दों का उत्तर देने का प्रयत्न किया है। मैं माननीय सदस्यों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं और उनके सक्रिय योगदान और समर्थन की अपेक्षा करता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : पीयरलैस का क्या मामला है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आपने उसका जिक्र किया है। हम एक बैठक करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। खण्ड 2 :

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 6—धारा 24 का संशोधन

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 5, पंक्ति 37 **के पश्चात् अन्तःस्थापित करें—**

"परन्तु इस उपधारा की कोई बात धारा 23 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट प्रकृति की सम्पत्ति की बाबत पांच हजार रुपये से अनधिक की रकम की उपधारा (1) के खण्ड (vi) के अधीन कटौती अनुज्ञात किए जाने को लागू होगी।" (14)

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 7—धारा 32-क का संशोधन

संशोधन किया गया—

पृष्ठ 6, पंक्ति 18 में "कोई कटौती" **के स्थान पर** "उपधारा (3) **के खण्ड** (ii) **के** उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई कटौती" (15)

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 8—नई धारा 32-कख का अन्तःस्थापन

संशोधन किए गए—

पृष्ठ 6, पंक्ति 28 में "पोत, वायुयान, मशीनरी या संयन्त्र" **के स्थान पर** "नया पोत, नया वायुयान, नई मशीनरी या संयन्त्र" रखे । (16)

पृष्ठ 6, पंक्ति 23 "केन्द्रीय सरकार द्वारा बनायी जाने वाली स्कीम (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)," **के पश्चात् अन्तःस्थापित करें** "या यदि निर्धारित भारत में चाय उगाने और विनिर्मित करने का कारबार कर रहा है तो इस निमित चाय बोर्ड द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय सरकार द्वारा बनायी जाने वाली स्कीम (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ।" (17)

पृष्ठ 7, पंक्ति 4 और 5 **के स्थान पर** रखें—

"(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "पात्र कारबार या वृत्ति" से अभिप्रेत है निम्नलिखित से भिन्न कारबार या वृत्ति :—" (18)

पृष्ठ 7, पंक्ति 9 "(ख)" **के स्थान पर** "(क)" (19)

पृष्ठ 7, पंक्ति 8 "(ग)" **के स्थान पर** "(ख)" रखें । (20)

पृष्ठ 7, पंक्ति 11 **के पश्चात् अन्तःस्थापित करें**—

"(ii) "नया पोत" या "नया वायुयान" या "नई मशीनरी" या "संयन्त्र" के वही अर्थ हैं जो धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (vi) के स्पष्टीकरण में उनके हैं ।" (21)

पृष्ठ 7, पंक्ति 12 से 15 के स्थान पर रखें—

"(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती के पात्र कारबार या वृत्ति के लाभ—

(क) उस दशा में जहां ऐसे पात्र कारबार या वृत्ति की बाबत पृथक लेखे रखे जाते हैं वहां ऐसी रकम होंगी जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की छठी अनुसूची के भाग 2 और 3 की अपेक्षाओं के अनुसार संगणित लाभ की रकम में से

1956 का 1 धारा 32 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार संगणित अवक्षयण के बराबर रकम घटाकर प्राप्त हो और जिसमें संपरीक्षित लाभ और हानि लेखे में कटौती किया गया अवक्षयण, यदि कोई हो, के बराबर रकम जोड़ दी गई हो; और

(ख) उस दशा में जहां ऐसे पृथक लेखे नहीं रखे जाते है या उपलब्ध नहीं हैं वहां ऐसी रकम होगी जिसका निर्धारिती के कारबार या वृत्ति के कुल लाभों से, धारा 32 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अवक्षयण अनुज्ञात किए जाने के पश्चात्, वही अनुपात है जो अनुपात कुल विक्रय, आवर्त या पात्र कारबार की वृत्ति की सकल प्राप्तियों का निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले कारबार या वृत्ति के कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियों से है।" (22)

पृष्ठ 7, पंक्ति 25

"जहां निर्धारिती किसी कम्पनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न कोई व्यक्ति है वहां" का लोप किया जाए। (23)

पृष्ठ 7, पंक्ति 29 के पश्चात् अन्तःस्थापित करें—

'परन्तु उस दशा में जहां निर्धारिती से किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन लेखाओं की संपरीक्षा अपेक्षित है वहां इस उपधारा के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि ऐसा निर्धारिती ऐसे कारबार या वृत्ति के लेखे ऐसी विधि के अधीन संपरीक्षित कराता है और ऐसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित संपरीक्षा रिपोर्ट तथा इस उपधारा के अधीन विहित प्रारूप में एक और रिपोर्ट देता है।" (24)

पृष्ठ 8, पंक्ति 22, 23 और 24 के स्थान पर रखें,—

"(10) ऐसे निर्धारिती की दशा में जिसने धारा 33-कख के अधीन अनुज्ञेय कटौती का दावा किया है, इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा में,—

(क) "संगणक" के अन्तर्गत परिकलन मशीन और परिकलन युक्ति नहीं है,

(ख) "विकास बैंक" से अभिप्रेत है,—

"(i) ऐसे निर्धारिती की दशा में जो भारत में चाय उगाने और विनिर्मित करने
1981 का 61 का कारबार कर रहा है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक,

(ii) अन्य निर्धारितियों की दशा में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम,
1964 का 18 1964 के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और इसके अन्तर्गत ऐसा बैंक या संस्था है जो स्कीम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए।" (25)

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 9 से 16 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 17—धारा 80-छछ का संशोधन

संशोधन किए गए—

पृष्ठ 10, पंक्ति 23 के पश्चात् अन्तःस्थापित करें,—

"(ख) परन्तुक में के खण्ड (ii) में" उपधारा (2) के यथास्थिति, खण्ड (i) या खण्ड (ii)" शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर "उपधारा (2) के, यथास्थिति, खण्ड (क) के उपखण्ड (i) या खण्ड (ख) शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।" (26)

पृष्ठ 10, पंक्ति 24

"(ख)" के स्थान पर "(ग)" रखें। (27)

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 18 से 20 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 21—धारा 80-ड का लोप

संशोधन किया गया—

पृष्ठ 11, पंक्ति 15 के स्थान पर रखें,—

धारा 80-ड के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। "21 आय-कर अधिनियम की धारा 80-ड के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 1987 से रखी जाएगी, अर्थात् —

कतिपय अन्तर-निगम लाभांशों के संयंत्र में कटौती। '80-ड जहां निर्धारिती की, जो देशी कम्पनी है, सकल कुल आय में किसी देशी कम्पनी से लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में लाभांशों के रूप में ऐसी आय के 60 प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।"।' (28)

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 21, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 23—धारा 80-न का संशोधन

संशोधन किए गए —

पृष्ठ 11, पंक्ति 26, "भवन या भूमियों में" के पश्चात् "या सोना, बुलियन या आभूषण में" अन्तःस्थापित करें। (29)

पृष्ठ 11, पंक्ति 29 के पश्चात् अन्तःस्थापित करें,—

"(iii) दूसरे परन्तुक का लोप किया जाएगा।" (30)

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 23, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 24 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 27—नई धारा 133-ख का प्रतिस्थापन

संशोधन किए गए—

पृष्ठ 12, पंक्ति 24 "किसी व्यक्ति से सम्बन्धित" **का लोप करें।** (31)

पृष्ठ 12, पंक्ति 31 से 37 और पृष्ठ 18, पंक्ति 1 और 2 **के स्थान पर रखें—**

"जहां कोई कारबार या वृत्ति चलाई जाती है, चाहे ऐसा स्थान, ऐसे कारबार या वृत्ति का प्रमुख स्थान हो या नहीं, प्रवेश कर सकेगा और किसी स्वत्वधारी, कर्मचारी या किसी आय व्यक्ति से जो उस स्थान और समय पर ऐसे कारबार या वृत्ति के चलाने में किसी प्रकार से कार्य कर रहा हो या सहायता कर रहा हो, ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो विहित की जाए।

(2) कोई आय-कर प्राधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी कारबार या वृत्ति के स्थान पर उसी समय प्रवेश कर सकेगा जब ऐसा स्थान कारबार या वृत्ति के चलाने के लिए खुला हुआ है।" (32)

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 27, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 28 से 32 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 33—धारा 269-ग का संशोधन

संशोधन किया गया—

पृष्ठ 14, पंक्ति 13-16 **के स्थान पर रखें—**

नई धारा 269दद का अन्तःस्थापन। 'आय-कर अधिनियम में धारा 269-द **के पश्चात्** निम्नलिखित धारा 1 अक्तूबर, 1986 से **अन्तःस्थापित की जाएगी**, अर्थात् :—

एक निश्चित तारीख के पश्चात् स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण को इस अध्याय का लागू न होना।

"269दद. इस अध्याय के उपबन्ध स्थावर सम्पत्ति के ऐसे अन्तरण के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे जो 30 सितम्बर, 1986 के पश्चात् किया जाता है।"' (33)

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 33, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 33, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 34—नए अध्याय 80 का अन्तःस्थापन

संशोधन किया गया—

पृष्ठ 21, पंक्ति 26 "अथवा" के स्थान पर "और" रखें। (34)

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 34, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 34, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 35 से 38 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 39—आनुषंगिक संशोधन

संशोधन किए गए—

पृष्ठ 23, पंक्ति 20, 21 और 22 का लोप करें। (35)

पृष्ठ 23, पंक्ति 23 "(घ)" के स्थान पर "(ख)" रखें। (36)

पृष्ठ 23, पंक्ति 27 "खण्ड (xxiv) और (xxv)" के स्थान पर "खण्ड (xxiv)" रखें। (37)

पृष्ठ 23, पंक्ति 28 के स्थान पर रखें,—

"(ग) धारा 197 में,—

(i) उपधारा (1) के खण्ड (क) से "194ख, 194खख" अंक और अक्षरों का लोप किया जाएगा,

(ii) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।" (38)

पृष्ठ 23, पंक्ति 29 "(च)" के स्थान पर "(घ)" रखें। (39)

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 39, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 39, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 40 से 56 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

तीसरी अनुसूची

संशोधन किए गए—

पृष्ठ 42, पंक्ति 23 और 24 के स्थान पर रखें,—

(क) टिप्पण 2 में, खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ख) एथिल एल्कोहाल

(ग) मीथेन या प्रोपेन (अध्याय 27)"; (40)

पृष्ठ 42, पंक्ति 36 और 37 के स्थान पर रखें,—

(14) अध्याय 30 में,—

(क) टिप्पण में,—

(i) टिप्पण 2 में, खण्ड (i) के उपखण्ड (ख) के बाद "ऐसे प्रयोगों के लिए उपयुक्त" के स्थान पर "खुदरा बिक्री अथवा अस्पताल में प्रयोग के लिए परिमित खुराकों में अथवा पैक करके रखिये" अन्तःस्थापित होंगे;

(ii) टिप्पण 6 में, "मिलाए गए तनुकारक" के स्थान पर "भेषजीय आवश्यकतानुसार मिलाए गए तनुकारक" रखें,

(ख) उपशीर्ष सं० 3003.19, 3004.00, 3005.20 और 3005.90 में स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान "पर 15%" प्रविष्टि रखी जाएगी," । (41)

पृष्ठ 43, पंक्ति 39 के स्थान पर रखें,—

"(क) टिप्पण 5 खण्ड (i) "अध्याय 15 और अध्याय 34" शब्द और अंकों के स्थान पर "अध्याय 15 और शीर्ष संख्यांक 34.02" शब्द और अंक रखे जाएंगे,

(ख) उपशीर्ष सं० 3401.20 में, स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी," (42)

पृष्ठ 43, पंक्ति 40, "(ख)" के स्थान पर "(ग)" रखें। (43)

पृष्ठ 43, पंक्ति 41 "(ग)" के स्थान पर "(घ)" रखें। (44)

पृष्ठ 43, पंक्ति 42 "(घ)" के स्थान पर "(ङ)" रखें। (45)

पृष्ठ 43, पंक्ति 43 "(ङ)" के स्थान पर "(च)" रखें। (46)

पृष्ठ 43, पंक्ति 44 "(च)" के स्थान पर "(छ)" रखें। (47)

पृष्ठ 44, पंक्ति 46 "4001.00," का लोप करें। (48)

पृष्ठ 46, पंक्ति 21 के पश्चात् अन्तःस्थापित करें,—

"(च) शीर्ष सं० 52.09 में स्तम्भ (3) में "जिनमें (i) सूती, (ii) पोलिएस्टर स्टेपिल फाइबर है (जिनमें पोलिएस्टर फिलामेंट सूत मिला हो या नहीं किन्तु कोई अन्य टैक्सटाइल सामग्री न मिली हो)" शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर "जिनमें (i) सूती, और (ii) पोलिएस्टर स्टेपिल फाइबर या पोलिएस्टर फिलामेंट सूत या दोनों हों (कोई अन्य टैक्सटाइल सामग्री न मिली हो)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।" (49)

पृष्ठ 47, पंक्ति 10 में 5504.21 के स्थान पर "5502.00, 5504.21" रखें। (50)

पृष्ठ 47, पंक्ति 19 के पश्चात् अन्तःस्थापित करें—

"(ज) शीर्ष सं० 55.12 के स्तम्भ (3) में "जिनमें (i) कपास, (ii) पोलिएस्टर स्टेपिल फाइबर और (iii) रेमी या कोई एक या अधिक कृत्रिम फाइबर हो" शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर "जिसमें (i) पोलिएस्टर स्टेपिल फाइबर और (ii) निम्नलिखित में से एक या अधिक फाइबर हैं, अर्थात् कपास रेमी और कृत्रिम स्टेपिल फाइबर" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे। (51)

पृष्ठ 48, पंक्ति 1 से 4 के स्थान पर रखें,—

"(ख) शीर्ष सं० 59.03 के स्तम्भ (3) से "(अध्याय 52)" कोष्ठक, शब्द और अंक का लोप किया जाएगा,

(ग) उपशीर्ष सं० 5903.19 के स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "30% धन 6 रु० प्रति वर्ग मीटर धन आधार फैब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि पहले ही संदत्त नहीं किया गया है" प्रविष्टि रखी जाएगी,

(घ) उपशीर्ष सं० 5903.19 और उससे सम्बन्धित ! विष्टियों के पश्चात् स्तम्भ (3) में उपशीर्ष सं० 5903.21 के पहले वाले भाग से "(अध्याय 54 या अध्याय 55)" शब्द और अंकों का लोप किया जाएगा,

(ङ) उपशीर्ष सं० 5903.29 के स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "30% धन 7.50 रु० प्रति वर्ग मीटर धन आधार फैब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि पहले ही संदत्त नहीं किया गया है" प्रविष्टि रखी जाएगी," (52)

पृष्ठ 48, पंक्ति 5 "(घ)" के स्थान पर "(च)" रखें। (53)

पृष्ठ 48, पंक्ति 7 "(ङ)" के स्थान पर "(छ)" रखें। (54)

पृष्ठ 51, पंक्ति 39 का लोप करें। (55)

पृष्ठ 51, पंक्ति 40 "(घ)" के स्थान पर "(द)" रखें। (56)

पृष्ठ 51, पंक्ति 41 और 42 "(न)" के स्थान पर "(ध)" रखें। (57)

पृष्ठ 55, पंक्ति 1 के पहले अन्तःस्थापित करें, (58)

"(6) अध्याय 27 में, शीर्ष सं० 27.07 के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखें, अर्थात्—

"27.07 उच्चताप कोल तार के आसवन के तेल और अन्य उत्पाद, वैसे ही उत्पाद जिनमें सुगंध रचकों का भार असुगन्ध रचकों से अधिक है"

2707.10—बेंजोल	15° सेंटीग्रेड पर 2750 रु० प्रति किलोलीटर
2707.20—टालुओल	15° सेंटीग्रेड पर 2750 रु० प्रति किलोलीटर
2707.30—जाइलोल	15° सेंटीग्रेड पर 2750 रु० प्रति किलोलीटर
2707.40—नेफ्थलीन	12 प्रतिशत

2707.50—फिनोल	15 प्रतिशत
2707.60—क्रयोसोट तेल	15° सेंटीग्रेड पर 200 रु० प्रति किलोलीटर
2707.90—अन्य	15° सेंटीग्रेड पर 2750 रु० प्रति किलोलीटर"।

पृष्ठ 55, पंक्ति 2 "(6)" के स्थान पर "(7)" रखें। (59)

पृष्ठ 55, पंक्ति 4 "(7)" के स्थान पर "(8)" रखें। (60)

पृष्ठ 55, पंक्ति 18 "(8)" के स्थान पर "(9)" रखें। (61)

पृष्ठ 55, पंक्ति 22 "(9)" के स्थान पर "(10)" रखें। (62)

पृष्ठ 55, पंक्ति 29 और 30 के स्थान पर रखें,—

"(11) अध्याय 40 में,—

(क) शीर्ष सं० 40.01 के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"40.01 4001.00 प्राकृतिक रबड़, बैलाधा, गटापर्चा, ग्वायूली, चिक्ल और वैसे ही प्राकृतिक गोंद, प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, शीटों या स्ट्रीप,

(ख) उपशीर्ष सं० 4009.93 के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4009.92—वायु, गैस या तरल के संवहन के कार्य के लिए 30 प्रतिशत अभिकल्पित हो। (63)

पृष्ठ 55, पंक्ति 31 "(11)" के स्थान पर "(12)" रखें। (64)

पृष्ठ 55, पंक्ति 18 "(12)" के स्थान पर "(13)" रखें। (65)

पृष्ठ 56, पंक्ति 18 "(13)" के स्थान पर "(14)" रखें। (66)

पृष्ठ 56, पंक्ति 21 "(14)" के स्थान पर "(15)" रखें। (67)

पृष्ठ 56, पंक्ति 42 "(15)" के स्थान पर "(16)" रखें। (68)

पृष्ठ 57, पंक्ति 19 "(16)" के स्थान पर "(17)" रखें। (69)

पृष्ठ 57, पंक्ति 21 "(17)" के स्थान पर "(18)" रखें। (70)

पृष्ठ 57, पंक्ति 33 "(18)" के स्थान पर "(19)" रखें। (71)

पृष्ठ 57, पंक्ति 42 "(19)" के स्थान पर "(20)" रखें। (72)

पृष्ठ 57, पंक्ति 49 "(20)" के स्थान पर "(21)" रखें। (73)

पृष्ठ 58, पंक्ति 18 "(21)" के स्थान पर "(22)" रखें। (74)

पृष्ठ 58, पंक्ति 27 "(22)" के स्थान पर "(23)" रखें। (75)

पृष्ठ 59, पंक्ति 7 "(23)" के स्थान पर "(24)" रखें। (76)

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

चौथी अनुसूची

संशोधन किए गए—

पृष्ठ 59, पंक्ति 25 से 27 के स्थान पर रखें—

"(3) उपशीर्ष सं० 5206.31, 5206.32, 5206.33, 5206.34, 5206.35, 5206.36, 5206.37, 5206.38, 5206.39 और 5206.90 में, स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "10% धन 5 रु० प्रति वर्ग मीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी,

(4) शीर्ष सं० 52.09 के स्तम्भ (3) में "जिनमें (i) सूती (ii) पोलिएस्टर स्टेपिल फाइबर है (जिनमें पोलिएस्टर फिलामेंट सूत मिला हो या नहीं किन्तु कोई अन्य टैक्सटाइल सामग्री न मिली हो)" शब्द, कोष्ठक और अकों के स्थान पर "जिनमें (i) सूती और (ii) पोलिएस्टर स्टेपिल फाइबर या पोलिएस्टर फिलामेंट सूत या दोनों हैं (जिनमें कोई अन्य टैक्सटाइल सामग्री न मिली हो)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे,

(5) उक्त शीर्ष सं० 5209.11, 5209.21 और 5210.10 की प्रविष्टि के स्तम्भ (4) के स्थान पर "10% धन 5 रु० प्रति वर्ग मीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी,"। (77)

पृष्ठ 59, पंक्ति 28 "(4)" के स्थान पर "(6)" रखें। (78)

पृष्ठ 59, पंक्ति 29 और 30 के स्थान पर रखें,—

"(7) उपशीर्ष सं० 5508.10, 5508.20, 5508.30, 5508.40, 5508.50 और 5511.11 में स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "10 धन 5 रु० प्रति वर्ग मीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी,

(8) शीर्ष सं० 55.12 में स्तम्भ (3) में "जिसमें (i) कपास (ii) पोलिएस्टर स्टेपिल फाइबर और (iii) रेमी या कोई एक या अधिक कृत्रिम स्टेपिल फाइबर हो" शब्द, कोष्ठक और अंकों **के स्थान पर** "जिसमें (i) पोलिएस्टर स्टेपिल फाइबर और (ii) निम्नलिखित में से एक या अधिक फाइबर हैं, अर्थात् :— "सूती, रेशमी और कृत्रिम स्टेपिल फाइबर" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे,

(9) उपशीर्ष सं० 5512.11 में स्तम्भ (4) की प्रविष्टि **के स्थान पर** "10% घन 5 रु० प्रति वर्ग मीटर" प्रविष्टि रखी जाएंगी," । (79)

पृष्ठ 59, पंक्ति 31 "(6)" **के स्थान पर** "(10)" रखें। (80)

पृष्ठ 59, पंक्ति 33 "(7)" **के स्थान पर** "(11)" रखें। (81)

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

6.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चौथी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

चौथी अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक, में जोड़ दी गई।

पांचवीं अनुसूची

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पांचवीं अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पांचवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मन्त्री महोदय ने परेषण कर की स्थिति के बारे में हमें नहीं बताया है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : राज्यों के लिए वित्त मन्त्री की चिन्ता और समान विकास के सम्बन्ध मे उनके सैद्धान्तिक प्रतिवाद को हम समझते हैं । यहां दो बातें हैं । एक परेषण कर के सम्बन्ध में है। जिस पर प्रधान मन्त्री द्वारा बुलाई गई बैठक में सभी मुख्य मन्त्रियों ने आम राय दी थी । यह आप जानते हैं । परन्तु प्रश्न उक्त आम राय को प्रभावी बनाने के लिए विधेयक लाने से सम्बन्धित है । दूसरी बात भाड़ा समीकरण के सम्बन्ध में है। सरकार ने पाण्डे समिति के प्रतिवेदन के आधार पर भाड़ा समीकरण को चरणबद्ध रूप से लागू करने का निर्णय किया है। इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : परेषण कर के सम्बन्ध में मैंने सभी मुख्य मन्त्रियों को लिखा था कि किसी वस्तु को छूट देने का अधिकार केन्द्र के पास रहना चाहिए । इसका औचित्य यह है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एक है । ऐसा हो सकता है कि कुछ मूल कच्चा माल एक राज्य में उपलब्ध है और दूसरे राज्य में जाता है । यदि विभिन्न राज्यों में उपलब्ध मूल कच्चे माल पर भिन्न-भिन्न प्रकार का भार पड़ता है, तो इससे समूची अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी । अतः छूट देने का अधिकार केन्द्र के पास होना चाहिए । अर्थात् लोहे अयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद, कपास आदि जैसे कच्चे माल पर छूट देने का अधिकार केन्द्र के पास होना चाहिए ।

मुझे कुछ मुख्य मन्त्रियों से नकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, "नहीं, इस मामले पर पहले चर्चा की गई थी और इस पर आम राय व्यक्त की गई थी और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए ।" पर हमें विश्वास है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सामूहिक हित में यह आवश्यक है। मेरे विचार में इस पर बातचीत हुई थी । मैं इस मुद्दे का आगे अनुसरण करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

6.04 म० प०

आधे घण्टे की चर्चा

मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाएं

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घण्टे की चर्चा पर विचार करेंगे । श्री सी० पी० ठाकुर ।

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : मैं ऐसे महत्वपूर्ण और बहु चर्चित विषय अर्थात् विभिन्न

राज्यों की लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दिये जाने के लिये अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक सत्र में, अर्थात हर बार जल संसाधनों के कुछ पहलुओं के बारे में चर्चा की जाती है।

कुछ महीनों पहले हम बाढ़ के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे। उन दिनों बाढ़ आ रही थी। इस समय हम सूखे की चर्चा कर रहे हैं। अनेक राज्य सूखाग्रस्त हैं। और इन दोनों के बीच, खेती का समय है। हर किसान अच्छी खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी प्राप्त करना चाहता है।

मैं माननीय सदस्य श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम का भी धन्यवाद करता हूं जिनके प्रश्न पर यह चर्चा हुई है। इस विषय के महत्व का अनुमान उस दिन संसद् में इसके सम्बन्ध में हुई प्रतिक्रिया से लगाया जा सकता है। उस दिन जल संसाधन विभाग के सम्बन्ध में तीन प्रश्न किये गये थे। यह पहला प्रश्न था; दूसरा प्रश्न गंगा-कावेरी परियोजना के बारे में था और तीसरा सोन नहर के आधुनिकीकरण से सम्बन्धित था। तीसरे प्रश्न को नहीं लिया जा सकता था क्योंकि माननीय मन्त्री जी सभा में उपस्थित नहीं थे। किन्तु सभी प्रश्नों के पीछे यही भावना थी कि हम अपने किसानों को किस प्रकार पर्याप्त मात्रा में जल सप्लाई करें। माननीय मन्त्री जी द्वारा दिये गये उत्तर में यह बताया गया था कि 50 परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति दी जाती हैं, हालांकि वे केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मंजूर की जा चुकी हैं। पादटिप्पण में यह बताया गया है कि योजना आयोग द्वारा अन्य बातों के साथ वन संरक्षण, पर्यावरण और साधनों की उपलब्धता आदि सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी जायेगी। इससे पता चलता है कि इस सम्बन्ध में कोई सुस्पष्ट मार्गनिर्देश नहीं है, कोई सुनिश्चितता नहीं है, इसके लिए कोई समय नहीं है। इनमें सबसे पहला प्रस्ताव 1974 का है और अन्तिम प्रस्ताव फरवरी, 1985 का। तात्पर्य यह कि सरकार द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति दिये जाने में औसतन 4 से 6 वर्ष का समय लगता है। हमेशा अनेक मुख्य मन्त्री परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिये जाने के लिये अनुरोध करते रहते हैं। सातवीं योजना के प्रलेख में परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब के कुछ कारणों के सम्बन्ध में बताया गया है किन्तु स्वीकृति दिये जाने में विलम्ब के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। विलम्ब का क्या प्रभाव होता है। यह या तो हानिकारक नहीं है या फिर बहुत अधिक हानिकारक ? मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की लागत में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। हाल ही में किये गये अध्ययन के अनुसार पिछले वर्षों में 157 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की लागत में 562 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 2156 करोड़ रुपये के मूल अनुमानों की तुलना में अब इनके पूरा होने तक इन पर 14,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत आने का अनुमान है और सिंचाई नहरों का निर्माण करने और खेतों में अन्य निर्माण कार्य करने के लिए और अधिक धनराशि की जरूरत पड़ेगी। हम बिहार के कुछ उदाहरणों को लेते हैं। वर्ष 1960 में गण्डक परियोजना की मूल अनुमानित लागत 40.5 करोड़ रुपये थी और 1985 में इसके पूरा होने तक इस पर 415 करोड़ रुपये की लागत आई। 1956 में कोसी परियोजना की लागत 38 करोड़ रुपये थी और 1986 में 212 करोड़ रुपये हो गई। उत्तरी कोइल—इसकी लागत 1977 में 30 करोड़ रुपये थी और 1990 में यह 474 करोड़ रुपये हो जायेगी। सुवर्ण रेखा परियोजना—1976 मे इसकी लागत 128.99 करोड़ थी और अनुमान है कि 1992 तक यह लागत 1032 करोड़ रुपये हो जायेगी। इसलिए विभाग को इस विलम्ब को न्यूनतम करने के लिये कुछ मार्गनिर्देश तैयार करने चाहिए। विलम्ब केन्द्रीय स्तर पर ही नहीं होता है, अपितु राज्य स्तर पर भी होता है। परियोजना को तैयार करते समय अग्रिम आयोजना में सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

अब पी० ई० आर० टी० तकनीक, सी० बी० ओ० एम० तकनीक जैसी ऐसी कई आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं जिनसे किसी परियोजना की सही समय सीमा का पता लगाया जा सकता है, और परियोजनाओं को तैयार करते समय उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि लागत में वृद्धि के साथ-साथ संसाधनों पर भी दबाव पड़ता है। कुछ आलोचकों का कहना है कि सिंचाई के लिए अपर्याप्त धनराशि आबंटित की गई है। चालू योजनाओं की कुल अनुमानित लागत 24,600 करोड़ रुपए है जबकि सातवीं योजनावधि के दौरान सिंचाई के लिए कुल 14,360 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें 10,000 करोड़ रुपये की कमी है। संसाधनों की इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

विभिन्न राज्यों की 50 परियोजनाएं अनिर्णीत पड़ी हुई हैं। ये परियोजनाएं कैसे पूरी की जाएंगी। अब मैं बिहार की बात करता हूं। इन 50 परियोजनाओं में से 6 परियोजनाएं बिहार की हैं। इनमें से एक परियोजना, अर्थात सोन नहर के आधुनिकीकरण सम्बन्धी परियोजना मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित है। यह भारत की सबसे पुरानी परियोजना है क्योंकि पिछले 112 वर्षों से इसकी मरम्मत नहीं की गई है। इसका 50 प्रतिशत पानी व्यर्थ बह जाता है। पानी की इस हानि के कारण इस क्षेत्र विशेष पर बहुत असर पड़ता है। यदि आप समाचार पत्रों को देखें तो आपको पता चलेगा कि यह क्षेत्र बिहार में किसानों के असन्तोष का केन्द्र बिन्दु है। अतः मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह इस परियोजना पर विचार करें। अनेक मुख्य मन्त्री कह चुके हैं कि इस परियोजना पर शीघ्र कार्यवाही शुरू की जाएगी। मैंने इस सम्बन्ध में अपने माननीय मन्त्री जी से प्रश्न किया था। उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया था कि जैसे ही राज्य सरकार से आवश्यक कागजात प्राप्त हो जाएंगे वे परियोजना को स्वीकृति दे देंगे। किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया गया। हाल ही में माननीय मन्त्री जी ने एक वक्तव्य दिया था कि केन्द्र सरकार कुछ ऐसी परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करने पर विचार कर रही है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फिलहाल केन्द्र सरकार राज्यों को सिंचाई परियोजनाओं के लिए रुकी हुई धनराशि जारी कर रही है और तदन्तर राज्य यह निर्णय करेंगे कि किन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाये। बिहार की अन्य परियोजनाओं के बारे में क्या स्थिति है? उत्तरी बिहार की कुछ परियोजनायें हैं—पश्चिमी क्षेत्र में गन्डक परियोजना और पूर्वी क्षेत्र में कोसी परियोजना। इनके मध्यवर्ती क्षेत्रों में सिंचाई का अभाव है अदवारा परियोजना समूह, बागमती परियोजना के बारे में क्या विचार है। दक्षिण बिहार में छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है। वहां सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। आप जानते हैं कि बिहार सिंचाई की क्षमता तैयार करने सहित कई बातों में अधिकांश राज्यों से पिछड़ा हुआ है। यदि बिहार सिंचाई की पूरी क्षमता तैयार करे तो उसे 2650 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। यह गरीब राज्य कहां से इतने संसाधन जुटा पायेगा? केन्द्र को इस पहलू पर विचार करना है।

एक और समस्या है, इन मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से कई परियोजनाओं में निर्मित क्षमता और प्रयुक्त क्षमता के बीच अन्तर है। परियोजना तैयार करते समय इस पहलू को भी शामिल किया जाना चाहिए। सिंचाई की क्षमता में, जो 1984-85 में 679 लाख हेक्टेयर थी, सातवीं योजना के दौरान 808 लाख हेक्टेयर तक वृद्धि की जाती है। सिंचाई की क्षमता का उपयोग 604 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 713 लाख हेक्टेयर भूमि में किया जाता है। निर्मित क्षमता और

प्रयुक्त क्षमता का अन्तर बढ़ रहा है और वस्तुतः यह संसाधनों का अपव्यय है। उपयोग के सम्बन्ध में मैं फिर से यह कहूंगा कि इस बारे में परियोजना तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए। निर्मित क्षमता और प्रयुक्त क्षमता के इस विशाल अन्तर को किस प्रकार न्यूनतम किया जाना है? इस योजना में भी अतिरिक्त क्षमता तैयार करने के लिए 11,556 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं और कमान क्षेत्र के विकास के लिए केवल 1671 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। इस प्रकार यह अन्तराल बना रहेगा और संसाधनों का अपव्यय होगा, संसाधन अवरुद्ध होंगे। हमारे इस गरीब देश में हमें इस समस्या के बारे में सोचना है और इन सभी बातों को परियोजना तैयार करते समय शामिल किया जाना चाहिए।

एक ही सारणी की परिकल्पना जैसी अन्य सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए। राज्य स्तर पर विलम्ब होता है। राज्य स्तर पर परियोजना सम्बन्धित विभाग द्वारा तैयार की जाती है। तदन्तर यह वन विभाग के पास जायेगी। यह राजस्व विभाग को जायेगी, पुनर्वास विभाग को जायेगी, योजना विभाग को जायेगी, तब यह वित्त मन्त्रालय आदि को जायेगी। इस प्रकार वहां भी इसमें बहुत समय लगता है। और मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार में भी इसे इसी तरह से गुजरना होता है। इसलिए सरकार को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए कि इन परियोजनाओं सम्बन्धी कार्यवाही एक ही सारणी द्वारा की जाये। इससे परियोजना तैयार करने और उसके निष्पादन में समय की बहुत बचत होगी।

मैं एक बात जानता हूं कि राज्य में यदि किसी को योजना विभाग में तैनात कर दिया जाये तो वह यह समझता है कि उसे ताक पर रख दिया गया है। यही कारण है कि हमें राज्यों से अच्छी और भली-भांति तैयार की गई परियोजनाएं प्राप्त नहीं होती हैं। कभी-कभी मन्त्री सभा में विभिन्न राज्यों से प्राप्त परियोजनाओं के बारे में यह शिकायत करते हैं।

इन मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से सम्बन्धित और भी समस्याएं हैं और वे सभी जनता और सरकार के लिए चिन्ताजनक हैं। ये समस्याएं हैं—पानी के जमाव की समस्या जिसका हम कोसी क्षेत्र में सामना कर रहे हैं। गाद जम जाने की समस्या, लवणीकरण क्षारीकरण और पुनर्स्थापन आदि की समस्या। इसलिए परियोजना तैयार करते समय इन सभी इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे अनेक राज्यों में पानी के जमाव और खारेपन से कठिनाइयां पैदा होने लगी हैं। विश्व बैंक द्वारा किये गये एक अध्ययन में बताया गया है कि लगभग 30 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में जल के स्तर में प्रतिवर्ष 0.2 मीटर से 1.7 मीटर तक की वृद्धि हो रही है। इसलिए यदि हम ये बड़ी परियोजनायें बना रहे हैं, तो हमें इन हानियों पर भी विचार करना चाहिए और परियोजना तैयार करते समय उनके निवारण के उपाय भी सोच लेने चाहिए।

दूसरी बात सिंचाई परियोजनाओं से सम्बन्धित कर्मचारियों के उपयुक्त प्रशिक्षण के बारे में है। उपयुक्त प्रशिक्षण के अभाव में परियोजनायें न तो समय पर तैयार हो पाती हैं और न ही समय पर उनका निष्पादन हो पाता है। इसलिए सिंचाई परियोजनाओं से सम्बन्धित कर्मचारियों को सिंचाई विभाग में उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

मैं पहले ही बता चुका हूं कि देश में बाढ़ और सूखे की समस्या है। जहां तक बाढ़ की समस्या का सम्बन्ध है, हमारे राज्य में हर वर्ष बाढ़ आती है किन्तु उन्हें रोकने के लिए अब तक कोई पर्याप्त

व्यवस्था नहीं की गई है। पटना में गंगा नियंत्रण आयोग है लेकिन उसे भी उचित महत्व नहीं दिया जाता। उसमें यदि पद रिक्त हो जाते हैं, तो वे कई वर्षों तक रिक्त पड़े रहते हैं और अधिकांश कर्मचारियों को उचित आवास सुविधा भी नहीं दी जाती है। इसलिए इस ओर सरकार द्वारा अधिक ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। अतः माननीय मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए कि सभी परियोजनायें उपयुक्त अवधि में मंजूर कर दी जायें।

केन्द्र द्वारा उपयुक्त मार्गनिर्देश तैयार किये जाने चाहिए और इन्हें सभी राज्यों को जारी किया जाना चाहिए तथा हर वर्ष इनकी पुनरीक्षा की जानी चाहिए। एक प्राथमिकता सूची बनाई जानी चाहिए ताकि हर राज्य की प्रत्येक परियोजना को एक निश्चित समय में शुरू किया जाए और उसे पूरा कर लिया जाये। अतः मेरा विचार है कि इस प्रकार की सूची बनाने का यह बहुत उपयुक्त समय है तथा विभिन्न राज्यों की परियोजनाओं को मजूरी देने के सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिए।

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय, कुछ दिन पहले मैंने माननीय सदस्य द्वारा, विशेष रूप से परियोजनाओं को मंजूरी देने में होने वाले विलम्ब से सम्बन्धित मुद्दों की विस्तार पूर्वक जाँच कर ली है। मेरा विचार था कि मैं परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब, उसके कारणों उनके प्रभाव और उनके समाधान के बारे में उनकी बात विस्तारपूर्वक सुनूंगा। किन्तु माननीय सदस्य ने मंजूरी, विलम्ब, चालू परियोजनाओं में लागत वृद्धि, केन्द्रीय सहायता, क्षमता सृजन, और इसका उपयोग और अन्तर तथा अन्तर में कमी, एक ही स्थान पर परियोजनायें मंजूर करने की प्रणाली, जल प्लावन, लवणीकरण तथा जल संसाधन विकास से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों पर बात की है।

श्री सी० माधव रेड्डी : उन्हें बोलने की अनुमति दी गई थी।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं नहीं समझता कि आधे घण्टे की चर्चा के लिए मुझे जो समय दिया गया है, मैं उसमें न्याय कर पाऊंगा।

माननीय सदस्य ने जब बिहार का उल्लेख किया तो शायद वह विशेष कर सोन नहर के आधुनिकीकरण के बारे में चिन्तित हैं। माननीय सदस्य ने शायद इसी कारण यह मुद्दा उठाया है।

महोदय, यह सच है कि यह नहर सौ वर्ष से अधिक पुरानी है और इसने विशेष रूप से बिहार के सूखा प्रवण क्षेत्रों की भारी सेवा की है। 1874 में जब इसका निर्माण हुआ और यह चालू की गई, तब से 100 वर्ष से अधिक समय तक इसने अपनी क्षमता से अधिक कार्य किया है। किन्तु दुर्भाग्य से क्या हुआ ? इसने बिहार की सेवा तो की किन्तु बिहार ने इसके रखरखाव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसका उचित रखरखाव नहीं किया गया। रखरखाव को बिल्कुल उपेक्षित किया गया और आज इसके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। मैं कह सकता हूं कि यह बिहार सरकार द्वारा पिछले 100 वर्ष के दौरान रखरखाव में बरती गई लापरवाही का परिणाम है कि उन्हें नहर के आधुनिकीकरण की परियोजना के साथ आना पड़ा है। बिहार सरकार का आधुनिकीकरण की परियोजना प्रस्तुत करना तर्कसंगत है और भारत सरकार आधुनिकीकरण की इस योजना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। वास्तव में, इस योजना के प्रथम चरण के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए विचार किया जा रहा है। महोदय, राज्य सरकार ने 1983 में आधुनिकीकरण के लिए 898.86 करोड़ रुपये की लागत का एक प्रस्ताव भेजा था जिससे 9.06 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होनी

थी और यह तीन चरणों में कार्यान्वित होना था। परियोजना रिपोर्ट की जांच की गई और केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का अनुपालन करने के पश्चात् इसकी अद्यतन लागत 1194.72 करोड़ रुपये आंकी गई और इस परियोजना को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा 24-9-84 को मंजूरी दी गई। उन्होंने कुछ सिफारिशें कीं और उनमें से एक सिफारिश यह है योजना आयोग द्वारा यह आपेक्षा की गई थी कि पहले चरण में 30,000 हैक्टेयर पायलट क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का कार्य आरम्भ किया जाए और इस पायलट परियोजना के लिए आवश्यक प्रणाली में सुधार किए जाएं। महोदय, यह संगत होगा यदि मैं इस पुनीत सदन को कुछ जानकारी दूं। यह सम्बद्ध मुद्दे हैं जो यह दर्शाते हैं कि एक परियोजना विशेष क्यों रुकी पड़ी है और इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है। 247 करोड़ रुपये की लागत वाले पहले चरण जिसे 1985-90 के दौरान कार्यान्वित किया जाना था, के संशोधित अनुमान फरवरी, 1985 में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए। ये अनुमान दो मास के भीतर योजना आयोग की मंजूरी के लिए भेज दिए गए। यह अभी तक योजना आयोग के पास लम्बित पड़े हैं और इसका कारण यह है कि 247 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के लिए बिहार सरकार ने केवल 2 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। किन्तु बिहार सरकार और वहां के मुख्य मन्त्री ने, जिनकी मेरे साथ बातचीत हुई है, अधिक धन उपलब्ध कराने का वायदा किया है और हम अभी भी बिहार सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर विचार कर रहे हैं और यह प्रयत्न कर रहे हैं कि आधुनिकीकरण की यह महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वित हो। किन्तु, यह सब पर्याप्त धन उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है।

श्री सी० पी० ठाकुर : समाचार पत्रों में एक वक्तव्य छपा था कि आप कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का केन्द्रीय कोष से वित्त पोषण करने जा रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं नहीं समझता कि मैंने इस प्रकार का कोई वक्तव्य दिया है कि केन्द्र वित्त पोषण करने जा रहा है। यह केवल इसलिए है कि मेरे विपक्ष के कुछ मित्र यह मांग कर रहे हैं कि उनके राज्य की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को केन्द्र को अपने हाथ में ले लेना चाहिए और उनका वित्त पोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में किया जाना चाहिए। राज्य परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में वित्त पोषित करने और उनका कार्यान्वयन करने की हमारी कोई योजना नहीं है। मैं माननीय सदस्य के इस आशय के गुणावगुणों में नहीं पड़ना चाहता कि देश में ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वित्त पोषण सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में किया जाना चाहिए। किन्तु आज स्थिति यह है कि इस प्रकार की कोई योजना या कार्यक्रम नहीं है और योजना आयोग ने इस प्रकार के ऐसे किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। यद्यपि राज्य सरकारें—जब मुख्य मन्त्रियों ने मांग की है—इस प्रकार की योजना के पक्ष में हैं, किन्तु अन्य भी कई मामले हैं। वह यह है कि जब हम कुछ नयी बोर्ड आयोग स्थापित करने पर विचार करते हैं, तो जल संसाधन विकास के लिए नीति तैतार करते समय चर्चा के दौरान कुछ मुख्य मन्त्रियों ने यह कहा है कि जहां तक जल विकास का सम्बन्ध है केन्द्र को राज्यों के प्राधिकार में दखल नहीं देनी चाहिए। समय बहुत कम है, मैं जल के कानूनी और संवैधानिक विवरणों में नहीं जाता।

जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना के सम्बन्ध में मेरे मित्र की अधिक रुचि है। इसके लिए मैंने काफी कारण बताए हैं। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए

पर्याप्त धनराशि जुटानी होगी। जितनी जल्दी राज्य सरकार धन उपलब्ध करा देगी, राज्य सरकार के लिए उतना ही बेहतर होगा और सरकार भी परियोजना को यथाशीघ्र मंजूरी देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ रथ। आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं, लम्बा भाषण न दें।

श्री सी० माधव रेड्डी : पहले वक्ता ही चर्चा के विषय को दूसरी ओर ले गए हैं।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले ही मन्त्री महोदय ने जल संसाधन विभाग की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए तथा अब भी मन्त्री महोदय ने कहा है कि सिंचाई राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। परन्तु मैं माननीय मन्त्री जी से इसके बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस उठाऊ सिंचाई अथवा लघु सिंचाई की बात छोड़िए। जहां तक मध्यम और प्रमुख सिंचाई का सम्बन्ध है, उनके विषय में केन्द्रीय सरकार मंजूरी देती है। न केवल यही, बरन यह परियोजनाएं विश्व बैंक के धन से पूरी की जाती हैं। अतः क्या केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह यह भी ध्यान दे कि यह परियोजनाएं मंजूरी देने के पश्चात् समय पर पूरी भी हों। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि जब कभी सूखा पड़ता है, केन्द्रीय सरकार को राज्य को करोड़ों रुपये देने पड़ते हैं। ये सिंचाई परियोजनाएं कुछ सीमा तक सूखे के प्रकोप का उन्मूलन करने के लिए हैं। अत केन्द्रीय सरकार का यह पहला कर्तव्य है कि राज्यों को मंजूरी देने और विश्व बैंक से धन का प्रबन्ध करने के पश्चात् यह भी देखे कि परियोजना का निर्माण कार्य समय पर पूरा हो।

(व्यवधान)

आपकी अनुमति से मैं माननीय मन्त्री का ध्यान उड़ीसा मे अपने निर्वाचन क्षेत्र में हरभंगी परियोजना की ओर दिलाना चाहता हूं जिस पर लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान था और यह परियोजना वर्ष 1985 तक पूरी हो जानी थी। परन्तु अब इसकी लागत बढ़कर 43 करोड़ रुपये हो गई है। यदि अभी भी सही कदम उठाए गए तो यह 1990 तक पूरी हो पाएगी। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच सिंचाई परियोजना के पूरा होने के सम्बन्ध में सम्पर्क की कमी ही इस योजना की लागत में वृद्धि का कारण है।

एक माननीय सदस्य : जनता की कीमत पर।

श्री सोमनाथ रथ : जनता की कीमत पर ही नहीं, अपितु कृषकों की कीमत पर और केन्द्रीय सरकार जिसे इस बारे में उन्हें सचेत रहना चाहिए, क्योंकि यदि सूखा पड़ता है तो केन्द्रीय सरकार को राज्यों को करोड़ों रुपये अदा करने पड़ेंगे।

अतः मैं माननीय मन्त्री जी से यह भी जानना चाहता हूं केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच सम्पर्क की कमी को दूर किया जाना चाहिए ताकि परियोजना को समय रर पूरा किया जा सके और उड़ीसा के गंजम जिले में हरभंगी सिचाई परियोजना और इसी तरह भगुआ चरण-दो निर्धारित समय में पूरी हों।

अब यह विभाग न केवल सिंचाई वरन् भारत के जल संसाधन का काम भी देखता है।

विभाग की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और इसलिए विभाग को यह देखना चाहिए कि सारे भारत के जल संसाधनों का पता लगाकर उन्हें इस तरह से जोड़ा जाए कि भारत की सभी नदियों का जल समुद्र में बेकार बहने से सिंचाई के काम में लाया जा सके।

क्या माननीय मन्त्री महोदय इसका उत्तर देंगे कि क्या भारत के जल संसाधनों का पता लगाने और एक नदी को दूसरी नदी से, एक राज्य को दूसरे राज्य से और राज्य के भीतर एक बेसिन को दूसरे से जोड़कर इन संसाधनों का एक तन्त्र बनाकर उनका सिंचाई के लिए बेहतर उपयोग करने हेतु एक समिति बनाने का कोई विचार है ताकि रेगिस्तान को भी हरे-भरे खेतों में बदला जा सके।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : डिप्टी स्पीकर महोदय, अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम सोवरेन हैं और हमारे साम्राज्य में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आप दखल मत दो। आप मत बताओ कि हम क्या करें, क्या न करें। यह तो बड़ी मजेदार बात हुई कि पैसा आप दो और राज हम करेंगे, "माले मुफ्त दिले बेरहम"। बिहार में इरींगेशन प्रोजेक्ट्स सोने की खान है। हर इंजीनियर वहां जाना चाहता है। हर ठेकेदार वहीं जाना चाहता है, हर मिनिस्टर वही डिपार्टमेंट चाहता है। वहां एक कहावत है, मैं कई बार कह चुका हूं—"लूट डिवाइडेड बाई फार्सेस", इरीगेशन का पैसा चार तरह के लोगों में बंटता है—इंजीनियर, कांट्रेक्टर, ब्यूरोक्रेट्स और लोकल पॉलीटीशियंस और उसका प्रोजेक्ट कास्ट एस्कलेट होता जाता है। वह पैसा इन लोगों की जेब में जाता है। एक-एक जूनियर इंजीनियर दो साल के अन्दर लखपति हो जाता है और बड़े आराम से पैसा नेपाल के बैंक मे जमा कर देता है। मेरा एरिया नेपाल के नजदीक है, इसलिए वह नेपाल बैंक में जमा कर देता है और आप उसका पता नहीं लगा सकते हैं कि उसने कितना पैसा कमाया। आप सिर पटक कर रह जाइए, लेकिन कुछ नही कर सकते हैं। इस तरह से हम तो यहां से मुश्किल से पैसा देते हैं और वे कहते हैं कि मैं शेर हूं, हमारे यहां दखल नहीं दे सकते हैं। आपका काम पैसा देना है, हमारा काम पैसा खर्च करना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अजीब परिस्थिति है और आप किस तरह से इसको बरदाश्त कर सकते हैं। अभी भी इस देश में सेंटर के प्रति लोगों को विश्वास है, इसलिए मैं कहूंगा कि यदि आप पैसा देते हैं तो मानेटरिंग भी करें। हमने पिछले अनेक वर्षों से लड़-झगड़ कर वेस्टर्न कोसी कैनाल को आप लोगों से पास कराया। उसके नेपाल के पोरशन में तो काम हो गया है, वेस्टर्न कोसी कैनाल मेरे एरिया में है, पार्लियामेंट्री कांस्टीट्वेंसी में है, लेकिन इंडिया में आकर वह काम कछुए की चाल में आ गया है। माननीय मन्त्री जी से मैं यह कई बार कह चुका हू, ये कहते हैं कि वहां जमीन का झंझट है, लोग जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। यह क्या बात है? आपने कहा है कि बिहार सरकार मूव नहीं करती है, ऐसी कौन-सी लाचारी है कि बिहार सरकार मूव नहीं करती, ऐसी कौन-सी लाचारी है कि लोग जमीन नहीं देना चाहते और इरीगेशन न होने के कारण लोग परेशान हैं। आपका जो करोड़ों रुपया लगा हुआ है वह सब बेकार जा रहा है। क्या मन्त्री जी यह बताएंगे कि वेस्टर्न कोसी कैनाल का जो काम रुका हुआ है इंडिया की साइड का, नेपाल साइड में तो जैसे भी हो पूरा हो चुका है, वह इंडिया की साइड में कब तक पूरा होगा। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि बागमती प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा? तीसरी बात यह पूछना चाहता हूं कि कोसी की सिल्टिंग प्राब्लम कब

साल्व होगी या साल्व नहीं होगी और इससे कितना बड़ा हैवक क्रिएट होता है, क्या इसके बारे में मन्त्री जी ने सोचा है ?

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : दिनांक 20 मई, 1985 के इंडियन एक्सप्रेस में कहा है :

"विभिन्न राज्यों में 2125 करोड़ रुपये लागत की 156 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की लागत बढ़कर 14,061 करोड़ रुपये होने की संभावना है अर्थात् पूरा होने तक 562 प्रतिशत की वृद्धि होगी ।"

यहां जो सूची दी गई है वह पूरी नहीं है । सूची में केवल 50 परियोजनाएं हैं । यह पूरी सूची नहीं है । राजस्थान सरकार ने केन्द्र को कई योजनायें भेजी थीं । मैं जानना चाहता हूं कि आपने उन्हें कितनी बार वापस भेजा है । उन्हें राज्य सरकार ने मंजूरी देकर आपके पास भेजा था । क्या आप मुझे बतायेंगे कि आपके विभाग ने एक ही बार में गलतियां निकालकर उन्हें ठीक करने को क्यों नहीं कहा ? और आखिरकार वे स्वयं राज्यों में जाकर उनके साथ बातचीत करके योजनाओं को अन्तिम रूप क्यों नहीं देते ? सिघोर परियोजना का क्या हुआ ? 1977 से वह आपके पास लम्बित पड़ी है। कितनी बार आप उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे हैं ? आपने अपने प्रश्न कब भेजे हैं ? क्योंकि हर बार आप कहते हैं कि उत्तर पूरा नहीं है ।

अब आप असम और बिहार में प्रमुख परियोजनाओं के बारे में कह रहे हैं । मेरे मित्र पावती की तिथि बता रहे थे । यह बात वर्ष 1978 की है । कितनी बार आपने पूरी जानकारी मांगी है । हम विस्तृत उत्तर की मांग करते हैं क्योंकि हर बार आप कहते हैं कि उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । क्या आप हमें प्रत्येक परियोजना के सम्बन्ध में उत्तर दे सकते हैं ? केन्द्रीय जल प्राधिकरण ने उन्हें कितनी बार अनुस्मारक दिया है और उन्होंने उसका अनुपालन नहीं किया है । क्योंकि आपके अधिकारी, आमतौर पर हमारी परवाह नहीं करते । वे क्या करते हैं कि एक गलती निकालते हैं और उसे यह कहकर लौटा देते हैं कि "हमें ये आंकड़े चाहिए ।" फिर वे हमें दूसरे आंकड़े भेजने को कहते हैं । डेढ़ साल के बाद वे कुछ और आंकड़े मंगाते हैं । आपका विभाग किसी योजना की पूरी जांच करने के लिए कम से कम सात या आठ अथवा नौ साल ले लेता है । आप कृपया अपने विभाग से पता कीजिए और सभा में बताइये कि उन्होंने कितनी बार उनकी रिपोर्ट वापस भेजी है और किस आधार पर । क्योंकि मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से हमें पता चलता है कि योजनायें वर्ष 1977 में पूरी हो चुकी थीं और उन्हें भेज दिया गया था । आठ वर्षों के बाद वे कहते हैं कि उत्तर पूरा नहीं है । वह कैसा उत्तर है । आपने कितनी बार अपने प्रश्न भेजे हैं । हर बार आप नुक्ताचीनी करते रहते हैं । जब कोई नया इंजीनियर आपके विभाग में आता है, तो वह कुछ तकनीकी आधार पर उसे निपटाना नहीं चाहता । यदि आप सोचते हैं कि पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं हैं, तो आप कृपया लिख दीजिए । "पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, हम स्वीकृति नहीं दे सकते ।"

राजस्थान नहर के मामले में 600 करोड़ रुपये खर्च करने थे । परन्तु हुआ क्या ? वह बढ़कर 1000 करोड़ रुपये हो गया । इसे वर्ष 1960 में पूरा किया जाना था परन्तु यह 1985 में भी पूरी नहीं हो पाई है । इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? ऊर्जा सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन ने स्वीकार किया है कि इन वर्षों के दौरान भारत में 156 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की लागत 562 प्रतिशत बढ़ गई है । इस बात को स्वीकार किया गया है । "2,156 करोड़ रुपये के मूल

प्राक्कलन के स्थान पर, अब इन पर 14,000 करोड़ रुपये की लागत आने की सम्भावना है।" एक अध्ययन के अनुसार शारदा सहायक के मामले में, उसकी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए 175 वर्ष का समय लग जाएगा। वे कहते हैं, 175 वर्ष/मनुष्य की औसत आयु क्या है? वे यह भी कहते हैं कि श्रीराम सागर को 140 वर्ष लगेंगे। कुछ को 68 वर्ष लगेंगे और कोसी को 62 वर्ष लगेंगे"······

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न बहुत स्पष्ट है। वे हर बार अलग-अलग प्रश्न क्यों भेजते हैं; वे सभी प्रश्नों को एक ही बार क्यों नहीं लिख भेजते ?

श्री मूल चन्द डागा : स्वीकृति की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए आपने क्या व्यवस्था निर्धारित की है? क्या आपने अपने किसी अधिकारी के विरुद्ध सरल कार्यवाही की है और उनमें से किसी को निलम्बित किया है? आप कृपया हमें बताइए कि क्या किसी अधिकारी को, लापरवाही बरतने, फाइल पर कार्यवाही न करने के लिए, निलम्बित किया गया है। कृपया आप हमें गत चार वर्षों की स्थिति बताइये। सभी बातों को सरल बनाने के लिए आपने कोई कारगर प्रक्रिया निर्धारित की है।

श्री चिंतामणि जेना (बालेश्वर) : महोदय, मन्त्री महोदय के उत्तर और सदस्यों द्वारा व्यक्त राय से आपने देखा है कि परियोजनाओं को समय पर पूरा न करने के कारण लागत में वृद्धि हुई है। अतः मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय, परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा करने हेतु राज्य सरकार पर जोर देंगे क्योंकि राज्य सरकार परियोजना को कार्यान्वित करने का एक अभिकरण है। यदि हां, तो वह भूमि अधिग्रहण वन, पुनर्वास और पर्यावरण विभाग से स्वीकृति जैसे पहलुओं पर मुख्य मन्त्रियों और राज्यों के सिंचाई मन्त्रियों के विचार जानने के लिए उन सभी की कोई बैठक बुलायेंगे। यह विभाग स्वीकृति नहीं दे रहा है। क्या यह सुनिश्चित करने हेतु कि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाता है वह इन सभी पहलुओं के लिए मुख्य मन्त्रियों और राज्यों के सिंचाई मन्त्रियों की बैठक बुलायेंगे ?

दूसरी बात यह है कि भूतल जल का सर्वेक्षण तीन दशक पहले किया गया था। आज माननीय सदस्यों ने भी विचार व्यक्त किए हैं कि जल का स्तर नीचे चला जा रहा है जिसके कारण पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि माध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर बहुत समय लगता है और आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं अतः अनेक राज्यों में वे उठाऊ सिंचाई परियोजनाएं अर्थात् उठाऊ सिंचाई नलकूप आरम्भ करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार किसानों को उनकी भूमि की सिंचाई करने के प्रयोजन से कुंआ खोदने और उथले नलकूपों के लिए राज सहायता भी दे रही है। इन मामलों में हम महसूस करते हैं कि पानी नीचे जा रहा है जिसके कारण अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। क्या इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय भूतल जल क्षमता के बारे में समूचे देश का पुनः सर्वेक्षण करेंगे।

तीसरी बात यह है कि पानी के जमा हो जाने के कारण हमें प्रति वर्ष लाखों टन अनाज और खाद्यान्नों का नुकसान हो रहा है। अतः क्या मन्त्री महोदय, केन्द्रीय जल आयोग की तरह पानी के इस जमाव को दूर करने के कार्य का सर्वेक्षण करने और इसकी योजना तैयार करने हेतु एक पृथक निदेशालय अथवा इसी तरह का आयोग स्थापित करने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय के समक्ष क्या कार्यक्रम हैं?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, सदस्य जानना चाहते हैं कि केन्द्र जल संसाधनों के विकास और प्रबन्ध की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता और उसके लिए धन क्यों नहीं खर्च करता। जबकि केन्द्र परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन की व्यवस्था करता है तो केन्द्र को राज्यों में जो कुछ हो रहा है उसमें मूक दर्शक क्यों होना चाहिए ? यदि कोई व्यक्ति केन्द्र अथवा राज्य में गलती करता है तो वे कहते हैं कि केन्द्र को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए।

अब मुझे विलम्ब होने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने दीजिए। परियोजना को मंजूरी देने में पर्याप्त विलम्ब होने के कारण क्या हैं ? परियोजना के कार्यान्वयन में भी विलम्ब होता है। इसके अलावा माननीय सदस्यों ने परियोजना की लागत में वृद्धि होने के सम्बन्ध में भी चिन्ता व्यक्त की है।

श्री मूल चन्द डागा : लागत वृद्धि 62 प्रतिशत थी।

श्री बी० शंकरानन्द : एक माननीय सदस्य ने कहा है कि जब सरकार सूखा राहत के लिए करोड़ों रुपये दे रही है, तो वह इन परियोजनाओं के लिए धन क्यों नहीं देती ? महोदय, देरी होने के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके बहुत से कारण हैं जिनके बारे में मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं देरी के लिए कारणों को संक्षेप में कहूंगा।

वे इस प्रकार है :

(1) स्थल सम्बन्धी, जल विज्ञान सम्बन्धी, भूविज्ञान और अन्य पहलुओं का पर्याप्त सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(2) भरोसेमन्द फसल, डिजाइन, बाढ़ और गाद भर जाने का उचित अनुमान नहीं लगाया गया है।

(3) लागत अनुमान अपेक्षित मानवों के अनुसार तैयार नहीं किए गए हैं।

(4) परियोजनाओं को इस प्रकार तैयार नहीं किया जाता है कि क्षेत्रों के अधिकरण लाभ के लिए जल का इष्टतम उपयोग किया जा सके। इन परियोजनाओं का द्रोणी-क्षेत्र (बेसिन) में अन्य वर्तमान परियोजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव तथा विकास के अन्य चरणों का अध्ययन नहीं किया गया है।

(5) रिपोर्टों में अन्तर-राज्य पहलुओं को पर्याप्त रूप में नहीं दिखाया गया है।

(6) योजना आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राज्य के राजस्व, वित्त और कृषि विभाग की सहमति आवश्यक है जिसका पालन नहीं किया गया है।

(7) परियोजना रिपोर्टों में अपर्याप्त आंकड़ों के कारण पर्यावरण विभाग और वन-विभाग को परियोजनाओं को मंजूरी देने में देरी होती है।

महोदय, इस समय, 31-3-1986 को परियोजनाओं की रिपोर्ट इस प्रकार है। केन्द्रीय जल आयोग जिन परियोजनाओं की जांच कर रहा है वह इस प्रकार है :

बड़ी परियोजनाएं	—	23
मध्यम परियोजनाएं	—	28
	कुल	51

ऐसी परियोजनाएं जिनका राज्य सरकारों ने केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का उत्तर देना है वे हैं :

बड़ी परियोजनाएं	—	107
मध्यम परियोजनाएं	—	50
	कुल	157

राज्य सरकारों के पास ऐसी परियोजनाएं जिन पर तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा की गई टिप्पणियों का उत्तर देना है वे हैं :

बड़ी परियोजनाएं	—	19
मध्यम परियोजनाएं	—	7
	कुल	26

अतः, जब तकनीकी सलाहकार समिति परियोजनाओं की समीक्षा करती है, वे उनको भेजी जाती है जिन पर तकनीकी पहलुओं के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जाता है और तकनीकी सलाहकार समिति कुछ टिप्पणियां करती हैं और उन टिप्पणियों को स्पष्टीकरण के लिए राज्यों के पास वापस भेजा जाता है। अब यदि आप उन बड़ी और मध्यम परियोजनाओं दोनों का जोड़ करें, जोकि राज्य सरकारों के पास लम्बित हैं, तो वह कुल 183 बैठती हैं। अर्थात् 157 जमा 26 परियोजनाएं। उन परियोजनाओं पर जिन पर केन्द्रीय जल आयोग अथवा तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा टिप्पणियां की गई हैं, उन पर राज्य सरकारों द्वारा पालन हो रहा है।

श्री मूल चन्द डागा : आप हमें यह बताएं कि आपने राज्य सरकारों के पास उत्तर और टिप्पणियों के लिए कितनी बार भेजा है। उन्होंने इस देरी के लिए क्या कारण बताये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसके कई कारण हो सकते हैं।

श्री मूल चन्द डागा : हम यह जानना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार किसी योजना को

स्वीकृति देने में कितने वर्ष लेती है । उन्हें राज्य सरकारों को कितनी बार अनुस्मारक करना पड़ता है ? यदि आप विभिन्न परियोजनाओं पर विचार करें, तो आप देखेंगे कि उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं को अनुमति देने में 8 से 10 वर्ष लिए हैं । मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे निश्चित उत्तर दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : देरी दोनों ओर से हो सकती है । जब केन्द्रीय सरकार कुछ सूचना देने के लिए कहती है, तो राज्य सरकार काफी समय ले सकती है । आप केवल केन्द्र को ही दोषी नहीं ठहरा सकते······(**व्यवधान**)

श्री मूल चन्द डागा : तब दोनों पक्षों को दोष देना होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय को अपनी बात समाप्त करने दीजिए । व्यवधान न करें ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं माननीय सदस्य द्वारा की गई टिप्पणियों से सहमत नहीं हूं ।

श्री मूल चन्द डागा : आप सहमत न हों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ।

श्री बी० शंकरानन्द : उनका अनुमान ऐसी दिशा में जाता है जहां कम से कम मैं तो नही जा सकता । उन्होंने पूछा है कि एक परियोजना को स्वीकृति देने में केन्द्र कितना समय लेता है । यह इस बात पर निर्भर करता है कि सम्बन्धित राज्य विभिन्न मुद्दों का स्पष्टीकरण करने के लिए कितना समय लेता है । यदि राज्य पूर्ण ब्यौरा देते हैं तो परियोजनाओं को स्वीकृति देने की प्रक्रिया में निश्चित रूप से कम समय लगेगा ।

श्री मूल चन्द डागा : आप 8 वर्ष लेते हैं और वे भी काफी समय लेते हैं······(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनको अपनी बात समाप्त करने दीजिए । वह आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं केवल वक्तव्य दे सकता हूं । मैं किसी सदस्य को समझा नहीं सकता । घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए समझाया नहीं जा सकता । मैं क्या कर सकता हूं ? मैं तथ्यों को स्पष्ट कर रहा हूं । मैं कह रहा हूं कि ये ऐसी परियोजनाएं हैं जोकि राज्यों के पास पड़ी हुई हैं और फिर भी वह यह जानना चाहते हैं कि मैं परियोजनाओं को मंजूरी देने में कितना समय लेता हूं ।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसी राम (नगरकुरनूल) : आपके पास ही सारे पड़े रहते हैं । आप गोल-गोल घुमा रहे हैं । जैसे हमारा बिल्डिंग गोल है, वैसे ही आप भी गोल-मटोल घुमा रहे हैं ।···(**व्यवधान**) ···जो डागा जी बोल रहे हैं उसका तो जवाब दीजिए । आप गुस्से में क्यों आते हैं ?···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : कृपया मुझे विशेष दृष्टान्त बताएं और तब उत्तर की आशा कीजिए ।

अधिकारियों के विरुद्ध निराधार आरोप न लगाएं। आप मुझे ठोस उदाहरण दीजिए और मैं उनकी छानबीन करूंगा···(व्यवधान)···संसद् सदस्यों के लिए यह उचित नहीं है कि वे इन परियोजनाओं के लिए दिन रात कार्य करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध निराधार आरोप लगाएं। यदि कोई विशेष दृष्टांत है, तो कृपया उसे मुझे दीजिए। विशेष दृष्टान्तों के बिना, यह सिर्फ समय की बर्बादी है······(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपकी नजर में कोई भी विशेष दृष्टान्त है, तो आप मन्त्री जी को उस बारे में लिखकर जानकारी प्राप्त क्यों नहीं कर लेते। सामान्यीकरण मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसी राम : शंकरानन्द जी, आप ऐसे जोश में आएंगे तो हमारे पास भी बहुत जोश है। जोश में क्यों आ रहे हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : क्यों न आयें ?

श्री वी० तुलसी राम : मिनिस्टर होते हुए आप जोश में मत आइए। वह जो बोल रहे हैं; उसका जवाब दीजिए।

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : यह आधा घण्टे की चर्चा है और यह इससे अधिक जारी नहीं रह सकती। मैं अपना वक्तव्य दे चुका हूं। यदि माननीय सदस्य इच्छुक हों, तो उन्हें अपने सम्बन्धित राज्यों से पूछना चाहिए कि कौन-कौन सी परियोजनायें, कितने समय से केन्द्रीय जल आयोग के पास अनिर्णीत पड़ी हुई हैं। यदि इनमें अनुचित रूप से विलम्ब हुआ है, तो यह निश्चित रूप से ही मेरे लिए चिंता का विषय है और मैं इसके लिए सदन के प्रति जवाबदेह हूं। किन्तु माननीय सदस्यों को ईमानदार अधिकारियों के विरुद्ध निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिए। इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा······(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप राज्यों से स्पष्टीकरण क्यों नहीं प्राप्त करते ?

श्री मूल चन्द डागा : आप हमें बताइये कि इसमें राज्यों का क्या दोष है ?

7.00 म० प०

(व्यवधान) मुझे क्षमा कीजिये महोदय। महोदय, मैं कह रहा था······(व्यवधान)। कृपया आधा सेकेण्ड के लिए आप भी मेरा साथ दें। मंत्री महोदय पहले ही यह स्वीकार कर चुके है कि यह 1972 में प्राप्त हुई थी।

श्री बी० शंकरानन्द : अब मैं राजस्थान के सम्बन्ध में······

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोडा) : सिंगूर 77 से पेंडिंग है। (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : पूछिये पूछिये।

श्री बी० तुलसीराम : मेरा मुंह बन्द है, दो रोज के बाद खोलूंगा।

श्री बी० शंकरानन्द : आज किसने बन्द किया है ?

श्री बी० तुलसीराम : आप जानते हैं अच्छी तरह से।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : मैं नहीं समझता। क्या आप मेरी बात सुनना चाहते हैं? कृपया आप मुझे बताइये और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हूं। यदि आप वास्तव में इच्छुक हैं तो प्रश्न पूछिये। मैं प्रश्नों का उत्तर देने की अपनी जिम्मेदारी से जी नहीं चुराता।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना उत्तर पूरा कीजिए।

श्री बी० शंकरानन्द : 31 मार्च, 1986 को केन्द्रीय जल आयोग के पास राजस्थान की केवल तीन बड़ी परियोजनायें थीं। राजस्थान से प्राप्त केवल तीन बड़ी परियोजनायें। केन्द्रीय जल आयोग ने एक बड़ी परियोजना के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणियां भेज दी थीं। तकनीकी परामर्शदात्री समिति ने भी कुछ टिप्पणियां की थीं और उन्हें राज्य सरकार को भेज दिया था। यही केवल एक बड़ी परियोजना है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल बेरवा (टोंक) : उनके नाम भी बता दीजिए, कौन-कौन हैं ?

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : इसके लिए अलग से एक प्रश्न कीजिए। आप मुझसे यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि मैं सीमित समय में इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूं।

(व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : यह उत्तर है। (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : मैंने उत्तर दे दिया है। मैं नहीं समझता कि सभा पूर्ण जानकारी प्राप्त करने की इच्छुक है।

श्री मूल चन्द डागा : यह आधा घण्टा की चर्चा प्रश्न संख्या 546 के सम्बन्ध में उठाई गई थी। हमारे पास उत्तर है। और हम इसे सभा पटल पर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने वर्ष गुजर गये हैं। ऐसी स्थिति है।

श्री बी० शंकरानन्द : यदि उनकी राजस्थान में दिलचस्पी है, तो उन्हें सुनना चाहिए। यदि उनकी दिलचस्पी नहीं है, तो सम्भवतः उनकी दिलचस्पी केवल शोर करने में है।

श्री सोमनाथ रथ : मैंने उड़ीसा की हरभंगा और बाधना परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक विशेष प्रश्न किया है। कृपया उसका उत्तर दीजिए।

श्री बी० शंकरानन्द : जहां तक अलग-अलग परियोजनाओं का सम्बन्ध है, वे बहुत सी हैं। मैं प्रत्येक के नाम नहीं बता सकता। यदि माननीय सदस्य किसी परियोजना के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उन्हें प्रश्न करना चाहिए और मैं उसका उत्तर दूंगा।

श्री सोमनाथ रथ : महोदय मूल रूप से अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपए थी और इसे 1985 तक पूरा किया जाना था। यह पूरी नहीं की जा सकी और अब लागत बढ़कर 43 करोड़ रुपए हो गई है और यह 1990 तक ही पूरी हो सकेगी। क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे कि यह परियोजना पूरी हो जाये ? यही मेरा विशेष प्रश्न है।

श्री बी० शंकरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, परियोजनाओं का निरूपण, वित्तपोषण और क्रियान्वयन राज्यों द्वारा किया जाता है। मैं इन परियोजनाओं के लिए धनराशि नहीं देता। मैं इन परियोजनाओं को क्रियाचित नहीं करता। इनका वित्तपोषण और क्रियान्वयन करना राज्य सरकारों का कार्य है। यदि उनके पास धन नहीं होगा, तो वे इन्हें कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं ?

श्री सोमनाथ रथ : मैं इस विषय में मंत्री महोदय से असहमत हूं। मैं एक विशेष प्रश्न पूछा है······

श्री बी० शंकरानन्द : यदि आप मुझसे असहमत हैं, तो मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता।

श्री सोमनाथ रथ : यह मेरी सहायता करने का प्रश्न नहीं है। हमें इस मुद्दे को टालना नहीं चाहिए और हर बात राज्य सरकार के माथे नहीं मढ़नी चाहिए। जैसा कि बताया जा चुका है, बड़ी मध्यम परियोजनायें केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। इन्हें विश्व बैंक द्वारा सहायता दी जाती है और धनराशि दी जा चुकी है। यदि इसे निर्दिष्ट अवधि में पूरा नहीं किया जाता, तो लागतों में वृद्धि हो जायेगी और जनता को इससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि सूखा पड़ती है, तो इसके लिए केन्द्रीय सरकार को भारी मात्रा में धनराशि देनी पड़ती है। इसलिए केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है कि वह इस मामले पर विचार करे। वह इस मामले को टाल नहीं सकती।

श्री बी० शंकरानन्द : मुझे सचमुच इस स्थिति पर दया आ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बताइए कि क्या सरकार की ओर से कोई विलम्ब किया गया है। सरकार स्वीकृति दे चुकी है। कार्यान्वयन करना राज्य सरकार का कार्य है। वे क्या कर सकते हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : संसाधनों सम्बन्धी कठिनाई के कारण परियोजनायें क्रियान्वित नहीं की जाती हैं।

श्री सोमनाथ रथ : विश्व बैंक ने धन दिया है। उसका प्रयोग नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपके कहने का आशय यह है कि इस पर केन्द्र ने विलम्ब किया है ?

श्री सोमनाथ रथ : जी हां, विश्व बैंक ने धनराशि स्वीकृत की है। यह राशि दी गई है। किन्तु इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

उपाध्यक्ष महोदय : किसने खर्च नहीं किया ? राज्य ने या केन्द्र ने ?

श्री सोमनाथ रथ: मैं बताता हूं, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : समय समाप्त हो गया है ।

श्री सोमनाथ रथ: राज्य द्वारा इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सका क्योंकि वहां आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं ।

श्री बी० शंकरानन्द : यदि माननीय सदस्य इस समस्या के प्रति वास्तव में रुचि रखते हैं तो उन्हें इसे समझना चाहिए । मैं सम्बन्धित राज्यों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं । यदि वे नहीं समझते हैं तो मैं इसे स्पष्ट रूप से कह दूं ताकि वे समझ सकें । मैं उन्हें जानकारी दे सकता हूं । लेकिन केन्द्र प्रत्येक सेवा के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी नहीं है । यदि वे कहते हैं कि केन्द्र को ये बातें देखनी चाहिए । मैं नहीं समझता कि मैं सदस्यों को किस तरह से संतुष्ट करूं ।

अत: राजस्थान की स्थिति यह है ।

योजना आयोग की मंजूरी के लिए जो परियोजनाएं हैं वे हैं······

मैं इन 8 प्रमुख परियोजनाओं और 22 मध्यम परियोजनाओं के विलम्ब के बारे में ही बोल रहा हूं । ये परियोजनाएं योजना आयोग के पास मजूरी के लिए पड़ी हुई हैं । स्थिति यह है । यदि आप कहते हैं कि इसमें विलम्ब हुआ है तो मैं यह नहीं जानता । इसके बारे में राज्य अथवा माननीय सदस्य जानते हैं । राज्य सरकारों पर कतिपय परिस्थितियों में दबाव के कारण उन्होंने योजना में मामूली राशि की व्यवस्था करके कुछ परियोजनाएं शामिल की हैं । उन्होंने ये परियोजनाएं यह देखे बिना शामिल की हैं कि ये स्वीकृत होंगी अथवा अस्वीकृत । जब परियोजनाएं स्वीकृति हेतु आती हैं तो वस्तुत: तीन आधारभूत बातें सामने आती हैं—धन, सामग्री और पानी । ये चीजें उपलब्ध नहीं हैं । यदि ये उपलब्ध नहीं हैं तो कोई परियोजना कैसे मंजूर की जा सकती है ?

ये बातें हैं । यदि माननीय सदस्य वास्तव में कुछ परियोजनाओं में रुचि रखते हैं तो वे मुझे पत्र लिखें और विशिष्ट परियोजनाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रश्न पूछ कर इस बाबत स्पष्टीकरण मांगें । मैं सभा में इसका उत्तर दूंगा और उन्हें सन्तुष्ट करने की कोशिश करूंगा, हमें यह पता लगाना चाहिए कि हम परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब की अवधि कैसे कम कर सकते हैं ।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : क्या मैं स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ? मन्त्री महोदय ने बताया है कि विलम्ब के कई कारण हैं—उदाहरणार्थ राज्य सरकारें जानकारी नहीं भेज रही हैं । यह नहीं कहा गया है कि यह विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों की ओर से कोई योजना न बनाए जाने का कारण है । आपने यह भी उल्लेख नहीं किया है कि यद्यपि यह उल्लेख कुछ समय पहले भी होता रहा कि योजना के अभाव में केन्द्र येलुरू परियोजना को मंजूरी नहीं दे सका । किन्तु इसका कारण हो सकता है कि राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच सम्पर्क न रहा हो । जब हमने पता लगाया तो पाया कि राज्य सरकार को कोई निश्चित योजना मिली है और आन्ध्र-प्रदेश सरकार ने ऐसी कई परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं जिनके अन्तर्गत हजारों लोगों का पुनर्वास किया गया है । फिर यह कैसे हो सकता है कि केन्द्र ने यह मान लिया हो कि आन्ध्र प्रदेश सरकार

येलुरू परियोजना के विस्थापित व्यक्तियों की ओर ध्यान नहीं दे रही है? यह बात हमारी समझ में नहीं आती।

श्री बी० शंकरानन्द : यदि यह केवल येलुरू परियोजना के सन्दर्भ में है··· (**व्यवधान**) पुनर्वास भी परियोजना का ही एक भाग है।

श्री सी० माधव रेड्डी : लेकिन हम यह कर रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : किन्तु यह भी सच है कि कुछ ऐसी परियोजनाएं, जो मंजूर नहीं हुई हैं, राज्य सरकार द्वारा अभी भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा स्थगित होती है।

7.09 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 29 अप्रैल, 1986/9 वैशाख, 1908 (शक) के 11 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, साउथ मोजपुर, दिल्ली-53.